राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक २] चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का ६९ वां दिवस [संख्या ३१

मंगलवार दिनांक २६—३—१९६८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.४ को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सिंचाई, राजस्व, आबकारी, वन, पंचायत, भू. पू. सैनिक सहायता, वित्त, समाज कल्याण, उपनिवेशन, अकाल सहायता व खाद्य विभाग)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री हरिबल्लभ शर्मा।

सवाई माधोपुर जिले में बांधों व नहरों के निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

८४० **श्री हरिबल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जिला सवाई माधोपुर के बंधात मोरेल सागर जैतपुरा भगवतगढ़ मुई पांचोलास और सूरवाल के पेटों तथा इनकी नहरों में काश्तकारान की जो जमीन एवं सम्पत्ति काम में आई उसका कम्पलीट रिकार्ड सम्बन्धित अधिकारियों ने तैयार कर सिंचाई विभाग को दे दिया है? यदि हां, तो ये रिकार्ड किस किस तारीख को किस किस सिंचाई अधिकारी को दिया गया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। और नहीं तो क्यों?

(२) जिलाधीश ने इन बन्धात व इनकी नहरों के निर्माण के कारण प्रभावित काश्तकारों को उनकी जमीन कुए व मकानात का मुआवजा अबतक दिलाया अथवा नहीं? और यदि नहीं दिलाया तो इसके क्या कारण हैं?

(३) किस किस बन्धों के निर्माण में डूब में आई जमीन का मुआवजा दिला दिया गया है और किस किस का अभी तक नहीं दिलाया?

(४) राज्य सरकार इन काश्तकारान को मुआवजा दिलाये जाने के विषय में अब क्या विचार रखती है और यह मुआवजा कब तक दिला दिया जावेगा?

सिंचाई मंत्री (**श्री रामप्रसाद लड्ढा**) : (१) जी नहीं। भूमि अवाप्ति कार्यवाही समाप्त नहीं होने की वजह से अवार्ड जारी नहीं किये गये।

(२) मकानों एवं कुओं का मुआवजा दिया जा चुका है तथा जमीनों का मुआवजा देना शेष है।

(३) किसी भी बन्ध के अतर्गत आई भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(४) राजस्व विभाग से अवार्ड जारी होते ही मुआवजे का भुगतान कर दिया जावेगा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : इनको बने दस पन्द्रह साल का अरसा हो गया फिर भी यह देरी क्यों ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष जी, ये अधिकांश बन्ध भूतपूर्व जयपुर रियासत के वक्त बने थे और उस वक्त की रियासत ने मुआवजा नहीं दिया। राजस्थान निर्माण के बाद यह प्रश्न जब सबसे पहले हमारे सामने आया तो जमीन के अलावा कुओं मकानों का मुआवजा चुकाया और जमीनों के लिए सैक्शन ६ के नोटिस तो निकल चुके हैं और सैक्शन चार के नोटिस भी चुके हैं। लैंड एक्वीजीशन अफसर के यहां कार्यवाही चल रही है। हमने कई बार जल्दी के लिये लिखा है और भी प्रयत्न करेंगे कि ये मामले जल्दी से जल्दी निपटा दिये जावें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : कुल मिलाकर कितने एकड़ भूमि आती है जिसका मुआवजा देना शेष है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग अलग बान्धों के लिए अलग अलग है। मोरेल सागर में ६५।। एकड़, जैतपुरा में ९५५ एकड़, भगवतगढ़ में ११५७ एकड़, मुई में ६२९ एकड़, पांचोलास में ६९३ एकड़, और सूरवाल में १८४८ एकड़।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या यह सही है कि जयपुर स्टेट के समय में इन बान्धों में से जैतसर भगवतगढ़ ये ही बन्धे थे, बाकी राजस्थान सरकार ने बनाये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये तो बन चुके थे बाकी कुछ उस वक्त शुरू हुए थे जिनका कार्य मुकम्मिल राजस्थान बनने पर हुआ कुछ राजस्थान सरकार ने ही बनाये।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या यह सही है कि इनसे बैटरमेन्ट लेवी ली जा रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि अभी तक लगान उन काश्तकारों से लिया जा रहा है जिनकी जमीन डूब में आ गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी जानकारी के अनुसार उस भूमि का लगान नहीं लिया जाता है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : ये मामले कबतक निपटा दिये जावेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जल्दी ही निपटाने का प्रयत्न किया जावेगा।

कोर्ट ऑफ वार्ड्स में रिज्यूम जागीरों की बकाया रकम

८४१. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :— (१) क्या यह सही है कि जो ठिकाने हैसियत कोर्ट व कोर्ट ऑफ वार्ड्स में जागीर रिज्यूम होने के पहले थे

(श्री विजयसिंह)

उनकी काश्तकारों में बकाया रकम वसूल नहीं हुई है? यदि हां, तो वो जागीरदार कौन कौन हैं और उनकी कितनी कितनी रकम बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह रकम सरकार की गलती से बकाया रही है? यदि हां तो क्या सरकार जल्द से जल्द इस रकम को देने की कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उप मन्त्री राजस्व (**श्री गंगाराम**) : जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं। बकाया वसूल नहीं होने का कारण उक्त सूची में अंकित कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि जिला नागौर में आपने श्री अमरसिंह जागीरदार की बताई वह बिलकुल गलत है?

श्री गंगाराम : ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सूचना के अनुसार सही है।

श्री विजयसिंह : आपकी सूचना के अनुसार जो बातें बताई गई वे बोगस बण्डल और निकम्मी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर गलत इन्फोर्मेशन्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न तो आप पूछ नहीं रहे हैं।

श्री विजयसिंह : इसमें उपाध्यक्ष महोदय, इसके हिसाब से कुछ भी नहीं बताया। फिर यहां क्या झख मारने को आते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : भाषा पर नियन्त्रण रक्खें।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे लिये ही कहा है किसी और के लिये नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी यहां बैठे झख मारें यह अच्छी बात नहीं है।

शराब के ठेकेदारों में बकाया की वसूली

८४२ **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु०) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि शराब के ठेकेदार में गारन्टी सिस्टम की बकाया की जांच करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कतिपय अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की गई थी?

(२) यदि हां, तो उस समिति ने किस किस ठेकेदार के विरुद्ध बकाया राशि में कितनी कितनी छूट की सिफारिश की और

(श्री श्रवणलाल)

किन किन ठेकेदारों के सम्बन्ध में छूट की कोई सिफारिश नहीं की ?

(३) सरकार ने इस समिति की सिफारिशों पर क्या निर्णय लिया ?

(४) १९६६–६७ के वित्तीय वर्ष में शराब की बिक्री से राज्य सरकार को कुल कितनी आय हुई ?

(५) १–४–६७ से ३१–१२–६७ तक इस मद में कितनी आय हुई ?

(६) उपरोक्त धनराशि किस किस ठेकेदार पर कितनी कितनी कब कब से बकाया चली आ रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(७) इसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(८) राज्य में शराब के ठेकेदारों में सरकार की वसूली योग्य कुल राशि कितनी है ?

(९) क्या ठेकेदारों में बकाया की कोई रकम बट्टे खाते डाली गई है ? यदि हां, को कितनी, किस किस की और कब कब ?

उपमन्त्री आबकारी (श्री शिवचरणसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

जिला बूंदी की वन सहकारी समितियां

८४३. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिण्डौली): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला बूंदी में कुल कितनी वन सहकारी समितियां रजिस्टर हुई हैं और कब ?

(२) इन सहकारी समितियों में से कितनी काम कर रही हैं ?

(३) इन समितियों में कितनी मुनाफे में और कितनी घाटे में चल रही हैं, घाटे का क्या कारण है तथा इनके नाम क्या हैं ?

(४) मुनाफा अबतक किस समिति ने अपने शेयर होल्डरों को दिया व कब और कितना कितना प्रति शेयर दिया ?

(५) इन समितियों को सरकार की ओर से कितनी सहायता और कितना कर्ज दिया गया है ?

(६) इन समितियों के अध्यक्ष कौन हैं और कब से हैं ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : माननीय मन्त्री महोदय इसे आगे के लिए रख सकेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : अब उसके बाद तो दूसरा प्रश्न पूछ लिया । उस पर व्यवस्था दे दी । और आगे का प्रश्न और पूछ लिया । कई अन्य तरीके हैं । आप आधा घण्टा की चर्चा उठा लीजिये । नियमों में तो इसके लिए काफी प्रावधान है ।

श्री विजयसिंह : असर उन पर क्या पड़ेगा, पांच मिनिट की चर्चा में नहीं पड़ा तो आधा घण्टा की चर्चा से क्या पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री वन मंत्री ।

वन मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) कुल ११ समितियां रजिस्टर हुई। कब कब हुई सूची में अंकित कर दी गई है।

(२) इस वर्ष कोई समिति कार्य नहीं कर रही है।

(३) सभी समितियां घाटे में चल रही है।

(४) किसी समिति में अब तक शेयर होल्डरों को कोई मुनाफा नहीं दिया।

(५) इन समितियों को २७,६००) रु. कर्ज दिया गया है। सहायता नहीं दी गई।

(६) समितियों के मौजूदा अध्यक्षों के नाम उपरोक्त सूची में अंकित हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री केशरीसिंह हाडा : क्या यह सही है कि जो ठेके इनको दिये जाते थे वे २५ प्रतिशत कम रेट पर दिये जाते थे ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : समितियों को हमेशा ही ठेके रियायतन दिये जाते हैं।

श्री केशरीसिंह : फिर क्या कारण है कि ये समितियां घाटे में चल रही हैं और कोई मुनाफा नहीं बांट सकीं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसका कारण इनके आर्गेनाइजेशन में और कार्य विधि में फर्क का रहना है। इसको सरकार ने अनुभव किया है और इनको रिआर्गेनाइज करने के लिए जो स्पेशल अफसर जंगलात विभाग में है उसको डिप्टी रजिस्ट्रार के पावर देने का विचार है और वह इनको रिआर्गेनाइज करेंगे और उसके अपेक्ष आर्गेनाइज है उसका भी संगठन करने का काम करेंगे।

श्री श्रवणलाल : क्या विभाग ने जानकारी प्राप्त की है कि यह समिति घाटे में जा रही है इसका क्या कारण है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : कारण यही है कि जो सदस्यगण थे उनको जितनी दिलचस्पी लेनी चाहिए थी वह नहीं ली।

श्री केशरीसिंह : क्या यह सत्य है कि सरकार ने उनका अभी तक कोई आडिट नहीं करवाया और जो इनके नेता थे वही खा गये और सदस्यों को एक कौड़ी भी नहीं मिली और जो शेयर की रकम थी वह तक वापिस नहीं लौटाई ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : नेता की परिभाषा तो मैं जानता नहीं कि कौन से नेता खा गये ?

श्री केशरीसिंह : जिनके जरिये यह समिति निर्माण हुई है उनसे मेरा मतलब है। और किसी पर आक्षेप नहीं है मेरा।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस प्रकार की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री श्रवणलाल : इसके लिए ऋण कब दिया गया और कितना वापिस जमा हो चुका है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यदि चाहें तो ऋण की लिस्ट बराबर मेरे पास मौजूद है उसको पढ़कर सुनाया जाये ?

श्री केशरीसिंह : सहकारी समिति भोजपुरा को कितना ऋण दिया गया था और कब दिया गया था ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : भोजपुरा की जितनी कान्ट्रेक्ट की रकम बाकी है वह ५,३८०.०९ और ब्याज २,५१२.४२ और उसके बाद ३३८५.३५ और उस प्रकार से कुल ११,२७७.८६ की रकम बाकी है। ऋण देने का कोई उल्लेख नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री केशरीसिंह : भुडा की जो समिति है उसको कितना ऋण दिया गया है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : उसका तो मेरे पास उल्लेख नहीं हैं।

श्री केशरीसिंह : आपकी सूची को देखिये। आपने जो ११ समितियों के नाम बताये हैं उसका ३ नम्बर है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : ५००० रुपया।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। अब स्थान गृहण करें।

श्री केशरीसिंह : यह रकम वापिस नहीं लिये जाने के क्या कारण है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैंने आपसे निवेदन किया कि यह समितियां ऐसी हैं जिन की वित्तीय हालत खराब थी और उसी कारण से इस समय उनको ठेके भी नहीं दिये जायेंगे और रकम भी इकट्ठी होती गई और रकम की आउटस्टेंडिंग बहुत बाकी है और उन्हीं ने रीआर्गेनाइज करने के लिए सारी व्यवस्था मैं कह चुका हूं वह की गई है। इसलिए ध्यान दिया जाता है कि जहां तक हो सके सहकारी समितियों द्वारा ठेकेदारी के और दूसरे कार्य आगे चल सकें ताकि ठेकेदारों से बेहतर आर्गेनाइजेशन समितियों का माना जा सकता है जो कि समाजवादी सिद्धान्तों के कुछ निकट है।

श्री केशरीसिंह : इसमें तो व्यवस्था ही बिल्कुल ही खराब रही है......

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य अब बहुत हो गया।

श्री मूलचन्द डागा

ग्राम भींडर की गोचर भूमि

८४४ **श्री मूल चन्द डागा :** (पाली) क्या राजस्वमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या गांव भींडर, तहसील पाली में कोई गोचर जमीन है ? यदि है, तो किन-किन बीड़ों में और कितनी-कितनी ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) गांव भींडर की मवेशी संख्या कितनी है ? क्या यह सही हैं कि उसके अनुसार गोचर भूमि न छोड़ कर बहुत अधिक भूमि गोचर के लिये उपलब्ध कर दी गई है ?

(३) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत कुलथाणा ने यह मांग की थी कि उन

(श्री मूलचन्द डागा)

के गांव में मवेशी अधिक है और पास के गांव भींडर में से भूमि गांव कुलथाणा के लिये छोड़ा जाये ? यदि हां, तो सरकार ने फिर गांव कुलथाणा के लिए न छोड़कर भींडर के लिए क्यों छोड़ी?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी)

(१) ग्राम भींडर में गोचर भूमि जिसका कुल रकबा६५५।। बीघा २ बिस्वा है खसरान की सूची संलग्न है।

(२) ग्राम भींडर की मवेशी सेन्सस के हिसाब से १५८ भेड़ बकरियों के अलावा है लेकिन वक्त घोषित करने गोचर ग्राम वासियान द्वारा एक अवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया गया था कि कैरसाली के कारण मवेशी बाहर गांव चरने के लिये चली गई थी इसलिए मौके पर मवेशियों की गिनती करवाई जाये, जिस पर तहसीलदार पाली को मौके पर भेजकर सही मवेशियों की संख्या बताने हेतु आदेश दिये गये हैं। तहसीलदार ने दिनांक ९-१०-६६ को मौके पर पहुंचकर रुबरू मोतबिरान मवेशी संख्या १४२० बताई है, नकल रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक ९-१०-६६ सदन की मेज पर रख दी गई है। उक्त मवेशी संख्या के अनुसार जो गोचर भूमि छोड़ी है वह नियमानुसार अधिक प्रतीत नहीं होती।

(३) जी हां, ग्राम पंचायत कुलथाणा ने यह मांग की थी कि उनके गांव की मवेशी संख्या अधिक है और पास के ग्राम भींडर में से भूमि कुलथाणा के लिए छोड़ी जावे, लेकिन उक्त दरखास्त के संबंध में ग्रामवासियों भींडर द्वारा यह एतराज पेश किया गया कि ख०नं० ४८ व ५० (जो भूमि पंचायत कुलथाणा चाहती थी) की भूमि मौजा भींडर की मवेशी के लिए कदीम से गोचर प्रयोजनार्थ काम आ रही है, व मौजा भींडर का तालाब लालेलाव उर्फ लालसागर के पास वह भूमि आई हुई है जिस में ग्राम की मवेशी पानी पीकर उक्त भूमि में ही चरा करती हैं। ग्रामवासी गण भींडर का उक्त उज्र वाजिब समझा गया व ख०सं० ४८व५० भूमि के बजाय ख० नं० ३१, ८९,९१ मौजा भींडर की जमीन को ग्राम कुलथाणा के लिए गोचर घोषित किया गया। ग्राम कुलथाणा के लिए कुल २८३।।। बीघा १ बिस्वा भूमि गोचर घोषित की गई ग्राम कुलथाणा की मवेशी संख्या ७०० है व नियमानुसार ३५० बीघा भूमि गोचर घोषित की जानी थी लेकिन भुमि उपलब्ध नहीं होने से २८३।।। बीघा १बिस्वा भुमि ही घोषित की गई।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : वहां पर कुल १४८ तो मवेशी है। १४८ मवेशियों के लिए हिसाब से गोचर भूमि छोड़ने का दूसरे गांव वालों ने दरखास्त की सरपंच मौजूद नहीं, उपसरपंच नहीं और गांव में २० घर और १८४ मवेशी हैं और आपने ६०० बीघा जमीन छोड़ी है क्योंकि वहां के भूतपूर्व जागीरदार ने कार्यवाही कीहै। श्री मान उपाध्यक्ष महोदय,उस गांव में १८४ तो कुल मवेशी हैं बाहर की मवेशी इसमें एक दिन के लिये आ गयीं टपक पड़ीं भींडर में और गांव वाले दरखास्त करें और आप उत्तर दें कृपा करके जांच करें जिन्होने गलत काम किया है उनको सजा दें।

Page No.8

राजस्व मंत्री बृजसुन्दर शर्मा : आप १४८ मवेशी की संख्या बता रहे हैं और हमारे पास १४२० मवेशी की संख्या है। अगर कुछ मवेशी १०या२० आ गये तो भी उस में क्या फ़र्क है।

श्री मूलचन्द डागा : गांवाई मवेशी १६० है आपका उत्तर है।

श्री बृजसुन्दरशर्मा : यह कहा गया कि हमारे यहां की मवेशी जंगल नहीं होने से बाहर चली गई इसलिये दुबारा जांच होनी चाहिए और तहसीलदार मौके पर पहुंचा और तहसीलदार की रिपोर्ट यह है कि उन्होंने दिनांक ६-१० ६६ को मौके पर पहुंचकर रूबरु मौतबिरान जांच की और संख्या मवेशियान १४२० है। गांवाई मवेशी १६० है तो गाय और भैंस कुल मिलाकर १४२० पाई गई और मौतबिरान के सामने गिनती कराई गई...

श्री जयनारायण सालोदिया : × × × × × × × × ×

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य किस तरह से बात करते हैं अपने आप जरा जुबान संभाल कर तो रखें। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों को कार्यवाही से हटाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपन्ज्ड

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बकरिया भी हो सकती हैं। टोटल मंवेशियान हैं।

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : बकरियों के लिए चरनोट छोड़ते हैं क्या ? क्या उनके लिए भी आधा बीघा चरनोट छोड़ते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मवेशियों की संख्या बताई गई है।

श्री रोशनलाल : ६०० मवेशियों का कहा गया है जिसमें गाडर और बकरियां भी आगई हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मवेशियों में गाडर बकरियां कहां से आगई।

श्री रोशनलाल : आपने कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह !

(दूसरे माननीय सदस्यों से) आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि जानबूझकर जन-गणना करते हैं तो यह जन-गणना (पशुओं की) कितने दिन के बाद होती हैं। आप हर साल करते हैं या दो साल के बाद करते हैं। यह बात पाली के ही बारे में नहीं है अजमेर जिले में भी यह समस्या है। आप लोग गाय भैंस आदि जानवरों के लिए जो भूमि छोड़ते हैं वह काफी नहीं होती हैं जितनी कि होनी चाहिए। वापिस मयेशियों की गणना के लिए कहते हैं तो ध्यान नहीं दिया जाता है, तो आपका आधार क्या है कि साल या दो साल के बाद जनसंख्या ली जाय जिससे

×××अध्यक्ष-पीठ के आदेशनुसार निकाले गये।

(श्री विजयसिंह रावत)

एक्चुअल पोजीशन मालूम पड़ जाय। इसके बारे में स्पष्ट कर दें।

श्री मूलचन्द डागा : आपके पशुओं...

श्री उपाध्यक्ष : पहलेवाले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर आने दें।

श्रीबृजसुन्दर शर्मा : पशुओं की संख्या पटवारी के पास दर्ज रहती है। जब भूमि के एलोटमेंट का सवाल आता है तो उसके हिसाब से करते हैं लेकिन पशुओं की संख्या ज्यादा है और भूमि कम है तो भूमि बढ़ाने का सवाल ही नहीं आता है। एलाटमेंट करते हुए और संख्या निर्धारित करते हुए वह देखा जाता है। वैसे तो संख्या बढ़ती ही जायगी और भूमि कम होती जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री मूलचन्द डागा : पहले पहल थाणा में गोचर भूमि मुकर्रर करने के लिए मांग की गई तो उस समय कितने मवेशी संख्या की रिपोर्ट आई ?

श्री गंगाराम चौधरी : पशु–गणना के हिसाब से १५८ थी वह मैने निवेदन किया है। उसके बाद जांच करवाई हैं तो मालूम हुआ रूबरू मोअत्तबिरान।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष, इसकी और जांच करवा लेता है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि चरागाह छोड़ते समय कुल गाय, भैंस, ऊंट आदि पशु ही गिने जाते हैं और भेड़ और बकरी चरागाह छोड़ने के समय नहीं गिने जाते हैं और उनके लिए अलग चरागाह निश्चित नहीं किया जाता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा - जीं नहीं।

श्री दौलतराम सारण : तो फिर वे कहां चरेंगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसी जंगल में चर सकती हैं।

श्री दौलतराम सारण : जंगल में इनकी गणना नहीं हैं और जंगल में इनको चरने नहीं देते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मींडर के सरपंच महोदय क्या उस समय भी सरपंच थे यह जो आपने कहा है कि मोअत्तबिरों के सामने गिनती की है तो ?

श्री दौलतराम सारण : भेड़ और बकरियां पशुओं में शामिल नहीं हैं और मनुष्यों में नहीं अपनाते हैं तो वे किस में हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : वे मिनिस्टरों में शामिल है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुझे पता नहीं कि कौन सरपंच है ?

श्री रोशनलाल : जो पंचनामा आपने रखा है......

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता को प्रश्न नहीं पूछने देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीं महोदय ने जाच का आश्वासन दिया हैं।

श्री मूलचन्द डागा : एक सवाल पूछना चाहता हूँ ।

आपने जांच की यह कहा कि सरपंच के सामने जांच की तो सरपंच कौन मौजूद था ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह आपको मालूम हो सकता हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजयसिंह रावत : इस बारे में एक प्रश्न और पूछना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि बैलों की जोड़ी के चरागाह छोड़े जाते हैं अजमेर में बीड़ होते हैं वह बैलों की जोड़ी के चरने के लिए छोड़े जाते हैं, लेकिन इस बीड़ की भूमि का आवंटन करना शुरू कर दिया इस कारण से बैलों को जोड़ी के लिए भूमि नहीं रही है तो वह भूमि छोड़ी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न । आर्डर प्लीज ।

पंचायत समिति, दूदू, द्वारा कूप निर्माण एवं पंचायत भवन के निर्माण के लिए दी गई धनराशि

८४५. **श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या सरपंच भंवरलाल शर्मा, पंचायत रोभड़ी, पंचायत समिति, दूदू, का दिनांक ५-५-६५ को कूप निर्माण सुरलींग पुरा के १५००) रु० व दिनांक ३-१२-३६ को पंचायत भूमि में कूप-निर्माण हेतु ४०००) रु० व २८-३-६२ को पँचायत भवन निर्माण हेतु २०००) रु० पंचायत समिति, दूदू से अनुदान में मिले हैं ? यदि हां तो क्या निर्माण कार्य हो चुके हैं ।

(२) अगर निर्माण कार्य नहीं हुए हैं तो इसका क्या कारण है ।

(३) यदि उक्त निर्माण कार्य नहीं हुए हैं तो सरपंच ने उक्त राशियों का क्या उपयोग किया है ?

(४) क्या पंचायत भूमि में कूप निर्माण हेतु जो ४०००) रु० की राशि अनुदान में दी गई है वह नियमानुकूल है ?

राज्य मंत्री पंचायत (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) कूप निर्माण सूरसिंहपुरा के लिए दिनांक ५-५-६६ को ७५०) रु० पंचायत भूमि में कूप निर्माण हेतु दिनांक ३-१२-६४ को १०००) रु० अनुदान व १०००) रु० कूप व पंचायत भवन निर्माण हेतु दिनांक २७-३-६२ को १०००) रु० दिये गये । पंचायत भूमि में कूपि कूप का कार्य तो प्रगति पर है । शेष दोनों कार्य शुरू हीं नहीं किये गये हैं ।

(२) एक कार्य तो प्रगति में है व बाकी दोनों कार्य श्रमदान के अभाव में चालू नहीं किये गये ।

(३) उपयोग में नहीं ली गई राशि पंचायत कोष में जमा रहीं है ।

(४) पंचायत भूमि में कूप निर्माण हेतु जो ४०००) रु० कीं राशि स्वीकृत की गई है वह नियमानुकूल है ।

Page No.11

श्री सुवालाल चौधरी : यह जो पैसा पंचायत में रहा यह पंचायत रोकड़ में जमा रहा या बेंक में या सरपंच के पास में रहा और कितने टाइम तक रहा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पंचायत कोष में रहा है और पंचायत कोष का मतलब है कि पंचायत की कैश बुक में जमा था। कहां रहा यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री सुवालाल चौधरी : यह बात सही है कि पंचायत रोकड़ में जमा–खर्च हो गया, लेकिन उस रकम को वह सरपंच बराबर २–३ साल तक अपने काम में लाया और पंचायत में जमा नहीं की, और जब उससे कहा तो वापिस पंचायत समिति में जमा कराई गइ। सरकारी रुपये का दुरुपयोग सरपंच ने किया हैं तो क्या सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करने की हैंसियत में है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सरकार हमेशा कार्यवाही करने कीं हैसियत में रही है और आगे भी रहेगी। मैंने निवेदन कर दिया कि जो रकम पंचायत कोष में जमा है और उसके दुरुपयोग होने का सवाल तो जब आता है कि जब सामने चार्ज हो कि पंचायत कोष में जमा होते हुए भीं वह रकम सरपंच के पास में रही और उसने उसको अपने व्यक्तिगत काम में लिया। अगर पंचायत कोष में जमा है और सरपंच उसको तत्काल बता देता है तो उसकी अनियमितता तो हो सकतीं हैं कि २५०) रु० से अधिक की रकम उसने क्यों रखी, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा यह रकम जमा हो गई है, अगर इन पर यह आरोप स्पष्ट बता देंगे कि सरपंच ने इस रकम को व्यक्तिगत काम में ले लिवा है और उसका दुरुपयोग किया है तो सरकार जांच की कार्यवाही करने की हैसियत में हैं और रहेगी।

श्री सुवालाल चौधरी : क्या यह सही है कि वहां के गांव वालों के लिए पीने के पानी के लिए एक भी कुआ नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया मंत्री महोनय ने।

श्री सुवालाल चौधरी : उसने उस पैसे को अपने व्यक्तिगत काम में लिया है और अगर इसकी जांच करायेगे तो मैं खुद चलकर मौके पर इसकीं जांच करवा सकता हूं।...

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : २५०) रुपये का नियम किस उद्देश्य से बनाया गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसी खतरे के खयाल से बनाया गवा है कि रकमों का दुरुपयोग न करें।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : जो धनराशि पंचायत समिति से स्वीकृत हुई है जिस कार्य के लिए वह उस काम में क्यों नहीं ली गई।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर दे दिया गया। अगला प्रश्न, श्री पृथ्वीसिंह !

श्री सुवालाल चौधरी : मेरे उस प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : आगया।

श्री सुवालाल चोधरी : यह बात हैं कि ५००) रु० लेकर गांव वाले सरपंच के पास गये, लेकिन वह पैसा अपने काम में लेना चाहता था इसलिए उसने गांव वालों को नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय ने इसका उत्तर दे दिया तब आपने सुना नहीं उन्होंने यह कहा है कि अगर उसने दुरूपयोग किया है और पंचायत कोष में पैसा जमा नहीं हुआ है उसकी शिकायत उपस्थित होगी तो जांच की जायगी। अगला प्रश्न !

प्रश्न संख्या ८४६

श्री पृथ्वीसिंह

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री आइदानसिंह (मीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, ८४६ और ८४७ का जवाब दिलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास आथोरिटी नहीं है।

श्री आइदानसिंह : यह फौजियों के हित में प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : समय बच जायगा तो देख लेंगे।

श्री आईदानसिंह : समय बचने का प्रश्न नहीं है। फौजियों के हित में हैं।

प्रश्न संख्या ८४७

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती शिवकुमारी

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नन्दवाना !

चन्देरिया स्टेशन पटवार हल्का पुठोली की भूमी पर नाजायज कब्जे

८४८. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या चन्देरिया स्टेशन पटवार हल्का पुठोली, तहसील गंगादार में आराजी न० १४६१ तथा १४६२ एवं १४६३ आसामियों के अलग खाते में भूमी दर्ज है ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस भूमि में कोई पैट्रोल व डीजल आयल पम्प लगाए जाने के लिए जिलाधीश कार्यालय से नो ओबजेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया है ? यदि हां तो किसको तथा किस अधिकार के अन्तर्गत ?

(३) क्या यह सत्य है कि राज्य सर-सरकार यहां कोई मास्टर प्लान बना रही है ? यदि हां, तो कब तक तैयार हो जावेगा? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या यह सही है कि यह भूमि बहुत कीमती है ? यदि हां, तो इस भूमि पर नाजायज व अवैध कब्जे क्यों कर बढ़ रहे है तथा इसे रोकने के लिए क्या कोई कदम उठाए गए है ?

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

(५) नाजायज कब्जा रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गई तो वह किस स्टेज पर है ?

उपमन्त्री राजस्व : (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी हां।

(२) जी हां, न० १४६३ रकबा २) बीघा जो श्री तेजसिंह पिता गोविन्दसिंह के खातेदारी की है उसमें से रकबा ।।) बीघा भूमि राज्य सरकार को सरन्डर करदी तथा पेट्रोल व डीजल पम्पस लगाने के लिये अकृषि कार्य में उपयोग में लाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश करने पर एस. डी. ओ. अधीक्षक आरक्षी मंडल व अधिशासी आरक्षी मंडल व अधिशासी अभियन्ता भवन एवं पथ निर्माण विभाग, चित्तौड़गढ़ से नो ओब्जेक्शन प्राप्त होने पर पेट्रोलियम नियम १६३७ के प्रावधानों के तहत जिला दंडनायक द्वारा नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया गया है।

(३) जी हां, चित्तौड़गड़ का ड्राफट प्लान के क्षेत्र के लिये आवश्यक है वह सम्भवत: अगले वित्तीय वर्ष से बनाना प्रारम्भ किया जावेगा और साधारणतया २.३ वर्ष इसमें लगेंगे।

(४) जी हां। यदि यह भूमी मास्टर प्लान में आजाती है तो कीमती हो सकती है। चूंकि भूमि मकमूजा आसामियान है अत: इस भूमि पर नाजायज कब्जे का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अलावा राजकीय भूमि पर जो नाजायज कब्जे किये जा रहे है उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(५) जी हां। कब्जे हटवाने की कार्यवाही जारी है।

श्री रामकुमार नंदवाना : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस भूमि पर पेट्रोल पम्प लगा है उसको आबादी में कन्वर्ट कर दिया है क्या ?

श्री गंगाराम चौधरी : आबादी में कन्वर्ट करने के बाद ही पेट्रोल पंप के लिये दिया होगा, इस सम्बन्ध में अब तक पूर्णत: सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रामकुमार नंदवाना : जब तक सूचना न हो, क्या किसी प्राइवेट परसन की खातेदारी जमीन पर पेट्रोल पंप बनाने की इजाजत दे सकते है ?

राजस्व मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) **:** राज्य सरकार पेट्रोल पंप बनाने की जमीन देती है वह यदि किसी के कब्जे में होती है तो कलेक्टर बाकायदा जांच करके नो ओब्जेक्शन देता है उस भूमि को प्रीमियम और किराया लेकर कनवर्ट करली जाती है।

श्री रामकुमार नंदवाना : जब यह प्राइवेट लैंड है तो बिना इसको आबादी में कन्वर्ट किये, नियम की अवहेलना करके पेट्रोल पंप के लिये कैसे दे दी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट का ताल्लुक है वह इसमें दिया गया है। रूल्स के अनुसार है या नहीं इसकी सूचना नहीं है।

श्री रामकुमार नंदवाना : मास्टर प्लान तैयार हुआ है उसकी परमिशन मिली है या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मास्टर प्लान तैयार नहीं हुआ हैं। कलेक्टर ने मौका देख कर नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया होगा।

शिड्यूल एरिया में शिक्षा प्रसार एव छात्रावासों की व्यवस्था

८४९. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ की तहसीलों के लिए, जिन्हें शिडयूल एरिया घोषित किया गया है, शिक्षा प्रसार एवं छात्रावास व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई योजना है ? यदि है तो गत पांच वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई है ?

(२) राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा जो इन क्षेत्रों के लिए सहायता आदि दी जाती है वह क्या पूरी की पूरी इसी के निमित्त इसी क्षेत्र में व्यय की जाती है ? यदि हां, तो पांच वर्षों का व्यय का ब्यौरा कृपया सदन की मेज पर रखें ? यदि नहीं, तो क्यों व किन व्यवस्थाओं के अनुसार यह राशि इस क्षेत्र के लिये व्यय नहीं की गई है ?

समाजकल्याण मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिये छात्रावास और संस्कार केन्द्र चलाये जाते है। अनुसूचित जन जाती के छात्रों को पोस्ट मेट्रिक एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति भी दी जातीं है। स्वंसेवी संस्थाओं द्वारा भी विभागीय अनुदान से छात्रावास एवं बुनियादी स्कूलें चलाई जाती है। गत पांच वर्षों में अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षा की विशेष योजनाओं पर जो व्यय किया गया है उसकी सूची "अ" सदन की मेज पर रखदी गई है। यह व्यय अन्य विभागों द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं पर किये गये व्यय के अतिरिक्त है।

(२) प्राप्त सूचना के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में जो धनराशि अमुक मद के लिये स्वीकृत की गई थी वह उसी मद में खर्च की गई है। इस क्षेत्र में आर्थिक एवं शैक्षिणक उत्थान की योजनाओं पर गत पांच वर्षो में समाज कल्याण विभाग के मद से जो धनराशि व्यय की गई उसकी सूचना "ब" में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री नाथूराम : क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ५ वर्षों में आदिवासी क्षेत्र में विशेष छात्रवृत्तियां बिल्कुल नहीं दी गई है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : छात्रवृत्तियां विभिन्न प्रकार से दी गई है। विशेष छात्रवृत्ति से आपका क्या अर्थ है ?

श्री नाथूराम : विशेष छात्रवृत्ति जैसे आई. ए. एस. या आर. ए. एस. की ट्रेनिंग में जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थी जाते है उनको दी गई या नहीं हायर शिक्षा के लिये ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : हायर शिक्षा के लिये नहीं दी गई है। जो छात्रावास में पांचवी कक्षा तक के विद्यार्थी है या ९ वीं

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

से ११ वीं तक के विद्यार्थी हैं उनको अलग है। और पोस्ट मैट्रिकवालों को भी देते है ।

श्री नाथूराम : विशेष छात्रवृत्ति आदिवासियों को नहीं देने का कारण क्या है ?

श्री रतनलाल रोत : आप यदि विवरण को देखेंगे तो पता चलेगा कि आदिवासियों को जो धन एलोट किया जाता है पिछले पांच वर्षों में उसको धीरे धीरे कम करते जा रहे है। लघु उद्योग, छात्रवृत्ति आदि में पहले से कम कर दिया है। कुओं आदि के लिये जो सहायता दी जाती थी वह भी कम करदी है। क्या वहां पर पानी के कुए पूरे हो गये, या लघु उद्योग पूरे खोल दिये गये या शिक्षा काफी फैल गई इस कारण से आपने धन राशि कम करदी है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं यह निवेदन करूं कि गत पांच वर्षों में इस क्षेत्र में निम्न प्रकार से धन राशि खर्च की गई है :

१९६२–६३ में १७ लाख ३९ हजार, १९६३–६४ में २२ लाख ३१ हजार, १९६४–६५ में २८ लाख १० हजार, १९६५–६६ में ३५ लाख १९ हजार और १९६६–६७ में ३५ लाख ५१ हजार रुपये खर्च किये गये है......

श्री नाथूराम : यह तो सूची मेरे पास है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस प्रकार जो कुल खर्चा मिलाकर हुआ है उसमें घटोतरी नहीं हुई है। यह बात अलग है कि किसी मद में कम खर्चा हुआ है और किसी में विशेष हुआ है और यह आवश्यकता के अनुसार हुआ हैं लेकिन कुल मिलाकर आंकड़े बताये है उनके अनुसार घटोतरी नहीं हुई बल्कि बढ़ोतरी हुई है ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि प्रावधान के मुताबिक खर्चा नहीं किया गया ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : प्रावधान के अनुसार ही खर्चा किया जाता है लेकिन कभी विशेष सूरत में कम बेशी भी हो सकता है ।

श्री रावतराम (छापर) : शिडयूल ट्राइब्स के लिये पर्टिकुलर एरिया निश्चित किया जाता है उसमें सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट को सेन्ट्रल गवर्नमेंट से क्या धन राशि विशेष तौर से प्राप्त होती है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : आपका मतलब शिडयूल ट्राइब्स के ब्लाक्स से है उनकी संख्या १८ है और वे सब केन्द्र से अनुदानित हैं और ज्यादातर उनमें जो आदिवासी है उनके लिये कार्य होता है।

श्री दौलतराम सारण : आदिवासियों के ब्लोक्स के लिये जो धनराशि एलोट की जाती है उसमें क्या अभी कटोती की गई है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : जी नहीं उसमें कटोती नहीं की गई है ।

Page No.16

श्री हीराभाई : क्या......

श्री उपाध्यक्ष : ग्रोर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां लाखों रुपये खर्च हुए है उसका ग्रोडिट भी हुआ है या नहीं? यदि नहीं हुग्रा तो कितने सालों से नहीं हुग्रा?

श्री नारायणसिंह मसूदा : लाखों रुपये खर्च होते है राज्य सरकार के उसके लिये नेता महोदय भी अवगत हैं कि उसके लिये बाकायदा ग्रोडिटिंग वगैरा के लिये सरकारी मशीनरी लगी हुई है। पी. ए. सी. भी स्क्रुटेनाइज करती हैं और हर स्टेज पर स्क्रुटिनी होती रहती है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री नाथूराम : मेरा प्रश्न बहुत जरूरी है, लाखों रुपये खर्च हुग्रा है......

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। बहुत पूरक प्रश्न हो गये।

श्री नाथूराम : क्या मन्त्रीजी बताने की कृपा करेंगे......

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री जी जवाब नहीं देंगे। अगला प्रश्न श्री रामचन्द्र ग्रार्य।

श्री नाथूराम : सरकारी पैसे का दुरूपयोग हुग्रा है सिर्फ एक प्रश्न पूछ लेने दीजिये

श्री उपाध्यक्ष : सिर्फ एक प्रश्न पूछने दिया जायगा।

श्री नाथूराम : क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे, ग्राप कहते हैं कि ग्रोडिट होता है लेकिन क्या छात्रावासों ग्रौर जो संस्थाए कूग्रों वगेरा पर खर्च जिनकी मार्फत किया जाता है उनका ग्रोडिट हुग्रा है?

श्री उपाध्यक्ष : जवाब हां या ना में दें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : छात्रावास...

श्री नाथूराम : मैंने पूछा उसका जवाब दिया जाय।

श्री नारायणसिंह मसूदा : छात्रावासों का ग्रोडिट होता है ग्रौर जो स्वयं सेवी संस्थाए हैं उनका भी ग्रोडिट चार्टर्ड ग्रकाउन्टेट्स द्वारा होता है।...

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हीराभाई : क्या मन्त्री जी बतायेंगे

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। ग्रोर्डर प्लीज।

श्री हीराभाई : व्यवस्था का सवाल है। जब पिछड़ी जातियों के बारे में सवाल पूछते हैं तो पूछने नहीं देते। ग्रासन से ग्राप हमको दबाना चाहते है......

श्री उपाध्यक्ष : ग्रोर्डर प्लीज।

श्री हीराभाई : मैं जवाब चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : ग्रोर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज !

श्री हीरा भाई : आप प्रश्न का जवाब दिलाने के लिए क्यों नहीं कहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री नाथूराम बागीडोरा : इसमें और किसी की गलती नहीं है, विभाग की गलती है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कई प्रश्न रह जायेंगे।

श्री हीरा भाई : जो संस्थायें चल रही हैं उन पर क्या खर्च किया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया स्थन ग्रहण करें।

श्री हीरा भाई : हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आदिवासियों को कितने प्रतिशत सहायता दी है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री हीरा भाई : कितने प्रतिशत खर्च किया गया है, और कितना प्रतिशत रह गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हीरा भाई : उसके बारे में मंत्री महोदय बतायें कि पिछले पांच साल में कितना खर्च किया है और कितने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई है और जिनको नहीं दी है तो क्यों नहीं दी गई है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ! इस तरह सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित करेंगे.........

श्री हीरा भाई : प्रश्न पूछने का हमको मौका मिलना चाहिए, और हमको प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय।

उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री हीरा भाई : और माननीय मंत्री जी को जवाब देने से रोकेंगे तो......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! इस तरह सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित करेंगे तो आसन को मजबूर होकर नियमों के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री हीरा भाई : क्या कार्यवाही करेंगे.........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आसन पैरों पर खड़ा है। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हीरा भाई : आदिवासियों के खिलाफ हमेशा कार्यवाही की है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर खड़ा है।

श्री हीरा भाई : मैं कह रहा हूं कि आदिवासियों के खिलाफ हमेशा कार्यवाही की है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! (श्री हीरा भाई के अनवरत बोलने रहते पर) सदन से बाहर जायें। कृपया आप सदन से बाहर जायें। (श्री हीरा भाई के बोलते रहने पर) माननीय सदस्य ! आप आसन की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री हीरा भाई : आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि मंत्री महोदय हमारे प्रश्न का जवाब दें। आप ऐसी व्यवस्था दे दीजिये। आप आदिवासियों के प्रश्न को दबाने के लिए विवश मत कीजिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : बैठ जाना चाहिए।

श्री हीरा भाई : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय.........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आप कृपया सदन से बाहर जायें।

श्री हीरा भाई : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.........

श्री जयनारायण सालोदिया : यह तो गलत है। वाजिब बात करते हैं तो आप बोलने नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सार्जेन्ट एट आर्म्स ! माननीय सदस्य को बाहर ले जायं।

(सार्जेन्ट एट आर्म्स के माननीय श्री हीराभाई के पास आने पर)

(शोर–गुल–अनवरत शोर–गुल)

श्री नत्थी सिंह : हम कतई नहीं जाने देंगे।

श्री रामकिशन : हम नहीं जाने देंगे।

(वाच एण्ड वार्ड के व्यक्तियों द्वारा माननीय हीराभाई को सदन से बाहर ले जाये जाने पर)

श्री जयनारायण सालोदिया : व्यवस्था का प्रश्न तो करने दीजिये। आखिर यह क्या चाहते हैं।

श्री राम किशन : आखिर यह क्या हो रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : इस तरह किसी माननीय सदस्य को बलपूर्वक बाहर ले जायं और उनको व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं करने दें।

श्री नाथूराम बागीडोरा : यह आदिवासियों का प्रश्न है। हमारे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं देते।

श्री जय नारायण सालोदिया : आसन को उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनना चाहिए।

(शोर–गुल–अनवरत शोर–गुल)

(वाच एण्ड वार्ड के व्यक्तियों द्वारा माननीय हीरा भाई को सदन से बाहर ले जाने पर)

श्री जय नारायण सालोदिया : इस विधान सभा के किसी माननीय सदस्य को आप व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं करने देना चाहते। आप मंत्री को प्रश्न का उत्तर भी नहीं देने देना चाहते।

Page No.19

श्री नत्थी सिंह : इस तरह की बात करते हैं तो क्या पंजाब की स्थिति यहां पर भी लाना चाहते हैं।

(शोर—गुल – व्यवधान)

श्री जयनारायण सालोदिया : आप व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं सुनना चाहते। आप व्यवस्था का प्रश्न तो सुनिये उसके बाद में व्यवस्था दीजिये। माननीय हीरा भाई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे लेकिन उनको सुना नहीं गया।

श्री नाथूराम बागीडोरा : मुझे भी निकाल दीजिये। मुझे भी निकाल दीजिये।

(शोर—गुल – व्यवधान)

श्री दौलतराम सारण : हम सब निकलने को तैयार हैं। हम ऐसी व्यवस्था से नहीं दबना चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नत्थीसिंह : यह गलत व्यवस्था है। व्यवस्था का प्रश्न सुनिये तो सही। आपने उनको निकाल दिया।

श्री दौलतराम सारण : इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है। इस तरह की व्यवस्था से सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जा सकती है। इस तरह के दबाव को सदन द्वारा कभी बर्दाश्त नहीं किया जायगा।

श्री विजयसिंह रावत : हमारे प्रश्नों का मंत्री महोदय जवाब नहीं देते हैं और आसन इस तरह उत्तेजित हो जाता है और मंत्री महोदय को आसन की तरफ से इस तरह बचाया जाता है तो सदन में मुश्किल हो जायगी।

श्री नत्थीसिंह : इस तरह से सदन की कार्यवाही चलाना मुश्किल हो जायगा।

(शोर—गुल – अनवरत शोरगुल)

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई माननीय सदस्य कुछ प्रश्न करता है, व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। हम आसन से सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं......

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बड़े दुःख की बात है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आसन हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो सदन की कार्यवाही कैसे चल सकती है। हमारा आसन से हमेशा सहयोग है, हम असहयोग करके नहीं चलना चाहते लेकिन हमें आसन से सहयोग नहीं मिल सके और अगर दर्द भरी व्यवस्था को सुनने के लिए भी आप तैयार नहीं हों तो.......

श्री विजयसिंह रावत : इस प्रकार सदन की कार्यवाही कैसे चल सकती है आप लोग सदन की कार्यवाही नहीं चला सकते हैं। आप जनता का गला घोंटना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

Page No.20

श्री विजयसिंह रावत : मैं कहना चाहता हूं कि सुखाड़िया जी के मंत्रिमंडल में केवल तीन चार मंत्रियों को छोड़ कर कोई उत्तर ठीक तरह से नहीं देता है

श्री नत्थी सिंह : व्यवस्था कायम रखने के लिए जब तक हमारी सुनवाई नहीं की जायगी तब तक आपको हमें सारे दिन निकालना पड़ेगा । हम इस बात के लिए तैयार हैं । माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठायें और आप सुनें नहीं । आपको व्यवस्था का प्रश्न सुनना चाहिए । इस सदन की कार्यवाही तब ही चल सकेगी जब आप व्यवस्था देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें । विपक्ष के नेता महोदय !

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : आप कोई माननीय सदस्य को प्रश्न तो करने दीजिये, उसका उत्तर जो भी हो वह आ जाय, फिर जो व्यवस्था आपकी होगी वह सर्वमान्य होगी । हमारा सहयोग है आसन से, हम आसन का आदर करते हैं—यह निर्विवादित बात है । हमें आसन की व्यवस्था के ऊपर रोष प्रगट नहीं करना चाहिए लेकिन आदिवासियों की दर्द भरी आवाज को सुनने के लिए सदन में मौका नहीं दिया जाय तो कब और कहां दिया जायगा । मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि माननीय प्रश्नकर्त्ता को प्रश्न पूछने की इजाजत दीजिये, जो उत्तर आयेगा, वह आयेगा । लेकिन इस तरह लोगों को दबाया जायगा तो हमारा सहयोग तो हम आसन से कैसे रख सकते हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, इतना निवेदन करूंगा कि पिछले कई दिनों से इस प्रकार सरकार की ओर से रवैय्या दिखाई दे रहा है कि प्रश्नों का कोई समाधान हो—ऐसा उसकी तरफ से प्रयास नहीं होता है और प्रश्न के उत्तरों को टाल दिया जाता है, प्रश्नों का उत्तर ठीक प्रकार से नहीं दिया जाता है । और प्रश्नों का समाधान हो सके—ऐसी स्थिति नजर नहीं आती है । वह बार-बार प्रश्नों को टाल देते हैं और बार-बार प्रश्नों के उत्तरों को दबाया जाता है । माननीय सदस्य के जो प्रश्न के उतर होते हैं उनके उत्तर से उनका संतुष्टिकरण नहीं होता है तो इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है । आज प्रश्न जिस रूप में आया वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर था । इस प्रकार के अनेक बार प्रश्न आये हैं, और यह प्रश्न सौभाग्य से कांग्रेस की ओर से पूछा गया था तो इसका स्पष्ट उत्तर देना चाहिए था कि सरकार की नीति क्या है और सरकार ने पैसा किस तरह से खर्च किया है । उस समय बार बार यही बात चल रही थी, ऐसे समय में आसन से माननीय सदस्य को यह कहना—मैं समझता हूं ठीक नहीं था । इसलिए अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको माननीय सदस्य को वापिस बुलाने के लिए कहना चाहिए ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना से मेरे मन पर जो प्रभाव पड़ा है वह इतना प्रभाव नहीं है कि माननीय हीराभाई को इस सदन से निकाला गया । मैं इस सदन में देखता आया हूँ कि जब कभी आदिवासियों का, हरिजनों का

(श्री रामकिशन)

सवाल होता है तो सरकार के मंत्री महोदय और आसन दोनों गम्भीरता से उसे नहीं लेते। इसी कारण यह हीराभाई पहले भी तीन बार सदन से निकाल दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी सवर्ण ने इतना टाइम किसी प्रश्न पर नहीं लिया है, क्या आसन की ओर से किसी सवर्ण को इतना टाइम न लेने के लिए इस तरह से रोका गया है ? जो बड़े लोग हैं, सम्पन्न हैं और ऊंची जाति के हैं उनको इस आसन की तरफ से भी समय दिया जाता है, लेकिन जो गरीब हैं पिछड़े हुए हैं वह उचित बात भी कहना चाहें तो उनकी बात को नहीं सुना जाता। हीरा भाई का निकालना, यह हीरा भाई का अपमान नहीं है बल्कि यह साठ लाख लोगों का अपमान है और इसे एस. एस. पी. कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह एक सिद्धान्त का सवाल है, मर्यादा का सवाल है। मैं निवेदन करूंगा की सरकार की जो गलती हुई है, सरकार की उस गलती से, भूल से इस आसन को कुछ करना पड़ा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार क्षमा याचना करे और आसन की तरफ से उनको वापिस बुलाया जाय। हमारा यह मतलब नहीं है कि आसन को आदर और मर्यादा न दी जाय। हमारा दल सदैव एक अनुशासित और मर्यादित दल रहा है। उसके बाद भी सरकार का इस प्रकार का बर्ताव हो और आसन पिछड़े हुए लोगों को अपनी बात कहने से रोके तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस सदन में किस प्रकार से सहयोग दें। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें न आसन का बढ़प्पन कम होगा, न आसन की प्रतिष्ठा गिरेगी क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो यह बात फैलेगी सारे मुल्क के अन्दर कि राजस्थान में आदिवासियों के हितों की कोई रक्षा नहीं की जाती और इससे जाति-विद्वेष राजस्थान में पैदा होगा—जिसको मैं कभी भी नहीं चाहता और न ही आप चाहेंगे। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उनको वापस बुलाया जाय और जो सरकार ने गड़बड़ियां की है समाज कल्याण के नाम पर उनका स्पष्टीकरण किया जाय और सदस्यों को सन्तोष दिलाया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रामकिशन जी ने जो कहा है उसके साथ एक हद तक तो मेरी सहानुभूति है। माननीय सदस्य हीरा भाई केवल मात्र यह मांग कर रहे थे कि एक प्रश्न का उत्तर दे दिया जाय, माननीय प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न का उत्तर दिया जाय। मेरा दल हमेशा आसन की इज्जत करता है, और मेरे ख्याल में, उपाध्यक्ष महोदय, विनम्रतापूर्वक यदि मैं निवेदन करूं, तो दोनों हाथ से ताली बजती है अगर हम आपकी इज्जत करते हैं तो हमारी उचित मांगों पर आपको भी विचार करना चाहिये। माननीय हीरा भाई के साथ जो कुछ हुआ, आपका आदेश था, उसका पालन हो गया। अब मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि उनको वापस बुलाया जाय और आगे सदन में प्रश्नकर्त्ता को अवसर दिया जाय। मंत्री महोदय उत्तर दें और आगे प्रश्न किये जायं तो उचित होगा। किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था आसन के द्वारा दी गई है, उसके सम्बन्ध में हमको रोष है जो स्वाभाविक है और मैं आशा करता हूं कि

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

माननीय सदस्य श्री रामकिशनजी ने निवेदन किया है उस पर आप सहानुभूतिपूर्वक और उदारतापूर्वक विचार करेंगे।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दौलतरामजी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : आसन इस सदन का सर्वोपरि स्थान है, इस सदन ने अपना विश्वास और निष्ठा आसन के सुपुर्द की हुई है। आसन को छोटी छोटी बातों पर, साधारण घटनाओं पर उत्तेजित नहीं होना चाहिये। अगर आसन साधारण घटनाओं पर उत्तेजित होने लगे और आसन अपने अधिकारों का इस प्रकार उपयोग करने लगे तो सदन की कार्यवाही चलाना सम्भव नहीं हो सकेगा। पिछले दिनों से हम देखते आये हैं कि आसन जरूरत से ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। हम कोई बात सूचना के लिये पूछते हैं और सरकार की तरफ से उसका साफ उत्तर नहीं आता है तो स्वाभाविक है कि विरोधी पक्ष के लोगों के दिल में उत्तेजना होगी, क्योंकि प्रश्नों के द्वारा जो सूचना मांगी जाती है बार बार उसके जवाब को टाला जाता है, केवल सूचना मांगने की हमारी मंशा होती है, कोई दुराग्रह की बात नहीं, सूचना मांगना हमारा हक है। एक माननीय सदस्य प्रश्न करने खड़े हुए उसका उत्तर उधर से माकूल तरीके से नहीं आया, आपने उनको रोका, उन्होंने व्यवस्था का सवाल पैदा किया, बिना व्यवस्था का सवाल सुने ही आपने अधिकार का प्रयोग किया, उससे उत्तेजना का यह वातावरण बना। सदन के इधर और उधर बैठने वाले सभी इस बात से भयभीत हैं कि हमने आसन में अपने अधिकारों को निहित किया है, सुरक्षित किया है अगर आसन उन अधिकारों का उपयोग करने में सदन का सहयोग नहीं करेगा तो सदन की व्यवस्था किस प्रकार चल सकेगी और हम किस प्रकार अपने उत्तरदायित्व को वहन कर सकेंगे। इससे हम भयभीत हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपको बहुत ही सहनशील होना चाहिये, बर्दाश्त करना चाहिये। साधारण बातों में उत्तेजना आप ले आते हैं, साधारण बातों पर इस प्रकार के अधिकारों का उपयोग करना उचित नहीं है। माना कि आपको अधिकार हैं, आप हम सबको निकाल सकते हैं, सदन की सदस्यता से भी निलम्बित कर सकते हैं पर सदन के माननीय सदस्य अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें, सदन की कार्यवाही अच्छी तरह से चल सके, सदन की मर्यादाएं कायम रह सकें, इसके लिये आपको बहुत सोच समझ कर इन अधिकारों का उपयोग करना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम भी अपना फर्ज नहीं निबाह सकेंगे।

शासक दल से भी मेरा निवेदन है कि टालने की दृष्टि से जवाब नहीं दे। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर टाला गया इससे यह परिस्थिति पैदा हुई।

हम देखते हैं कि कई माननीय सदस्य कई बार प्रश्न पूछते हैं और उनको अवसर देते हैं इसके विपरीत कई को अवसर नहीं देते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से हम क्रोधित हैं, हमें रोष है और दुख है। हम

(श्री दौलतराम सारण)

आसन से निवेदन करेंगे कि हमारे साथ न्याय करेंगे, इस प्रकार उत्तेजित होकर सदन के कार्य में इस प्रकार व्यवधान नहीं डालेंगे। माननीय हीराभाई को, शासक दल की तरफ से इस सारी घटना पर खेद प्रकट करके, वापिस लाने की अनुमति प्रदान करेंगे और माननीय रामकिशनजी ने कहा है उसके ऊपर विचार करके उनको वापस बुलायेंगे।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, जो आज इस सदन में दुखद घटना हुई, उसके बारे में हमें भी अफसोस है। जो परिस्थिति उस समय हुई, यह हो सकता है कि कई माननीय सदस्यों के प्रश्न रह जाते हैं। तीन चार दिनों से यह मामला चल रहा है। इसी को देखते हुए एक्शन लेने की नौबत आई। पर मैं भी आसन से नम्र निवेदन करता हूं कि अगर माननीय मंत्रीजी के पास उचित सूचना होती, ज्यादा पुख्ता रूप से फैक्ट्स होते और माननीय सदस्य का सेटिस्फेक्शन हो जाता तो यह परिस्थिति पैदा नहीं होती। पूरा सेटिस्फेक्टरी जवाब नहीं होने के कारण यह परिस्थिति पैदा हुई। माननीय हीराभाई अभी आकर बैठे थे और सूचना चाही थी, उनको संतोष नहीं होने की वजह से यह परिस्थिति पैदा हुई। इसलिये मैं भी आसन से आग्रह करूंगा कि आसन की मंशा तो व्यवस्था कायम रखने के लिये थी पर जो भी व्यवस्था हो गई सो हो गई पर अब माननीय सदस्य को वापस बुला लिया जाय तो मेरा खयाल है कि विरोधी पक्ष और इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को संतोष होगा और भविष्य में इस प्रकार की व्यवस्था लेने का अवसर नहीं आये इसमें विरोधी दल इस प्रकार की व्यवस्था करने में सहयोग देगा।

राजस्व मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) **: माननीय** उपाध्यक्षजी, जैसी परिस्थिति हुई सदन के सामने है। आसन का कर्त्तव्य है कि सदन में व्यवस्था कायम रखे। फिर भी कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें उत्तेजना बढ़ जाती है। राज्य सरकार की तरफ से हमेशा प्रयत्न यह रहता है कि जितने प्रश्न हों, सप्लीमेंटरीज हों, उनके उत्तर दिये जायं और जो सूचना सरकार के पास होती है, वह सदन के सम्मुख रख दी जाती है और अधिक सूचना की आवश्यकता होती है तो निवेदन कर दिया जाता है कि और सूचना प्राप्त करके इसके सम्बन्ध में उत्तर दे दिया जायगा।

माननीय हीराभाई का उत्तेजित होना भी स्वाभाविक है कि उत्तर से उनको संतोष नहीं हुआ पर आसन की आज्ञा को मानना चाहिए। आसन के बार बार कहने पर नाम लेने पर भी वे शान्त नहीं हुए तो आसन को व्यवस्था कायम करने के लिये ऐसा करना पड़ा। क्योंकि अब व्यवस्था है इसलिये उनको बुला लिया जाय तो अच्छा है, ताकि आगे कार्यवाही हो।

Page No.24

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जो कुछ आज हुआ उससे मुझे कोई खुशी हो ऐसी बात नहीं है, मुझे खुद को दिल में रंज है पर जो घटना हुई है वह माननीय सदस्यों के सामने हुई है। इसमें अगर यह माननीय सदस्य मानते हों कि पूरक प्रश्न जो पूछने की अनुमति दी गई वह संख्या में कम थी तो यह बात नहीं है। हीराभाई को संतुष्ट हो जाना चाहिये था यह भी मैं नहीं कह सकता, उनके मन में शंकाएं हो सकती हैं। उनको पूरक प्रश्न पूछने की आज्ञा दी गई पर जिस तरह आसन की आज्ञा की अवहेलना कर, जिस गति से भाषण देना शुरू किया, उसके लिये उनका ध्यान आकर्षित किया गया। मैं भी सजग रहता हूं कि जो कुछ सूचना सदन में मिले वह सूचना सरकार की ओर से पूर्ण होनी चाहिये, जिससे कि माननीय सदस्य और सदन संतुष्ट हो सकें। क्योंकि प्रश्नों के द्वारा करेक्टिव इन्फलुएन्स राज्य सरकार पर रख सकते हैं। पर आप इस बात से भी मेरे से सहमत होंगे कि बहुत सी दफा पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, शायद कई माननीय सदस्यों को उस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं होती और उस प्रश्न के दायरे के बाहर होते हैं तो आसन की ओर से केवल माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित कर दिया जाता है। यह प्रश्न चूंकि महत्वपूर्ण था, सभी माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे थे तो एक एक माननीय सदस्य को संबोधित कर के, जिनके पूरक प्रश्न थे उनको अवसर दिया गया। माननीय दौलतरामजी को, हीराभाई को। डागाजी को और चार पांच और माननीय सदस्यों को नाम ले कर मैंने संबोधित किया और उनके पूरक प्रश्न आये, उसके ऊपर मैं कह दूं, मन्त्री महोदय से भी मैंने यह निवेदन किया कि जिन प्रश्नों का उत्तर हां नां में आ सकता है, उनके उत्तर हां, ना में दें ताकि समय कम खर्च हो यह आप जानते हैं। पर आसन की मुश्किल यह है कि समय की सीमा में काम करना पड़ता है। किन्हीं माननीय सदस्यों के प्रश्न पर इसमें शायद ज्यादा समय लगे, कई को १५ मिनट लग जायं और जिनका प्रश्न दो महीने से आया है, उनको प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिले, तो यह ठीक नहीं है।

(१२ मध्याह्न)

मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, मुझे मजबूरी की हालत में ऐसा करना पड़ा। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर सदन उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा जो माननीय श्री रामकिशनजी ने सामने रखा है लेकिन मेरा माननीय सदस्यों से एक निवेदन है कि जनतंत्रवाद कुछ परम्पराओं पर, मान्यताओं पर, कुछ बुनियादी सिद्धान्तों पर आधारित है और इस सदन का समय सीमित है, सही माइने में कीमती है, और उसको सदुपयोग किया जाय, नियमों के अनुसार चलेंगे तो हम जनतंत्रवाद को मजबूत कर सकते हैं। आसन के आदेशों की बार-बार अवहेलना की जाय, इसके अन्दर बहुत सी बातें आवेश में, गुस्से में या खिलवाड़ के ढंग से कही जायं जिससे इस सदन का समय भी जाय हो और सदन की गरिमा भी घटे तो मैं समझता हूं कि जनतंत्रवाद को मजबूत करने वाली यह चीज नहीं होगी, कमजोर बनाने वाली चीज होगी। मैं राइट आफ दी डिबेट जो माननीय सदस्यों का है,

(श्री उपाध्यक्ष)

उसका हिमायती हूं, वह जनतंत्रवाद की बुनियाद है, सही माइने में डिबेट हो, डिबेट के जो सिद्धान्त हैं उन पर डिबेट करें, उस बात का मैं हामी हूं और मैं नहीं कहता कि जो निर्णय होता है वह सही ही हो लेकिन मुझे कुछ न कुछ निर्णय देना होता है, उसके पीछे और कोई दुर्भावना नहीं होती सिवाय इसके कि जो माननीय सदस्यों का विवाद का, चर्चा करने का अधिकार है वह सुरक्षित रहे, उसका सही उपयोग हो और जो गलत बात हो तो सही मायने में सदन के सामने आए। इसी बात को लेकर मैं चल रहा हूं। जहां तक प्रश्नोत्तर-काल का प्रश्न है, यह बड़ी ही उपयोगी चीज है, सरकार का टेस्ट चेकिंग हैं, कहीं हजार मन अनाज पड़ा हो उसमें से कुछ उठाकर देख सकते हैं कि कैसे हैं, इस तरह से प्रश्नोत्तर से सरकार की स्थिति का पता लगता है। इससे पीछे उद्देश्य यह है कि जो बात गलत है, नीति के तौर पर या प्रशासनिक दृष्टि से गलत है, वह सदन के सामने आए, उसमें विशेष खींचातानी की आवश्यकता नहीं। गलती ज्यों ही सामने आएगी तो मंत्री खुद जिम्मेदार हैं और उस पर कार्यवाही करेंगे। उसके मायने यह भी नहीं है कि गलती सामने आ गई तो हां या ना में जवाब यहीं पर निर्णय किया जाय, या निर्णय दिया जाय। उसके पीछे यह उद्देश्य नहीं है। माननीय सदस्य समझें कि गलती सदन के सामने रख दी, मंत्रिमंडल के सामने रख दी और अगर वह खुली आ गई उसके बाद कार्यवाही नहीं करते हैं तो सरकार सही मायने में सत्ता में रहने का अधिकार नहीं रखती। इसलिए इसका सीमित उद्देश्य है वह यह कि जो गलती है वह सामने आ जाय सदन के सामने और जो राज्य सरकार है उसका कर्त्तव्य हो जाता है कि उसके बाद उस पर उचित कार्यवाही करे।

आप मुझ से सहमत होंगे, जब कल एक प्रश्न आया था, माननीय श्री दौलतराम का था, मैंने उसके जवाब को पढ़ लिया था, बहुत ही सरसरी तौर से जवाब था, तो बिना आपके कहे, मैंने उस प्रश्न को स्थगित किया। जानकारी का महत्वपूर्ण प्रश्न है और क्योंकि इसके अंदर सूचना पूर्ण उपलब्ध नहीं है, तो बिना आपकी मांग किए हुए, जब कभी ऐसा प्रश्न आता है तो अवश्य सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पर जांच करवाए या स्थगित कर दिया जाय। मैंने इस अधिकार को लिबरली यूज किया है।

आप और सदन के सभी माननीय सदस्य बराबरी वाले हैं लेकिन बराबरी वालों में भी कुछ अगुवा हैं जिनकी, अनुभव के कारण या शिक्षा के कारण और किन्हीं कारणों से, जानकारी कुछ अधिक है। तो माननीय दौलतरामजी ने एक बात कही कि कुछ को मैं इजाजत देता हूं और कुछ को नहीं देता हूं। उसके पीछे भावना यह है कि कुछ जो विषय के बारे में जानते हैं और आसन को ऐसा लगे कि यह प्रश्न जो है बड़ा रिलेवन्ट प्रश्न है, तो दूसरों को शांत करके उनको पूछने की इजाजत दी जाती है, क्योंकि उनकी विशेष जानकारी है, अनुभव है। उसके आधार पर बात

Page No.26

(श्री उपाध्यक्ष)

कहते हैं और बहुत से माननीय सदस्य शायद उनको मालूम नहीं हो और मुझे ऐसा लगे कि जानकारी नहीं है लेकिन प्रश्न पूछते हैं तो उस समय मुझे कहना पड़ता है। जो कुछ अब हुआ सही मायने में उससे मुझे प्रसन्नता नहीं है, मुझे खेद है और मुझे प्रसन्नता होगी यदि जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है, उसको स्वीकार किया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : श्री हीराभाई को भले हा वापस अंदर बुलवाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : उनको बुलवाया जाय।

श्री विजयसिंह (मकराना) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी व्यवस्थाओं से हम यह नहीं कहते कि पूर्णत: संतुष्ट हैं। सदन में हम प्रश्न पूछते हैं इसलिए कि उसका पूरा निराकरण हो लेकिन यहां पर हमें पूरा जवाब नहीं मिलता। इस कारण बार बार निवेदन किया जाता है उसके अंदर आप पूरी तरह से व्यवस्था नहीं देते। जिस प्रकार आज मेरा प्रश्न था उसके जवाब से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ, फिर भी आपने उसको स्थगित नहीं किया। उनके अलावा १६ तारीख को मेरा प्रश्न था परन्तु अंत में पूछने की इजाजत नहीं दी जब कि दूसरी तारीखों को और सदस्यों को पूछने की इजाजत दी गई।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री विजयसिंह : उसके अलावा यहां पर जिस तरह से कार्यवाही होती है रात को ९ बजे तक जब कि सदन का समय ५ बजे तक का है। तूफान मेल की तरह कार्यवाही चलाना उचित नहीं है। अगर समय नहीं है तो दो दिन के लिए और बढ़ा देना चाहिए लेकिन कार्यवाही ज्यादा देर तक न चले..........

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए आसन से बार बार सहयोग की अपेक्षा की जाती है कि समय की सीमा में हम काम करें। एक घंटे का समय होता है और ३० प्रश्न होते हैं। दो मिनट एक प्रश्न को मिलने चाहिए। यदि आप इस बात का ध्यान रखें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

श्री रामचंद्र आर्य।

गांव पंडितावाली के हरिजनों के आबाद शुदा मकानों की भूमि

८५०. **श्री रामचंद्र आर्य** (नोहर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गांव पंडितावाली, तहसील सूरतगढ़ में १२ हरिजनों के आबाद शुदा घरों की भूमि एक ब्राह्मण के तबादला में फिटींग कर दी गई है ?

(२) यदि हां, तो उन हरिजनों के आबाद शुदा घर कितनों के तुड़वाये जाकर उन हरिजनों को उजाड़ा गया है ?

(३) क्या यह सही है कि बाकी घरों को अब पुलिस की मदद से तुड़वाने का आदेश हो चुका है ?

Page No.27

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(४) यदि हां, तो संबंधित हरिजन कहां बसेंगे ?

(५) क्या सरकार इस मामले पर विशेष ध्यान देकर हरिजनों को उनके मकानों का मुआवजा देने का विचार करेगी ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं, एक ब्राह्मण परिवार को उसकी भूमि नहर निर्माण के कारण टुकड़ों में विभक्त होने पर उसके एकीकरण हेतु राजकीय कृषि भूमि में तबादला किया गया। उस तबादला शुदा भूमि में एक हरिजन द्वारा नाजायज तौर से मकान बनाने पर उसका मकान तुड़वाया गया है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं, अनधिकृत मकानों को हटवाने के लिए मुआवजा दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री रामचंद्र आर्य : प्रश्न संख्या एक के बारे में गांव पंडितावाली में हरिजनों के मकानों के बारे में जो आदेश दिया गया और मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है यह सही नहीं है और जो पुराने मकान थे उनको तुड़वाया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक तुड़वाने का प्रश्न है, मैंने निवेदन किया न तो हरिजनों के खिलाफ तुड़वाने के आदेश दिए गए। बाकी जो नाजायज कब्जा सरकारी भूमि पर किया गया उसकी अलग से कार्यवाही चल रही है, उसमें कोई फैसला नहीं हुआ है। एक हरिजन है जिसका नाम है मलू। इस मामले का फैसला बेदखली का सेक्शन ९१ के तहत हुआ। नाजायज तौर पर कृषि भूमि पर उन्होंने कच्चा मकान बनाया है। तुड़वाने का जहां तक सवाल है, अभी मैंने इस मामले में जानकारी प्राप्त की है तो मुझे मालूम हुआ है कि जिस मकान से बेदखल करने के आदेश दिए गए, वह भी मिट्टी का कोठा है वह ज्यों का त्यों मौजूद है, बाड़ा भी मौजूद है, उसके मकान को नहीं गिराया।

श्री केदारनाथ : कितने समय से हरिजनों के मकान वहां हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार १९६५ से।

श्री रामचंद्र आर्य : जो जमीन तबादले में दी गई है वह घटिया है............

श्री रामप्रसाद लड्ढा : घटिया नहीं बढ़िया दी गई। यह प्रश्न इससे संबंध नहीं रखता है लेकिन उसकी भूमि नहर बनने के कारण विभक्त हो गई उसको एक ही जगह किए जाने के सिलसिले में १९६६ में वहां कालोनाइजेशन कमिश्नर ने भूमि का तबादला किया था जिसमें उन्होंने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किया था।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह हरिजनों का मामला है बहुत महत्वपूर्ण है। यह धरमाराम पंडित की बेची हुई जमीन है जिसको

(श्री रामचन्द्र आर्य)

कैन्सिल कर रहे हैं और जो उसके जमाई की जमीन है उसको तबादले में दे रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जमीन तबादले दी गई है वह किसी की बेची हुई है इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने एक हरिजन के मकान को तुड़वाने की बात कही है जहां दो के तुड़वाये गये हैं जिनमें प्रत्येक की कीमत १२००, १५०० है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वे मकान जो बिना बारसोट के हैं, कच्चे हैं, बिना किवाड़ों के हैं इनकी सौ रुपये से ज्यादा कीमत नहीं है। इसलिये यह प्रश्न तो पैदा ही नहीं होता जब कि तुड़वाने के कोई आदेश नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं खुद देखकर आया हूं १२ हरिजनों को उजाड़ा जा रहा है। मैं खुद चुनाव के सिलसिले में गया था मेरे पास उनकी दरख्वास्तें हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक हरिजन का मकान तुड़वाया गया और किसी का नहीं।

श्री रावतराम : जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं वहां एक नहीं १२ हरिजनों को बेदखल करके उनको दूसरी जगह दी जा रही है। इसकी जांच करने के लिये आप क्यों तैयार नहीं हैं, जब ये कहते हैं बारह परिवार हैं और आप कहते हैं एक ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १२ हरिजन परिवारों के मकान तुड़वाने का आर्डर नहीं दिया। मेरी जानकारी के अनुसार उनको रेगुलेराइज करने का मामला तहसीलदार के यहां चल रहा है। आप कह रहे हैं तुड़वा दिया। एक भी आदमी का नाम बता दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : करयाराम वल्द गोकुलराम जाति चमार..........

श्री उपाध्यक्ष : यह आप लिस्ट इनको दे दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो उत्तर दिया है उससे मुझे सन्तोष नहीं है। उन लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है, आप उनको इस तरह से दबाना चाहते हैं। विशेष जानकारी के लिए यह लिस्ट मैं सदन की मेज पर रखता हूं और यह मांग करता हूं कि इसकी जांच करवाई जाय। हरिजनों को मुआवजा मिला नहीं। जमीन जो उनकी तबादला की गई उसको कैन्सिल किया जाय।

प्रश्न संख्या ८५१

श्री उपाध्यक्ष : **श्री** देवीदत्त गाड़िया। (अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री जयनारायण सोलादिया।

ग्राम निमेड़ा में भूमि का अलाटमेंट

८५२. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या तहसील टोंक के गांव निमेड़ा में दिनांक ६–१२–६७ को जमीन अलोट की गई ? यदि हां, तो वहां कितने लोगों के प्रार्थना पत्र थे और उनमें से कितनों को जमीन अलोट की गई और कितने प्रार्थना पत्र खारिज किये गये ? सूची नामवार सदन की मेज पर रखें तथा उसमें यह भी बतावें कि कौन-कौन कहां कहां के रहने वाले हैं ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(२) क्या यह सच है कि उक्त अलाटमेंट में सरपंच, प्रधान, बी. डी. ओ. आदि कोई भी शामिल नहीं हो सके थे क्योंकि इस अलाटमेंट की कोई सूचना नहीं थी ? यदि हां, तो क्या वह अलाटमेंट कानूनी माना जायगा ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी):

(१) टोंक जिले में तहसील टोंक के ग्राम निमेड़ा में ता. ६-१२-६७ को तहसीलदार द्वारा भूमि आवंटन की गई। कुल १०४ प्रार्थना पत्र आवंटन हेतु प्राप्त हुए थे उनमें से २२ व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई और शेष ८२ प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये गये। सूची बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(२) यह सच है कि ता. ६-१२-६७ को तहसीलदार के अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य भूमि आवंटन समिति में उपस्थित नहीं था लेकिन समस्त सदस्यों को तहसीलदार द्वारा सूचना दी जा चुकी थी। ऐसी दशा में सदस्यों के अनुपस्थित रहने पर भी आवंटन नियमित है।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय मन्त्री एक नई प्रक्रिया डाल रहे हैं। सूची के लिए कहते हैं कि बाद में रख दी जायेगी। बाद में रखने से मेरा क्या मतलब हल होने वाला है ? मैं सवाल पूछ नहीं सकता।

श्री गंगाराम चौधरी : बाद में रख दी जायगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : फिर मैं कब प्रश्न पूछूंगा ? किन किन लोगों के प्रार्थना पत्र आये यह सूची आप नहीं देते हैं तो पढ़ दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पढ़कर सुना दें।

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : ये करीब १०४ प्रार्थना पत्र हैं। लिस्ट देने में विलम्ब इस लिये हुआ कि १०४ नाम टाइप करने में समय लगता है इसलिये नहीं दी गई।

श्री जयनारायण सालोदिया : तो इसे स्थगित कर दिया जाय। मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसको स्थगित किया जाता है इस पर सवाल नहीं होगा।

स्थगित प्रश्न

(३०-१-१९६८)

ईंटों के भट्टे

१८७. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर शहर व तहसील में ईंटों के कई भट्टे हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(२) क्या यह सही है कि इनमें से कई भट्टे बिना मन्जूरी लिये लगाये हुए हैं ? यदि हां, तो ऐसे भट्टों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री नत्थीसिंह)

(३) क्या इनमें से किन्हीं ने ब्रिक क्लिन रूल्स के अन्तर्गत कोई पेनल्टी चार्जेज अदा किये हैं ? यदि हां, तो कितने और किस किसने ?

(४) उपरोक्त भट्टों में सुभाषचन्द्र मटोलीराम व रामस्वरूप राजेन्द्रप्रसाद के नाम से भी भट्टे थे या नहीं ? यदि हां, तो कब से ?

(५) क्या यह सही है कि कलेक्टर भरतपुर ने इन भट्टों को अनधिकृत रूप से चलाने के कारण बन्द करने का कोई हुक्म दिया और क्या इस बारे में राजस्थान सचिवालय की रेवेन्यू शाखा से रेवेन्यू सचिव अथवा उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के जाली हस्ताक्षरों से कोई जाली स्टे आर्डर कलेक्टर भरतपुर व तहसील भरतपुर के नाम से भेजे गये थे ? यदि हां, तो उनकी तामील की गई ?

(६) क्या यह सही है कि उन जाली आदेशों में एक आदेश रामस्वरूप राजेन्द्र-प्रसाद के नाम से एक भट्टे को १६ या २० हजार की जमानत पर चालू रखने सम्बन्धी था और क्या यह सही है कि उक्त जमानत लेकर उक्त भट्टे को चालू रखने की इजाजत दी ?

(७) क्या यह सही है कि इन जाली आदेशों के विषय में कोई शिकायत १९६४ में तत्कालीन उपगृह मंत्री से भरतपुर बार एसोसियेशन के तत्कालीन अध्यक्ष ने की थी ? जिस पर उपगृह मंत्री ने एक अर्ध सरकारी पत्र द्वारा एस० पी०, सी० आइ० डी० को जांच एवं रिपोर्ट के लिये लिखा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(८) क्या यह सही है कि उक्त जाली आदेशों के विषय में कलेक्टर भरतपुर द्वारा राजस्व सचिव से पूछताछ भी की गई थी और क्या उस पर राजस्व सचिव के यहां से इस प्रकार के कोई आदेश दिये जाने के विषय में सूचना दी गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई विभागीय जांच भी की गई है ?

(९) क्या यह सही है कि उक्त जाली आदेशों के बावजूद भी उक्त भट्टों में से कुछ को कलेक्टर भरतपुर ने ५ साल की मियाद खत्म होने के बाद और कुछ सालों के लिये भी काम करते रहने की सिफारिश राज्य सरकार से की थी ? यदि हां, तो कब ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) तहसील भरतपुर में इस समय २० भट्टे चालू हैं।

(२) जी नहीं, ऐसा कोई भट्टा नहीं है।

(३) ये भट्टे मन्जूरी से चल रहे हैं अत: पेनल्टी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(४) जी हां, श्री सुभाषचन्द्र मटोली-राम के नाम सम्वत् २०१२ से तथा रामस्वरूप राजेन्द्रप्रसाद के नाम सम्वत् २०१४ से भट्टे थे और अब वे बन्द हो चुके हैं।

(५) सुभाषचन्द्र मटोलीराम के बेदखली की डिग्री अदालत असिस्टेण्ट कलेक्टर

(श्री गंगाराम चौधरी)

भरतपुर से जारी हुई थी जो अदालत राजस्व अपील अधिकारी कोटा से बहाल रही। अब जमीन सरकार के कब्जे में है। इनके भट्टे का स्टे आर्डर राजस्थान सचिवालय तारीख ३–४–६४ को जिलाधीश को प्राप्त हुआ था जिसमें अधिकारियों को धोखे में रखा। परन्तु ज्योंही इन आज्ञाओं के फर्जी होने का हाल मालूम हुआ सुभाषचन्द्र मटोलीराम को बेदखल कर दिया गया।

(६) यह सही है कि रामस्वरूप राजेन्द्रप्रसाद के नाम भी स्टे आर्डर दिनांक २१–१–६४ को जिलाधीश को प्राप्त हुआ और इसकी भी तामील की गई तथा जमानत लेकर रामस्वरूप राजेन्द्रप्रसाद को भट्टा चलाने को दिया गया।

(७) अध्यक्ष बार एसोसियेशन द्वारा शिकायत किये जाने की कोई सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। न गृह मंत्री द्वारा दिये गये आदेश की सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध हुई।

(८) जाली आदेशों के विषय में राजस्व सचिव से जिलाधीश कार्यालय द्वारा पूछताछ की गई थी। राजस्व सचिव ने आदेश को वहां से जारी होना नहीं बतलाया. कोई विभागीय जांच आवश्यक नहीं थी और न की गई।

(९) रामस्वरूप राजेन्द्रप्रसाद के भट्टे की पहिले पांच साल की मियाद थी, बाद में इसको बढ़ाने की सिफारिश राज्य सरकार को की गई।

श्री नत्थीसिंह : यह जब आपको पता चला स्टे आर्डर किया है तब क्या आपके विभाग ने जांच करना मुनासिब नहीं समझा ?

श्री गंगाराम चौधरी : मामला सी० आइ०डी० को दिया जा चुका है।

श्री नत्थीसिंह : तो आपको ६७ को इत्तला नहीं थी कि गृह विभाग द्वारा जांच की जा रही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : गृह मंत्री के आदेशों की सूचना कार्यालय में नहीं है लेकिन सी० आई० डी० द्वारा जांच की जा रही है।

श्री नत्थीसिंह : यह जांच कब शुरू की गई ?

श्री गंगाराम चौधरी : १९६५ में।

श्री नत्थीसिंह : अब तक क्या प्रगति हुई इसी की सूचना कार्यालय में नहीं आई ?

श्री गंगाराम चौधरी : अन्तिम रिपोर्ट उन्होंने क्या की इसकी जानकारी प्राप्त नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : राजस्व विभाग के असिस्टेन्ट सेक्रेटरी के जाली हस्ताक्षर किये गये, जाली दस्तखत बनाये गये—आपने यह विभागीय जांच करना जरूरी नहीं समझा ताकि पता लग सकता कि आपके विभाग के किसी अधिकारी की तो साजिश है या नहीं ?

श्री गंगाराम चौधरी: यह सी० आई० डी० की रिपोर्ट पर निर्भर है, विभागीय जांच

(श्री गंगाराम चौधरी)

अब नहीं की जा सकती। सी० आई० डी० द्वारा जांच होने पर ही पता चल सकेगा कि कोई विभागीय व्यक्ति इसमें शामिल है या क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह इनफरेन्स तो निकाला ही होगा जाली आर्डर जिस पार्टी के लिये निकाला गया उस पार्टी का निश्चित तौर पर हाथ होगा। क्या उस पार्टी के खिलाफ क्रिमीनल प्रोसीडिंग आपने की ?

श्री गंगाराम चौधरी : वह मैंने निवेदन किया कि सी० आई० डी० की रिपोर्ट पर निर्भर है।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकारी अतिक्रमण हुआ है। जाली आर्डर्स गये हैं, उसके बावजूद राजस्व विभाग ने कोई शिकायत नहीं की। यह सी० आई०डी० में आज तक शिकायत नहीं गई है। हमारे बार एसोसियेशन के चेयरमेन द्वारा शिकायत हुई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजस्व विभाग इस सारे मामले को क्यों शील्ड करना चाहता है ?

राजस्वमंत्री (श्री वृजसुन्दरशर्मा) : राजस्व विभाग कतई शील्ड नहीं करना चहता है। ये जोमटोली राम का.........

श्री रामकिशन : ये तो २० हैं एक नहीं। २० आदमी हैं—

श्री बृजसुन्दर शर्मा : २० होंगे। पुलिस से एन्क्वायरी हो कर आ जाये तब निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। एक का फायदा सबको मिला है, सब के लिये आर्डर जारी नहीं किये गये हैं और मैं फाईल मंगाकर देख लेता हूं आपसे भी बातचीत कर लूंगा। जो उचित आदेश होंगे, जारी कर दिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कृष्ण कुमार गोयल।

स्थगित प्रश्न

(६–३–६८)

(डिस्पोजल के ट्रक व जीपों की खरीद)

६६०. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान केनाल व राणा प्रताप सागर पर मिल्ट्री डिस्पोजल के कितने ट्रक व जीपें कब कब खरीदी गईं व उनकी खरीद पर कितना कितना व्यय हुआ

(२) क्या इसकी खरीद की स्वीकृति किसी अधिकृत व्यक्ति से ली गई थी ?

(३) इनकी मरम्मत पर कितना कितना व्यय हुआ ? अलग अलग गाड़ी पर बतावें।

(४) मरम्मत उपरांत कितना कितना सफर किया ? अलग अलग बतावें।

सिचाई मंत्री (श्री राम प्रसाद लडढा)

(१) ३६ गाड़ियां खरीद की गई जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

प्रोजेक्ट	वाहन	कब खरीदी गई	कीमत
राजस्थान	१२ ट्रक	जनवरी, १६६५	४०, ५००
केनाल प्रोजेक्ट	८ जीपें	मई, १६६४	४०, ०००
राणाप्रताप	८ ट्रक	जनवरी, १६६५	३३, ०००
सागर	११ जीपें	मार्च, १६६५	५५, ०००

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

२) जी हां ।

३) संलग्न तालिका एक में अंकित है जो सदन की मेज पर रख दी गई है ।

४) संलग्न तालिका नम्बर २ में अंकित है जो सदन की मेज पर रख दी गई ।

(कृपया परिशिष्ठ संख्या ५ देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि नियमानुसार खरीद के लिये चम्बल कंट्रोल बोर्ड की परमीशन पर आनश्यक है ।

श्री रामप्रसाद लडढा : चम्बल कन्ट्रोल र्डबो की और राजस्थान केनाल में राजस्थान केनाल बोर्ड की स्वीकृति है ।

श्री कृष्णकुमारगोयल : क्या यह सही है कि चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड के फानेनशियल एडवाईजर ने इनकी खरीद के बारे में आपति की है ?

श्री रामप्रसाद लडढा : खरीदने के बाद आपति करना कोई मायने नहीं रखता ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप हां या ना में बतायें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फाईनेनशियल एडवाइजर ने कोई आपति की है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि राणा प्रताप पर इन गाड़ियों व जीपों की खरीद के लिये कोई मांग नहीं की गई थी ?

श्रीरामप्रसाद लडढा : मिल्ट्री डिस्पोजल की गाड़ियां मिल रही थीं और आवश्यकता थी इसी कारण कुछ ट्रकें और जीपें खरीदी गई हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : १२ ट्रक और ८ जीपें खरीदी गई, इसकी खरीद के लिये किस अधिकारी ने मांग की थी ?

श्री रामप्रसाद लडढा : अगर किसी अधिकारी को इसकी अवश्यकता नहीं होती तो ये कैसे खरीदी जाती । आवश्यकता थी तमी तो खरीदी है । एक आदमी डिली-वरी भी लेकर आया है, जैसे मैंने तालिका में भी दर्ज किया है ।गाड़ियां चलाई गई हैं और चली है । जो कीमत लगी है उसके मुकाबले काफी सर्विसेज दी है । केवल कुछ ट्रक जो अमेरिकन है, स्पेयर पार्ट्स नहीं हैं मिलते हैं, इसके लिये भी आर्मी को लिखा गया है और स्पेयर पार्ट्स वहाँ से मंगाने की कोशिश की जा रही है । वे आ जाय तो ये ट्रक भी चालू स्थिति में हो जाय । वर्तमान स्थिति तो यह है कि अगर आज भी इनको बेचे तो इसमें कोई घाटा नहीं है

श्री कृष्ण कुमार गोयल : १२ ट्रक और ८ जीपें खरीदी गई,इसमें कितनी आईडल पड़ी हैं ?

श्री रामप्रसाद लडढा : स्पेयर पार्टस के लिये लिखा गया है । ये जो ट्रक है वे ही …………

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मशीनों के कारण कितने ट्रक व जीप आईडल पड़े हैं ?

श्री रामप्रसाद लडढा : इसके अन्दर एक बैड फोर्ड ट्रक है जिसके ......

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं तो आईडल ट्रकों व जीपों की संख्या जानना चाहता हूं। केवल नम्बर बता दीजिये।

श्री राम प्रसाद लडढा : ४ ट्रक और २ जीपें आईडल पड़ी हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल क्या यह सही है कि सारी की सारी खरीद श्री सी० के० शर्मा, जो लाईजन आफिसर नियुक्त है, उनके द्वारा की गई है ?

श्री राम प्रसाद लडढा : इस नाम के लाईजन आफिसर जरुर है। लेकिन कौन आदमी खरीदने गया, इसकी जानकारी नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या खरीदने से पहले इनका इन्सपेक्शन नहीं किया गया था ?

श्री रामप्रसाद लडढा : इनका कमीशन्ड करके, हैड आफ दी डिपार्टमेंट के इंजीनीयर द्वारा मरम्मत कराके बाई रोड लाये गये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिये कहना चाहूंगा कि खरीद की गई उस समय केवल एक ही व्यक्ति ने खरीद है की। उस समय मेकेनिकल इन्सपेक्टर या टेक्निकल ऐडवाईजर मौजूद नहीं थे। कोई टेन्डर रिपेयरिंग के लिये भी नहीं मांगे गये हैं और न ही पुर्जों के लिये कोई टेन्डर मांगा गया है।

श्री राम प्रसाद लडढा : जहां तक मुझे जानकारी है कमीशन्ड ने एस्टीमेट्स बनाये थे और एस्टीमेंट्स के हिसाब से इसको कमीशन करने के लिये जिन चीजों की जरुरत थी जैसे पेटी, बेटरी आदि ये सब खरीदी गई है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आप एक जानकारी दीजिये कि क्या मरम्मत के एस्टीमेट्स बनाये गये और इसके एस्टीमेंट्स किस अधिकारी ने बनाये ?

श्री राम प्रसाद लडढा: वह तो हमारे चीफ इंजीनियर के कार्यालय से अप्रूव्ड होकर मरम्मत कराई गई है।

श्री कृष्ण कुमार : गोयल मरम्मत दिल्ली में कराई है गई या प्रोजेक्ट पर ?

श्री राम प्रसाद लडढा: मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि दिल्ली में आवश्यक स्पेयर पार्टस लगाने थे वे लगाकर बाई रोड जो राजस्थान केनाल में जाने थे, वहां गये और चम्बल प्रोजेक्ट पर जाने थे वहां चले गये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये। श्री नाथूराम।

श्री देवीलाल (केकड़ी) : मेरा एक प्रश्न है बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : अब सम्भव नहीं होगा।

श्री देवीलाल : काफी समय हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री विट्ठल प्रसाद (अकलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अल्प काल सूचना दी थी, उसका जवाब नहीं आया।

Page No.35

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न था क्या ?

श्री विट्ठलप्रसाद : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था।

श्री उपाध्यक्ष : उसको बाद में अलग से............श्री नाथूराम।

अल्प काल सूचना प्रश्न

२. **श्री नाथूराम (बागीडोरा)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान गुजरात सरकार के सहयोग से माही नदी पर बजाज सागर डेम बनाने की परियोजना है जिसमें गुजरात प्रान्त को बिजली व वहां के कड़ाना डेम को पानी देना भी सम्मलित है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? राज्य की योजना में उसके लिये कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस नदी पर गुजरात प्रान्त में कड़ाना डेम बन रहा है ? यदि हां, तो पहले उसकी ऊंचाई कितनी रखी जानी थी व अब फाईनल ऊंचाई कितनी रखी गई है तथा उसकी लागत क्या होगी ?

(३) बांसवाड़ा—डूंगरपुर आदिवासी क्षेत्र की कौन कौन सी तहसील में कितना कितना क्षेत्र कड़ाना डेम की डूब में आयेगा ?

(४) डूब में आने के फलस्वरूप कितनी कृषि भूमि, सम्पत्ति, जायदाद, जनसंख्या आदि प्रभावित होगी ? कृपया तहसीलवार पूरे विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(५) प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास व क्षतिपूर्ति के लिये राज्य सरकार ने क्या कोई व्यवस्था कर ली है ? यदि हां, तो विवरण बताने की कृपा करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (१) यह सही है कि राजस्थान व गुजरात सरकार के सहयोग से माही नदी पर बजाज सागर डेम बनाने की परियोजना है जिसके जरिये गुजरात राज्य में बन रहे कड़ाना डेम को केवल पानी ही देना हैं। यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना है जो तीन चरणों में पूरी की जायगी और जिसकी अनुमानित लागत २९५६ लाख रुपये है जिसमें से गुजरात का हिस्सा ८५० लाख रु० है। इसके अन्तर्गत बांध के जल स्तर की अधिकतम सीमा ९२१ फीट पर निर्धारित की गई है। इसके अनुसार राजस्थान के बांसवाडा जिले में ७६ हजार एकड़ क्षेत्र में प्रति वर्ष सिंचाई होगी एवं गुजरात राज्य को ११०० क्यूसेक्स पानी लगातार मिलता रहेगा। इस योजना के अन्तर्गत १२५ मेघावाट की क्षमता के दो बिजली घर भी बनेंगे। जिसमें पहले की क्षमता ५० मेघावाट व दूसरे की ७५ मेघावाट होगी और साथ ही माही योजना से प्राप्त होने वाली बिजली की लाइनों का और उनको चम्बल ग्रिड से भी जोड़ने का प्रावधान है। बिजली में गुजरात को कोई हिस्सा नहीं है।

१९६७-६८ के वर्ष तक इस पर लगभग १५० लाख रुपये खर्च हुये हैं और १९६८-६९ के वर्ष के लिपे इस हेतु २५ लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(२) जी हां। पहिले इसके जल स्तर की अधिकतम ऊंचाई ४६५ फीट पर प्रस्तावित की गई थी परन्तु अब अन्तिम रूप से इसकी ऊंचाई केवल ४१६ फीट ही निर्धारित की गई है। इस बांध की अनुमानित लागत १६ करोड़ रु० बताई जाती है।

(३) बांसवाड़ा जिले की बागीडोरा और गढ़ी तहसीलों और डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील की कुल २९६९५ एकड़ भूमि जलमग्न होगी जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

जिला	तहसील	जल मग्न होने वाला क्षेत्र
१. बांसवाड़ा	बागीडोरा	४६१० एकड़
२. ,,	गढ़ी	९२८४ एकड़
३. डूंगरपुर	सागवाड़ा	१५८०१ एकड़
योग		२९६९५ एकड़

(४) डूब में आने के फलस्वरूप कृषि भूमि सम्पत्ति व जनसंख्या जो प्रभावित होगी उसका तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(५) प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति के लिए उचित व्यवस्था कर दी जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री नाथूराम बागीडोरा : आपने जो सूची दी, उसमें सम्पत्ति के आंकड़े नहीं दिये कि कितनी धनराशि की सम्पत्ति डूब में आवेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नम्बर आफ हाउसेज, लैंड, विलेज, एग्रीकल्चर लैंड, रिजर्वेअर आदि सब इसमें आये हुए हैं।

श्री नाथूराम : कितने करोड़ की यह सम्पत्ति होगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका वेल्यूएशन तो जब कम्पेन्सेशन देने की बात आवेगी तब करेंगे। पर अभी हमने फिलहाल उनके पुनर्वास के लिये १८, २० लाख का प्रावधान किया है। अडाना डैम गुजरात राज्य में होगा और गुजरात राज्य इसका मुआवजा देगा इसका प्रावधान अभी नहीं कर पाये हैं क्योंकि इसका पता नहीं कि इससे कितना नुकसान होगा। अवार्ड होगा तब पता लगेगा।

श्री नाथूराम : जैसा कि आपने आंकड़े बताये हैं बांसवाड़ा बागीदौड़ा बांसवाड़ा गढ़ी और डूंगरपुर सागवाड़ा में कुल मिलाकर २९६९५ एकड़ जमीन डूब में आवेगी और इधर भी आपने बताया है जैसा कि कुओं की संख्या वगैरह सहित इतनी जनसंख्या को प्रभावित करेगी तो क्या मन्त्री महोदय ने जनता को इस नुकसान की सूचना दे दी है कि यह एरिया डूब में आ जावेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वैसी तो यह सबको मालूम है। लेकिन अभी इसका काम वहां पर चूंकि इनीशियल स्टेज पर ही चल रहा है इसलिये इसके मुआवजे के चुकाने की कार्यवाही अभी शुरू नहीं की गई है।

श्री रतनलाल रोत (चोरासी) : क्या इसमें गलियाकोट कस्वा डूब में आवेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसको बचाने के लिये ४६५ की हाइट को घटाकर ४१९ कर दिया गया है। यह एक इन्टरनेशनल मुसलमानों का धर्म स्थान है। गलियाकोट की ऊंचाई ४२८ है।

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह : आपने इस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सागवाड़ा तहसील और डूंगरपुर जिले की १५ हजार एकड़ भूमि डूब में आवेगी और ४२९ फीट डैम की ऊंचाई अगर रहती तो गलियाकोट कस्बा डूब में आ जाता इसलिये उसे घटाकर ४१९ या ४२० कर दिया है यानि सात आठ फीट का अन्तर रखा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ४६५ से ४१९।

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह : करीब ३५। ५६ फीट। तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि गलि या कोट के अन्दर हिन्दुओं का भी वेदी के तौर पर शीतलामाता का स्थान है। उसी हद तक फखरुद्दीन साहब की दरगाह है, वह भी बन जावेगी या नहीं क्योंकि गलियाकोट कस्बा तो पहाड़ पर है। पर ये मन्दिर और मजार दोनों नदी के किनारे पर है। उनकी क्या स्थिति होगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लोएस्ट लेवल पर जो आबादी है उसको बचाने के लिये ही एक प्रोटेक्शन बांध का भी प्रावधान इस प्रोजेक्ट में किया गया है जिससे कि नीचे लेवल पर मकान या रहने वाले लोग भी इसके प्रभाव से बच सकें।

श्री हीराभाई : कौन कौन से गांव इसमें डूब में आवेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य को मैं इसकी सूची दे सकता हूँ। सागवाड़ा तहसील के २८, बागीदुरा के ५१, और गढ़ी के ३८ गांव हैं। कुल ११७ गांव हैं। इन गांवों के नाम सुनाना थोड़े वक्त में मेरे लिये सम्भव नहीं होगा। माननीय सदस्य चाहेंगे तो लिस्ट दे दूंगा।

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह : इससे इरिगेशन ही करेंगे या हाइडल इलेक्ट्रिसिटी भी। महही का और कडाणा का दोनों के लिये कह लीजिये।

श्री नाथूराम बागीदौरा : क्या यह बतावेंगे कि २९ हजार एकड़ जमीन जो डूब में आ रही है तो उससे जो योजना बांध की आप बना रहे हैं उससे कितने एकड़ में सिंचाई होगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २९००० एकड़ भूमि जो कडाना डैम की वजह से सबमर्जेन्स में आयेगी उसमें खेती योग्य जमीन तो कुल १३००० एकड़ है बाकी नदी, नाले इसमें शामिल हैं और दूसरी बंजर भूमि इसमें शामिल है। लेकिन इस कडाना डैम से अभी सिंचाई अपने यहां नहीं होगी लेकिन एक दूसरे एग्रीमेंट के आधार पर इस कडाना डैम का मामला और नर्मदा का मामला तय हो जायेगा। तब मालुम होगा और वह बाड़मेर और जालौर के हिस्से में ८–१० हजार एकड़ भूमि में सिंचाई करने में कामयाब होगा। यह डिटेल्ड प्रश्न है और इस के बारे में मैं मुख्तसर जवाब आज की डिबेट की रिप्लाई पर दे दूंगा।

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बतायें कि योजना निर्धारित करने के पहले...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कडाना डैम गुजरात में बन रहा है लेकिन बांसवाड़ा जिले का एरिया इससे सिंचित नहीं होगा।

श्री हीराभाई : लेकिन जो योजना बनाई है उस योजना बनाने का लाभ तो हमारे सामने होना चाहिए बिना लाभ से हम तो नहीं बना सकते हैं। गुजरात सरकार ने और राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार की मदद से यह योजना बनाई होगी। यह मैं नहीं कह सकता कि कौन बना रहा है लेकिन आखिर भारत में बन रही है कोई पाकिस्तान में तो बन नहीं रही है। तो क्या गुजरात में हो या राजस्थान में हो लेकिन यह २९००० एकड़ जमीन डूब में जाने के बाद हमें कितना प्रतिशत उससे लाभ होगा, कितने एकड़ जमीन की सिंचाई होगी, क्या आपने इन सब बातों को योजना बनाते समय ध्यान में रखा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सिंचाई की डिबेट है और इसका क्लेरीफिकेशन मैं उस समय कर दूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मेरा अनुमान ठीक है कि इस बांध के बंधने से गुजरात को भी लाभ होगा और उसके मुकाबले में राजस्थान को नुकसान अधिक है और लाभ बहुत कम है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे खयाल से यह प्रश्न इस तरह से नहीं देखा जा सकता..

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: क्यों नही देखा जा सकता ? मेरे प्रश्न का आपको उत्तर देना चाहिए।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जैसा आपने २९००० एकड़ भूमि राजस्थान की डूब में बताई और राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो कि राष्ट्रपति महोदय ने शिड्यूल एरिया घोषित किया है और वहां पर करोड़ो रुपयों की सम्पत्ति डूब रही है। गुजरात में डैम बने तो क्या माननीय मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि जहां शिड्यूल्ड एरिया होने के नाते कोई कानून में भी तब्दीली हो सकती है ? संविधान में भी प्रोवीजन है वहां पर आदिवासियों को नुकसान होता है तो क्या कदाना डैम के संबंध में सरकार की तरफ से उचित कार्यवाही की जायेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गरीब आदिवासियों को कम से कम नुकसान हो इसी दृष्टि से ४६५ फुट से ४१९ फुट की डैम की ऊंचाई की गई है

श्री नाथूराम बागीडोरा : इससे तो सब डूब रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए

श्री हीराभाई : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि लोग वहां पर डूबने जा रहे हैं और उस योजना को प्रारम्भ करने से पहले २९००० एकड़ जमीन डूब आने

(श्री हीराभाई)

वाले पीड़ित काश्तकारों को आपने और जगह बसाने के लिए देने की योजना बनाई है ? काम शुरु करने के पहले उनको बसाने के लिए कोई व्यवस्था की है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : और कहां की है यह भी पूछो ?

श्री हीराभाई : की है तो कहां की है ?

श्री नाथूराम बागीडोरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र की बात है इसलिए मैं एक जानकारी दे देता हूं । इससे कई हजार काश्तकारों को असंतोष हो रहा है उत्पादन पर असर हो रहा है, लोग मकानों की मरम्मत नहीं करा रहे हैं, खेतों के भूमिसुधार नहीं कर रहे हैं और इतने भयभीत हो रहे हैं तो क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के एरिया को बचाने की कोशिश सरकार करेगी या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी जब आज मैं रिप्लाई दूंगा उस समय दे दूंगा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप उपाध्यक्ष महोदय उस समय इस समस्या पर भी जरा गंभीरता से विचार करें कि सारे क्षेत्र के लोग आतंकित हैं और वहां की प्रगति बिलकुल ठप्प हो गयी है, लोगों में भारी असन्तोष व्याप्त है । वह कहते हैं कि आये दिन हमारे घर, खलिहान, खेत रहेंगे या डूबेंगे और इसमें मेरी तो निश्चित धारणा है कि आप गुजरात राज्य से प्रभावित हो रहे हैं । गुजरात राज्य राजस्थान के आदिवासियों को बरबाद करके, लूट करके और खतम करके फायदा उठाना चाहता है । तो यह समस्या Heads I win and tails you lose के सिद्धान्त के अनुसार गुजरात तो फायदा उठा ले और राजस्थान को नुकसान के सिवाय कोई फायदा नहीं है । आदिवासियों को पुर्नस्थापित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, इस कडाना की समस्या को लेकर मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान में जो बहस हुई उसमें भी मैंने यह जिक्र किया कि गंगानगर क्षेत्र के अन्दर कम से कम एक हजार आदिवासी परिवारों को पुनर्स्थापित करने के लिए सरकार व्यवस्था करे और इस संबंध में आश्वासन दे । इस समस्या को भी आप ध्यान में रखकर मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(१२·४५ म. प.)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

और इस संबंध में भी वह उत्तर देने की कृपा करेंगे कि इसमें सागवाड़ा, बागीडोरा और गढी तहसील के अलावा कितना लाभ राजस्थान को मिलेगा या नहीं मिलेगा । अगर नहीं मिलेगा तो राजस्थान को अधिकार है कि इस कडाना डैम को मोडीफाई करें, कम करें, ओछा करें, घटायें । यह तो नहीं कहता हूं कि इसको बिलकुल स्थगित कर दें लेकिन माही डैम के ऊपर अनास

Page No.40

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

डैम है उसके ऊपर भी सरकार कुछ न कुछ व्यवस्था कर सकती है और वहां के लोगों की राय लेकर उनको कान्फीडेन्स में लेकर गुजरात राज्य के ऊपर प्रभावित होकर इस मामले को कृपा करके न छोड़ें। यह मेरा आपसे पुरजोर से निवेदन है।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के जरिये हमारी जानकारी है कि २६००० एकड़ जमीन डूब में जायेगी और जितने वहां के आदिवासी काश्तकार हैं उनको पहले तो गवर्नमेन्ट बसाने के लिए और उनको जमीन देने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की जाये और अगर उनको जमीन बाँसवाड़ा में दी जाती है तो पहले ही वहां जमीन की तंगी है इसलिए मेरी मंत्री महोदय से और भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो आप छोटे ढंग से कडाना डैम को एनीकट के ढंग से ला सकते हैं और बांध के ढंग से नहीं लिया जाये उस को। मंत्री महोदय यह ७००० की जनसंख्या बताई है लेकिन कम से कम ५००० लोगों को इससे नुकसान होगा और उसका लाभ राजस्थान को नहीं मिलने वाला है और मेरे ख्याल से न उनको बसाने के लिए कोई राज्य सरकार व्यवस्था करने वाली है।

श्री नाथूराम बागीडोरा : इस संबंध में मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय कि मैंने १ मार्च को नोटिस दिया था और आज उसका जवाब मिल रहा है और वह भी असन्तोष जनक मिल रहा है। हजारों लोगों को असन्तोष है। कडाना डैम से उपजाऊ इलाका डूब रहा है। हम आदिवासियों को जमीन नहीं दे पाये हैं और आदिवासी लोगों में इतना असंतोष फैला हुआ है कि करोड़ों की सम्पत्ति डूब रही है

श्री अध्यक्ष : वही बात है जो हीराभाई ने कही। वही बात है न?

श्री नाथूराम बागीडोरा : इसलिए मन्त्री महोदय से निवेदन है कि हमारी मांग है कडाना डैम की ऊंचाई कम की जाये। माही डैम बनाया जाये और माही डैम से कडाना डैम को पानी दिया जाये और क्या मंत्री महोदय इसके लिए कोशिश करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा :मैंने पहले भी निवेदन किया है कि इरीगेशन की डिमाण्ड पर रिप्लाई दूंगा उस समय ही इस पर प्रकाश डाल दूंगा। अभी प्रश्न आवर में लेंगे तो जवाब देने में अधिक समय लग जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आप इस पर सतर्कता रखें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट ७ देखिये)

(अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर)

फौजी सेवाओं से मुक्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां

८४६. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या भूतपूर्व सैनिक सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री पृथ्वीसिंह)

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने इमरजेन्सी कमीशन में लेते वक्त उन व्यक्तियों को यह आश्वासन दिया था कि उन्हें वहां से हटने पर उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी सेवा में नौकरी दी जावेगी ?

(२) क्या यह भी सही है कि १-७-६७ को राजस्थान के कुछ ई. सी. ओज. को फौजी सेवा से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है और वे बेकार हो गये हैं ? कृपया सेवा से मुक्त होने वालों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) अगर उन्हें वापस नौकरी नहीं दी गई है तो सरकार अब उनके भविष्य के बारे में क्या विचार कर रही है ? और उनको दिये गये सरकार के आश्वासनों का कब तक पालन किया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था। किन्तु, राज्य सरकार फिर भी उन्हें पूनर्वासित करने का प्रयत्न करेगी।

(२) जी हां ५० ई. सी. ओ. सेवा मुक्त हुए हैं। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(३) सेवा मुक्त ई.सी.ओज. को राज्य सेवा में नियुक्ति करने बाबत नियम तैयार होगये हैं और जल्द ही नियमों के अनुसार नियुक्ति बाबत कार्यवाही की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

राजस्थान की रियासतों के भूतपूर्व सैनिकों को पेन्शन

८४७. **श्रीमती शिवकुमारी** (खानपूर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान रियासतों के भूतपूर्व सैनिकों को, जिन्हें ३०) माहवार से कम पैन्शन मिल रही है, राज्य के रिटायर्ड मुलाजिमों के बराबर मिनिमम पैन्शन दिलवाने की सिफारिशें सरकार द्वारा भारत सरकार को की गई हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कब ? और उस पर अब तक क्या फैसला हुआ है ?

(२) कोटा व झालावाड़ जिले में ऐसे कितने भूतपूर्व सनिक हैं जिन्हे ३०) रु० माहवार से कम पैन्सन मिल रही है ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) रियासतों के भूतपूर्व सैनिकों को पेन्शन भारत सरकार द्वारा दी जाती है। अतः पेन्शन में किसी प्रकार की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का सिफारिश किये जाने का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता।

(२) कोटा व झालावाड़ जिले में ३०) रु० माहवार से कम पेन्शन पाने वालों भूतपूर्व सैनिकों की तहसील वार सूची संलग्न हैं।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिये)

बीमा फंड की रकम

८५१. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान राज्य बीमा विभाग के खातों में कर्मचारी बीमा फन्ड की कुल कितमी रकम है ?

(२) क्या बीमा फण्ड की रकम कहीं इन्वेस्ट भी की जाती हैं ? यदि हां, तो कहां कहां अब तक इन्वेस्ट की गई है ? सीक्यो-रिटीज स्टर्लिंग तथा अन्य कार्य जिनमें ये इन्वेस्ट की गई है तथा उनकी परचेज वेल्यू, फेस वेल्यू, मार्केट वेल्यू व ब्याज की दर सहित विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या राज्य सरकार बीमा फण्ड को अपने काम में लेती है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या ब्याज देती है ? क्या यह सही है कि उक्त बीमा फण्ड में से बीमा-धारी राज्य कर्मचारियों को ऋण दिया जाता है ? यदि हां, तो उनसे क्या ब्याज लिया जाता है ?

(४) क्या राज्य सरकार ने उक्त बीमा फण्ड के लिये समय समय पर ब्याज दर निर्धारित की है ? यदि हां, तो कब कब और कितनी–कितनी ब्याज दर निर्धारित की है ?

उत्तर

(१) राज्य बीमा विभाग के खातों में बीमा धन की कुल रकम :—

दिनांक ३१–३–१९६७ को रुपये ९,७५,६८,१९९.७८ है।

(१) राज्य सरकार के पास जमा रुपये	९,११,९९,१९९.७८
(२) राज्य सरकार द्वारा प्रतिभूतियां	६३,६९,०००.००
योग	९,७५,६८,१९९.७८

(२) बीमा निधि की राशि एस–अनपेन्डेड–शीर्षक के उप मद "बीमा निधि" के अन्तर्गत राज्य सरकार के पास जमा रहती है। वर्तमान में उक्त धन राशि में से रुपये ६३,६९,०००,०० प्रतिभूतियों में राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार विनियोजित है :—

नाम प्रतिभूतियां	परचेज वेल्यू	फेस वेल्यू	मार्केट वेल्यू	ब्याज दर
४ % राजस्थान डपलपमेंट लोन बाण्डस् १९६८	४३,८९,०००.००	४४,००,०००.००	इस समय उपलब्ध नहीं है बाद में भेजी जायेगी	४%
$4\frac{3}{4}$ % राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिकसीटी बोर्ड बाण्ड्स १९७५	१९,८०,०००.००	२०,००,०००.००	,,	४–७५%
योग	६३,६९,०००,००	६४,००,०००.००		

(श्री वित्त मन्त्री)

(३) जी हां।

राज्य सरकार बीमा निधि पर निर्धारित पद से ब्याज देती है। ब्याज की दर पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा केन्द्रिय प्रावधायी निधि के खातों पर देय ब्याज की दर के आधार पर निर्धारित की जाती है। वर्ष १९६७–६८ की ब्याज की दर ४–८० प्रतिशत निर्धारित की गई है। बीमा फण्ड से बीमाधारी राज्य कर्मचारियों को ऋण दिया जाता है, तथा ऋण पर ६ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है।

(४) जी हां।

बीमा फण्ड पद दिये जाने वाले ब्याज की दर जो कि समय-समय पर निर्धारित की है, वह निम्न प्रकार है :—

वर्ष	ब्याज की दर
१९६१–६२ तक	३–५० प्रतिशत
१९६२-६३ व १९६३-६४	३–७५ ,,
१९६४–६५	४–०० ,,
१९६५–६६	४–२५ ,
१९६६–६७	४–६० ,,
१–४–६७ से	४–८० ,,

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका डीडवाना की सीमा में कृषि भूमि पर मकान

४४९. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाड़नू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

(१) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका डीडवाना की मौजूदा सीमा के अन्दर कोई मकान कृषि भूमि में बने हुए हैं ? यदि हां, तो किन किन खसरा नम्बर की कितनी कितनी भूमि में किस किस ने कब कब किस किस की आज्ञा से मकान बनाये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त सीमा के अन्दर कृषि भूमि में बने मकानों को जायज मान कर यदि किन्हीं को नियमित किये जाने के फैसले किये हों तो किन किन को किस किस आधार पर नियमित किये और उनसे कितनी कितनी भूमि का कितना कितना मुआवजा व दंड कब कब वसूल किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) नगरपालिका डीडवाना की सीमा के अन्दर कृषि भूमि में बने मकानों में से किसी को नियमित नहीं किया गया है। नियमित करने के मामले एस०डी० ओ० डीडवाना के यहां मंजूरी के लिए जैर तजबीज है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

चूरू जिले में अकाल राहत कार्य

४५०. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व एवं अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गत वर्ष के अकाल राहत कार्यों

(श्री दौलतराम सारण)

के लिए चूरू जिले में कितने व कौन कौन से कार्य चालू किए गये थे ?

(२) किस कार्य पर कितने मजदूरों ने काम किया ? कितने दिन वह कार्य चला उस पर कितना खर्चा व कितना काम हुआ? कार्यवार बतलाया जाय।

(३) कितनी सरकी खरीदी ? उनकी लागत क्या लगी ? व किससे खरीदी गई ?

(४) कुल कितने ड्रम या कुंड खरीदे ? उनकी कितनी कीमत लगी ? किस दर पर खरीदी व किस से खरीदी ?

(५) कितने रुपये के औजार खरीदे गये ? और किस से ?

(७) सहायता कार्यों में लगे मजदूरों की मजदूरी का कुल कितना रुपया हुआ ? कितना चुका दिया गया ? और कितना अभी तक चुकाना बाकी है ? किस किस कार्य पर कितना कितना बाकी है और क्यों ?

(७) अनाज ढुवाई (जो वितरण के लिए पहुंचाया गया) का कुल कितना रुपया हुआ ? तहसीलवार बतलाया जाय और उनमें से कितना अभी तक चुकाना बाकी है ? किसका व कितना और क्यों ?

(८) क्या ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि मजदूर पैसे मांग रहे हैं और उनको पैसे नहीं मिले हैं और मस्ट्रोल में चुकारा करने के हस्ताक्षर हैं ? यदि हां, तो कहां कहां से कितनी ? उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। उन पर क्या कार्यवाही की गई ? नहीं की गई, तो क्यों नहीं ?

(९) किस समय अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध काम में गड़बड़ करने, पैसे हड़पने और बेईमानी करने की शिकायतें आई ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(३) कुल १८४९४ सिरकी का जोड़ा खरीदे। जिनकी कुल लागत ८२,७४८.०० हुई, ये सिरकियां निम्न फर्म से खरीदी गई।

१. मेसर्स महावीर स्टोर्स, बीकानेर।

२. मेसर्स, खेमचन्द अहूजा, सूजानगढ़।

(४) कोई कुन्ड या ड्रम नहीं खरीदे गये। अतः कीमत दर आदि का प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) कुल १,७१,७६८.०० रु० के औजार निम्न फर्मों से खरीदे गये :—

(क) मेसर्स सुगनचन्द राजकुमार, जोधपुर।

(ख) मेसर्स स्वस्तिक ट्रेडर्स जौधपुर।

(ग) मेसर्स शिवचन्द, अरोड़ा, बीकानेर।

(श्री राजस्व मंत्री)

(घ) मेसर्स खेमचन्द अहुजा, सुजानगढ़।

(ड) मेसर्स एग्रीकल्चर आइरन एण्ड स्टील फैक्ट्री, राजगढ़।

(६) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। कार्य समाप्त होने के बाद मजदूरगण के साइड पर न मिलने के कारण बकाया का चुकारा नहीं हो सका।

(७) अनाज ढुआई की कुल बकाया रकम ८२,८५१-३४ पैसे हैं। बकाया रकम का भुगतान इसलिये नहीं हो सका कि इनमें से कइयों के जो बिल बने हैं वे राज्य के यातायात विभाग की दरों से अधिक दरों पर बनाये गये हैं। तथा कुछ बिलों पर ठेकेदारों से स्पष्टीकरण चाहा गया है। जिन-जिन की रकम बकाया है, उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(८) जी नहीं! प्रश्न ही नहीं उठता।

(९) ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। समय पर चुकारा नहीं होने की शिकायतें प्राप्त हुई थी जिन पर आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीड़ घास पील्या खाल

४५१. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि असनावर, जिला झालावाड़ में बीड़ घास पील्याखाल को भूमिहीन व्यक्तियों को देने का आदेश राज्य सरकार द्वारा हो चुका है? यदि हां, तो आदेश कौनसी तारीख को दिया गया?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त बीड़ घास को अभी एलाटमेंट कमेटी द्वारा एलाट नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(३) उपरोक्त बीड़ (जमीन) केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों को ही दी जावेगी अथवा अन्य लोगों को भी जो भूमिहीन है?

उत्तर

(१) जी हां। राज्य सरकार के पत्र सं० एफ ६ (३३७) रा। ख। ६६ दिनांक १२-७-६७ द्वारा बीड़ पील्या खाल की भूमि को एलोटमेन्ट एडवाइजरी कमेटी के परामर्श से नियमानुसार आवंटित करने के आदेश दिये गये हैं।

(२) बीड़ पील्या खाल को आवंटित किये जाने हेतु दिनांक—६८ ३ २१ —नियुक्त की गई है किन्तु विधान सभा सत्र चालू होने के कारण स्थानीय विधान सभा सदस्य उपस्थित न हो सकने के कारण मंसूख की गई है। विधान सभा सत्र समाप्त होने पर दूसरी तारीख निश्चित की जावेगी।

(३) राज्य सरकार के आदेशानुसार एलाटमेन्ट एडबाइजरी कमेटी के परामर्श से नियमानुसार भूमि आवंटन किया जायेगा।

सोनड़ी नहर का निर्माण कार्य

४५२. **श्री हंसराज आर्य** (मादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या घग्घर फ्लड में से ओटू के घाट से एक सोनड़ी नाम की नहर नौहर तहसील में निकालने की योजना विचाराधीन है ?

(२) यदि हां, तो इस नहर का कार्य कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

(३) उस नहर से कितने एकड़ भूमि फ्लो लेन से और कितने एकड़ भूमि लिफ्ट से सींची जायेगी ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

(३) अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

तहसील टोडारायसिंह में सिंचाई के टैंक

४५३. **श्री जगन्नाथ** (टोड़ारायसिंह) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) टोडारायसिंह तहसील में सिंचाई विभाग के कितने टैंक है ?

(२) सिंचाई विभाग के कितने टैंक का कार्य अभी अधूरा है और किस किस टैंक की मोरियों में गेज नहीं लगा हुआ है?

(३) इन मोरियों में अब तक गेज नहीं लगने के क्या कारण हैं और अब कब तक लगा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(१) टोड़ारायसिंह तहसील में सिंचाई विभाग के ४४ टैंक हैं ।

(२) सिंचाई विभाग के किसी भी टैंक का कार्य अधूरा नहीं है । वैसे छोटी मोटी मरम्मत वगैरह का कार्य जब जरूरत समझी जाती है करा दिया जाता है । सब टैंकों की मोरियों में गेज लगे हुए हैं ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान कैनाल क्षेत्र में रिजर्व भूमि

४५४. **श्री हंसराज आर्य** (मादरा) : क्या कोलोनाईजेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) राजस्थान कैनाल क्षेत्र में कहां कहां पर किस किस कार्य के लिये भूमि रिजर्व की गई है ?

(२) उसकी मात्रा कितनी कितनी है ?

(३) क्या वर्तमान तथा एक्स मिलीटरी मैनों के लिए कहीं पर भूमि रिजर्व की गई है ?

(४) यदि हां, तो कहां कहां पर और कितने एकड़ ?

Page No.47

(श्री हंसराज आर्य)

(५) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि आरक्षित की गई है जिसका विवरण राजस्थान नहर परियोजना राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम १९६७ की धारा ७ में उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी संलग्न सूची परिशिष्ट "अ" में दी गई है।

(२) भिन्न प्रयोजनों के लिए आरक्षित रकबे की मात्रा संलग्न सूची में दी गई है।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) भूतपूर्व सैनिक अन्य भूमिहीनों की श्रेणी में नियमों के तहत राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में भूमि पाने के अधिकारी हैं। अन्य भूमिहीनों को राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में ५० हजार एकड़ भूमि आरक्षित की गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सागड़ी प्रथा उन्मूलन कानून के अन्तर्गत मामले

३५५. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. सागड़ी प्रथा उन्मूलन कानून के अन्तर्गत अब तक किस किस जिले में कितने कितने मामले किस किस वर्ष में पंजिबद्ध हुए हैं ?

(२) इन मामलों का क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(१) सागड़ी प्रथा उन्मूलन कानून अनुसूचित क्षेत्र में लागू है।

सागड़ी प्रथा उन्मूलन कानून के अन्तर्गत अब तक अनुसूचित क्षेत्र के किसी जिले में कोई मामला पुलिस में पंजिबद्ध नहीं किया गया।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग बारां के ट्रक

४५६. **श्री प्रेमसिंह सिंधवी** (छबड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) वन विभाग बारां में कोई ट्रक है ? यदि हां, तो कब से व कितने ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त ट्रकों में से एक ट्रक कोटा में किसी फर्म के पास मरम्मत हेतु पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(३) जब से ट्रक कोटा में पड़ा हुआ है तब से इस ट्रक पर चलने वाला स्टाफ क्या करता आ रहा है ? अगर स्टाफ बेकार है तो इससे होने वाले नुकसान के बारे में सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां, एक ट्रक दिनांक १८-४-६१ से है।

(२) जी नहीं किमी फर्म के पास नही पड़ा है अभी चम्बल वर्कशाप कोटा में जनवरी ६८ से मरम्मत हेतु पड़ा है।

(३) ट्रक पर एक ड्राइवर है जो ट्रक के सामान व पुर्जों की देखभाल करता था, अन्य कोई स्टाफ नहीं रहा अत: नुकसान का प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत समिति मनोहर थाना में चोरी

४५७. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या पंचायत विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या मनोहर थाना पंचायत समिति में ५-६ फरवरी, १९६८ को कोई चोरी हुई है ?

(२) चोरी में कितनी धनराशि गई हैं ?

(३) क्या यह सही है कि चोरी गई तिजोरी कस्बा मनोहर थाना से ९ मील दूरी पर पड़ी हुई मिल गई है और उसमें कुछ राशि भी निकली है ?

(४) आमतौर पर पंचायत समितियों को अपने पास कितनी राशि रखना चाहिये ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) कुल ६३४२.५० पैसे की राशि चोरी गई।

(३) तिजोरी पुलिस को मनोहर थाना से दूर मिली है तथा उसमें कुछ राशि होना भी ज्ञात हुआ है। पूरी जानकारी तफतीस समाप्त होने पर ही मिल सकेगी।

(४) ५००० रु०

पंचायत समिति लाडनूं में स्थाई समितियों का गठन

४५८. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर में दिनांक २-२-६५ के बाद कितनी स्थाई समितियों का गठन किया गया ?

(२) उनका चुनाव कब हुआ ?

(३) किन किन स्थायी समितियों में कौन कौन सदस्य चुने गये ?

(४) किन किन स्थायी समितियों में कौन कौन सदस्य चुने गये ?

(५) उपरोक्त स्थायी समितियों में से कब कब कौन कौन सदस्य रिटायर हुए तथा उनका वापिस चुनाव कब कब हुआ ?

(६) किन किन स्थाई समितियों में कितने कितने स्थान सदस्यों के व अध्यक्ष के कितने समय तक रिक्त रहे और किस कारण से ?

(७) किन किन स्थाई समितियों की कब कब बैठकें हुई और उनमें उपस्थिति किन किन की रही ?

उत्तर

(१) पांच स्थाई समितियों का गठन किया गया।

(२) इनके सदस्यों का चुनाव दिनांक ६ जून १९६५ को हुआ।

(३) सूची सं० १ सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) सूची सं० २ सदन की मेज पर रखदी गई है।

(५) इसका विवरण सदन की मेज पर रखी गई सूची सं० ३ में अंकित है।

(६) इसका विवरण सदन की मेज पर गई सूची सं० ४ में अंकित है।

(७) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति श्री माधोपुर का ओवरसियर

४५९. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति श्री माधोपुर में ओवरसियर काफी अर्से से नहीं है? यदि हां, तो कब से?

(२) क्या यह सही है कि बिना ओवरसियर के ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक निर्माण कार्य रुके पड़े हुए हैं व समय पर कार्य नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो इसका जिम्मेवार कौन है।

(३) क्या यह सही है कि पंचायत समिति ने विभाग को व जिलाधीश सीकर को ओवरसियर भेजने के बारे में बार बार निवेदन किया है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई व अब कब तक ओवरसियर पहुँच जायेगा?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

अनाज की निकासी के लिये परमिट

४६०. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील शाहबाद एवं किशनगंज में सीमावर्ती गांवों में गल्ला बारां मंडी में से खरीद कर ले जाने के लिए सन् ६६-६७ में किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी गल्ला ज्वार आदि की बोरियों का परमिट दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों ने खाने के लिए शाहबाद किशनगंज तहसील क्षेत्र के सीमावर्ती गांवों में गल्ला ले जाने के लिये परमिट हेतु जो प्रार्थना-पत्र दिए गए थे उन सभी को परमिट नहीं दिए

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

गए थे ? यदि हां, तो किस किस व्यक्ति को किन किन कारणों से परमिट नहीं दिया गया ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) हां यह सही है, जिन लोगों ने परमिट हेतु आवेदन पत्र दिये थे एक व्यक्ति श्री बलदेव रामनाथ निवासी भंवरगढ़ को ४० बोरी ज्वार बारां से भंवरगढ़ ले जाने के लिए परमिट सम्बन्ध परगना अधिकारी की सिफारिश के अभाव में नहीं दिया गया था।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(१९-३-६८)

ग्राम पंचायतों को भूमि का आवंटन

२९३. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या पंचायत तथा विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या ग्राम पंचायतों को १५ बीघा प्रति पंचायत के हिसाब से समूचे राजस्थान की ग्राम पंचायतों को भूमि काश्त के लिए या कृषि फार्म के लिए मुस्तकिल एलॉट कर दी गई है ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों नहीं और कितनी पंचायतों को भूमि दी गई और कितनी बाकी रही है ?

(३) क्या पंचायत समितियों को भी कृषि फार्मों के लिए भूमि एलॉट की गई है?

(४) यदि हां, तो कुल कितनी पंचायत समितियों को और कितनी कितनी भूमि एलॉट की गई है ?

(५) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२–४–६८ को पुनः पूछा गया)

स्थगित प्रश्न

(१९-३-६८)

भूमिहीन किसानों को भूमि

२९४. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (गोगुन्दा सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला उदयपुर की तहसील खैरवाड़ा, गोगुन्दा, कोटड़ा, गिरवा व सलूम्बर में वर्ष १९६४ से ६६ तक कितने भूमिहीन काश्तकारों ने भूमि के लिए प्रार्थना पत्र दिये ? उनमें से कितनो को भूमि दी गई और कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

(१२.४८ म० प०)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : माननीय मुकुटबिहारीलाल गोयल सदस्य विधान सभा द्वारा दिये गये एक स्थगन प्रस्ताव दिनांक २२–३–६८ पर व्यवस्था :

श्री मुकटबिहारीलाल ने अपने स्थगन प्रस्ताव में यह आरोप लगाया है कि राज्य सभा के आगामी होने वाले चुनाव में स्वतंत्र पार्टी ने एक बहुत बड़ी धनराशि लेकर अपनी पार्टी का समर्थन व वोटों को श्री महेन्द्रकुमार मोहता जो श्री बिड़ला के निकटतम रिश्तेदार हैं को बेच कर लोकतंत्र को कलंकित करने का घृणित कार्य किया है। राजस्थान स्वतन्त्र पार्टी के विधायक व नेता इस बात को खुल्लम खुल्ला स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ने रुपया लेकर श्री मोहता को सीट बेच दी है।

यह प्रवृत्ति लोकतन्त्र के लिए खतरनाक है व लोकतन्त्र में काले धन व पूंजी शाही के प्रसार व फैलाव व नियंत्रण की प्रतीक है।

लोकतन्त्र की दुहाई देने वाली स्वतन्त्र पार्टी द्वारा राज्य सभा की सीट व अपनी पार्टी के वोटों को एक बड़ी धनराशि लेकर बेच देना व दीगर प्रकार से वोटों की सौदेबाजी होना एक अत्यन्त लोक महत्व की घटना है, इत्यादि

इन आरोपों के प्रतिकार में स्वतन्त्र पार्टी के नेता ने अपने पत्र दिनांक २५-३-६८ में यह व्यक्त किया है कि इन के दल के प्रति यह आरोप सर्वथा निराधार एवं द्वेषपूर्ण है। श्री महेन्द्रकुमार मोहता उनकी पार्टी के सदस्य हैं और कार्यकर्त्ता हैं और इसी नाते यह सीट उन्हें दी गई है और जो उनके दल के निजी अधिकार का विषय है। प्रजातन्त्र में एक दल के द्वारा दूसरे दल पर इस प्रकार के अनर्गल और निराधार आरोप अवांछनीय हैं।

उपर्युक्त स्थगन प्रस्ताव एक विशेष स्थिति एवं मंतव्य का है जिसका सीधा सम्बन्ध इस सदन की परम्पराओं, नियमों एवं व्यवस्थाओं से न होकर दल विशेष की राजनीति के पक्ष को पुष्ट एवं प्रचारित करने से ही है। आगामी राज्य सभा के चुनावों के संदर्भ में इस प्रकार की उद्विग्नता का किसी राजनैतिक दल में उत्पन्न होना आश्चर्यजनक नहीं किन्तु इस सदन के प्रांगण का उपयोग सदन की परम्पराओं, व्यवस्थाओं एवं नियमों के निश्चित ही प्रतिकूल है। उक्त प्रस्ताव के तथ्यों एवं नीतियों का सम्बन्ध उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित दोनों दलों की परम्पराओं से भले ही हो किन्तु उनकी प्रतिक्रियाएं एवं प्रभाव न तो लोक महत्व के ही हैं और न अविलम्बनीय स्थिति या वृत्ति के हैं। अतः यह प्रश्न इस तरीके से हमारे नियमों के अंतर्गत नहीं उठाया जा सकता। सदन के इतिहास में ऐसा प्रश्न मेरी जानकारी में अब तक नहीं आना प्रतीत हुआ है।

मुझे खेद है कि उक्त स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दिये जाने के पूर्व ही सदन में इस प्रश्न पर चर्चा उठा दी गई। यद्यपि ऐसे आरोप नियमों के अन्तर्गत बिना पूर्व सूचना के नहीं उठाये जाते रहे हैं।

उक्त कारणों से मैं स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। राज्य सरकार

Page No.52

को इसके तथ्यों से सम्बन्ध न होने के कारण किसी प्रकार के स्पष्टीकरण करने के लिए मैं उसे आग्रह भी नहीं कर सकता ।

किन्तु क्योंकि स्थगन प्रस्ताव के आरोप सदन एवं सदन के बाहर चर्चा के विषय बन गये हैं अतः यदि स्वतन्त्र पार्टी की ओर से प्रस्ताव में सन्निहित आरोपों पर स्पष्टीकरण उनके नेता करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपका स्वागत है, आप पधारे हैं स्वस्थ होकर, और आपके द्वारा व्यवस्था दी गई है वह तो उचित है ही, किन्तु मेरा यह कर्तव्य है कि जो आरोप लगाया गया है उसका खण्डन हो, और यह कहूं कि यह निराधार आरोप है । जैसा कि मैने आपको निवेदन किया है कि माननीय सदस्य जो कि हमारी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के लिए खड़े हो रहे हैं वे स्वतन्त्र पार्टी के कार्यकर्ता हैं । अगर उनके पास में धन है तो उस धन के बारे में हमें ईर्ष्या और विरोध नहीं हैं । वे हमारे कार्यकर्ता हैं और सदस्य हैं, और यह एक पार्टी का अन्दरूनी मसला है, और उस अन्दरूनी मसले को लेकर अगर हमने उनको खड़ा किया है तो मेरे ख्याल में जो संसोपा दल के माननीय सदस्य मुकटबिहारीलालजी ने आरोप लगाया है वह उनके लिए भी अशोभनीय है । संसोपा दल के बारे में मैं श्रद्धा रखता हूं । बहुत सारे उसमें मेरे मित्र हैं और उनकी मैं इज्जत करता हूं ऐसा आरोप लगाना मुझे आश्चर्यजनक सा प्रतीत हुआ, लेकिन आखिर जो आरोप लगाया है उसका खण्डन करना मेरा कर्तव्य है ।

जैसा कि मैने आपको निवेदन किया है यह पार्टी का अन्दरूनी मसला है । रुपये की सौदागरी तो नहीं की । अगर मैं यह कहूं कि सौदागरी करने में तो मेरे खयाल से मेरे सामने जो शासनारूढ़ दल है वह किसी भी हालत में दूसरे दल से कम नहीं है, और जो सौदागरी शासनारूढ़ दल से होती है, जो व्यवस्था होती कोटा, परमिट, लाइसेन्स के द्वारा दबाव पड़ता है वह नहीं है । स्वतन्त्र पार्टी अगर शासनारूढ़ दल बने तब भी एक दम से मेरे ख्याल से इतनी निम्नस्तरीय राजनीति पर नहीं उतरेगी । आप अगर यह समझते हैं कि स्वतन्त्रपार्टी और संसोपा दल में जो भावनात्मक एक्यता है वह ऐसे आरोपों से खंडित होगी और उससे अनुचित कोई लाभ कांग्रेस दल उठाये तो मेरी समझ से यह सम्भावना ही प्रतीत होती है । हमारी भावनात्मक एक्यता है, हमारी सद्भावना जो एक दूसरे दलों के बारे में, है वह ऐसे छोटे-मोटे आरोप के द्वारा, मेरे ख्याल में, खंडित नहीं होगी ।

माननीय सदस्य रामकिशनजी ने, मैं यदि निवेदन करूं कि इस तरह से आरोप लगाये जाना उनके दल के एक माननीय सदस्य द्वारा कोई प्रशंसनीय या सराहनीय उसको नहीं समझा है, ऐसा मुझे उनका आश्वासन भी प्राप्त है । क्योंकि इस सम्बन्ध में अध्यक्षीय व्यवस्था हो चुकी है तो मेरा तो कर्तव्य इतना ही था कि मैं इस निराधार आरोप को डिनाई करूं, और इसके अलावा मुझे और कोई निवेदन करने

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

की गुन्जायश नहीं दिखती है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि इस राज्य-सभा की सीट सौदे का सम्बन्ध है संसोपा पार्टी के एक माननीय सदस्य ने कहा, और उसका स्पष्टीकरण स्वतन्त्र पार्टी के नेता करना चाहते थे वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि अपनी भावनात्मक एक्यता को कायम रखने के लिए हमें भी बीच में क्यों घसीटा गया ? (हंसी) आपको उस मामले में चाहिए तो यह था कि सौदे की बात का स्पष्टीकरण कर देते कि क्या सच है और क्या नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप सामने थे इसलिए मजबूरी दरजे कहना पड़ा। (हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो इसी प्रकार की बात हुई कि घर के अन्दर झगड़ा हो जाय तो दूसरों से लड़ने पर उतारू हो जायं। तो आपके घर के झगड़े को हम पर उतारा जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : चोर की दाढ़ी में तिनका !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : संसोपा पार्टी की तरफ से कुछ आक्षेप लगाये जायं तो स्वतन्त्र पार्टी में उससे काफी नाराजगी हैं और इसके सम्बन्ध में चर्चा भी बढ़ी है तो कांग्रेस पर कुछ डाल दो तो शायद ठीक रहेगा। तो इतनी बात तो निश्चित तौर से कह देता हूं कि इस सदन के अन्दर यह जो १६ वां वर्ष हो गया है जनतन्त्र की व्यवस्था चालू हुए और कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा का टिकिट किसी को बेच दिया हो इस प्रकार का आरोप कभी भी इस सदन के अन्दर नहीं लगाया है, उस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। (सरकारी पक्ष की ओर से करतलध्वनि) आज इस बात को कहा जाय कि सौदेबाजी में कांग्रेस किसी से पीछे नहीं है, उसमें तो हम सौदेबाजी करते नहीं है, लेकिन आप कम्पीटिशन करते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप पर आरोप लगाये हैं और कई कई आरोप लगाये हैं और बार बार लगाये हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आरोप लगाने से ही आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, लेकिन जब भी.........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह भी आरोप लगाये हैं......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लेकिन जब आपने कहा कि हम किसी से पीछे नहीं हैं तो साफ है कि सौदेबाजी तो आप करते हैं और पीछे नहीं है लेकिन हम करते नहीं हैं। यह आपने साफ कर दिया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह मुख्य मंत्री जी का कहना बिल्कुल ठीक है। यह राजनीति का अविभाज्य अंग है। उसमें थोड़ी-बहुत सौदेबाजी होती है। सौदेबाजी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आटे में नमक की तरह करते हैं। वह सौदेबाजी नहीं करते हैं कि आटे और नमक की मिकदार सब बराबर हो जाय।

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता महोदय, आर्डर प्लीज़।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इसके सम्बन्ध में कुछ कहूं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। स्वतन्त्र पार्टी के नेता ने कहा कि उनकी पार्टी का अन्दरूनी मामला है तो उनके अन्दरूनी मामले में मुझे नहीं पड़ना है कि वे इसके बारे में क्या करके चलना चाहते हैं और क्या नहीं हम इसकी चर्चा में यहां पड़ें तो वह भी वाजिब नहीं है। और दोनों का भावनात्मक समन्वय मैं समझता हूं बाहर ही ठीक कर लेते तो यहां जरूरत नहीं पड़ती, यहां पर इतनी चर्चा करने की आवश्यता नहीं थी। समन्वय लाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। भावनात्मक समन्वय कितना है वह यहां मालूम समय समय पर पड़ता है और देश में भी पड़ता रहता है कि दोनों के बीच भावनात्मक संमन्वय कितना है। राज्यसभा के वोटिंग के समय समन्वय रख लें तो बहुत है। मेटर आफ ओपिनियन की बात क्यों सामने रखकर चलते हैं?

मूल प्रश्न सारा इस बात का यह है जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि हम पर आक्षेप लगाने का प्रयत्न किया गया है उसके ऊपर जैसा कि आपने कहा कि मुकटबिहारीजी से अपेक्षा नहीं करते थे उसी माफिक हम आप से भी अपेक्षा नहीं करते थे कि इसके बजाय आप इस तरह की दलील देना पसंन्द करेंगे। आपने लिये हैं या नहीं लिये हैं यह आपका अन्दरूनी मामला है इससे हमें कोई मतलब नहीं है हम चुप बैठे हैं। कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं तो फिजूल में अपने बचाव के लिए क्यों घसीटते हैं?

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मन्त्रीजी... ...

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें।

यह प्रश्न वाद-विवाद का नहीं है। मैने अपनी व्यवस्था में स्पष्टिकरण के लिए जिनका इससे सम्बन्ध था उनको मौका दिया था। इसलिए स्वतन्त्र पार्टी के नेता ने स्पष्टीकरण कर दिया। इसके बाद कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है।

रहा सवाल रामकिशन जी के सम्बन्ध में स्वतन्त्र पार्टी के नेता ने कुछ संकेत दिया है इसलिए मैं उनको अवसर देना चाहूंगा, लेकिन वे संक्षेप में कहें।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि महारावल साहब ने मेरा नाम लिया है इसलिये दो-तीन बातें मुझे कहनी पड़ेगी। यह मुकटबिहारीजी ने जो प्रश्न उठाया, मैं उस प्रश्न को इस रूप में नहीं लेता हूं कि स्वतन्त्र पार्टी पर आरोप लगाया हो।

(१ म.प.)

स्वतन्त्र पार्टी पर जो आरोप लगाया

(श्री रामकिशन)

उसका निराकरण हो गया लेकिन हिन्दुस्तान की राजनिति में पैसा २० साल से काम कर रहा है। इस परम्परा को हम तोड़ना चाहते हैं। हमारी पार्टी का जहां तक सम्बन्ध हैं, व्यक्तिगत तौर से मैं महारावल साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक विरोधी पक्ष का सवाल है, हम एक हैं। हम तो यह चाहते है कि पैसा राजनीति में नहीं आवे।

जहां तक महारावल साहब ने कहा उसका जवाब बचकाना ढंग से और मुस्कराहट से नहीं होगा। जब आपकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मास्टर आदित्येन्द्रजी को टिकट देने का मौका आया तब कमलनयन बजाज या रामनाथ पोद्दार को दे दिया। मैं उसको सौदा नहीं कह सकता, कुछ भी कारण हो, मैं पहले सरकारी पार्टी को समझाना चाहता हूं कि सारी गलत परम्पराओं के जन्मदाता आप हैं। देश में पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाले आप हैं। दुःख इस बात का है कि जो गद्दीनशीन पूंजीपति हैं वे गद्दी से हटाये हुए राजाओं की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपका दामन साफ नहीं है। आप यह कह कर बच नहीं सकते कि महारावल साहब ने ऐसा किया। जो काम आपने किया है उसको आपके भाईबंध इधर बैठ कर नहीं करेंगे।

जहां तक महारावल साहब का कहना कि आरोप निराधार है, महारावल साहब ने मुझ से कहा था कि हमारे दल ने चन्दा लिया है। लेकिन चन्दा लेना और टिकट बेचना अलग बात है। यह बात दोनों ही दल करते हैं। एक तरफ बिड़लाजी हैं और दूसरी तरफ शान्तिप्रसादजी हैं। महारावल साहब सत्यवादी पुरुष हैं। मैं महारावल साहब की बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने कहा था कि आप इनको वोट देना। हमने कहा कि वोट हम इनको नहीं देंगे। चन्दा लें न लें यह चीज जुदा है। इससे न महारावल साहब के सम्मान में कमी आई है और न विरोधी दलों की एकता में कमी आई है। मुकुटबिहारी जी इस चीज को सदन में नहीं लाते तो अच्छा रहता लेकिन जब यह चीज सदन में आ ही गई तो लोकतन्त्र में इस प्रकार की चीज को छिपाने की आवश्यकता नहीं है, गलियों और चौराहों पर बहस होनी चाहिये, इसमें कोई बुराई नहीं है। सत्य को छिपाने में बुराई होती है इसलिये सत्य को छिपाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मुख्य मन्त्रीजी से यह कहना है कि जो बुरी आदत आप में है वह स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ में लगाना चाहते हैं वह नहीं लगावें तो ठीक है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा निवेदन करदूं। कांग्रेस की तरफ से कमलनयनजी को कभी नहीं खड़ा किया गया था......

श्री रामकिशन : रामनाथजी पोद्दार को खड़ा किया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रामनाथ जी पोद्दार को सन् १९५२ में खड़ा किया गया इसके सिवाय कांग्रेस की तरफ से किसी पूंजीपति को खड़ा करने का सिलसिला नहीं रहा। इसके बाद मास्टर आदित्येंद्रजी और दूसरों की स्थिति रही है, सबके सामने है। मैं यही कहना चाहता

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हूं कि आपने जो स्पष्टीकरण किया वह नहीं करते तो महारावल साहब की स्थिति ज्यादा अच्छी रहती।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर के माननीय सदस्य कुछ अभी कह रहे थे उन्होंने जनसंघ का भी जिक्र किया, मैं ऐसा समझता था कि जब ऐसा प्रश्न उठाया जाय उस समय मैं मौन रहूं। मैं समझता हूं इस प्रश्न को लेकर विवाद सदन में नहीं आना चाहिए था लेकिन किसी कारण से आ गया तो शान्ति से निपटाना चाहिए था। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी को इस प्रकार की आदत नहीं डालनी चाहिये मुझे खेद से कहना पड़ेगा कि यह बात आई है यह आदत कांग्रेस से पड़ने वाली नहीं है। मैं विवश हूं इस बात को कहने के लिए...

श्री अध्यक्ष : He is indisposed.

औचित्य प्रश्न पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : एक व्यवस्था का प्रश्न माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने उठाया था कल माननीय उपाध्यक्ष महोदय के संवैधानिक अधिकारों के सम्बन्ध में व्यवस्था इस प्रकार है:—

"उपाध्यक्ष महोदय के स्थगन प्रस्तावों पर निर्णय देने के संवैधानिक औचित्य एवं अधिकार के सम्बन्ध में कल श्री भैरोंसिंह जी ने आपत्ति उठाते हुए यह विचार व्यक्त किया कि उन्हें ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय देने का अधिकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय के संवैधानिक अधिकारों के सम्बन्ध में बहुत कुछ चर्चा पंजाब विधान सभा की घटना को लेकर हुई है जिसके पक्ष में विचार रखे गये हैं।

इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए संवैधानिक स्थिति के साथ साथ, नियमों में दिए गये अधिकारों सम्बन्धी प्रावधानों को किस प्रकार हमारे संसद एवं अन्य सदनों द्वारा कार्य संचालन को सुविधा की दृष्टि से मान्यता दी जा रही है, इस पर भी विचार किया जाना आवश्यक होगा। कहना न होगा, संसद में उपाध्यक्ष महोदय को स्थगन प्रस्तावों पर परम्पराओं व परिपाटी के आधार पर व्यवस्था देने का सामान्यत: अधिकार रहा है। इन परम्पराओं एवं परिपाटी का अनुपालन अन्य विधान सभाओं में भी होता रहा है।

जहां तक हमारे सदन का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय के इस सम्बन्ध के संवैधानिक अधिकार सदन की परम्पराओं एवं परिपाटी के आधार पर बनते गये हैं। सन् १६५६ में अध्यक्ष, विधान सभा की अनुपस्थिति में कार्य संचालन के समस्त अधिकार तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा पूरे सत्रावधि में उपयोग किए जाते रहे हैं। यही नहीं, इससे पूर्व इसके पश्चात् भी इस परम्परा और परिपाटी का कार्यान्वियन होता रहा है। यों तो इस सम्बन्ध ने अन्य विधान सभाओं के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में इसी परम्परा एवं परिपाटी की पुष्टि में प्रावधान सन्निहित है जिसके अनुसार उपाध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष के अधिकारों का उपयोग करते रहे हैं। हमारे नियमों के

(श्री अध्यक्ष)

नियम ३०७ के अनुसार ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष को, सदन संबंधी मामलों को सुचारु रूप से चलाने हेतु उपाध्यक्ष महोदय को आवश्यक निदेश देने का अधिकार है। जिसकी व्याख्या एवं पुष्टि सन् १९५९ में तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष को कार्य करने के संबन्ध में उक्त नियम के अन्तर्गत दिये गए निदेश से होती है और सदन ने भी इस व्यवस्था को स्वीकार किया है।

इसी प्रकार उक्त परिपाटी एवं परम्परा के आधार पर मैंने भी उपाध्यक्ष महोदय को अपनी अनुपस्थिति के कारण ऐसी शक्ति का उपयोग करने का संकेत किया था जिसके आधार पर वे अब तक कार्य संचालन करते रहे हैं। उक्त परम्पराओं, व्यवस्थाओं एवं हमारे नियमों के आधार पर उपाध्यक्ष महोदय को स्थगन प्रस्तावों पर विशेष परिस्थिति के कारण अध्यक्ष की अनुपस्थिति में निर्णय देने का अधिकार है। अतः मैं श्री भैरोंसिंह द्वारा उठाई गई इस आपत्ति को अस्वीकार करता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम व श्री श्रवणलाल, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह बतलाया है कि हिंडौन करौली में चंबल योजना से गत दो वर्षों से विजली प्राप्त हो रही है किन्तु वहाँ पर उपभोक्ताओं से विजली की दर की वसूली पुरानी दर से की जा रही है। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा.........

(श्री भैरोंसिंह की तबीयत खराब होने पर)

मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं और जानकारी लेना चाहता हूं कि उनकी (श्री भैरोंसिंह) तबियत अच्छी नहीं है तो मेरे खयाल से श्री सतीशचन्द्रजी और अन्य माननीय सदस्य जो उनके पास बैठे हैं, लोबी में ले जावें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वैसे ठीक है। Carry on.

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा ने ग्राम रोडु थाना लाडनूं जिला नागौर में एक व्यक्ति का घर लूट लिए जाने के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला अविलम्ब-नीय लोक महत्व का नहीं है तथा इसे पुलिस की मांग पर होने वाले वाद-विवाद के दौरान कटौती प्रस्ताव के जरिए उठाया जा सकता है।

पाली तहसील के सभी गांवों में रोली के कारण रबी की फसल को भारी क्षति पहुंचाने से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है। इस मामले पर पहले ही सदन में चर्चा हो चुकी है तथा यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं है।

अतः मैं उपरोक्त तीनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमती देने में असमर्थ हूँ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो स्थगन प्रस्ताव...

श्री अध्यक्ष : आज आये हैं जिनको मैंने जानकारी के लिए भेजा है। आज दो स्थगन प्रस्ताव आये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनके बारे में व्यवस्था दे दी जाय, जानकारी तो आ जायगी, लेकिन एक प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जिसके बारे में आज ही कुछ कार्यवाही होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, वह नेशनल डिफेन्स फंड से ताल्लुक रखता है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! इसीलिये मैंने जानकारी शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। मुझे विश्वास है कि आज जानकारी आ जायगी। आज नहीं आई तो मैं व्यवस्था देने का प्रयत्न करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इतनी व्यवस्था कर दें। मुझे जानकारी मिली है कि उस डिफेन्स फंड से सम्बन्धित जो कच्ची रसीदें हैं जिनका पैसा जमा नहीं कराया गया है उनको डेस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, जिनके खिलाफ यह एलीगेशन है वह वहां पर मौजूद हैं और इस तरीके से वहां घूम-घूम कर कच्ची रसीदें इकट्ठीं करके डेस्ट्रॉय करने की कार्यवाही की जा रही है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो यह आशंका प्रकट की है, इसका समाधान शीघ्र जाकर करने का प्रयत्न करता हूं कि क्या वह डेस्ट्रॉय की जा रही हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसी व्यवस्था कीजिये कि वह नहीं की जा सकें।

श्री अध्यक्ष : मैं अपने विश्वास में ले लूंगा इस विषय पर।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : एक स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया था, हिन्डौन के अन्दर चम्बल की बिजली के बारे में। आज दो साल हो गये हैं और वहां पर रेट है......

श्री अध्यक्ष : उस पर व्ययस्था दे दी है, उसके सम्बन्ध में कह रहे हैं या आने वाली है उसके सम्बन्ध में कह रहे हैं। (बिराम) जो व्यवस्था दे दी है वह तो व्यवस्था दे दी गई उस पर।

श्री श्रवणलाल : सवाल इस बात का है। अभी किसानों का लम्बा चौड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन होने के बाद वहां पावर हाउस के सामने लोग धरना दिये हुए हैं। इसलिए मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण दे दें।

श्री अध्यक्ष : इस पर व्यवस्था दे दी है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया था।

श्री अध्यक्ष : उस पर मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, पहले वहां पर बाढ़ का प्रकोप हुआ और उससे लोग पीड़ित हुए। अब यह रोग होने

Page No.59

(श्री मूलचन्द डागा)

से वहां के काश्तकारों की फसल बरबाद हो गई है। मैं चाहता हूं कि राजस्व मन्त्री महोदय इस का स्पष्टीकरण कर दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है, स्पष्टीकरण का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय कुछ जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य देने का मैंने नहीं कहा।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, वहां समस्या इस बात की है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री श्रवणलाल : हजारों किसानों के सामने इस प्रकार की समस्या है कि वहां

(१.१० म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

जो पुरानी रेट से वसूली कर रहे हैं......

श्री उपाध्यक्ष : इस पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है। इसको और तरीके से आप उठा सकते हैं।

श्री श्रवणलाल : और तरीका क्या हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में प्रावधान है, आप ढूंढिये।

श्री श्रवणलाल : वह ठीक है। लेकिन पावर हाउस के सामने लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया है। हालत वहां पर गम्भीर होती जा रही है, फिर गिरफ्तारियां होंगी, फिर लाठी चार्ज होगी। फिर उससे फायदा क्या निकलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मंत्रियों के वक्तव्य !

श्री श्रवणलाल : इसके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय कुछ तो कहें न, वहां पर जो रेट ली जा रही है, वहां नई रेट ली जायगी या जो पुरानी रेट है जिसके द्वारा अब तक वसूली की जा रही है—इसके सम्बन्ध में कुछ न कुछ मन्त्री महोदय आश्वासन तो दें।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी भी व्यवस्था दे दी गई है। और किसी तरह से माननीय सदस्य इस प्रश्न को उठायें तो उस पर फिर व्यवस्था दे दी जायगी।

श्री श्रवणलाल : वह तो ठीक है लेकिन...

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप ही कोई रास्ता बताइये।

श्री श्रवणलाल : किसानों ने इस विभाग से लिखा पढ़ी की है, वह लोग मन्त्री जी से भी मिले हैं, उसके बाद में उनका डेप्युटेशन मिला है। उसके बाद में उन्होंने एक लम्बा चौड़ा किसानों का प्रदर्शन भी निकाला है। उसके बाद मन्त्री महोदय को इस बात की चेतावनी दी है कि तारीख २५ से पॉवर हाउस के सामने धरना देना शुरू कर देंगे।

Page No.60

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण के द्वारा या अल्प सूचना प्रश्न या और तरीके से इसको उठा सकते हैं। अभी जो व्यवस्था दे दी गई है इस व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता।

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ। देवरिया और सूर सागर की हड़ताल के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : उस पर वक्तव्य दे दिया गया।

श्री ओमदत्त भाटी : कल तार आया था रणजीतसिंह का कि कन्डीशन सीरियस है, हड़ताल बढ़ी है, दंगा होने वाला है। रणजीतसिंह जी को आप जानते हैं, माननीय सदस्य हैं ओसिया के, कांग्रेस के हैं। उन्होंने तार दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बारे में मन्त्री महोदय से जानकारी ली जा रही है। आज ही आया है उसका नोटिस, इसलिए जानकारी प्राप्त करने के बाद में उस पर व्यवस्था दे दी जावेगी।

माननीय यातायात मन्त्री !

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

श्री अमृतलाल यादव (यातायात मंत्री) : उपाध्याक्ष महोदय, प्रादेशिक परिवहन अधिकारण द्वारा मोटर वाहन अधिनियम १९३९, की धारा ५१ के तहत कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के परमिट दिये जाते हैं। तीन पहिये वाले टेम्पों और चार पहिये वाली मीनि बसों को भी इसी प्रावधान के अन्तर्गत कान्ट्रैक्ट कैरिज के परमिट दिये जाते हैं। जिस क्षेत्र के लिये यह परमिट वैध माना जाता है उसका इन्द्राज परमिट में किया जाता है।

अभी तक दो सीट वाले ऑटो रिक्शा को अधिकरण द्वारा १० मील के क्षेत्र में चलने का परमिट दिया गया था और सात या उससे अधिक सीटर टेम्पोज को ३० मील के क्षेत्र में चलने का परमिट दिया गया था। इसी प्रकार चार पहिये वाली टैक्सियां और स्टेशन वैगन्स को पूरे राजस्थान अथवा जयपुर रीजन क्षेत्र में चलने का परमिट दिया गया था। तीन पहिये वाले ऑटो रिक्शा और टेम्पोज को यह परमिट पिछले ७–८ साल से दिये जाते रहे हैं और इसी प्रकार के वाहनों में निरन्तर वृद्धि होती रही है। जब इस प्रकार के तीन पहिये वाले टेम्पों और आटो रिक्शा का अधिक चलन बढ़ गया और जब इन्हें १० या ३० मील के क्षेत्र में चलने का अधिकार दिया गया तो इस प्रकार के वाहन सभी पथों पर नियमित रूप से चलने वाली बसों के लिये एक प्रकार मे बाधा बन गये और विभिन्न मार्गों पर चलने वाली बसों के चालकों द्वारा भी यह शिकायत की गई कि इन टेम्पोज के चलने से इनके निर्बाध आवागमन में व्यवधान पड़ता है और यह टेम्पो अपने परमिट की शर्तों के विरुद्ध रास्ते की सवारियां उठाते रहते हैं। यह भी कहा गया कि राजस्थान में जिस प्रकार छोटी सड़कें हैं उन पर तीन पहियों वाले टेम्पो और आटो रिक्शा लम्बे मार्गों के लिए एक सुरक्षित सवारी नहीं है। उपरोक्त

(श्री अमृतलाल यादव)

बातों को ध्यान में रखते हुए प्रादेशिक परिवहन अधिकरण जयपुर ने अपनी बैठक दिनांक २२–१–६८ में अपने प्रस्ताव संख्या १ आइटम २ द्वारा यह निर्णय लिया कि जिन तीन पहिये वाले वाहनों को कॉन्ट्रेक्ट कैरेज के परमिट दिये जाते हैं उन्हें जन सुरक्षा की दृष्टि से केवल नगरपालिका सीमा तक में ही चलने का अधिकार दिया जावे। यह निर्णय लेते समय अधिकरण ने इस क्षेत्र में जिस प्रकार की सड़कें हैं और उन पर इन वाहनों के दूर तक चलने में निहित खतरे को ध्यान में रखा था और इसके साथ यह भी ध्यान में रखा था कि यदि इन वाहनों को अधिक लम्बे क्षेत्र के परमिट दिये जावेंगे तो जो मांगों पर बसें चलती हैं उनके परिवहन में आक्षेप आवेगा अतः यह निर्णय लिया गया कि जो तीन पहिये के कान्ट्रेक्ट कैरेज हैं उन्हें केवल नगरपालिका सीमा में ही चलने का परमिट दिया जावे।

जहां तक मिनी बसेज का सवाल है, आर. टी. ए. ने कुछ परमिट अखिल राजस्थान क्षेत्र के लिए अवश्य दिये हैं परन्तु राज्य पथ परिवहन निगम ने इसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील कर रखी है और इस प्रकार के वाहनों को किस प्रकार के परमिट किस क्षेत्र के लिए दिये जावें इसका प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन जिस चीज को ध्यान में रख कर यह निर्णय लिया गया है, मेरी मान्यता है कि यह उचित नहीं है। हम देखते हैं कि राजस्थान में करीब आठ सौ टेम्पो हैं और इसमें छोटे टेम्पो, स्कूटर और मीनि बसेज— कुल मिला कर हजार के करीब पहुंचती है। हम यह भी मानते हैं कि टेम्पो और स्कूटर किसी धनिक व्यक्ति के नहीं हैं, छोटे-छोटे कई आदमी या ड्राइवर्स होते हैं वह एक, दो, तीन मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं और लोगों से उधार लेकर या और किसी तरह से एक हजार रुपया इकट्ठा करके इस प्रकार की वेहीकल की व्यवस्था करते हैं, उस पर एक ड्राइवर और एक, दो, तीन मालिक— कुल मिलाकर एक टेम्पो पर पांच परिवार के आदमी निर्भर होते हैं। राजस्थान में इस तरह से पांच हजार परिवार इससे प्रभावित हैं। सरकार ने निर्णय लिया है इसके अनुसार इनका चलन केवल म्यूनिसिपल एरिया तक होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में म्यूनीसिपल एरिया की जो सड़कें हैं, उनकी क्या हालत है? मेरे ख्याल में एक दो शहर को छोड़ कर जयपुर और अजमेर के अलावा एक भी ऐसा शहर नहीं है जहां पर पक्की रोड्स हैं और वहां पर टेम्पो का चलना सम्भव हो सकता हो। यह मेरी मान्यता है। इसके साथ-साथ मैं निवेदन करूंगा कि टेम्पो, तांगा और रिक्शा वहां चलते हैं, और आपने इसकी लिमिट म्यूनिसिपल एरिया तक रखी है तो तांगे और रिक्शा चालकों को इससे दिक्कत आयेगी और उनके एतराज आपके सामने आयेंगे। कुल मिला कर ऐसा करने से आपके सामने दिक्कतें पैदा होंगी। आपने बतलाया कि बसेज का भी एतराज है कि सवारियों की सुरक्षा तो है नहीं, साथ ही सड़कों के ऊपर से यह उनकी सवारियां ले लेते हैं और अधिक सवारियां

(श्री शिवनाथसिंह)

बैठाते हैं। मैं मानता हूं कि यह दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस प्रश्न को आपको व्यवहारिक रूप से देखना पड़ेगा। टेम्पो ऑनर्स यदि शर्तों का पालन न करते हुए अधिक सवारियां बैठाते हैं तो उनका चालान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यह नहीं है कि बसेज वाले नियम उल्लंघन नहीं करते हों और टेम्पो वाले ही नियमों का उल्लंघन करते हों। बसेज वालों के द्वारा भी नियमों का उल्लंघन रात–दिन होता है। लेकिन आपके पास में जो एड-मिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसके द्वारा आप व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन इस आधार पर ही कि उनके खिलाफ नियमोंल्लंघन की शिकायत है और बसेज वाले एतराज करते हैं, इसलिए उनको म्यूनिसिपल एरिया तक सीमित कर दें– यह उचित नहीं होगा। मुझे जानकारी मिली है कि पिछले दो तीन चार महीने में हजार स्कूटर नये आये हैं, लोगों ने पन्द्रह हजार इधर-उधर से कर्जा लेकर, और किसी तरह से कन्ट्रीब्यूशन के द्वारा धनराशि इकट्ठी की और उसको स्कूटरों में लगाया, लेकिन आपने एक महीने के बाद ही इस प्रकार की व्यवस्था कर दी कि म्यूनीसिपल एरिया के बाहर नहीं चल सकेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि म्यूनिसिपल एरिया में स्कोप नहीं है, दो-तीन सड़कों के अलावा दूसरी सड़कों पर टेम्पो और स्कूटर नहीं चल सकते हैं। क्योंकि सड़कें पक्की नहीं है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। माननीय मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने जो कानूनी पहलू रखा है उसको मैं समझ सकता हूं... आर० टी० ओ० को यह अधिकार है कि बस प्रतिबन्ध लगा सकता है। यह कानूनी पहलू है। आप को उसके व्यवहारिक और मानवीय पहलू पर भी विचार करना पड़ेगा। आर० टी० ओ० जयपुर को देखें तो उसी व्यवस्था से जयपुर में चलें और दूसरे इलाकों में न चलें यह उचित नहीं है। इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं हिन्दुस्तान के जितने प्रान्त हैं वहां इस प्रकार की व्यवस्था है और वहां चलते हैं। केवल राजस्थान में ही इस प्रकार की सख्ती की जाय और जिन लोगों ने पन्द्रह-बीस हजार रुपया लगा दिया है और इतनी बड़ी रिस्क लेकर जिन गरीब आदमियों ने व्यवस्था की है– उस पहलू को भी आप को देखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री शिवनाथसिंह : एक मिनिट में निवेदन कर देता हूं। ऐसा आप कर सकते हैं कि आर० टी० ओ० जब टेम्पो वगैरह को परमिट नहीं दे लेकिन जिनको दे चुके हैं एक दो महीने पहले और एक माह बाद उनको बन्द करते हैं तो उन लोगों को हार्डशिप होगी। इसलिए अधिक विस्तार में न जाकर मैं निवेदन करूंगा कि इसमें फिर से विचार करने की कोशिश कीजिए, विचार कीजिए और मानवीय दृष्टि को सामने रख कर परमानेंटली इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री !

श्री अमृतलाल यादव (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये हैं, मैंने उनका विस्तृत उत्तर दे दिया है। फिर

(श्री अमृतलाल यादव)

भी वह यह सोचते हैं कि फिर से विचार किया जाये तो मैं निवेदन कर दूं कि हमने इसके ऊपर पूरी तरह से विचार करके यह निर्णय लिया है। अब उनको और अधिक कहना है तो मैं समझता हूं इस पर हम सोचविचार कर सकते हैं तो मैं फिर विचार करूंगा। इसमें इस बात को देखेंगे। फिर विचार करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आश्वासन देता हूं कि इस पर हम फिर विचार कर लेंगे।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री रामचन्द्र आर्य !

रामचन्द्र आर्य (नोहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि तहसीलदार ने नोहर में गत वर्ष ६७–६८ के लिए भूमि का कतई एलॉटमेंट नहीं किया जबकि उस तहसील में बड़ी तादाद में जोत भूमि सालाना का एलॉटमेंट करवाते हैं।

श्री परसराम गंगाराम : राजस्व मन्त्री यहां हैं ही नहीं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसका हो रहा है ?

श्री अमृतलाल यादव : हम बैठे हैं, हम सुन रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, किसको सुनायें। कोई सुनने वाला भी तो हो।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मन्त्री के आने पर) आगये, आगये। आपकी आवाज सुनकर आगये।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि गतवर्ष तहसील नोहर में भूमि का आरजी एलॉटमेंट होता है वह नहीं हुई है। न होने की स्थिति में एक स्थगन प्रस्ताव पर ता० २० जुलाई को माननीय राजस्वमन्त्री जी का वक्तव्य हुआ था, उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि यह जल्दी ही भूमि अगले साल के लिए एलॉट कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी वह भूमि एलॉट नहीं हुई। एलॉट न होने की वजह से वहां के राजस्व तहसीलदार नायब तहसीलदार ने काश्तकारों के खिलाफ नोटिस निकाले। उनकी फसल कुर्क की गई। माननीय राजस्व मन्त्री जी को मैंने लेटर लिखा था, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया लेकिन जिलाधीश ने यह आदेश भेजा कि साबका एलॉटीज है उनको बदस्तूर मान लिया जाय और जिन भूमिहीन काश्तकारों ने कोई रकबा रकबा काश्त कर शलिया है उनको एक साल के लिए मान लिया जाय। लेकिन वहां के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने फायदे के लिए आज तक काश्तकारों को परेशान कर रहे हैं। और आज भी जब साबका एलॉटीज हैं, उनकी जमीन ढाल माछ में दर्ज है, उन काश्तकारों के नाम ढाल माछ में दर्ज न करने के पटवारियों को आदेश दे रखे हैं। किसी गांव में १०० आदमी हैं, किसी में डेढ़ सौ हैं, किसी में ५० है। इस तरह उनको छोड़ दिये गये हैं क्योंकि उनको काश्तकारों से कुछ लेना है यह तथ्य की बात है। उनके नाम ढाल माछ में दर्ज नहीं किया गया है। इसमे सरकार को आर्थिक

(श्री रामचन्द्र आर्य)

नुकसान भी होगा और काश्तकारों को भी बड़ा नुकसान रहा है। मैं आप के सामने यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले की गहराई से इन्क्वायरी होनी चाहिए। साबका एलॉटीज हैं उनको बदस्तूर रखने का सरकार का हुक्म नहीं माना है और किसानों की उनकी जमीन ढाल माछ में न रखकर सरकार को नुकसान पहुँचाया है। और लोगों को तावान के नोटिस दिये हैं, वह दिये हैं वहां के नायब तहसीलदार ने। मेरे पास इसके वजूहात मौजूद हैं। ६ काश्तकरों को ऐसे नोटिस दिये थे जिनके खिलाफ पटवारी ने भी रिपोर्ट नहीं की थी। महज रिश्वत लेने के लिये इस प्रकार की उस तहसील के अन्दर कार्य-वाही की जा रही है। मैं राजस्व मन्त्री का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करुंगा कि साबका एलॉटी जितने हैं उनको बदस्तूर माना है उनके नाम ढालमाछ में दर्ज होने चाहिए और ....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कृपया।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं पांच मिनिट में इसको खत्म कर दूंगा। जिन भूमिहीनों ने जिलाधीश महोदय के आदेश के बाद जिन लोगों ने भूमि काश्त कर ली वह जमीन उनको एक साला मानने लिये जिलाधीश ने जो आदेश दिया तहसीलदार को वह उसे मानना चहिए। जिससे काश्तकारों के सामने जो तकलीफ है, वह दूर हो। आयन्दा के लिए मैं निवेदन करुंगा कि समय रहते पहले से ही जमीन एलॉट होनी चाहिए। और ज़ो बंजर भूमि पड़ी हुई है, इस इलाके में हजारों बीघा वह इन भूमिहीन काश्तकारों को एलॉट होनी चाहिए। ताकि देश का अन्न उत्पादन बढ़े और भूमिहीन को रोटी रोजी मिले। आये दिन जो राजस्व अधिकारी इस तरह रिश्वत के लिए काश्त-कारों को तंग करते हैं, वह इससे बन्द हो सकता है। जिस प्रकार तहसीलदार ने तहसील नोहर के अन्दर अपनी मर्जी से बिना एलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग बुलाये हुए ही पिछले साल एलॉटमेंट एक साल के लिए कर दिया। आज भी वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। जिसको चाहते हैं, एक साला एलॉट मान लेते हैं। जिसकी तरफ से कुछ नहीं मिलता है तो उसकी दरखास्त रिजेक्ट कर देता है। इस प्रकार की अव्यवस्था से वहां की जनता में बड़ी चिन्ता है। मैं राजस्व मन्त्री से निवेदन करूंगा कि यह प्रशासन में इस प्रकार की जो गलत प्रणाली है, उसकी सफाई करनी चाहिए। आज आप के सामने मैं सबूत के तौर पर सदन में रिकार्ड पेश करूंगा। उसके आधार पर आप जांच करवायें और जो दोषी पाया जाय उनको उसका दण्ड मिलना चाहिए ताकि आयन्दा किसी भी राजस्व अधिकारी का यह हौंसला न हो और नायब व तहसील-दार इस तरह निर्दोष काश्तकारों को परे-शान न करें। और सरकार के आदेश माने मैं राजस्व मन्त्री का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मैं १०३ आदमियों की लिस्ट सदन की मेज पर पेश करता हूं जो साबका एलॉटीज हैं। और पट-वारियों ने नाजायज एलॉटमेंट कर लिया है नो एलॉटीज ऐसे हैं जिनको तहसीलदार द्वारा नोटिस दिये गये हैं लेकिन वह नाजा-यज एलाटमेंट नहीं था। पटवारी को हमने पूछा है, उसने बतायाकि किसी को नाजायज एलाट नहीं किया गया है। उस नायब तह-

(श्री रामचन्द्र आर्य)

सीलदार का नाम रघुवीरसिंह । काश्त-कारों को बड़ा परेशान किया है, पिछले एक साल में। मैं निवेदन करता हूं कि किसी निष्पक्ष अधिकारी को भेज कर उसकी जांच करवायें ताकि काश्तकारों को कठिनाई पैदा न हो। इस साल मई-जूनसे पहले ही आदेश भेज कर उस भूमि का, जितनी साल के लिये एलाट करवाना चाहते हैं, वैसा एलाटमेंट करवायें।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कृपया।

श्री रामचन्द्र आर्य : पिछले साल आपने यह फरमाया था कि ५ साल के लिये नियम बनवायेंगे। आप बनवायें या नहीं लेकिन जमीन एलाटमेंट समय रहते ही कर देना चाहिये ताकि काश्तकारों की कठिनाइयां दूर हों। मैं आपके सामने यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजस्व मन्त्री!

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय पर ध्यान आकर्षित किया है गत वर्ष जो स्थिति आई थी विधान सभा का सत्र चल रहा था तो उसमें कई लोगों को एतराज था कि साहब यह हमारा सत्र चालू रहने के दिनों में एलाटमेंट नहीं किया जाना चाहिए। उस वजह वहां के एलाटमेंट में देरी हुई।

और वह टाइम पूरा नहीं हो सका। उसके पश्चात् माननीय सदस्य ने सदन में सवाल को उठाया था तो मैंने उसी वक्त गंगा-नगर कलेक्टर को आदेश जारी कर दिये थे कि जो पुराने अलोटीज हैं, उनको बदस्तूर माना जाये और जिन्होंने इस साल काश्त कर ली है उनका इसी साल के लिये आवंटन माना जाये। कलेक्टर को आदेश जारी कर दिये, यह मैंने माननीय सदस्य को जुबानी कह दिया था कि इस तरह आदेश जारी कर दिये हैं, इसलिये मैंने आपको लिखित में जवाब नहीं दिया।

अभी माननीय सदस्य ने कहा कि कलेक्टर ने आदेश का पालन नहीं किया है और नायब तहसीलदार रघुनाथ सिंह ने ६ आदमियों को ख्वामाख्वाह नोटिस दे दिये हैं तो इस लिस्ट को आप मुझे दे दें, मैं कलेक्टर से जांच करवा लूंगा। जो भूमि बारानी है, जिस पर लिफ्ट इरिगेशन या कमाण्ड का प्रश्न नहीं है, उस भूमि का आवंटन आवंटन समिति के जरिये कराया जायेगा, विधान सभा का सत्र खत्म हो जाने के बाद माननीय सदस्यों को फुर्सत होगी, मैं आवंटन के आदेश फिर कर देता हूं ताकि भूमिहीनों को भूमि अलोट हो जाये।

जहां तक बारानी भूमि का सवाल है राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात की घोषणा की गई कि यह अवधि ५ वर्ष की बजाय १० वर्ष कर दी है। पर व लिफ्ट इरिगेशन और कमाण्ड में न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह जिंदगी भर भी नहर के नीचे नहीं आयेगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नहीं आयेगी तो ठीक है। मैंने कहा था कि आवंटन कमेटी

Page No.66

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

में सरपंच का होना आवश्यक है, जैसा कि आज सवाल आया तहसीलदार जाकर आवंटन कर देता है, यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य को इससे संतोष होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं जानकारी चाहूंगा कि २९ जनवरी के नोटिस पेश किये गये, सैंकड़ों की तादाद में नाजायज काश्त के नोटिस निकाले, उस पर तावान लगाये गये हैं, आप इसकी जांच करालें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो भूमिहीन हैं और पुराने काश्त करते आ रहे हैं उन पर तावान का प्रश्न नहीं। जो भूमिहीन नही हैं और ऐसी भूमि पर काश्त कर लिया है तो उन पर तावान लगना चाहिये। अब आवंटन कमेटी बैठ रही है, उसके सामने आकर यह प्रश्न हल होंगे। जिनको आवंटन कमेटी के जरिये मान लिया जायेगा उनको आवंटन कर दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। मांगों पर विचार–

मांगों का प्रस्तुतिकरण व विचार

मांग संख्या २५

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२, बहु प्रयोजन नदी योजनाएं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,५२,०६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या २६

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक —

४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)

४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

४४–सिंचन (संयुक्त स्थापना तथा औजार और स्थिर सयन्त्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,१२,३९,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या ४१

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक —

९८–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत

९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निमाण कार्यों पर पूंजी को लागत

(वाणिज्यिक)

१००-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निमाण कार्यो पर पूंजी की लागत

(अवाणिज्यिक)

के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १५,३८,-६२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

उक्त मांगों पर निम्न कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए) ।

मांग संख्या ४१

श्री हंसराज आर्य (मादरा) :

१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (नहरों के द्वारा दिये जाने वाले पानी की अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए) ।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) :

२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (शेरो का बाला, सारोठ सुरह घाटा और किशनपुरा फीडरों के अधूरे कार्यो को पूरा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन):

३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (भीम सागर बांध, जिला झालावाड़ मे कार्य बन्द हो रहा है, उस पर चर्चा के लिए) ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) :

४. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर परियोजना में होने वाले अपव्यय को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

५. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (महती एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में होने वाले अपव्यय को कम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (अन्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले व्यय में पक्षपात तथा अपव्यय के संबंध में चर्चा के लिए) ।

७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर को बीकानेर तक शीघ्राति-शीघ्र लाने के संबंध में चर्चा के लिए) ।

८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से१००) रु० कम कर दिया जाय (क्षुप्त सिंचन निर्माण कार्य में बीकानेर जिले की अब तक की हो रही अवहेलना पर चर्चा के लिए) ।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार-सु.) :

९. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणि-

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

ज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर के खण्डार क्षेत्र में गिलाइ सागर बांध की दयनीय हालत पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) :

१०. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु-प्रयोजन नदी योजनाएं में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में भाखरा बांध की नहरों को पानी पूरा नहीं दिया जाता इस पर चर्चा के लिये)।

११. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु–प्रयोजन नदी योजनाएं में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के गांव मलवानी व ढाणी लालखां को पानी जोहड़ भरने के लिए स्वीकृति दी जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१२. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२ बहु-प्रयोजन नदी योजनाएं में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गंग कैनाल की सिंचाई हेतु टेलों पर पूरा पानी नहीं पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१३. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु–प्रयोजन नदी योजनाएं में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भाखरा नहर क्षेत्र में बाग लगाने के लिये भूमि नीलाम की गई किन्तु उन बागान की भूमि को आज तक नहर से पानी नहीं दिया गया इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१४. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु–प्रयोजन नदी योजनाऐं में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में भाखरा की नहरों से पानी देने में भारी गड़बड़ी के कारण काश्तकार परेशान हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

१५. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु–प्रयोजन नदी योजनाएं में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भाखरा डेम की नहरों में तहसील नोहर में पानी पूरा नहीं मिलने से काश्तकारों की फसल हर साल बरबाद हो जाती है, इस सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

१६. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु–प्रयोजन नदी योजनाएं में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भाखरा नहर क्षेत्र में कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा अपने रिश्तेदारों के नाम से व अपने घर के परिवार के सदस्यों के नाम से सन् १९६३ में भूमि खरीद कर सरकार को नुकसान पहुंचाया है, इस पर चर्चा हेतु)।

१७. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु–प्रयोजन नदी योजनाएं में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील भादरा महराना डिस्ट्रीब्यूट्री की मरम्मत में भारी घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१८. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु–प्रयोजन नदी योजनाएं में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भाखरा क्षेत्र नोहर की अमरसिंह ब्रांच की नहर एन०टी०आर० को ३ बुर्जी आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

१९. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु-प्रयोजन नदी योजनाएं में से १००) रु० कम कर दिया जाय(नोहर में नठराना नहर के चक नं० २२ एन.टी.आर. के पास नहर में दीवार तामीर की जाकर पानी आगे नहीं जाने दिया जाता, इस पर चर्चा के लिये) ।

२०. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु-प्रयोजन नदी योजनाएं में से १००) रु०कम कर दिया जाय (भाखरा की नहर नेठराना ब्रांच अमरसिंह ब्रांच, जसाना ब्रांच और खनानिया माईनर व अन्य नहर की टेलों पर आज तक पानी नहीं पहुंचा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २६

२१. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नोचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००)रु० कम कर दिया जाय (गंग कैनाल की मरम्मत व सफाई पर सरकार का ध्यान नहीं है जब कि गंग कैनाल प्रोजेक्ट एरिया से काफी मात्रा में आय होती है, इस पर चर्चा के लिये) ।

२२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००)रु०कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में ग्रामों में डिग्गी तामीर हुई है व हो रही है उनमें कम ईंट कच्ची व सीमेन्ट कम लगाया जा रहा है जो डिग्गी पहले बनी थी उनमें भी पानी नहीं ठहर रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

२३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के काफी काश्तकारों की भूमि समय पर किश्त दाखिल नहीं होने से भूमि खारिज हुई है, इस सम्बन्धी चर्चा के लिये) ।

२४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में से १००)रु० कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग में पटवारी मनमाने ढंग से फसल दर्ज करके कास्तकारों को तंग करते हैं और इस से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, इस पर चर्चा के लिये) ।

२५ मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००)रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र ग्रामों के विकास हेतु जो धन दिया जाता है उसके दुरुपयोग पर चर्चा के लिए) ।

२६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) मे से १००)रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में मोघों में साकिट फिट करने की प्रणाली से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, इस सम्बन्धी चर्चा के लिए) ।

२७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से

Page No.70

(श्री रामचन्द्र आर्य)

१००) रु० कम कर दिया जाय (नहरी फसलों पर ५) रु० प्रति एकड़ आबियाना बढ़ाकर काश्तकारों की तबाही के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

२८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर का प्रेमपुरा माइनर तहसील नोहर में टेल तक पानी पूरा नहीं जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

२९. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गांव काली बंगा तहसील सूरतगढ़ को राजस्थान नहर की नोरंगदेसर ब्रांच से एक नया माईनर निकाल कर उस गांव की भूमि को पानी दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

३०. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की रावतसर ब्रांच से रामपुरा माईनर को काश्तकार अपने खर्चे पर ६ बुर्जी आगे तक खोदकर ले गये हैं उनको एक बुर्जी आगे और इस माईनर को ले जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

३१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र के वाटर कोर्सों में साकिट सिस्टम से व्याप्त भ्रष्टाचार से काश्तकार की परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये)।

३२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के मोमपुरा माईनर के चक नं० १, चक नं० २, चक नं० ४ गांव चाईया के काश्तकारों को वहां के ओवरसीयर द्वारा पानी देने में भारी भ्रष्ट तरीका अपनाया गया है, इस पर चर्चा के लिये)।

३३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर व अन्य नहर योजनाओं पर गाड़ियों व जीपों के भारी दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

३४. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की रावतसर ब्रांच के कनवाणी माइनर की टेल पर पानी नहीं पहुंचने से काश्तकारों में बड़ी बेचैनी है इस पर चर्चा के लिये)।

३५. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उपनिवेशन विभाग में सन् १९५५ के बाद के अलाटीज काश्तकारों को बेदखली के नोटिस दिये जा चुके है जिससे काश्तकारों में भारी रोष व असंतोष है, इस पर चर्चा के लिये)।

३६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में

(श्री रामचन्द्र आर्य)

से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान कैनाल की रावतसर ब्रांच के गांव गंधेली के पास पक्की बनाने की योजना की क्रियान्विति न होने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

३७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के गांव ढंढेला को चक नं० ११ R. W. D. रावतसर ब्रांच से पानी दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

३८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८–बहु–प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भूमिहीनों को ५० बीघा भूमि अलोट करने व भूमि की कीमत माखेरा नहर क्षेत्र में जो पहले थी वह रखने इत्यादि हेतु, इस पर चर्चा के लिये) ।

३९. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के आस पास ३० मील तक जो भूमि पानी से वंचित है उसकी नये सिरे से सर्वे करवाकर पानी देने का प्रबन्ध करने पर चर्चा के लिये) ।

४०. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा रावतसर में घग्घर फ्लड बांध टूटने से ढाणी कलाला की फसल व मकान बरबाद हो गये थे उनको कोई सहायता आज तक नहीं दी गई, इस संबंध में चर्चा के लिये) ।

४१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर से तहसील नौहर व सूरतगढ़ में बहुत अधिक तादाद में लिफ्ट से सिंचाई हो सकती है, इस संबंध में चर्चा के लिये) ।

४२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (काकर बांध से नोहर फीडर निर्माण कार्य के संबंध में चर्चा के लिये) ।

४३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर से गांव ठुकराना व ऐटा के नये माईनर मंजूर किये जाकर सिंचाई के लिये पानी दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

४४. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रावतसर ब्रांच नहर में पानी पूरा नहीं दिया जाता है, इस पर चर्चा के लिये) ।

४५. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रावतसर ब्रांच के कुचवालिया माइनर के हैड के आगे ठोकर निर्माण के सम्बन्ध में बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

Page No.72

(श्री रामचन्द्र आर्य)

४६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में बैंटरमेंट लेवी लगाने सम्बन्धी सरकार के निर्णय पर चर्चा के लिये)।

४७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६८– बहु–प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नहरों के लिये नाम मात्र का बजट रखा है जिससे अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को गति नहीं मिल सकती, इस सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

४८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (घग्घर फल्ड से गांव बडोपल के करीब १०० घर बाढ़ से बर्बाद हुए थे, लेकिन उनको आज तक सहायता नहीं दी गई, इस पर चर्चा के लिये)।

४६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में सिंचाई की सुविधा हेतु सरकार के दुर्लक्षपूर्ण रवैये से ही सिंचाई के साधन बढ़ाने में उपेक्षा हो रही है और आज भी करोड़ों एकड़ भूमि पानी के बगैर वीरान पड़ी है, इस पर चर्चा के लिए)

५० मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर से सरदारपुरा माइनर के ऊपर से घग्घर फल्ड बांध बना है उसके नीचे से साइफन न बनाने से काश्तकारों को बहुत नुकसान हुआ है, इस पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या २५

श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) :

५१. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२- बहु- प्रयोजन नदी योजनाएं के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चम्बल प्रोजेक्ट की नहरों में आई जमीनों का मुआवजा किसानों को आज तक न देने पर चर्चा के लिए)

५२ मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२- बहु-प्रयोजन नदी योजनाएं के अन्तर्गत मांग में से १००)रु. कम कर दिया जाय (चम्बल प्रोजेक्ट में तहसील पीपल्दा के कई ग्रामों में वाटर कोर्स न खोदे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)

५३. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२– बहु-प्रयोजन नदी योजनाएं के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चम्बल प्रोजेक्ट की कई नहरों के निर्माण कार्यों को पूरा करने में बरती गई ढिलाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)

५४. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२– बहु– प्रयोजन नदी योजनाएं के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चम्बल प्रोजेक्ट के चालू करने में होने वाली अनियमितताओं के संबन्ध में चर्चा के लिए)

(श्री महेन्द्रसिंह)

मांग संख्या ४१

५५. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कोटा जिले की नायब तहसील इन्द्रगढ की इन्द्रायणी नदी पर बांध बांध कर इस क्षेत्र को सिंचित करने के संबन्ध में चर्चा के लिए)

५६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नहर विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसानों के साथ किये गये अनुचित व्यवहार पर चर्चा के लिए)

५७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले में नहरों के कारण वाटर लोगिंग से होने वाली नाकारा भूमि की रोकथाम के संबन्ध में बरती गई ढिलाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

५८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नहरों के टूटने एवं सीपेज़ तथा ओवरफ्लो से फसलों को होने वाली क्षति पर चर्चा के लिए)।

५९. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००)रु. कम दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम रास्ते नहरों एवं वाटर क्रोसिंग के कारण अवरुद्ध हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर)

६०. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १) रु० कर दिया जाय (राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि जुटाने में सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)।

६१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १) रु० कर दिया जाय (गंग केनाल क्षेत्र में intensification of irrigation बढ़ाने में असफल रही इस संबन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

६२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) कम कर दिया जाय (पंचायत समिति सराड़ा के अन्तर्गत चलाये जाने वाले सिंचन निर्माण अधूरे होने पर चर्चा के लिए)।

६३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय। (तहसील सराड़ा सिंचाई

(श्री देवीलाल)

निर्माण कार्यों के सर्वे कराने के संबन्ध में चर्चा के लिए) ।

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) :

६४. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १०० रु० कम कर दिया जाय (भैंरूंदा व हरसौर बांध की नहरें पक्की न होने व कमान्ड ऐरिया गलत होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :

६५. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय [गलवा बांध (जिला टौंक) के के पानी के सदुपयोग न होने पर चर्चा के लिए] ।

६६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय [बांध बनेठा (तहसील अलीगढ़) की पानी की मोरी को बड़ा बनाने व उसकी नहर की मरम्मत करवाने पर चर्चा के लिए] ।

६७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय [राजकोट का बांध (जिला टौंक) के लिए आवश्यक धन-राशि की व्यवस्था होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए] ।

६८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (छोटी सिंचाई योजना को अधिक धन न देने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २५

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

६९. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२- बहु-प्रयोजन नदी योजनाएं के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गुड़ा एण्डला के पास जो नदी सूकड़ी उसके तटबन्धन पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ४१

७०. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हेमावास बांध से जो सिंचाई हो रही है उससे काश्तकारों में भारी असन्तोष है, इस पर चर्चा के लिए) ।

७१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हेमावास बांध से नहरी जमीन को पानी न देकर बारानी जमीन को पानी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

७२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि

(श्री मूलचन्द डागा)

के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली तहसील के गिरोलिया बांध को बनाने में विलम्ब पर चर्चा के लिए)।

७३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नेहरा बांध का सर्वे हो जाने पर भी उसे चालू न करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २६

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) :

७४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अव णिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पानी की सिंचाई रेट के अलावा सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा दस्तूरी रेट लेने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४१

७५. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुराने बन्धों की मरम्मत इत्यादि के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

७६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में बहती हुई नदियों के पानी को रोक कर बन्धों का निर्माण नहीं किया गया इस पर चर्चा के लिए)।

७७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के निर्माण पर पूंजी की लागत में भारत सरकार से कम सहायता मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

७८. मांग संख्यां ४१, मुख्य शीर्षक ९८– बहु–प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई योजनाओं पर लगने वाली पूंजी की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिए)।

७९. मांग सख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मेन्ढा नदी को रोक कर बन्ध कालख सागर में पानी की आव हेतु सप्लाई करवाने पर चर्चा के लिए)।

८०. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कालख सागर की नहर बन्ध कालख से आसलपुर बियर तक बनाने पर चर्चा के लिए)।

(श्री सुवालाल चौधरी)

८१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील दूदू के बन्ध घोरावदान में पानी की आव बढ़ाने व इसको बड़ा बनाने पर चर्चा के लिए)।

८२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील दूदू के सरकारी बान्धों की मरम्मत कराने व इनकी देख रेख में कमी पर चर्चा के लिए)।

८३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (छोटे बन्धों को पंचायत व तहसील की देख रेख में देने से इनका निर्माण कार्य बन्द होने पर चर्चा के लिए)।

८४. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति में सरकार के पक्षपात पूर्ण रवैये पर चर्चा के लिए)।

८५. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन, तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई की योजनाओं पर कम पूंजी की व्यवस्था रखने पर चर्चा के लिए)।

८६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिंचाई हेतु पानी वितरण की कुव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

८७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुराने बन्धों की सिंचाई भूमि के प्रत्येक पानी का क्षेत्र निर्धारण करने पर चर्चा के लिए)।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

८८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांध बंधवाने को प्राथमिकता दी जाकर पूरी शक्ति इसमें कैसे लगे, इस पर चर्चा के लिए)।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु.) :

८९. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२– बहु-प्रयोजन नदी योजनाएं के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील दौसा में नदी रोक कर चांदराणा बांध की कई वर्षों से स्वीकृति होने पर भी उसका निर्माण न होने पर चर्चा के लिए)।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

मांग संख्या ४१

९०. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील दौसा में टूटे हुए मेहसरा खुर्द की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) :

९१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में सिंचाई हेतु छोटे बड़े तालाबों के निर्माण पर चर्चा के लिए)।

श्री लादूराम तुलानिया (फागी-सु.) :

९२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) के अन्तर्गत इस मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर जिले के छोटे बांधों का निर्माण न हो सकने सम्बन्धी सरकार की ? चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २५

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

९३. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२– बहु–प्रयोजन नदी योजनाएं के अन्तर्गत मांग में से १००) कम कर दिया जाय (नर्मदा नदी घाटी योजना को राजस्थान में कार्यान्वित कर सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २६

९४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर योजना को बाड़मेर जिले से होते हुए कच्छ की खाड़ी तक विस्तार करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २५

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

९५. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–-बहु–-प्रयोजन नदी योजनाएं के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नर्मदा नदी घाटी योजना की क्रियान्विति कर राजस्थान में सिंचित क्षेत्र की वृद्धि पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४१

९६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लूनी नदी इंनन्डेशन योजना पूरी करके उत्पादन वृद्धि के बारे में चर्चा के लिए।

९७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सागी, बड़गांव, जेतपुरा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नदियों की योजनाओं के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २५

श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) :

९८. मांग संख्या २५ मुख्य शीर्षक ४२–बहु–प्रयोजन नदी योजनाएं के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राणा प्रताप सागर बांध स्कीम के अन्तर्गत जवाहरसागर बांध के निर्माण के सम्बन्ध में उत्पन्न स्थिति, विशेषतः डूब में आई जमीनों के मुआवजे के सम्बन्ध में, चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४१

९९. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चित्तौड़ जिले की सिंचाई स्कीमों के विस्तार एवं सुधार हेतु अधिक धनराशि दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

१००. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गम्भीरी बांध के नीचे नहरों से जो सीपेज होता है तथा उसमें ग्राम रास्ते खराब हो गए उन्हें प्रोजेक्ट द्वारा सड़क निर्माण करने तथा सीपेज बन्द कराने हेतु चर्चा के लिए)।

१०१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ओराई बांध को ३ फीट ऊंचा करने तथा उसके बाईं तरफ नहरें निकालने पर चर्चा के लिए)।

१०२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में सिंचाई योजनाओं की सर्वे हेतु एक सर्वे डिवीजन कायम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २५

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

१०३. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु–प्रयोजन नदी योजनाएं के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नदी योजनाओं में लगे धन के अपव्यय पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४१

१०४. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८–बहु–प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बहु–प्रयोजन नदी योजनाओं के लिए साधन जुटाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २६

श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) :

१०५. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु–प्रयोजन नदी योजनाएं के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चम्बल परियोजना के अन्तर्गत कोलोनाइजेशन द्वारा ग्रामों के कांकड़ों के नीलाम करने पर चर्चा के लिए) ।

१०६. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु–प्रयोजन नदी योजनाएं के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में गोमती नदी पर पीकप वियर का निर्माण कराने के विषय पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २६

१०७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गुढ़ा बांध की नहरों में समय समय पर पानी नहीं छोड़ने के कारण मेक्सीकन गेहूं जल गया और काश्तकारों की फसलों को नुकसान पहुंचा, इस पर चर्चा के लिए) ।

१०८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सरकार ने जो जमीनें कैनाल व सड़कों के लिए लीं उनका मुआवजा न देने तथा काश्तकारों की खड़ी फसलें नष्ट होने पर चर्चा के लिए) ।

१०९. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नहरों की मरम्मत सफाई समय पर नहीं करने के कारण काश्तकारों को समय पर पानी नहीं मिलता इस पर चर्चा के लिए) ।

११०. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (काश्तकारों द्वारा पानी नहीं लेने पर भी सीपेज या चारा पानी की पूरी वसूली पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २५

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :

१११. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु-प्रयोजन नदी योजनाएं के अन्तर्गत मांग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर बांध पर हो रहे धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) :

११२. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु–प्रयोजन नदी योजनाएं के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान बहु–प्रयोजन नदी योजनाएं के अन्तर्गत कोटा जिले में होने वाले कार्यों के सम्बन्ध में भारी धांधली पर चर्चा के लिए) ।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

मांग संख्या ४१

११३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों में, विशेषतः कोटा जिले के, भारी धांधली एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

११४. माग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८–बहु-प्रयोजन नदी-योजनाएं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बहु-प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत कोटा जिले में योजनाओं को क्रियान्वित करने के संबंध में भारी उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

११५. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००–सिचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र में गोपालपुरा टैंक एवं विलासी के टैंक निर्माण कार्यों को रोक दिए जाने बाबत चर्चा के लिए)।

११६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८– बहु-प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बारां पंचायत समिति क्षेत्र में आन्ता क्षेत्र की चम्बल नहर से लिफ्ट इरिगेशन लागू करवाए जाने के बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) :

११७, मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु-प्रयोजन नदी योजनाएं में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चम्बल परियोजना में बरती गई अनियमितताओं व कार्य की गति धीमी एवं तमाम घोटालों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

११८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर परियोजना का समस्त खर्चा केन्द्रीय सरकार वहन न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

११९. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००–सिचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जल निकास निर्माण कार्य बहुत शेष व अधूरे पड़े हैं उन्हें तुरन्त पूरा करने पर चर्चा के लिये)।

१२०. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००–सिचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान की सब नहरों की मरम्मत के अभाव में दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

(श्री विजयसिंह रावत)

१२१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग के प्रशासन पर होने वाले फिजूलखर्चों को कम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)

१२२, मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान के सब बांधों व परियोजनाओं की नहरों की ठीक देखभाल नहीं होने से उनकी दुर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

१२३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (व्यावर अजमेर के शेरों के बाला फीडर कार्य की धीमी गति से उत्पादन पर भारी प्रभाव पड़ा है अतः इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने पर चर्चा के लिये) ।

१२४. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय(पन्नालाल तालाब ग्राम खेतड़ी, जिला झुन्झुनू) में पानी नहीं ठहर पाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २५.

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा–सु.)

१२५. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२– बहु–प्रयोजन नदी योजनाएं में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में चम्बल परियोजना आदि में सरकार निश्चित समय में कार्य सम्पन्न करने में पूर्णतया असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

१२६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रु० कर दिया जाय (बीकानेर जिले की वर्षा से अकाल पीड़ित जनता के खेतों में सिंचन व्यवस्था की सुव्यवस्था न होने के बारे में सरकार की नीति का अननुमोदन)।

१२७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में से १००)रु० कम कर दिया जाय(राजस्थान केनाल जैसी मुख्य योजना को पूरा करने में सराकर की ढिलाई व लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

१२८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से '१०० रु० कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले की महत्वपूर्ण नदी के पूर्वी तटबन्धन कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

१२९. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००—सिचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००)रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की तहसील कोलायत में पिलाप आदि सिंचन बांधों को स्थायी रूप से सिंचाई के योग्य बनाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर)

१३० मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२—बहु-प्रयोजन नदी योजनाएं में से १००)रु० कम कर दिया जाय (बहु–प्रयोजन नदी योजनाओं में पूरी सिंचन क्षमता का उपयोग न कर पाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

१३१ मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४— सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अलवर में सहायक अभियन्ता द्वारा खाली कट्टों की खरीद में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

१३२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३— सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिंचाई की बढाई हुई दरों के औचित्य पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या ४१

१३३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००— सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रूपारेल नदी में बारा के स्थान पर सिल्ट हटाने के लिये, इस पर चर्चा के लिये)।

१३४ मांग संख्या ४१. मुख्य शीर्षक १००— सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अलवर तहसील में जयसमन्द बांध की ऊपर की ऊंचाई निश्चित करके काश्त योग्य भूमि का अधिकतम पउयोग करने की दृष्टि से चर्चा के लिये)।

१३५ मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक १००— सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००)रु० कम कर दिया जाय (अलवर तहसील में ग्राम लोहर बाड़ी में टूटे बांध की मरम्मत के प्रति दुर्लक्ष पूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये)

१३६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८—बहु-प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००)रु० कम कर दिया जाय (बैटरमेन्ट लेवी वसूली के अनौचित्य पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) :

१३७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४— सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सांगोद–रामगंज मण्डी क्षेत्र के

(श्री जुझारसिंह)

दांता, डोबड़ा, मन्डीता, बांस्याहेडी व दूसरे तालाबों को सिचाई योग्य बनाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४१

१३८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौलाचन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चम्बल क्षेत्र में बढ़ रहे Water logging को रोकने के समुचित प्रयास नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

१३६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर जाय (चम्बल क्षेत्र के "लेण्ड शेपिंग" व फील्ड ड्रेनेज प्रोग्राम की ढ़िलाई और उसके कारण कृषकों को होने वाली क्षति पर चर्चा के लिए)।

१४०. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौलाचन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सांगोद तहसील के चम्बल कमाण्ड की लिफ्ट योजना में लिये गए गांवों की कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

१४१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत १००) रु० कम कर दिया जाय (भू–संरक्षण हेतु बनाये गये कोटा स्टेट टाइम के बन्धों की मरम्मत के अभाव में होने वाली क्षतियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

१४२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (काली सिंध पिकअप वेयर से सिंचित ग्राम किशनपुरा, नागरा खेड़ी व गाड़ा थाड़ा ग्रामों में पुलियाएं नहीं बनाने से होने वाली दिक्कतों पर चर्चा के लिए)।

१४३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सांगोद तहसील की सरकारी लिफ्ट योजनाओं के सिंचित क्षेत्र को बिजली दिलाकर होने वाले प्रति एकड़ खर्चे में बचत करने हेतु चर्चा के लिए)।

१४४. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग द्वारा कमी में लिये गये जिलेदारों की छंटनी में पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २६

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना):

१४५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लघु सिंचन कार्य के लिये कम धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

१४६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक

(श्री मोहन लाल मोदी)

१००—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रायपुर व रेला बांधों पर नहरों के अभाव एवं Extention पर चर्चा के लिये)।

१४७. मांग संख्या ४१ मुख्य शीर्षक १००—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन, तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिंचाई हेतु कुओं के लिये बोरिंग मशीन की उपलब्धि पर चर्चा के लिये)।

१४८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील नीमकाथाना में शिमली (बिहार) बंध की मंजूरी होने पर भी कार्य चालू नहीं किया गया के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर-सु०):

१४९. मांग संख्या २६ मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला नागौर को राजस्थान नहर की लिफ्ट द्वारा सिंचित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द):

१५०. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १) रु० कम कर दिया जाय (खारी बांध के कमान्ड ऐरिया का पुनः निर्धारण कराने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

१५१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १) रु० कर दिया जाय (राजस्थान नहर का घोषित योजना अनुसार निर्माण न होने सम्बन्धी सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)।

श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर):

१५२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भीमसागर बांध निर्माण में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिए)।

१५३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (काली सिन्ध पिकअप वेयर से काश्तकारों को समय पर उचित मात्रा में पानी नहीं मिलने पर चर्चा के लिए)।

श्री रामनारायण (मंडावा):

१५४. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि

(श्री परसराम गंगाराम)

के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झुंझुंनू जिले की काटली नदी बंध योजना को कार्य रूप में परिणत करने के विषय में चर्चा के लिए)।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

१५५. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हालोलाव बांध, निवाई, के पानी के स्रोतों में कमी पर चर्चा के लिए)।

१५६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (माशी बांध (तहसील निवाई) से लिफ्ट इरिगेशन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) :

१५७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गगराना बांध के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) :

१५८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (छीपा बड़ोद तहसील में पुराने स्टेट के समय में बने तालाबों की मरम्मत में चर्चा के लिए)।

श्री कल्याणमल (जहाजपुर-सु.) :

१५९. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (नये बांध बंधवाने और चालू कार्य पर पर्याप्त धन व्यय करने पर चर्चा के लिए)।

१६०. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम नाथूण में मामादेव का नलाका बांध बन्धवाने बाबत चर्चा के लिये)।

१६१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम बिजेठा में हीन्दला का दह का बांध तथा बालापुरा बांध बन्धवाने बाबत चर्चा के लिए)।

१६२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौलाचन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जहाजपुर में लिफ्ट इरिगेशन बन्धाल नदी से करवाने बाबत चर्चा के लिए)।

१६३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लोहारी ढामा मोमालिया तथा टीगेडा बबरूण बांधों को बन्धवाने बावत चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल वेरवा (पाटन- सु.) :

१६४. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला बूंदी के कुछ तालावों के कार्य में धन के अपव्यय पर चर्चा के लिए)।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) :

१६५. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटवन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल की सुरक्षा परियोजना वनाने के सम्वन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री शंकरलाल (कपासन) :

१६६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९– सिंचन, नौचालन, तटवन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण के आधीन किये जाने वाले कार्यों के सम्वन्ध में ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

१६७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटवन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले की सिंचाई योजनाओं की अवहेलना पर चर्चा के लिए)।

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) :

१६८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटवन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मादली वांध से पानी वितरण व्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

श्री श्रीनिवास (निम्बाहेड़ा) :

१६९. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गंभीरी परियोजना के क्रियान्वयन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) :

१७०. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गुड़गांवा नहर कार्य को अधूरा छोड़ देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) :

१७१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९– सिंचन, नौचालन, तटवन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर का निर्माण कार्य योजनाबद्ध नहीं करके उसकी गति अत्यन्त धीमी चल रही है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट- सु.) :

१७२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटवन्धन तथा

(श्री विट्ठलभाई)

जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति पीपलखूंट क्षेत्र में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

१७३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला बांसवाड़ा में माही नदी बांध के लिये धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) :

१७४. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिला क्षेत्र व गुजरात के बीच अणास नदी पर संयुक्त बान्धों के निर्माण पर चर्चा के लिए)।

१७५. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में काफी मात्रा में जीवता नालों पर बड़े एनीकट्स के निर्माण की उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

१७६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १०० सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा के उप जिला कुशलगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र के किसानों के खेतों में सरकार द्वारा पानी पहुंचाने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

श्री रतनलाल रोत (चौरासी) :

१७७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में सिंचन क्षमता बढ़ाने हेतु विविध नदी योजनाएं स्वीकार की जायं, इस पर चर्चा के लिए)।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) :

१७८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम जिंगलाल एवं नीमराना में नालों पर कलवर्ट्स बनाने पर चर्चा के लिए)।

१७९. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शावी नदी पर बांध बांधने पर चर्चा के लिए)।

श्री जवाहरमल (सहाड़ा) :

१८०. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक

(श्री जवाहरमल)

१००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लड़की बांध की नहर रामा, मीथा का खेड़ा गालिया बड़ी तक बढ़ाने हेतु चर्चा के लिए)।

१८१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजसमंद से चन्द्रभागा बांध में फीडर लाकर सहाड़ा तालाब में लाने से गंगापुर में पानी का अभाव दूर हो इस पर चर्चा के लिए)।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

१८२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अलवर जिले के हरसोरा बांध को छः साल बाद भी न बंधाने पर चर्चा के लिए)।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

१८३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नागौर जिले के गांवों में राजस्थान नहर से लिफ्ट सिस्टम से पानी लाकर सिंचाई करने की घोषणा करके कोई कार्यवाही नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य।

श्री हंसराज आर्य (मादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ४१– नौचालन, तटबन्धन पर मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में नहरों की एक लम्बे समय से अव्यवस्था चली आ रही है। मैं सर्व प्रथम माखरा के सम्बन्ध में निवेदन कर दूं। माखरा का कार्य सन् १९५२–५३ में आरम्भ हुआ। जैसे ही सर्वे हो कर नहर का कार्य चालू हुआ, कोलोनाईजेशन विभाग ने सिंचाई विभाग के आधार पर उनकी योजना को सही मान कर किसानों को भूमि अलोटमेंट सम्बन्धी नियम बनाये। उन नियमों के तहत किसानों के पास जो लाखों बीघा भूमि, ५० बीघा से अधिक मात्रा में थी, कोलोनाइजेशन विभाग ने यह कह कर वह भूमि किसानों से वापिस ले ली कि तुम्हें जो ५० बीघा भूमि दी जा रही है, इसमें पानी लगेगा और पानी लगने से यह ५० बीघा भूमि ही सैंकड़ों बीघा भूमि की कमी पूर्ति करेगी। किसानों ने इस बात को स्वीकार किया, ५० बीघा भूमि में ही संतोष किया और अधिक भूमि किसानों से काट ली, वापिस ले ली। और वह भूमि या तो भूमिहीनों को दे दी या नीलाम कर दी गई लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ही समय पश्चात् यह घोषणा हुई कि माखरा एरिया की–३७,००० एकड़ भूमि को जो पहले कमाण्ड एरिया घोषित किया था, उसको फिर वापिस अनकमाण्ड एरिया घोषित किया गया है। यह घोषणा जब हुई तो उन किसानों की क्या हालत हुई

(श्री हंसराज आर्य)

जिनके कब्जे में से डेढ़ डेढ़सौ बीघा जमीन थी और उसको काट कर, वापिस ले कर उनके पास केवल ५० बीघा ही रखी थी और वह भी ७–८ साल के वाद में अनकमाण्ड घोषित कर दी उपाध्यक्ष महोदय, इससे बढ़ कर कोई अन्याय हो नहीं सकता मेरा खयाल है कि भारतवर्ष में यह पहली नहर होगी जिसमें १५–१६ माइल तक खोदी हुई नहर को आठ, दस साल के बाद कैंसिल किया गया हो वह नहर आज भी खुदी हुई पड़ी है और खाली पड़ी हुई है और किसानों की भूमि अनकमाण्ड घोषित कर दी गई है।

इसके बाद में राजस्व मन्त्री जी ने किसानों को कई बार यह आश्वासन दिया कि जो भूमि किसानों की काट ली गई थी, वह हम उन्हें वापिस लौटायेंगे। बारबार राजस्व मंत्रीजी ने, कोलोनाइजेशन मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि हम किसानों की काटी हुई यातो भूमि वापिस देंगे, या पानी देंगे, लेकिन आज तक न तो उन किसानों को वह कटी हुई जमीन ही वापिस दी गई है और न सिंचाई विभाग की ओर से उनकी जमीनों को पानी देने की ही व्यवस्था की गई है सिंचाई विभाग ने कह दिया कि इससे अधिक पानी नहीं दे सकते। बार बार आश्वासन मिलने पर भी उन किसानों को वह जमीन नहीं मिली है। जब भाखरा एरिया की भूमि नीलाम हो रही थी तो हमने निवेदन किया कि जो हजार एकड़ भूमि किसानों से काट ली गई, उसका क्या होगा ? राजस्व मन्त्री जी ने आश्वासन दिया कि ३७ हजार एकड़ भूमि को रिजर्व रख कर बाकी भूमि को नीलाम कर रहे हैं पर वह सारी की सारी भूमि नीलाम कर दी। हमने प्रश्न उठाया, किसानों ने आन्दोलन किया और सवाल उठाया कि हमारी भूमि का क्या हुआ तो अन्त में सरकार से आश्वासन मिला कि राजस्थान केनाल में तुम्हें भूमि दी जायगी। हमने निवेदन किया कि हमारे मकान भाखरा क्षेत्र में हैं, वहां हमारे मकान नहीं हैं, जिन तहसीलों में हमारे मकान हैं, उन तहसीलों में हमें भूमि नहीं मिलेगी, इसमें क्या रहस्य है ? तो सरकार की ओर से उत्तर मिला कि सरकार आर्थिक संकट से घिरी हुई है, सरकार को पैसा चाहिए और जल्दी से जल्दी पैसा नीलामी से आ सकता है। ऐसी हालत में हमें भाखरा की भूमि नीलाम करनी पड़ रही है और किसानों को भूमि राजस्थान कैनाल में दी जायगी। यह आश्वासन लम्बे समय तक चलता रहा और ३७ हजार एकड़ भूमि में न तो एक इंच में पानी मिला और न किसानों को भूमि वापस मिली।

भाखरा भारत की मानी हुई नहरों में से एक है। ऐसी नहर में इतनी बड़ी अव्यवस्था रहे तो खेद है। न मालूम दोष किस का है। भाखरा में सर्वे कराकर रकबा एक्वायर किया गया लेकिन बाद में किस कारण से भूमि को अन्कमांडेड घोषित किया गया यह बात आज भी छिपी हुई है। पता नहीं इंजिनीयरों की अयोग्यता थी, अनभिज्ञता थी पता नहीं सरकार ने पंजाब के साथ कोई ऐसा ही एग्रीमेंट किया था लेकिन किसानों की जो ३७ हजार एकड़ भूमि काट ली गई वह उनको आज तक नही मिला। भाखरा में ३०–३५ गांव ऐसे हैं जो भाखरा के

(श्री हंसराज आर्य)

अन्दर शामिल कर दिए गए। हमने निवेदन किया कि गांव तो भाखरा जोन में है लेकिन इनको पानी नहीं मिल रहा है या तो भूमि में पानी दें या तो गांवों को जौन से बाहर निकाल कर काश्तकारी कानून की धारा १५ के अनुसार खातेदारी हक दें। उसके बाद सरकार से एक रिपोर्ट मांगी उसमें भाखरा के सुपरिटेंडिंग इंजिनीयर श्री बावा साहब की रिपोर्ट है कि इन गाँवों को पानी भाखरा का नहीं लग सकता और पानी की मात्रा बढ़ा दी जायगी तब भी पानी नहीं लगेगा, इन गांवों को भाखरा जोन से निकालकर काश्तकारों को खातेदारी हक दिए जायें यह रिपोर्ट है। उसके बाद डाइरेक्टर कालोनाइजेशन, श्री बने सिंह, की रिपोर्ट है कि मैं सहमत हूँ कि इन गांवों को भाखरा जोन से निकालकर खातेदारी अधिकार दिए जायं। उसके बाद बीकानेर डिवीजन के कमिश्नर श्री मैनन साहब की रिपोर्ट है कि मैं इस बात से सहमत हूँ, "मैंने जांच की है कि गावों में भाखरा का पानी नहीं लग सकता इसलिए भाखरा जोन से यह गांव निकालकर काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दे दिए जायं। यह रिपोर्ट लंबे समय से सरकार के विचाराधीन है। उपनिवेश मंत्री ने बार–बार आश्वासन दिया कि हम इन गांवों को जोन से बाहर निकालेंगे, खातेदारी हक दिए जायेंगे। लेकिन आज तक वह सारे गांव जोन में शामिल किए गए हैं, गांवों के काश्तकार पानी और खातेदारी दोनों से वंचित हैं। हर साल हजारों रुपया तवान वसूल किया जाता है और दूसरी ओर वे पानी से वंचित हैं। हमने बार–बार निवेदन किया कि एक गांव में अगर ५ हजार या १५ हजार एकड़ रकबा है उसमें अगर २०० बीघा को पानी लगाते हैं तो २०० बीघा भाखरा जोन में रखा जाय बाकी रकबा बाहर निकाला जाय ताकि खातेदारी हक मिलें लेकिन आज तक न तो पानी मिला न खातेदारी हक ही।

एक और समस्या है। भाखरा में जो गांव हैं जब से भाखरा आया है तब से लेकर आज तक भूमि को पानी लगाने की समस्या तो है ही लेकिन साथ ही जो गांव भाखरा जोन के अन्दर हैं उनमें पीने का पानी गांवों को नहीं मिलता है। बार–बार पंचायतों ने प्रस्ताव पास किये, जिला परिषद् ने प्रस्ताव पास किये लेकिन आज तक व्यवस्था वैसी की वैसी है। हमें बार–बार पीने के पानी के सवाल पर छोटे अधिकारियों से मिन्नतें करनी पड़ती हैं, गिड़गिड़ाने के बाद मवेशियों के लिये तालाबों में पानी डाला जाता है तो भाखरा में जो पानी की व्यवस्था है उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ ही जिन नहरों में रकबा अन्कमान्डेड हुआ उनके नाम हैं जसराना, अमरसिंह, ये ऐसी नहरें हैं जिनसे आज तक पूरा पानी नहीं पहुँचा। कहने के लिए दूसरी नहरें बंद करके सारा पानी एक नहर में एक बार पानी पहुंचा दिया, काश्तकारों पर आबियाना कायम होगया। यह व्यवस्था अच्छी नहीं है। इसमें तबदीली होनी चाहिए।

एक और बड़ी समस्या है। भाखरा में अमरसिंह ब्रांच में ३५६ क्यूसेक्स पानी की क्षमता है। और जसराना में १९० लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब से

(श्री हंसराज आर्य)

नहर आई है तब से लेकर अधिकांशतः आधे से कम पानी चलता है। अमरसिंह ब्रांच में ३५६ के बजाय १८० और १९० से अधिक कभी नहीं गया। और मेरे खयाल से शायद ३५६ छोड़ते तो नहरों को संभाल भी नहीं सकते। नहरों की व्यवस्था सुन्दर नहीं है, खुदाई सुन्दर नहीं है। जब नहरों में मिट्टी डलवाने की मंजूरी होती है कि नहरों की मरम्मत की जाय, मरम्मत का काम शुरू होता है लेकिन होता क्या है? अभी पिछली ७ तारीख को हनुमानगढ़ क्षेत्र में हम नहर–नहर जा रहे थे। राजस्व मंत्री भी साथ थे। खारा ब्रांच नहर की मरम्मत शुरू थी, मिट्टी पड़ रही थी। मिट्टी के खड्डे तो पहले वाले पुराने मौजुद हैं। पुराने सारे खड्डों को छीला जा रहा था। मैंने राजस्वमंत्री की मोटर को रुकवाकर उनसे निवेदन किया कि देखिए नहर में क्या हो रहा है। मंत्री रुके और देख रहे थे कि जो १००–१०० फीट के चौड़े खड्डे थे उनकी दीवार छीली जा रही थी। मुश्किल से १००–२०० मन मिट्टी निकली होगी लेकिन पेमेंट बहुत ज्यादा का होता है।

नहरों में जो पानी आता है उसकी व्यवस्था भी सुन्दर नहीं है, किसी नीचे के अधिकारी की मेहरबानी हो गई तो १८ के २५ छोड़ दिए और मेहरबानी नहीं हुई तो २० के १४ कर दिए तो किसी नहर में काश्तकारों की हालत अच्छी रहती है किसी में खराब रहती है, यह अव्यवस्था है।

राजस्थान कैनाल संसार का सबसे बड़ा कैनाल है, उसका दायरा सीमित है, सीमा क्षेत्र से गुजरेगी, गंगानगर जिले बीकानेर जिले और जैसलमेर तीन जिलों में प्रवाहित होने वाली है। इतनी बड़ी नहर का हेड्क्वार्टर बीकानेर या सूरतगढ़ न होकर जयपुर में है। यह बात हमें आज तक समझ में नहीं आई, क्या रहस्य है, अगर जयपुर बीच में पड़ता है, चारों ओर चीफ इंजिनीयर को जाना पड़ता है तो समझ में आ सकता है लेकिन जब नहर तीन जिलों से संबन्ध रखती है तो उसका चीफ इंजीनीयर सूरतगढ़ में न रहे, बीकानेर में न रहे और जयपुर में ही रहे, तो क्या रहस्य है? इससे एक नुकसान है अगर चीफ इंजिनीयर वहां रहे, समय-समय पर घूमता रहे तो अनाप–शनाप जो खर्चा होता है, दुरुपयोग होता है, उसको रोका जा सकता है, काम तेजी से हो सकता है, नीचे के अधिकारी सतर्क रहेंगे, अब ऐसा नहीं हो रह है। इस बारे में गंभीरता से सोचें और चीफ इंजीनीयर को जयपुर में न रखकर सूरतगढ़ या बीकानेर में रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले एक चर्चा चली, सर्वे हुआ कि घग्घर फ्लड का जो पानी जाता है उस पर कन्ट्रोल किया जाये। उस पर कन्ट्रोल किया गया। एक नयी नहर निकाली गई और उसमें ५ करोड़ रुपये खर्च हुए लेकिन जैसे ही पानी छोड़ा गया नहर टूट गई, किसानों के घर बह गये, किसानों के खेत बह गए और लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सिंचाई मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इसकी क्या वजह थी? नहर क्यों टूट गई? किसानों के खेत क्यों बह गए? किसानों की फसल क्यों तबाह हो गई जब कि ५ करोड़ रुपये इस

(श्री हंसराज आर्य)

योजना में खर्च हुए थे ? मैं जहां तक समझता हूं उसका मुख्य कारण एक ही है और वह यह है कि जब काम होता है उस समय चीफ इन्जीनियर आपकी आंखों से देखते नहीं, मौके पर जाते नहीं, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर आंखों से देखते हैं और मौके पर नहीं जाते, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर मौके पर नहीं जाते और छोटे अधिकारी मौके पर जायें और वहां पर ताश खेलते रहें और गप्पें लगाते रहें और यह न देखें कि मिट्टी किस तरह से मजदूर डालते हैं चाहे वहां कोई गड्ढा आ गया उसमें थोथ रह गई और किसी ने नहीं देखा कि इसमें पोल रह गई और इसको मजबूत करना चाहिए था । यह देखरेख नहीं होने के कारण मैं समझता हूँ कि सारे प्लान मिट्टी में मिल जाते हैं । मैं समझता हूं कि सिंचाई मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि सिंचाई विभाग में बहुत ही लापरवाही है और उसी का यह नतीजा है कि इतनी बड़ी नहर बात की बात में टूट गई ।

घग्घर फ्लड से नोहर नाम की एक नहर निकलेगी । उसकी चर्चा हुई और उसका सर्वे हुआ लेकिन आज तक उस नहर का पता नहीं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि नोहर नहर का प्लान तैयार हो गया था, सिंचाई विभाग ने प्लान आपको दे दिया था और बराबर इस बात की चर्चा थी कि यह नहर जल्दी ही निकलने वाली है लेकिन आज तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस नहर को निकालने से ओटू से निकलने वाला पानी हनुमानगढ़ से निकलने के बाद किसानों के खेतों को बरबाद करता है उस पानी की मात्रा में कमी आयेगी नई नहर निकलेगी और नोहर के इलाके में पानी मिलने से उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की अधिक हालत अच्छी होगी । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस नहर के निकालने में भी देरी नहीं करनी चाहिए और बहुत जल्दी ही यह नहर निकलनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय एक और निवेदन करूंगा कि भाखरा नहर में जितने भी चक हैं जो नये काटे गये हैं मुझको जो प्रश्न का उत्तर मिला है मैं नहीं समझता कि कौनसा उत्तर सही है । एक प्रश्न के उत्तर में मुझे बताया गया कि १३०९ चक काटे गये हैं और दूसरे में ४३७ चक काटे गये हैं न जाने कितने हैं पता नहीं लेकिन जितने भी चक काटे गये हैं उनमें एक भी चक पूर्ण रूप से आबाद नहीं हुए हैं उसका मुख्य कारण यह है कि पीने का पानी नहीं मिल रहा है और साथ ही पीने के पानी के लिये कोई व्यवस्था नहीं है ताकि किसान पानी को इकट्ठा कर सके । उपाध्यक्ष महोदय, भाखरा की नहर बारहमासी नहीं चलती है हमें पहले कहा गया कि बारहमासी इसलिये नहीं चल सकती कि पानी की कमी है, बरसात कम होती है और बर्फ नही पिघलती है इसलिए डैम से पानी कम आता है इसलिए नहर बारहमासी नहीं चलती है । इस बार पंजाब में बहुत अधिक बरसात हुई है और भाखरा का डैम सारा भर गया भर ही नहीं गया बल्कि पानी को सतलज में छोड़ना पड़ा जो कि पाकिस्तान में गया ।

(श्री हंसराज आर्य)

फिर भी एक भी नहर आज ऐसी नहीं है कि जो कि बराबर चलती है। इससे फसल को नुकसान होता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सिंचाई मंत्री जी उत्तर देगें तब हमे आश्वसन देगें कि नहर के बारहमासी आज तक न होने का क्या कारण है ? क्या हम आशा रखें कि यह नहर कभी बारहमासी हो सकेगी और वह किस समय हो सकेगी यह माननीय मंत्री महोदय बतायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं और निवेदन करूंगा कि भाखरा में कुछ नहरें ऐसी हैं कि जो गांवों के पास से निकली हैं लेकिन उनके ऊपर पुल आज तक नहीं बने हैं। या तो पुल गांवों से दो मील पूर्व में रह गये या फिर १॥ मील पश्चिम में रह गये। गावों के पास पुल नहीं होने से गांवों से निकलने वाली औरतों को जो कि अपने खेतों पर रोटी लेकर जाती हैं उन को १॥ मील इधर से या २ मील उधर से जाना पड़ता है और उनका अधिक टाइम सफर में ही निकल जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि जो नहरें गांवों के पास से निकली हैं वहां विशेष रूप से चाहे छोटे ही पुल बनें उनकी व्यवस्था होना जरूरी है। नहीं तो किसानों का बहुत सा समय बर्बाद हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय एक और निवेदन करूंगा कि नोहर तहसील के कुछ ऐसे गांव हैं जो कि भाखरा नहर से वंचित रह गये। संसार की सबसे बड़ी केनाल राजस्थान केनाल आई उससे भी यह गांव वंचित रह गये। मैं निवेदन करूंगा कि उन गावों को और नहीं तो राजस्थान केनाल से लिफ्ट सिस्टम पर लाया जाये या फिर घग्घर फ्लड में लाया जाये। ये गांव हैं ढटेला, टूंटला, भगवान ढानी देईदास लालखो आदि। ये ऐसे गांव हैं जो किसी भी नहर में नहीं आते। इन गांवों की जमीन बहुत अन्न उपजाऊ है और आज भी वहां पर बिना पानी के १५ मन बीघा के हिसाब से अन्न पैदा होता है उन्हें पानी मिल जायेगा तो वहां की दुगनी पैदावार हो सकती है, उसका प्रबंध किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही निवेदन करूंगा कि राजस्थान केनाल का कार्य बहुत धीमे चल रहा है। राजस्थान केनाल के आने से उस क्षेत्र के किसानों को बहुत राहत मिलेगी। यह ऐसे क्षेत्र में से गुजर रही है जहां २०-२० मील तक पीने के लिये पानी नहीं है। नहर के निकलने से न केवल वहां पीने का पानी आया बल्कि वहां के खेत लहलहाने लगे। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान केनाल में से जो लिफ्ट सिस्टम चलने वाला है उसमें भी देरी नहीं की जाये जो लूनकरणसर और बीकानेर के इलाके को सैलाब करेगा और इस क्षेत्र में यह इसलिये जरूरी निकाली जाये कि वह सारा का सारा क्षेत्र अकाल घोषित है। किसानों को रोजी और रोटी मिलेगी, पीने का पानी मिल सकता है और खेतों की पैदावार बढ सकती है। तो सबसे पहले लिफ्ट का काम अविलम्ब शुरु कराया जाये ताकि वहां से लोगों को राहत मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

Page No.94

श्री उपाध्यक्ष : श्री फतेहसिंह.

श्री फतेहसिंह (व्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचन संबंधी मांग पर मेरा भी एक कटौती प्रस्ताव है। व्यावर क्षेत्र में कुछ सिंचाई के कार्य अधूरे पड़े हुए हैं इसलिये इस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, व्यावर राजनीति का केन्द्र रहा है। व्यावर नगर में बड़े बड़े नेताओं ने राजनीति की शिक्षा पाई है जिन में श्री जयनारायण व्यास भी एक थे। बड़े बड़े क्रांतिकारी भी व्यावर में रहे जैसे चन्द्रशेखर आजाद और श्री बी० के० दत्त इत्यादि। व्यावर नगर में ३ सूती मिलें हैं और इसकी जनसंख्या ६५००० है। इस व्यावर नगर को खास तौर से गर्मी के दिनों में पेय जल की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार मेरवाड़ा क्षेत्र में किसानों के पास अनुपातसे २—३ बीघा जमीन तक ही मिलती होगी। लेकिन पानी की कमी की वजह से वह उस दो तीन बीघा जमीन का भी विकास नहीं कर सकता। इसलिए व्यावर नगर के नागरिकों और मगरे के किसानों की यह सदा से मांग रही है कि फीडरों द्वारा शेरों का बाला, सुरह-घाटा, सारोठ का नाला और किशनापुरा के नाले के पानी को मोड़ कर फूलसागर तालाब में लाया जाये ताकि इससे व्यावर नगर की पेय जल की समस्या भी हल होगी और किसानों को जो आबपाशी के लिए पानी चाहिये उसकी कमी को भी काफी हद तक दूर किया जा सकेगा श्री मान्, शेरों के बाले का काम अजमेर राज्य शासन के दिनों में सन् ५५ में प्रारम्भ हुआ था और अजमेर राज्य द्वारा उस काम पर करीब ४० हजार रुपया खर्च किया गया। फिर नवम्बर ५६ से अजमेर राजस्थान मेंविलय हुआ। ८ वर्ष तक इन योजनाओं की तरफ राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। सन् १९६४ में एक उप-चुनाव होने वाला था

(२-म-प)

(श्री केदारनाथ, सभापति पदासीन)

उस वक्त जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा इन सब योजनाओं का काम प्रारम्भ किया गया। शेरों का बाला का काम सन् १९६४ में प्रारम्भ किया था। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि इस शेरों के बाले में अबतक कुल १॥ लाख रुपया खर्च हो चुका है। इसमें ३५ हजार वे भी शामिल है जो ६६ ६७ और ६७—६८ के दुर्भिक्ष के मद से खर्च किये गये हैं। यह शेरों का बाला कठिन परिस्थितियों को पार कर चुका है। इस काम को पूरा करना अत्यन्त आवश्यक है और इस काम को पूरा कराने के लिये अनुमान से करीब २ लाख रुपये की और आवश्यकता होगी। जो फीडर और खोदे जाने वाले हैं नेशनल हाई वे पर उसमें १६ मील के पास ३-४ और १३ मील के पास २-३ फर्लांग खुदाई होगी ताकि शेरों का बाला का पानी फूल सागर तक पहुंच सके। मुझे मालूम हुआ है एक सिंचाई के अधिकारी की मारफत कि शेरों का बाला से करीब एक करोड़ ६ लाख घनफीट पानी प्राप्त होगा। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि इस ओर अधिक ध्यान देकर इस स्कीम को क्रियान्वित किया जाय

(श्री फतेहसिंह)

उसी प्रकार सारोठ फीडर भी–६४ में आरम्भ किया था। इस पर अबतक ३० हजार रुपये खर्च हो चुके हैं। गये साल २० हजार खर्च हुये थे, दुर्भिक्ष मद मे खर्च भी इसमें शामिल है। सिंचाई विभाग के इन्जीनियर का कहना है कि इस काम को पूरा करने के लिये ५० हजार रुपये की और आवश्यकता होगी और उनका कहना है कि इस फीडर से ८० लाख क्यू० फीट पानी प्राप्त होगा। और शेरों का बाला फीडर से मिलकर जालिया तक पहुंचेगा। सारोठ फीडर जो ६४ में हुआ था यह भी राज नैतिक दृष्टि से हुआ। मैं पहले ही संकेत कर चुका हूं कि ६४ में उप चुनाव होने वाले थे। माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पधारे थे और इस काम को मद्दे नजर रखते हुये काम प्रारम्भ किया था। इसमें अब तक ३७ हजार खर्च हो चुका है–सरकारी आंकड़ों के अनुसार। उसमें वे २३ हजार भी शामिल है जो गई साल दुर्भिक्ष मद से खर्च किये गये हैं। इस काम को पूरा कराने के लिये सिंचाई विभाग के अधिकारी का कहना है कि एक लाख की और आवश्यकता है। ८० लाख क्यू० फीट पानी प्राप्त हो सकेगा ताकि यह पानी वहां से जवाजा तालाव द्वारा फूल सागर तक पहुँच जाय। इसी प्रकार श्रीमन् किशनपुरा फीडर का काम ६४ में शुरु किया गया। इसमें अबतक ४१ हजार खर्च हो चुका है। इसमें अब २५ हजार की और आवश्यकता है' ऐसा मुझे सिंचाई विभाग के अधिकारी से मालूम हुआ है और उनका कहना है कि इस फीडर से ७० लाख क्यू० फीट पानी मिलेगा ताकि यह पानी किशनपुरा तालाब होता हुआ जालिया में पहुंच सके। यह काम अधूरा पड़ा हुआ है। फीडर सम्बन्धी सरकार की क्या नीति है उसके सम्बन्ध में १–२ शब्द कहना चाहूंगा। यह राज्य में सिंचाई की प्रगति ६७–६८ सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है उसके पेज १३ में यह लिखा है कि ६६–६७ के वित्तीय वर्ष में लगभग १४० लाख रुपया अकाल राहत कार्यों के लिये और सिंचाई कार्यों पर व्यय हुआ है। तथा जो कार्य अधूरे रह गये हैं, उनको पूरा कराने की चालू वर्ष में व्यवस्था है। मैं यहां पर प्रसंग से यह निवेदन करूंगा कि अगर गवर्नमेंट की नीति इन कामों को पूरा कराने की है तो फिर इन कामों को अधूरा क्यों रखा गया है। इसी प्रकार वित्तमंत्री जी ने अपने बजट भाषण के पैरा ४१ में बताया कि छोटी सिंचाई की ऐसी स्कीमों पर जिनको सिंचाई विभाग कार्यन्वित करता है. उनके लिये प्रावधान बढ़ाया गया है ताकि चालू स्कीमों को पूरा किया जा सके। और जो इन छोटी योजनाओं में रुपया लगाया गया है उसका लाभ उठाया जा सके। इसी प्रकार इस राज्य में सिंचाई की प्रगति ६७–६८ की सिंचाई विभाग राजस्थान द्वारा जो उपलब्धि कराई गई है। उसके पृष्ठ १४ में लिखा है कि गत वर्षों के अनुभव से ज्ञात होता है बहुत से नये और पुराने तालाब जो पूरे नहीं भरते हैं इसके द्वारा फीडर द्वारा पड़ौसी नालों से जल लाने की व्यवस्था की जायगी। इस सम्बन्ध में मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब गवर्नमेंट की यह नीति है कि फीडर द्वारा पानी लाया जाय और अधूरे कामों को पूरा करवाया जाय तो

श्री फतेहसिंह

मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि अबतक ये काम क्यों अधूरे पड़े हुये हैं और इन कामों पर क्यों नहीं सरकार ने धनराशि देने का प्रावधान किया है। श्रीमन् इस साल कुल सिंचाई योजनाओं पर ६८–६९ में ५५६-५० लाख रुपया का प्रावधान रखा गया है जबकि ६७–६८ में ६५५–८६ लाख का प्रावधान रखा गया था यानि एक करोड़ की कमी इस साल की गई है। मैं यह समझता हूं कि इस कमी का प्रभाव राजनैतिक दृष्टिकोण से उन क्षेत्रों पर पड़ेगा जहां से विरोधी पक्ष के सदस्य चुनकर आये हैं। लघु सिंचाई की प्रगति ६७–६८ की जो उपलब्ध कराई गई है। उसमें कुछ लघु सिंचाई योजनाओं की प्रगति ६८ में चालू है, उसका कुछ विवरण दिया गया है इसमें से कुछ अंश पढ़ना चाहता हूँ, यह बताने के लिये कि जो काम चालू रखे हैं वह केवल राजनैतिक आधार पर रखे गये हैं। उदयपुर जिले को लीजिये, मनोहरसर उदयपुर जिले की योजना में ५८३ लाख की अनुमानित लागत है उसमें इस साल वहां पर ५० हजार का प्रावधान किया गया है। इसी तरह जवाहरसागर बांध के लिये एक लाख का प्रावधान किया गया है। शेरों का वाला के लिये एक लाख तीस हजार का प्रावधान था और अबतक कुल ५५ हजार खर्च किया गया बताया है इस प्रगति की रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन इस साल एक पैसा भी इसमें उपलब्ध नहीं कराया गया है लोरड़ी जो अजमेर जिले में है इस लोरड़ी योजना पर २३ लाख १३ हजार की अनुमानित लागत बताई है और उसमें दो लाख इस साल खर्च करने का प्रावधान किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के सदस्य लोरड़ी से जीतकर आये हैं यह इसलिये राजनैतिक आधार पर हो रहा है। इसी प्रकार उदयपुर जिले में सामरी योजना है जिसमें ४ लाख ५० हजार खर्च होने का अनुमान है और ७ लाख ४० हजार रुपया का इस साल में प्रावधान किया जा रहा है।

इसी तरह से मदार का नाका उदयपुर जिले में है। उसकी ६.२१ लाख की अनुमानित लागत है, उसके लिए भी एक लाख का प्रावधान किया गया है।

इसी तरह से चित्तौड़ जिले में गोपालसागर फीडर है। इसमें १४.६७ लाख की अनुमानित लागत बताई गई है। इस साल १.५० लाख रुपया खर्चा होगा।

इसी तरह से पाली में भी एक मीठडी बान्ध है दो लाख रुपये का उसमें खर्चा करने का प्रावधान रखा गया है।

इसी तरह से भीलवाड़ा जिले में जवासिया योजना में ५ लाख ४१ हजार का प्रावधान है, इस साल १.५० हजार खर्चा किया जावेगा।

सुयसा योजना में एक लाख खर्चा किया जावेगा। इसी प्रकार से दायकी कूकड़ा में भी एक लाख का प्रावधान किया गया है।

हाथी वाटा योजना में भी एक लाख का प्रावधान किया गया है।

कहने का मतलब यह है कि राजनैतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही इन योजनाओं को चालू रखा गया है।

Page No.97

(श्री फतेहसिंह)

मेरे एक प्रश्न के उत्तर में २० जनवरी ६८ को सिंचाई मन्त्री ने बताया कि ये योजनाएं लाभदायक नहीं हैं।

अब कौनसी योजना लाभदायक होती है और कौनसी नहीं। मैं सिंचाई मन्त्री से यह जानना चाहूंगा। लेकिन इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "क" में जो बात लिखी है उसका जिक्र करके कि अगर ये योजनाएं जिनका जिक्र आया है वे लाभदायक हैं तो ये सारी योजनाएं जिनका जिक्र मेरे कटौती प्रस्ताव में है वे भी लाभदायक हो सकती हैं।

जिला पाली में गोरिंदा नामक योजना है। ८.८८ लाख रुपये खर्च कर चुके हैं। उसके एक हजार एकड़ की सिंचाई होती है। इसी तरह दांतरी योजना डूंगरपुर में है १.३६ लाख रुपये की लागत लगी है और ४०० एकड़ भूमि सिंचित होती है।

इसी प्रकार देवरिया योजना भीलवाड़ा में है, ५.३ लाख रुपया लगा और ४०० एकड़ भूमि सिंचित होती है। उदयपुर की कालामाटा योजना है जिसमें २.४१ लाख रुपया लगा और केवल ३०० एकड़ भूमि सिंचित होती है।

पाईवालपुरा बूंदी में एक योजना है, जिसमें दस लाख खर्चा हुआ और ८०० एकड़ भूमि सिंचित होती है और बूंदी जिले में बूंदी की गोठड़ा योजना है वह पूर्ण हो चुकी है। २३.२० लाख खर्च हुआ है उससे केवल ११०० एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। तो मैं यह कह रहा था कि इतने लाख रुपये खर्च करने के बाद उस योजना को आखिर में लाभदायक माना जाता है तो मैं निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, सिंचाई मन्त्री और सरकार से कि मगरे की योजनायें भी लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। और इस सन्बन्ध में, श्रीमन्, आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर सरकार यह समझती है कि ये योजनाएं लाभदायक नहीं हैं उनसे कोई लाभ नहीं होगा तो मैं यह कहुँगा कि उनका यह सोचना ठीक नहीं है।

मेरा सुझाव है कि सिंचाई मन्त्रीजी के नेतृत्व में एक शिष्ट मण्डल इस ओर के और सभी दलों के सदस्यों का इन स्थानों का दौरा करें। केवल एक दिन इसमें लगेगा और सब ओन दी स्पाट जाकर देखें और फिर उन को पता लगेगा कि किसानों ने और वहां की जनता ने कितना काम किया है और मेहनत की है और वे योजनाएं सफल हो सकेंगी या नहीं। उनसे लाभ होगा या नहीं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि उधर अगर जाते हैं तो ऐसे एक इन्जीनियर को भी साथ ले जावें जिसने उस इलाके को देखा है, और मैं समझता हूँ इन्जीनियर साहब हरिसिंहजी ने देखा है और उन स्थानों का दौरा भी किया है। उनको साथ ले लिया जावे तो उत्तम होगा।

इसी सम्बन्ध में यह भी निवेदन करता हूँ कि ब्यावर नगर की ६५ हजार की आबादी है और मगरे की १॥ लाख के करीब आबादी है। यह करीब २ ढाई लाख की जनसंख्या है। जब कि अजमेर की तीन

(श्री फतेहसिंह)

लाख की जनसंख्या के लिये राज महल से और ६० मील की दूरी से पानी लाया जा रहा है पेय जल की समस्या हल करने के लिए जिसमें तीन चार करोड़ खर्चा किया जा रहा है तो इन्सानियत के नाते मै इस सरकार से उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप दो सवा दो लाख जनता के लिए पांच चार लाख भी खर्च नहीं कर सकते ? आप मानवीय दृष्टिकोण से देखिये । बड़ी गम्भीरता से सोचने की जरूरत है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है ।

श्री फतेहसिंह : This is first time I am speakiug in the budget debate.

मै आपके माध्यम से, सभापति महोदय, सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी राज नैतिक आधार पर उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । यह क्षेत्र बड़ा महत्व का है । यह क्षेत्र हमेशा सामरिक महत्व का भी रहा है । इस क्षेत्र से हजारों जवान इस वक्त भी सेना में सेवा कर रहे हैं अथवा पुलिस में भी सेवा कर रहे हैं । अगर इन योजनाओं को काम में नहीं लिया जावेगा तो असन्तोष बढ़ेगा और असन्तोष बढ़ाना सरकार के खिलाफ यह किसी भी प्रशासन के लिये अच्छा नही है । इसलिए अगर आप समझते हैं कि जनता की यह सरकार है, जनता के लिए है, जनता द्वारा संचालित सरकार है, तो इस जनता की मांग पर विचार करना आपका कर्तव्य है ।

अगर यह मांग पूरी नहीं करते हैं तो फिर जनता के लिए क्या मार्ग खुला रहता है ? पहला मार्ग तो यह होगा कि आज ११ साल हो गया जब से अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ इस अजमेर जिले के साथ में उपेक्षा बरती गई है और खास तौर से इस ब्यावर के साथ । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर यही उपेक्षा और भी जारी रही तो हमको मजबूरन केन्द्र से निवेदन करना पड़ेगा कि इस अजमेर जिले को वे पुनः अपने हाथ में ले लें ताकि यहां की जनता का कुछ भला हो सके, हित हो सके ।

जब ५६ में राजस्थान का विलय हो रहा था हमने सोचा था कि एक बड़े विशाल राज्य में मिल रहे हैं, और बड़े भाई के साथ हमें सहूलियतें मिलेंगीं । हमारी कठिनाइयां दूर होंगी पर वे दूर नहीं हो पा रही हैं । और दूसरा मार्ग जो हमारे लिये खुला रहेगा......

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।
(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री फतेहसिंह : मैं धमकी के तौर पर यह नहीं कह रहा हूं, पर जनता की भावनाओं का प्रदर्शन करना मेरा कर्तव्य है । मेरे दल का टाइम है उसमें से काट लिया जाय, पर अपने विचार मुझे इस बार पूरी तरह प्रकट करने दिये जायं ।

श्री सभापति : कृपया मेरी बात तो सुनिये । यूनियन या राजस्थान से ससीड होने का सवाल नहीं है ।

श्री फतेहसिंह : मैं सिसीड की बात थोड़े ही कह रहा हूं कि पाकिस्तान या चीन में मिलाया जावे ।

हम तो भारत के अंग हैं भारत के साथ रहेंगे चाहे पंजाब के साथ रहें या गुजरात के साथ रहें । मैं आखरी व्यक्ति होऊंगा जो ससैशन की बात करेगा । ससैशन का सवाल नहीं उठता ।

दूसरा रास्ता जनता के सामने खुला हुआ होगा वह यह होगा कि हजारों की तादाद में जनता गैंती फावड़े और सम्बलें और टोकरियां लेकर निकले और अपनी शक्ति के आधार पर पानी को मोड़ करके जिन तालाबों में ले जाना चाहे ले जावे । पर जनता और सरकार के बीच क्या सम्बन्ध होते हैं उस पर विचार करना पड़ेगा । मगरे में नकसल बाड़ी जैसी घटनायें होंगी, पर मैं नहीं चाहता कि इस तरह की बात हो और अगर ऐसा होता है तो दुर्भाग्य पूर्ण बात होगी और प्रजातन्त्र के लिये खराब बात भी होगी । इसलिये मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि जिन स्कीमों का इनका काम अधूरा है वह पूरा किया जावे ।

साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि आपने सब ने कर्नल डिक्सन का नाम सुना होगा । वह पहला अंग्रेज था जिसने बहुत से तालाब स्कूलें और सड़कें उस मेरवाड़ा क्षेत्र में बनवाईं । इसका नतीजा क्या हुआ ? आज उसका नाम ब्यावर मगरे की जनता देवता की तरह लेती है । हम यह चाहते हैं कि सुखाड़ियाजी भी वहां काम करें जैसे कर्नल डिक्सन ने किया । सुखाड़ियाजी ने राजस्थान के इतिहास में नाम पाया है, लेकिन अगर मगरा के इस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को हल कर सकेंगे तो मगरा की जनता उनको धन्यवाद देगी ।

मैं अपना स्थान ग्रहण करने से पहले यह सूचना सरकार को देना चाहता हूं कि मुझे कल एक संसद् सदस्य से जानकारी मिली है कि अमेरिका से एक होरिजेन्टल ड्रिलिंग इक्विपमेम्ट भारत सरकार को डोनेशन के तौर पर दिया गया है जिससे कुओं में बोरिंग करके गहरा किया जा सकता है और यदि पानी इधर उधर जा रहा है तो उसको होरिजेंटल बोरिंग से प्राप्त भी किया जा सकता है । यह मशीन बिहार सरकार के पास आज कल आइडल पड़ी है । इसके लिये आप केन्द्र के कृषिमन्त्री से सम्पर्क करके उसको राजस्थान के लिये उपलब्ध करने की कोशिश करें ताकि यहां कुओं में होरिजेन्टल ड्रिलिंग करके पानी अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जा सके ।

इन्हीं शब्दों के साथ अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इन पर सहानुभूति से विचार करें और इन समस्याओं को हल करने की कोशिश करें ।

श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारी सरकार रोज-रोज नारे लगाया करती है अधिक अन्न उपजाओ, सघन खेती करो, अन्न की बचत करने के लिए चूहों

Page No.100

(श्री बृजवल्लभ बोहारा)

को मारो, परिवार नियोजन करो, आदि कई प्रकार के नारे लगाया करती है केवल इस तरह के नारे मात्र से देश के अन्न की उपज नहीं बढ़ सकती। अन्न की उपज बढ़ाने के लिए कई साधनों की आवश्यकता होती है जैसे सिचाई के साधन हैं, अधिक अन्न उपजाने के लिये अच्छा बीज और खाद देना चाहिये सिंचाई के साधन उपलब्ध करने चाहिये।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सिचाई कई प्रकार से की जाती है कुओं में बिजली का इन्जन लगाकर, नदियें जहां पर हैं वहां से नाली निकाल कर २००, ४०० बीघा के प्लॉट बनाकर उनको पानी दिया जा सकता है। तालाब हों तो उनको ठीक कराकर उनसे मोरियां निकलवाकर सिंचाई की जा सकती है। इसके अलावा जहां पर नहरें हैं वहां पर इन्जन से लिफ्ट करके पानी दिया जावे तो अधिक पैदावार हो सकती है।

बिजली के लिये मैं निवेदन करूं कि जहां पर बिजली की लाइन गई हुई है वहां पर भी लोगों की दरख्वास्ते हैं फिर भी उनको बिजली नहीं दे रहे हैं। सूरपुरा गांव है जहां से ट्रक भर सब्जी दिल्ली की सब्जी-मन्डी में जाकर नीलाम होती है। वहां पर भी बिजली नहीं दी गई जब कि उससे सिर्फ ६ फर्लांग की दूरी पर ही बिजली है। एक तरफ सरकार कहती है कि अन्न ज्यादा पैदा करो लेकिन जब उनको साधन देने का सवाल आता है तब ढकोसला करती है। कोई कुए पर इन्जन लगाना चाहे तो पंचायत समिति को लिखा जावे कि वह इसके लिये उचित साधन उपलब्ध करे।

जहां पर तालाब है उनकी मरम्मत कराई जावे राणपुरा का एक तालाब है जो कोटा जिले का बहुत ही मशहूर तालाब है जिसके नीचे बहुत जमीन पीवत होती है। इसके लिये हर साल मामूली सा पैसा देकर भी इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मेरा निवेदन है कि इसके लिये अधिक से अधिक धनराशि देकर इसको सिंचाई के लिये उपयोगी बनाया जावे। इस तरह से बींधा का तालाब है उसकी मरम्मत कराई जाकर उससे पानी दिया जावे।

इसके अलावा कैथून के पास आलणिया नदी बहती है उस पर इन्जन लगाकर ३००) ४०० बीघा में पानी दिया जाता था, लेकिन इस साल इन्जन पड़ा हुआ है, लेकिन लोगों को पानी नहीं दिया गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा इन्जन पड़ा हुआ है, चौकीदार रहता है, बार-बार पानी की मांग करने पर भी पानी नहीं दिया गया। पर साल दिया गया उसी तरह देते रहे तो पैदावार अच्छी हो सकती है। आप कहते हैं मोटर लगाने के लिये बजट में पैसा नहीं, अधिक उन्नत बीज दे नहीं सकते तो फिर किस आधार पर आप चाहते हैं कि अनाज की पैदावार अधिक हो ?

आप एक तरफ अमेरिका से भीख मांग रहे हैं लेकिन आपको सिंचाई के लिये पानी देने के लिये बजट नहीं यह बड़े दुख की बात है। जिस तरह से आलणिया नहर से कई गांव सिंचित होते हैं वहां एस० डी०

(श्री बृजवल्लभ बोहरा)

ओ० का हैडक्वार्टर आपने बून्दी जिले में लगा दिया अब इससे क्या है कि किसान दस मील बून्दी जाकर दरखास्त देता है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा इस ऑफिस को वापिस कोटा में कायम किया जाय ताकि किसानों की कठिनाई का हल हो सके।

चम्बल नहर से कई गांवों में सिंचाई होती है। राजपुरा के तालाब से होती हुई आगे तक नहरें है। गतवर्ष और तीन साल पहले टैंक्स के टूट जाने के कारण रायवी गांव में नुकसान हुआ। सिंचाई विभाग को दरख्वास्त दी, लेकिन अभी तक जिनके नुकसान हुआ उनको मुआवजा नही दिया गया। इस बारे में विधान सभा में प्रश्न भी पूछा था, लेकिन उसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं आया।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं जिस तरह से दीगोद तहसील में रामप्रताप ने जिलाधिकारी रहते हुए नहर की जमीन अपने साले भंवरलाल को बेच दी है। इस जमीन से बगतरी जाने के लिये जो घोरे थे उनको मिटा दिया गया उस पर खुद ने काश्त कर ली है। एक पावर वाला अफसर इस तरह का काम करे जिससे सैकड़ों किसान महरूम हो जायं यह बड़ी लज्जा की बात है। इस तरह से जहां-जहां भी नहर आयी है लिफ्ट ईरिगेशन नाले बना दिये जावें तो लोगों के पानी की दिक्कत दूर हो सकती है।

इसके अतिरिक्त नहरों के जाने से जो सीपेज हो रहा है उसके कारण भी किसान बहुत परेशान है। उनकी खेती बिगड़ रही है। वे आशा करके चलते थे कि ४ मन अनाज की जगह १२ मन अनाज पैदा कर सकगे किन्तु एक मन अनाज भी पैदा नहीं होता सीपेज होने से जमीन ऊसर हो गई है। किसान के हित में अगर यह नहीं सोचा गया तो किसान दाने दाने के लिये मोहताज हो जायगा। फिर यदि नौकरी करने की सोचेगा तो नौकरी है कहां? कालेज से निकले हुए लड़के रोजाना हड़ताल करते हैं नौकरी के लिए जूते खाते तो फिर बेचारे किसान के लिये कहां नौकरी है? ऐसी स्थिति में निवेदन करूंगा कि जहां सीपेज की समस्या बढ़ गई है उसको दूर करके पानी के साधन उपलब्ध कराये जायं।

चम्बल की नहर काफी गांवों में होकर गई है। वहां गन्ने की खेती की गई है। नहर के अधिकारी कहते है जिन्होंने गन्ना लगाया है उनको पानी नहीं देंगे। गन्ने वाले कहते हैं कि अगर एक महिने में पांच बार भी चलाओ तो हमें पानी दो। नहीं तो हमारा गन्ना सब बिगड़ जायगा। इस तरह से जब गन्ने की फसल नहीं होगी तो गुड़ और चीनी की समस्या पैदा हो जायेगी। अतः नहर महीने में पांच दिन भी चले उनको पानी मिलना चाहिये।

इसके अलावा आप वहां के किसान पर बेटरमेन्ट लेवी लगा रहे हैं आज किसान इस काबिल नहीं है। आज किसान की हालत वही है केवल खाने के लिये वह अनाज पैदा कर लेता है आज भी तन पर उसके पूरा कपड़ा नहीं तो फिर किस तरह से वह

Page No.102

(श्री वृजवल्लभ वोहरा)

वेटरमेन्ट लेवी दे सकता है ? जो पहले सौ रुपये का कर्जदार था आज वह एक हजार रुपये का कर्जदार हो गया। अतः आप उन पर वेटरमेन्ट लेवी न लगायें।

धनिया और चने के ऊपर आपने सिंचाई की रेट बढ़ाई। यह गलत किया है। किसान को फ्री में पानी दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। किसान यदि किसी देश का मालदार है तो वहां के देश के लिये यह अहोभाग्य समझना चाहिये। आपको किसान को अधिक से अधिक सुविधा देकर मालदार करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं आपसे और निवेदन करूं कि जब किसान अपना माल लेकर सीपेज के कारण खराब हुए रास्तों के कारण इन नहरों की सड़कों पर आता है तो उस सड़क पर होकर उसके माल को नहीं निकलने देते हैं नहर अधिकारी। किसान की माल से लदी गाड़ी होती है तो उसको इधर-उधर उलटी कर देते हैं। उनसे इजाजत मांगते हैं तो नहीं देते हैं। वे कहते हैं कि सड़क हम लोगों के लिए है, और उनकी गाड़ियां चलने से सड़क टूट जायगी। सरकारी अधिकारी और जनता में इतना भेद भाव नहीं करना चाहिए कि उनकी मोटरें और साइकलें तो उस पर चल सकती हैं और किसानों की गाड़ियां नहीं चल सकती हैं। यह बड़े अन्याय की बात है।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री-मंडल में जो इतने सारे मंत्री और उपमन्त्री भर रखे हैं तो जो उपमंत्री काबिल नहीं हैं और काम नहीं कर सकते हैं उनको हटाकर उस पैसे को बचाकर किसी दूसरे बजट में लगाया जायगा और ज्यादा से ज्याद उन्नति की जायगी।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद बोहरा !

श्री रामप्रसाद वोहरा (झालरापाटन) : सभापति महोदय, मेरा कटौती-प्रस्ताव भीमसागर बान्ध के सिलसिले में है। यह बन्धा लगभग २० साल से अधूरा पड़ा हुआ है। इसकी योजना ५२-५३ में ही बनना शुरु हुई थी। इसमें थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है और करीब १३ लाख रुपया खर्च हो चुका है, और कुछ नहरें बन चुकी हैं। लगभग ७० पर्सेन्ट नहरें बन चुकी है। थोड़ा सा काम बान्ध का भी हुआ है। एक रेस्ट हाउस और ओवरसियर का क्वार्टर वहां पर बना हुआ है। यह दुर्भाग्य की बात है कि यह पूरा नहीं हुआ। सरकार की अकर्मण्यता ही इसको समझाता हूं। यह बान्ध जिससे १५ हजार एकड़ की सिंचाई हर साल हो सकती है, और लगभग प्रति एकड़ ४९० रुपया खर्च आता है जब कि दूसरे बान्ध जो अभी हाथ में लिये जा रहे हैं और जिनको योजना में लेना चाहते हैं उन पर १२०० रुपया प्रति एकड़ खर्चा आता है। आज अगर २० साल पहले यह बान्ध तैयार हो जाता तो वहां की जनता को बहुत राहत मिलती...

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मैं इसी प्रश्न पर, सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से एक जानकारी चाहता हूं मंत्री महोदय से कि यह जो हमें "राज्य में सिंचाई की प्रगति" नाम से यह जो पोथी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

दी है इसमें परिशिष्ट 'क' में इस योजना को क्रमांक २९ पर आपने बताया कि यह योजना पूरी हो चुकी है। मैं यह जानकारी चाहूंगा, जैसा कि माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उससे यह ऐसा लगता है कि योजना पूरी नहीं हुई है। आपने जो प्रगतिपत्र दिया है उसके अनुसार हम को सूचना यह मिलती है कि यह कार्य पूरा हो चुका है तो सच क्या है? वह कम्प्लीट हो गया है या इन्कम्प्लीट है?

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर देना चाहेंगे?

(कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

माननीय बोहरा जी आप अपना भाषण शुरू करें।

श्री रामप्रसाद बोहरा : मैं निवेदन कर रहा था कि इस योजना को इतने साल इस रूप में रखने के कारण मंहगाई के बढ़ जाने से इसका दुबारा सर्वे हुआ और ७३ लाख की योजना बनाई गई है। आज अगर यह योजना सफल हो सकती है तो खाद्य-समस्या हल हो सकती है, और उस क्षेत्र के लिए यह एक अच्छी योजना है।

सबसे बड़ा सवाल तो उस क्षेत्र के लोगों का यह है कि १५—२० गांव प्रसनावर कस्बे के साथ लगे हुए हैं उनके लोगों की परेशानी की बात है। जब सरकार से यह पूछा जाता है कि वहां पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोला जाय जिसके लिए वहां के लोगों ने रुपया जमा करा रखा है, और अन्य योजनाएं विकास की, भवन-निर्माण की, तो उत्तर मिलता है कि यह गांव डूब में आता है। दूसरी बात यह पूछी जाती है कि बान्ध कब बनेगा तो कहा जाता है कि हमारे पास में पैसा नहीं है। तो यह वहां के लोगों के लिए बड़ी परेशानी की चीज बन गई है। सरकार वहां के लोगों को उठाने के लिये और दूसरी जगह बसाने के लिए तैयार नहीं है। उनके वहां के निर्माण कार्य रोक रखे हैं। २० साल से हाई स्कूल नहीं, कन्या पाठ-शाला का भवन नहीं, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर भवन नहीं जिसके लिए रुपये जमा करा चुके हैं, जिसके लिए १२ साल से कोई योजना नहीं। यह सरकार के द्वारा लोगों को तबाह करने की सूरत है। इस क्षेत्र को सरकार के द्वारा इतना कुचला गया है कि ४८ से नीचे दबा हुआ है। उसका केवल राजनैतिक आधार है। मैं समझता हूं कि सरकार की योजनाओं को अगर वाजिब तरीके से हाथ में लिया जाय तो पहले यह बान्ध सारे राजस्थान की स्कीमों में तैयार करना चाहिए। इसके बाद के कई बान्ध बन गये हैं और कई योजनाओं पर करोड़ों रुपये लगा दिये गये हैं। इस प्रकार से मैंने अखबारों में देखा है कि उदयपुर को खूबसूरत बनाने के लिए ८० लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि उसको खूबसूरत बना दें और उस शहर की तरक्की की जाय, परन्तु एक क्षेत्र की तरफ इस निगाह से नहीं देखा जाय। लोगों के पास वहां पर खाने को नहीं है। वहां पर स्कूल बिल्डिंग नहीं बन सकती है और चिकित्सा का साधन नहीं है। उसके लिए मैंने गत साल भी सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन किया था तो उन्होंने उत्तर में यह फरमाया था कि यह पाबन्दी

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

जल्दी ही हटाना चाहते हैं। वहां पर निर्माण कार्य जो सरकार का होने का था और जो जनती करना चाहती थी वह वहां पर आज तक नहीं हो सका है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चहाता हूं कि २५ मील नहर बनी है और उनको २० साल हो गये बने हुए। जमीन बेकार हो गई। अच्छी कीमत की जमीन थी और उपजाऊ जमीन थी उस जमीन का सर्वनाश कर दिया गया सरकार के द्वारा और उसका मुआवजा भी पूरी तरह से नहीं मिल पाया है।

मैं यह भी सूचना आपको देना चाहता हूं कि इसके अलावा यह जो बान्ध इस हालत में अगर पड़ा रहता है तो जनता यह समझती है कि सरकार बनाना नहीं चाहती है, और लोगों ने अपने वहां पर मकान बनाना शुरू कर दिये हैं, और इन दो सालों में चार लाख की बिल्डिगें प्राइवेट बनी हैं। सरकार के गजट में यह नोटिस नहीं निकला है, और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

झालरापाटन में जो मेरा क्षेत्र है वहां पर दो तालाब हैं इरिगेशन के लिये- एक तो मदन सरोवर है और एक मुंडलिया खेड़ी का तालाब है जिनसे करीब १२०० बीघा सिंचाई होती है। इस साल वे खाली पड़े थे तो मैंने मरम्मत घोर नहरों आदि के ठीक करने के लिये निवेदन किया था सिंचाई विभाग के इन्जीनियर साहब से, मगर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। नहरों की जो सफाई हुई है और उनमें जितना खर्चा हुआ है और मजदूर लगाये हैं तो उनको पूरा पैसा नहीं दिया गया है। लोगों का ७००-८०० रुपया बाकी है। उनकी तरफ से निवेदन किया जा रहा करीब ६ महीनों से लेकिन वह पैसा भी नहीं दिया जा रहा है।

इसी प्रकार से झालरापाटन और सांगोद तहसील में लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा सिंचाई की १४ योजनाऐं तो सांगोद में और ५-६ झालरापाटन में चल रही हैं। डिजल इन्जिन से पानी लिफ्ट कर सिंचाई की जाती है तो लगभग ८४ रुपया प्रति एकड़ आता है और लगभग २० रुपया सिंचाई का वसूल होता है। अगर इन पर इलेक्ट्रिसिटी के साधन हो जायं, वहां बिजली आ चुकी है, तो यह अच्छा रहेगा। इससे लोगों को लाभ भी होगा और कम खर्च में लोगों को सिंचाई के साधन प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत रामपुर पं० स० पिड़ावा में १० हजार रुपये इन्जिन और मोटर लगाने के लिए जमा हैं, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वे लोग चाहते हैं कि काम जल्दी हो जाय। वह योजना मंजूर भी हो चुकी है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री गोकुल प्रसाद !

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : सभापति महोदय,........

श्री सभापति : समय कुल १५ मिनट है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, राजस्थान नहर के बारे में इस

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

सदन में कई दफा चर्चा हो चुकी है। राजस्थान नहर में जहां तक काम का सवाल है करोड़ों रुपये की मशीनरी यों ही पड़ी हुई है। उसका वर्कशाप यों ही पड़ा हुआ है। स्टाफ बैठा हुआ है। काम होता नहीं और अभी तक ज्यादा खर्चा होता जा रहा है। सिंचाई के नाम से खर्चा है और सिंचाई का कोई काम नहीं। न तालाब, न बान्ध, न नहर और न पानी और यह खर्चा होता जा रहा है, तो यह पूरा अपव्यय है। इसको रोका जाना चाहिए। राजस्थान नहर बनाने के लिए भारत सरकार ने सहायता देना बन्द किया और उसके कारण हमारी राजस्थान नहर के बनने के काम में कमी आई उसके लिए सरकार को काफी प्रयत्नशील रहना चाहिए था ताकि काम बन्द नहीं होता।

आपने राजस्थान केनाल के कमाण्ड एरिया में किसानों को पूरी जमीन नहीं दी और पूरे समय के लिए नहीं दी। इधर तो केनाल नहीं बांधी जाय और उधर समय पर काम नहीं हो तो किसान समझता है कि हमारा मालिक कोई नहीं। यह राजस्थान केनाल जहां बना रहे हैं वहां ५१ मील तक यह बनी है और १५७ मील ले जाने की बात है लेकिन यह उस ओर ले जाई जायगी जहां धोरे ही धोरे हैं और जहां पर आदमी बहुत कम बसते हैं उधर ले जायेंगे। मैं समझता हूं इसको बीकानेर की ओर ले जावें तो ज्यादा अच्छा होगा जहां पर काफी आदमी बसते हैं और जमीन भी समतल है। आपने लिफ्ट इरिगेशन का काम शुरू नहीं किया। लिफ्ट इरिगेशन करके इसको उस तरफ ले जाई जावे जहां आदमी ज्यादा बसते हैं या आबादी का इलाका है, जहां जमीन समतल है और आसानी से पानी दिया जा सकता है। लेकिन आप वहां नहीं ले जाकर टीबों में ले जायेंगे। यदि आपको देश का भला करना है और प्रान्त का भला करना है तो इस नहर को बीकानेर की तरफ लाना पड़ेगा। इस नहर को बीकानेर की तरफ लाने में ज्यादा खर्चा नहीं है। सर्वे हो चुका है। मेरा निवेदन यह है कि आप इसको बीकानेर की तरफ लाइये जहां हर साल अकाल पड़ता है और आप को अकाल राहत कार्यों में करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। वहां ले जायेंगे तो हर साल खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और अकाल भी कम हो जायेंगें।

लघु सिंचाई में आपने काफी तरक्की की है लेकिन ध्यान देकर नहीं की जहां रिटर्न नहीं मिलता है वहां भी बड़े बड़े बांध बनाये हैं। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं कि सरकार का पक्ष नहीं करूं। जिन गांवों में पीने के लिए पानी नहीं था वहां पर आपने तालाब बना दिये। वहां पर लोगों की माली हालत ठीक हुई है। लेकिन जिन गांवों में तालाब पहले से बने हुये हैं उन्हें आपके अधिकारी ने बिना सोचे समझे बर्बाद कर दिया। बड़े बांध बांध दिये हैं। उस पर तालाब है तो मरम्मत नहीं कराते क्योंकि मेजा के केचमेंट एरिया में आता है तो क्या ऊपर जो लोग बसते हैं वे क्या भूखों मरेंगे? आप उनकी जमीन के एरिया को बाद कीजिये और उसके बाद बांध बनाइये। यदि कहीं तालाब बन गया तो उसका कमाण्ड एरिया नहीं है और कहीं तालाब बन गया तो केचमेंट एरिया नहीं होने के कारण उसमें पानी नहीं भरता। तो

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

इस प्रकार की लापरवाही से खर्च नहीं

(२. ४२. म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

करिये, लोग टैक्स देते हैं, लगान देते हैं, आप अंधाधुन्ध खर्च करते हैं तो यह अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ इस पर ध्यान देना चाहिए।

इस सिंचाई में जितना खर्च है उसको मिला लिया जाय तो उससे ज्यादा पैसा आप ब्याज में देते हैं। ३ करोड़ ६४ लाख रुपये ब्याज के दिये जायेंगे और ६ करोड़ ४६ लाख रुपये निर्माण कार्य में और स्टाफ सारे में खर्च किये जायेंगे। तो आप निर्माण कार्य में कितना खर्च करोगे और स्टाफ पर कितना खर्चा करेंगे इनको अलग किया जाय तो निर्माण में ४ करोड़ रुपये खर्च करेंगे लेकिन ६ करोड़ ६४ लाख रुपये ब्याज के देंगे। मैं कहता हूं कि आप क्यों देते हैं इतना ब्याज ? यह पैसा आता क्यो नहीं है ? बैटरमेन्ट लेवी और जमीन की कीमत क्यों नहीं वसूल कर सकते ? आप कभी तो कहते हैं कि हम जमीन को बेचना चाहते हैं नीलाम करके और कभी कहते हैं कि बेचना चाहते है एलॉटमेन्ट से । न तो आप उस जमीन को देना चाहते हैं और न बेचते हैं आप लोगों को जमीन नहीं दें और ६.७करोड़ रुपये ब्याज के देते जायें तो आप कहां जा कर रुकेंगें ? आपने तय नहीं किया कि कहां बेटरमेन्ट लेवी लेंगे और कहां कीमत लेंगे आप अगर बीकानेर तक लिफ्ट ईरिगेशन से नहर ले जावें तो पहले तय कर दीजिये कि हम इतनी कीमत लेंगे इतनी बेटरमेंट लेवी लेंगे। वहां पर लोग कीमत देने को तैयार हैं लेकिन आप वहां पर काम नहीं करेंगे। आप चंबल की तरफ काम करेंगे जहां लोग आप को गालियां देते हैं। उन लोगों के लिये आप करोड़ों रुपये खर्च कर देंगे। लेकिन जहां पर लोग पानी के लिये प्यासे हैं वहां पर आप राजस्थान नहर ले आने में संकोच करते हैं। संकोच इस लिये करते हैं कि वहां के लोग बोलते नहीं हैं। मैं समझता हूं सबसे ज्यादा हमारे इलाके के लोग आपको लगान देते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं इसलिये नहर उस तरफ नहीं ले जाओगे किन्तु चंबल की तरफ के लोग आप को कुछ नहीं देते, वे लोग सिर्फ आपकी बुराई करते हैं फिर भी आप उनको सहूलियतें देते हो आप बीकानेर के लोगों की इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो यह ठीक नहीं रहेगा, आपको करना पड़ेगा। बीकानेर लिफ्ट ईरिगेशन से पानी लाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं उपनिवेशन की बात करना चाहता हूं। कॉलोनाइजेशन पर आप १४ करोड़ ७६ लाख रुपये खर्च करेंगे। ठीक है आप कोलोनाइजेशन के अंतर्गत बस्तियें बसाइये, मैं मना नहीं करता। लेकिन आप हनुमानगढ़ मंडी की बात लीजिये कितने हजार लोगों को आपने बेदखल कर दिया ? दु:ख जब होता है जब कि हजारों वर्षों से गावों में किसान बसते आये हैं, लेकिन नहर आई तो आपने कह दिया कि यहां पर विकास करेंगे, मंडी बनायेंगे आप यहां से गायब हो जाइये फिर आपने उनको रेगिस्तानी इलाके में भेज दिया इन्होंने अपना काम शुरू किया तो इस

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

रेगिस्तानी इलाके में क्या किया कि अलग-अलग स्कीम बनाई । यहां पर मंडियां बनायेंगे, यहां पर यह होगा यहाँ पर वह होगा । फिर एक लिस्ट बनाई और सारी जमीन कॉलोनाइजेशन के अधिकारियों ने और प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपने कुटुम्ब-वालों के नाम खरीद ली या अपने नाम से लिख दी । आप किसानों को बेदखल तो करते हैं और खुद ले लेते हैं इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी ? वहां पर रहने वाले लोग समझते थे कि नहर आयेगी तब वे लोग खुशहाल होंगे, आप उन्ही लोगों को बेदखल कर देते हैं और जमीन खुद लेलेते हैं इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी ?

मैं अब बीकानेर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । हमें एक किताब सिंचाई के बारे में मिली है उसमें कूए खुदवाने और सिंचाई के बांध बनाने के बारे में लिखा हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में ट्यूबवेंल खुदे हैं । एक एक ट्यूबवैल में काफी पानी है । वैसे जालोर में तो बहुत ज्यादा पानी है लेकिन ३०-४० हजार गैलन प्रति घंटा के हिसाब से निकल सके इतना पानी एक एक कुए में है । लेकिन आप कुए खोदेंगे उस इलाके में जहाँ पर पानी की अधिक आवश्यकता नही हैं और जिस इलाके में अधिक आवश्यकता है वहां कुए नहीं खोदेंगे । जिस इलाके के लोग वर्षा पर आधारित रहते हैं और यह नहीं समझते कि नहरी पानी से या कुओं के पानी से भी फसल हो सकती है वहाँ पर आपको कुए पहले खुदवाने चाहिए जहां पर लोग यह कहते हैं कि नहर लाकर हमारी जमीन खराब करदी और मुआवजा देने को लोग तैयार नहीं हैं वहां न खोदकर हमारे यहां खोदिये । हम कहते हैं कि हमारी जमीन आप भले ही खराब करदो पर नहर निकालो मुआवजा ले लो, बैटरमेन्ट लेवी दे देंगे, जमीन की कीमत दे देंगे । इसके बाद भी आपको वहां पर पानी लाने में क्या दिक्कत है ? आप अगर ट्यूबवैल खुदवादें तो एक एक वेल से २०० ३०० एकड़ भूमि में खेती हो सकती है । यदि आप बीकानेर जिले में २५००. ट्यूबवेल खुदवादें १५–२० करोड़ रुपये खर्च करके तो हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारे यहां अकाल पड़ गया । हमें ऐसा लगता है कि यदि आपने वहां के लिये कुछ नहीं किया और ५, ६ वर्ष ऐसे ही चले गये तो कहीं लोगों की मनोवृत्ति न बदल जाय । लोग यह कहना बंद करदें कि हमारे यहां अकाल पड़ गया है क्योंकि हमारे रेगिस्तानी इलाके के लोग बिलकुल आदी नहीं है इस बात के कि वे दूसरों की तरह गलत बात बता कर यह कह कर कि यहां अकाल हो गया वहां अकाल हो गया और ज्यादा से ज्यादा पैसा खींचने की गलत तरीके से कोशिश करते हैं वैसी बात हमारी तरफ के लोग नहीं कर सकते । उनको अकाल पड़ गया कहने में शर्म आती है । आप हमको ५ साल तक कोई सहायता मत करिये और उस रकम से आप हमारे यहां ट्यूबवेल खुदवा दीजिये । पानी आ जायगा तो वहां के लोग अपने आप सिंचाई कर लेंगे । हमारी मनोवृत्ति को कमजोर मत बनाइये अकाल सहायता देकर । मैं और कुछ नहीं कह कर यही निवेदन करूंगा

Page No.108

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

कि आप फिजूल खर्च बंद करके ज्यादा से ज्यादा पैसा ट्यूबवेल खुदवाने में लगादें। आप यह मत जाने कि रेगिस्तानी इलाके में कम लोग रहते हैं। और उनके वोट की आपके यहां कोई कीमत नहीं है। वहां के लिए यह समझ कर चलें कि क्या खास बात है, पांच सात आदमी उधर से आते हैं, कौन आता है, कौन नहीं आता है, और जो आते हैं वह इधर बैठ जायं, उधर बैठ जायं–तो इस तरह आप हमारे अधिकारों की अवहेलना मत करो। हम राजस्थान के हिस्से के लोग हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जो यह कहें कि हमारा यह काम नहीं किया तो हम भारत सरकार से कहेंगे कि हमें अलग करदो। यह कहने वाले हम लोग नहीं हैं। हमारे यहां काम नहीं होगा तो हम जनता से राजस्थान की मालिक से कहेंगे कि उनको अलग करदो जो लोग काम नहीं करते हैं। हम किसी से कहने नहीं जायगे कि हमें अलग करदो। हमें बड़ी शर्म आती है जब कोई कहता है कि हम भारत सरकार से कहेंगे कि हमें अलग कर दो·· ···

श्री फतेह सिंह : आप उनसे कहिये कि न्याय करें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैंने निवेदन किया कि हममें दम होना चाहिए। कम से कम हम ऐसे नहीं है कि कोई काम नहीं करें तो हम कहें कि अलग हो जायेंगे, गुड़ नहीं दिया तो साधु हो जायेंगे। यह क्या बात है ? हम घर छोड़ कर कहां जायेंगे ? राजस्थान के ही मूल निवासी हैं। इसलिए आप यह आश्वासन दीजिये, यह मेरे कहने का अर्थ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार की तरफ से जवाब हो तो विशेष तौर से लिफ्ट इरिगेशन से बीकानेर में कब तक पानी आ जायगा–यह मैं जवाब चाहता हूं। एक उत्तर यह चाहता हूं कि कितने ट्यूबवैल्स लगाने की योजना बनाई जा रही है ? कोई ढाई सौ लगाने की, या ७५ लगाने की बात कहें–उसका महत्व नहीं है। यह समझने की बात है कि हजारों की तादाद में ट्यूबवैल्स लगाने की बात करो और हमारे माथे के ऊपर से महरबानी करके यह कलंक मिटवा दो कि हम अकाल सहायता लेते हैं।

दूसरा मेरा निवेदन है कि उन इलाकों में ट्यूबवैल्स से सिंचाई करने का काम करो और जितनी कॉलोनाइजेशन में गरीब लोगों को जमीन से बेदखल करके जमीन ली है—वह जिन सरकारी और बड़े बड़े अधिकारियों ने ली है उनकी लिस्ट मेरे पास है। मैं उनके नाम बता दूंगा, अगर मंत्री महोदय कहेंगे तो। उन अधिकारियों ने और बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों ने जमीन लेकर लोगों को बेदखल कराया है। उन गरीब आदमियों को आप अच्छी से अच्छी जमीन उन्हीं कीमतों पर वापिस दिलवायें। सरकार कहती है कि हम राजस्थान कैनाल में जमीन देना चाहते हैं, उसके लिए जमीन का नीलाम करवायेंगे और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जमीन बेचेंगे। समाजवादी समाज की व्यवस्था इस प्रकार से नहीं होगी। राजस्थान कैनाल में जिन महनतकश लोगों ने यह भागीरथी प्रयत्न किया है, जिस प्रकार से भागीरथ किसी समय में गंगा को लाया था उसी

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

तरह से यह महनतकश लोग राजस्थान नहर लाये हैं। इसलिए सबसे पहले उनको जमीन मिलेगी जिन्होंने महनत करके इस राजस्थान कैनाल को बनाया है। आप कहते हैं कि जो जमीन का पैसा देंगे उनको जमीन दे देंगे और मजदूरों के लिए, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए हमने जमीन रिजर्व करके रखी है। जो रिजर्व करके जहां जमीन रखी है, वह जमीन खराब है। आपने वन विभाग के लिए हजारों एकड़ भूमि हनुमानगढ़ तहसील में माखरा क्षेत्र की रख दी है, वहां पर वन बनायेंगे। वह जमीन बहुत उपजाऊ जमीन है। जब कि जो टीबे हैं वह उनको दे दिये जायं कि यहां पर खेती करो। आप इस प्रकार की जमीन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को देना चाहते हैं—यह हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप अच्छी अच्छी जमीन ग्रामीण पूंजीवादियों को देना चाहते हैं। इसलिए यह तय कर दिया जाय कि सबसे पहले जमीन महनतकश को देगें और अच्छी जमीन देंगे। पूंजीवादी शहरों में भी बसे हुए हैं और गांवों में भी कब्जा किये हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : ग्रामीण पूंजीवादी से आपका क्या मतलब है ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा–ग्रामीण पूंजीवादी को वहां जमीन देते हैं और शहरी पूंजीवादी को भी देते हैं। गांव का मजदूर और भूमिहीन किसान और शहर का मजदूर भाई भाई हैं, तो जिन्होंने राजस्थान कैनाल में महनत की है उन महनतकश लोगों के लिए आप पहले फैसला लें...

श्री मूलचन्द डागा : आपकी गिनती किसमें है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मेरी गिनती पाली जैसे लोगों में नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं आपके शब्द दोहराना नहीं चाहता लेकिन मैं जानता हूं कि पाली में कैसे लोग रहते हैं ?

मेरा निवेदन है कि उत्तर देते वक्त आप यह बता दें कि बीकानेर में लिफ्ट ईरिगेशन से राजस्थान कैनाल का पानी कब तक आ जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : श्रीलादूराम सुलानिया !

(अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल खण्डार !

श्री मनोहर सिंह मेहता : आज तो मिलेगा वक्त ?

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है, उसके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर, तहसील खंडार में स्टेट के टाइम का एक बहुत बड़ा बांध है जो गिलाई सागर के नाम से जाना जाता है। उस बांध में उस टाइम पर करीबन बीस लाख रुपया खर्च हुआ था। उस बांध में मोरी और नहरें बिल्कुल वैसी की वैसी बनी हुई हैं जैसी उस समय बनी हुई थीं। उस बांध के नीचे करीबन पांच हजार एकड़ जमीन सिंचाई की पड़ी हुई है। उस बांध को तैयार करवाने से वह पांच हजार एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है। इसलिए

Page No.110

(श्री चुन्नीलाल)

उस बांध की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आज उस बांध की यह हालत है कि उसमें पानी बिल्कुल नहीं ठहरता है। बरसात के दिनों में उसमें पानी आता है लेकिन वह वैसे ही पानी भर जाता है। पानी उसमें रुकता नहीं है। रिस रिस कर झरने की भांति निकल जाता है। इसलिए उस बाँध के बारे में आप जानकारी करें। उस बांध पर बीस लाख रुपया उस टाइम में खर्च हुआ था। उस बांध की ओर अच्छी तरह से ध्यान देकर उस बांध को ठीक करवाने की ओर विशेष ध्यान दें और उसके सम्बन्ध में कुछ न कुछ व्यवस्था करें। इससे खेती में भी अच्छी उपज हो सकती है।

इसी के साथ मेरा निवेदन है कि एक और बांध मानसागर नाम से है, यह भी खण्डार तहसील में है। उस बांध से भी हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई होती है, लेकिन उस बांध के अन्दर जो नहरें बना रखी हैं उनकी अच्छी व्यवस्था नहीं है। उसको ठीक करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। आज हालत यह है कि रास्ते तक उसके झरने से खराब हो जाते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इन बांधों के ऊपर उचित ध्यान देकर इनको नई योजना में शामिल करके ठीक कराया जाय, ताकि जो यह पुराने बांध पड़े हुए हैं यह काम में आ सकें। मैं निवेदन करूंगा कि इससे जनता का फायदा होगा और राज्य सरकार का भी फायदा होगा। इसलिए इन बांधों पर विशेष ध्यान देकर इनको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाय।

मैं इतना ही कह कर अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य ! दस मिनिट !

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, समय तो आपने बहुत कम दिया है। मेरे चालीस कट मोशन हैं, मैं उन पर एक एक मिनिट बोलूं तो भी चालीस मिनिट चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि भाखरा क्षेत्र में जो सिंचाई की व्यवस्था है वह अच्छी नहीं है। लोगों को वहां पर पूरा पानी नहीं मिलता है। मैंने खास खास मुद्दों पर यहां पर निवेदन करने के लिए यह कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। जिस प्रकार से नठराना नहर के चक नं० २२ एन. टी. आर. है, यह जो चक बना हुआ है, इसमें पहली बात तो यह है कि उस चक का मोघा गलत लगा है और उस चक के गलत मोघे लगने के विरोध में वहां के छोटे-मोटे काश्तकारों ने विरोध किया है। उस विरोध के प्रमाणस्वरूप में यह फोटो सदन में पेश करना चाहता हूं और यह सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। दूसरे उस नहर के आगे दीवार खींच कर उस मोघा के अन्दर पानी डाला गया है। इस प्रकार भ्रष्टाचार भाखरा क्षेत्र के अन्दर हो रहा है। यह आपके सिंचाई मंत्रित्व में हो रहा है। आपके पास में काश्तकारों ने शिकायतें भेजी हैं, लेकिन आप उसकी मौके पर एन्क्वायरी नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको इसका भी प्रमाण देता हूं कि नहर के अन्दर दीवार चिनी गई है, यह फोटो है नहर की इस दीवार के कारण पानी आगे नहीं जाता है। आप इसकी एन्क्वायरी करें।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

इसके साथ-साथ दूसरा मैं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह रखता हूं कि भाखरा नहर क्षेत्र की अच्छी जमीन है, उस भाखरा की जमीन की वहां हजारों बीघा जमीन सरकारी अधिकारियों ने और छोटे छोटे कर्मचारियों ने अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सदस्यों के नाम से खरीदी है। जिनकी एक किश्त के रूप में मैं एक लिस्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैंने इसके बारे में १९६३-६४ में लिखा पढ़ी की थी और राष्ट्रपति तक को लिखा था। जिनकी प्रति मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप इस मामले की गहराई तक जायेंगे और इसके सम्बन्ध में एक कमीशन बैठा कर इस मामले की एन्क्वायरी करायेंगे इसमें बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा। लाखों रुपयों का इस भाखरा क्षेत्र में घोटाला हुआ है। जिस समय भाखरा का उपनिवेशन विभाग समाप्त हुआ नौहर से तो उसका बहुत सारा रिकार्ड जलाया गया और रिकार्ड जलाते हुए कुछ आदमी पकड़े गये, लेकिन उस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं हुआ है। यह धांधलेबाजी और भ्रष्टाचार का तरीका इस भाखरा क्षेत्र के अन्दर बड़ा ही पनपा है, और आपने इस ओर कतई ध्याज नहीं दिया है। उस वक्त के रेवन्यू मिनिस्टर श्री दामोदर लाल जी व्यास के पास मैंने चिट्ठियां लिखी थीं, उनका कोई उत्तर मुझे नहीं दिया गया। मैं उनकी भी कापी सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। मैंने एक बार अखबार में भी सूचना भेजी थी, वह ५-२-६३ को भेजी थी और बीस तारीख के आस पास अखबार में निकली थी, उसमें डिटेलबार सारी बातें निकली थीं। लेकिन सरकार ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि इस मामले की गहराई में जाकर आप इसकी एन्क्वायरी करें। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार जिस तरह से उदासीन रही है उसी तरह से आप भी रहें तो कोई फायदा नहीं होने वाला है लेकिन राष्ट्र को इन लोगों ने जो बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला वक्त आपको बतायेगा, वह सजा देगा, तो आपको भी सजा मिलेगी क्योंकि आप तथ्यों को छिपा रहे हैं।

इसके अलावा महराना डिस्ट्रीब्यूट्री की जो मरम्मत हो रही है उसके बारे में आपके पास में एप्लीकेशंन्स आई हैं वह पेश करता हूं।

(३म. प.)

उसमें उसकी मरम्मत में बड़ा ही घोटाला हो रहा है। उसकी एन्क्वायरी करायें। यह भी मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। इसके अलावा पटवारियों की धांधलेबाजी के बारे में शिकायतें आयी हैं। जो रिश्वत नहीं देता है उसकी जमीन को नाजायज तरीके से दर्ज किया जाकर उससे जबरदस्ती आबियाने का पैसा वसूल किया जाता है। इसकी भी प्रति मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

सदन की मेज, मुझे ऐसा लगता है जितने घर से पेपर्स लेकर आते हैं, उनको

(श्री उपाध्यक्ष)

सदन पर रखने की बात है। सदन की मेज पर रखने के नियम हैं और उन्हीं, नियमों के अनुसार पेपर्स सदन की मेज पर रखे जाते हैं, नहीं, बहुत ज्यादा हो जायें जितने पेपर्स रखे जायं।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यय महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए रिकार्ड के अन्दर आनी चाहिए। इसकी सही एन्क्वायरी कराई जाय इसलिए यह रिकार्ड में आनी चाहिए। जिन तथ्यों को छुपाया गया है। इस भ्रष्टाचार को चोड़े किया जाय। इसका एक ही तरीका है कि इस को सदन की मेज पर रखा जाकर रिकार्ड कराया जाय।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान कैनाल के अन्दर जो धांधलेबाजी आज चल रही है, उसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल के अन्दर राजस्थान सिंचाई विभाग के कर्मचारी मनमाने ढंग से किसानों को लूट रहे हैं। और, उस ओर सरकार का ध्यान कतई नहीं है। उन्होंने मोनोपोली बना रखी है। ओवरसियर, पटवारी, एस०डी०ओ० जैसा चाहे वैसा करते हैं और शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं आपके सामने चक नम्बर एक दो चार भोमपुरा सब–माइनर के बारे में पंचायत की तरफ से लिखा गया है उसकी काफी शिकायतें आपके पास आयी हैं। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ओवरसियर की जांच करायें। उसने संकर बाजरा अपने लिये भिजवाया था शिकायत पर तीनों चकों में पानी नहीं दिया। क्योंकि इन्होंने रिश्वत नहीं दी। मैं चाहूंगा कि इसकी जानकारी अवश्य करवायेंगे। अगर यह भी नहीं करवायेंगे तो यह भी सदन की मेज पर रखता हूं। इसके अलावा मैं और भी निवेदन करना चाहता हूं कि कटौती प्रस्ताव तो मेरे बहुत हैं। इन कटौती प्रस्ताव में डिटेलवार बातें हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावों के द्वारा जो मांग की जाती है और जो शिकायत और कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जाता है। इसीलिए ये कटमोशन दिये जाते हैं।

मैं इसके साथ-साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल के अन्दर १९५५ के बाद आरजी काश्तकारों को बेदखल करने के नोटिस दिये गये हैं। सब काश्तकारों ने उस समय सारा रिकार्ड पेश किया भूमिहीन होने का और बहुत मुश्किल से उन्होंने बंजर का नोतोड़ किया, उनको हजारों की तादाद में नोटिस दिये गये हैं इन इलाकों में। १९५५ के पहले के काश्तकारों को धारा १५–ए बनाकर समाप्त किया। उनकी गर्दन काटी है। और आज जिन लोगों ने दस-दस साल से जमीन काश्त की, उनको काबिल काश्त बनाया उनको उस जमीन से बेदखल करने के नोटिस दिये हैं।

इन नोटिस की कापी मैं सदन की मेज पर रख कर निवेदन करूंगा कि आप ने जितने नोटिस दिये हैं उनको वापिस लें। उन काश्तकारों को जमीन एलॉट होनी चाहिए और जिन लोगों की जमीन धारा नम्बर १५–ए बनाकर खारिज की है उनको खातेदारी के हक वापिस दें।

इसके साथ-साथ एक बात और बता देना चाहता हूं। मेरे जिले में बुधवालिया माइनर के ऊपर ठोकर लगी हुई थी, वह विभाग की तरफ

(श्री रामचन्द्र आर्य)

से तुड़वा दी गई और चुनाव के दौरान वह ठोकर फिर चिनवा दी गई। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार सिंचाई विभाग में राजनैतिक दाव पेंच न खेलें। क्योंकि यह एक अहम मसला है। और काश्तकार के जमीन के उत्पादन का प्रश्न है। क्या आप चाहते हैं किसी के साथ पक्षपात हो, और किसी को राजी करने के लिए दूसरे के पेट पर लात मारें ? मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि बुधवा लिया माइनर की ठोकर जो दुबारा लगी है उसको तुड़वाया जाये। जिससे लोगों को लाभ मिले। (समय समाप्ति सूचक घंटी) मैं दो मिनिट में समाप्त कर दूंगा। हमारे लड्ढा साहब, जो उप-निवेशन मन्त्री हैं उन्होंने २६ तारीख को प्रश्न का उत्तर दिया था। बुधवा लिया का वायतन तोड़ कर अन्दर सारी काश्त की गई बताई, उसका मैंने उपाध्यक्षजी के सामने जमीन का नक्शा पेश किया था। वह जमीन आज भी बंजर है। लोगों के दिल डूबते जा रहे हैं। लेकिन गांव के अन्दर एक भूत-पूर्व जागीरदार के लिए अलग एरिया रिजर्व किया गया है। लेकिन उसको रायसिंह नगर से यहां भूमि का तबादला किया जाकर जमीन दी गई है। मैं यह आशा करता हूं कि इस पर विचार होना चाहिये। यह जमीन गलत तरीके से एलाट की गयी है इसको कैंसिल करें। यह मामला बड़ा गम्भीर है। हजारों लोगों के जीवन का प्रश्न है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इसकी जांच करायेंगे। यह गलत कार्य किस अधिकारी ने किया है। इसकी नकल भी मैंने उपाध्यक्ष महोदय के सामने पेश की है। इस प्रकार यह जमीन एक साल तक वहां रही, फिर यहां आयी है। जब कि यह जागीरदारों के लिए रिजर्वेशन का एरिया नहीं है। यह जमीन काश्त करवानी और तुड़वानी है तो ५० भूमिहीन काश्तकार बैठे हैं। उनको क्यों नहीं दी जाती। एक जागीरदार को राजी रखने के लिए उप-निवेशन विभाग द्वारा भ्रष्टाचार के तरीके से यह जमीन यहां दी गई है। मैं चाहूंगा कि इस जमीन को खारिज कर अपनी ईमान-दारी का सबूत दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव तो बहुत हैं, एक दो बातें और कह दूं जो जरूरी हैं, एक हमारे इलाके के अन्दर घग्घर की बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। रावतसर के अन्दर एक ढाणी डूब गई थी, उस ढाणी में ४० परि-वार घग्घर बाढ़ में तबाह हो गये थे। उनकी फसल डूब गई। आज तक उनको कोई सहायता नहीं मिली। और उनसे पानी का आबियाना वसूल किया जा रहा है। इस प्रकार की धांधलेबाजी है कि या तो रिश्वत दो नहीं तो खेत में पानी लिया है उसका आबियाना लेंगे और झूठे कागज बनायें। मैं यह चाहूंगा कि आप इसको इन्क्वायरी करायें और उन लोगों को सहा-यता दिलवायें और इसका आबियाना वसूल न किया जाये। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि सौ घर नाली की बाढ़ में वड़ोचल में डूबे। इनको एक पैसे की सहायता नहीं दी गई है। मैं चाहूंगा कि उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहायता दिल-वायें। इस प्रकार लोगों को सहायता से

(श्री रामचन्द्र आर्य)

वंचित रखेंगे तो यह प्रजातन्त्र के लिए शोभा की बात नहीं है। इस प्रकार उन लोगों के दिल तोड़े जाते हैं। उनकी फसल डूब जाती है। उनके मकान बैठ जाते हैं। इस पर भी सहायता न मिलने से बड़े निराश होते हैं। निराश होने का नतीजा क्या होता है? यह सभी जानते हैं। आगे चलकर ये आप के सामने कांटे के रूप में खड़े होंगे। प्रजातन्त्र में इस प्रकार भेदभाव की नीति नही बरतनी चाहिए। आपको सब को एक नजर से देखना चाहिए। यह चुनाव का मामला नहीं है। यह प्रशासन को चलाने का मामला है। इसी तरह राजस्थान कैनाल में भूमिहीनों को १५ बीघा भूमि देने के लिए कहा है। १५ बीघा भूमि भूमिहीन के लिए ज्यादा नहीं हो सकती। उसमें ज्यादा पैदावार नहीं होती है। १५ साल तक अगर जमीन को पानी मिलेगा और कीमत ५ परसेंट पहले जमा करा ली जावे इस प्रकार से हरिजन व शिड्यूलट्राइब्स नहीं हैं, ५% पहले से जमा करें। यह जो तजवीज रखी है इसमें संशोधन करना चाहिए।

भूमि की कीमत कम करनी चाहिये क्योंकि इतनी ऊंची कीमत बिल्कुल उचित नहीं है। नाली की जमीन की कीमत ८०० रुपया बीघा रखी है और टीबों की हमारी जमीन की कीमत ६७५ रुपया फी बीघा रखी है। आंख मींच कर इतनी ज्यादा रकम उन जमीनों पर नहीं लगायें।

यदि इस प्रकार की ज्यादती करेंगे तो वहां की जनता विद्रोह करेगी और इस कानून को लागू नहीं होने देगी। इसलिए आप इस पर विचार करें। राजस्थान कैनाल के किसानों को आप उजाड़ नहीं सकेंगे और आप उजड़ जायेंगे।

यही कह कर सारा रेकार्ड मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह !

श्री महेन्द्रसिंह हाडा (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज चम्बल की नहर कोटा जिले में वरदान न बनकर एक समस्या बनती जा रही है। चम्बल की नहर से उत्पन्न समस्याओं पर गत तीन चार वर्षों से मैं इस विभाग का और सरकार का ध्यान आकर्षित करता आ रहा हूं पर इस विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : समय १० मिनिट का है।

श्री महेन्द्रसिंह हाडा : वह समस्या दिन प्रतिदिन भीषण रूप धारण करती जा रही है। वहां जल प्रस्फुटन की समस्या को ले लीजिये, नहरों के शीपेज के कारण वहां की १ लाख बीघा जमीन जल प्रस्फुटन के कारण वाटर लॉगिंग के कारण बिल्कुल बेकार हो गई है। यह वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हुई है, आगे भी अगर इसे इसी प्रकार से जारी रहने दिया, इसकी यदि कोई रोकथाम नहीं की गई, इसके लिये कोई गारन्टी नहीं दी गई, और जिस प्रकार

(श्री महेन्द्रसिंह हाडा)

की निष्क्रियता और ढिलाई सिंचाई विभाग इस सम्बन्ध में बरतता जा रहा है, इसी प्रकार की ढिलाई यदि आगे भी चली तो जो आज १ लाख बीघा भूमि में जल प्रस्फुटन है वह अगले साल २ लाख बीघा में जल प्रस्फुटन हो जायगा। सिंचाई विभाग इसकी रोकथाम के लिये कुछ भी कार्यवाही नहीं कर रहा है, इसलिये मैं माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक बड़ी भयंकर प्रोब्लेम है, इसे रोकने के लिये जल्दी से जल्दी ठोस कदम उठाना चाहिये।

जिन काश्तकारों के खेतों में जल प्रस्फुटन हो गया है, और इस जल प्रस्फुटन के कारण वहां कतई पैदावार नहीं हो रही है उन लोगों से बराबर लगान वसूल किया जा रहा है। जिन लोगों की फसलें जल प्रस्फुटन के कारण बरबाद हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, उनको फसल की क्षति का किसी प्रकार का मुआवजा सिंचाई विभाग की ओर से नहीं दिया जा रहा है। इससे उन किसानों की हालत दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। वे बरबाद होने जा रहे हैं।

वहां केवल यह जल प्रस्फुटन की समस्या ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ-उन क्षेत्रों के आम रास्तों को ले लें, नहरों के कारण आम रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिये फसल को खेतों से खलिहानों में लाने के लिये, खलिहानों से घरों पर लाने के लिये और मंडी में ले जाने के लिये जो आम रास्ते हैं वे नहरों के पानी के कारण बन्द हो गये हैं, वाटर कोसेज के कारण सारे रास्ते अवरुद्ध पड़े हैं। इन रास्तों के बारे में कई बार इस डिपार्टमेंट को और राज्य सरकार को निवेदन किया गया पर आज तक कोई आवश्यक कदम इस विभाग द्वारा इनके सम्बन्ध में नहीं उठाया जा रहा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां-जहां वाटर कोसेज रास्तों में निकले हैं, वहां पाइप लगा कर रास्तों को यदि सुरक्षित नहीं रखा गया तो ये सब रास्ते बन्द रहेंगे और इसके कारण आज किसानों की फसल खेतों में और गांवों में सड़ रही है इससे किसानों को बड़ा भारी नुकसान होगा। बाहर के महाजन लोग सस्ती दर पर किसानों की फसलों को खींच रहे हैं। इन रास्तों के अवरुद्ध हो जाने के कारण किसानों को बड़ी क्षति हुई है।

हमारे इटावा को ही ले लीजिये, इटावा सब डिविजन में नहरें हालांकि गत वर्ष चालू हुई है पर आज वहां जाकर देखें, सारे रास्ते अवरुद्ध पड़े हैं, सारे रास्ते नहरों के पानी के कारण बन्द पड़े हैं। इन रास्तों के बन्द होने के कारण किसान इटावा की मण्डी में अपनी फसल बेचने नहीं आ सकता। अपनी फसल को खेतों से खलिहानों में नहीं ला सकता और खलिहानों से अपने घरों पर नहीं ले जा सकता। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया जा रहा है, इस सारे मामले को ओवरलुक किया जा रहा है। इस कारण किसानों को बड़ी क्षति हो रही है। जब तक इन रास्तों को विभाग द्वारा ठीक नहीं करा दिया जाता तब तक इटावा ब्रांच पर और गट्टी सब

(श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा)

ब्रांच पर किसानों को अपनी फसल लाने ले जाने की इजाजत दे दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा नहरों के पुलियाओं के निर्माण को ले लीजिये। जिन ग्राम रास्तों पर पुलियाओं को बना दिया जाना चाहिये था, वहां अभी तक पुलिये नहीं बनाये गये हैं। मेरा निवेदन है कि उन पुलियाओं को जल्दी से जल्दी बना देना चाहिये।

इसके अलावा नहरों की खुदाई के कार्य को ले लीजिये। कई नहरों का निर्माण कार्य बन्द पड़ा है, उसके कारण सिंचाई से बहुत बड़े एरिया को वंचित रहना पड़ रहा है। उत्तमपुर सबटेल ब्रांच नहीं बनाई जा रही है, इस कारण बहुत बड़ा एरिया असिंचित पड़ा हुआ है जिसे कि पानी मिल जाना चाहिये था। टीकरवाड़ा, मदनपुरा आदि के किसानों ने दरख्वास्तें दीं पर उनकी ओर यह विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और उत्तमपुर सबटेल ब्रान्च को नहीं बनाया जा रहा है। इसके कारण २ हजार बीघा जमीन अनइरिगेटेड पड़ी हुई है। इटावा की कई नहरें इन्कम्प्लीट पड़ी हुई हैं। जहां नहर का पानी लग सकता है, वहां तक नहरें नहीं पहुँचाई गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, वाटर कोर्सेज का भी यही हाल है, निम्बोला, बागरी ढीबरी पंचायतों को ले लें वहां वाटर कोर्सेज नहीं खोदने के कारण किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। डिपार्टमेंट अगर यह उम्मीद करे कि किसानों को खुद को वाटर कोर्सेज खोदने चाहिये तो यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि किसान इसमें असमर्थ हैं। एक वाटर कोर्स में १० किसानों के खेत आते हैं, किसके खेत में कहां होकर वाटर कोर्स को निकाला जाय, इस प्रकार की व्यवस्था किसान नहीं कर सकते और न पंचायतें ही कर सकती हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वाटर कोर्सेज जहां जहां नहीं खोदे हैं वहां वाटर कोर्सेज खोदने का काम विभाग को अपने हाथ में लेकर यह कार्य करना चाहिए ताकि किसान अपने खेतों में पानी ले सकें।

कई नहरें हैं जिनकी टेल्स बीच में टूट जाती हैं, ओवर फ्लो हो जाती है, उनसे किसानों की फसलों को क्षति पहुंची है, कई किसानों की फसलें इससे नष्ट हो गई हैं पर इनके सम्बन्ध में न तो डिपार्टमेंट ने कोई सुनवाई ही की है और न कोई एन्क्वायरी ही की है और न इस तरह से नष्ट हुई फसल का मुआवजा देने की ही कोई कार्यवाही की है। हम इस प्रकार की आशा करें कि सिंचाई विभाग अपनी गलतियों को कबूल कर लेगा कि हमारे विभाग की नहरें टूटी हैं और उनके टूटने की वजह से फसलें नष्ट हुई हैं, इसलिए उनको मुआवजा मिलना चाहिये, यह नामुमकिन बात है क्योंकि विभाग कभी यह कबूल करने को तैयार नहीं है। जो फसल की क्षति नहरों के पानी के कारण हुई है इसकी जांच इस विभाग को न सौंप कर दूसरे विभाग को सौंपनी चाहिये। आज यह सत्य है कि कई बीघा फसलें इन नहरों के पानी के कारण बरबाद हो गई हैं, कई बीघा फसलों को नुकसान हुआ है पर किसानों को मुआवजा नहीं

(श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा)

मिल सकता, किसी प्रकार की मदद नहीं मिल सकती क्योंकि डिपार्टमेंट स्वयं ही इन्क्वायरी करता है और खुद की गलती को खुद कुबूल नहीं करता कि हमारी गलती से फसलों को नुकसान हुआ है।

आज किसानों ने जिस प्रकार का कोअोपरेशन नहरों की खुदाई में करना चाहिये उसमें कमी नहीं रखी। गजट में प्रकाशित नहीं किया, किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं निकाला, जो उनको उनकी जमीनों का मुआवजा मिलना चाहिये था वह नहीं मिला, इसके बावजूद अपने खेतों में उन्होंने नहरें खोदने दीं। इतना किसानों ने कोअोपरेट किया पर उनके कोअोपरेशन का उल्टा नतीजा आज किसानों को भुगतना पड़ रहा है।

चाहिये तो यह था सरकार को कि जिन किसानों ने सरकार को इतना सहयोग दिया है नहर के खोदने में उनके घर पर जा कर उनको मुआवजा पहुंचाती लेकिन किसानों को नहर का मुआवजा प्राप्त करने के लिए काफी भटकना पड़ा है। कोई तारीख उनको दी जाती है तो इंजीनियर साहब वहां पर नहीं पहुंचता और कई टेल तो टाइम–वार्ड हो गए। कई किसानों की फसलें तो ऐसी हैं जो टाइम वार्ड हो गई या चीफ इंजीनियर की आफिस में पड़ी हुई हैं।

दूसरी बात यह है कि मुख्य अभियंता के जो प्रोमोशन्स के आदेश थे उनको १९५८ से इफेक्ट दिया गया हालांकि इन्होंने चार्ज सन् १९६० में ली थी और बाद में दलील दी कि यह मुख्य अभियंता किसी आवश्यक कार्य हेतु कोटा में लगा हुआ था इसलिए इनका प्रोमोशन १९५८ से माना जाय। मैं इस कार्य की न तो सराहना करता हूं न विरोध लेकिन इस प्रकार की सुविधा उन कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिये जो एसिसटेन्ट इंजीनियर्स हैं, मिस्त्रीज हैं, उनके लिए तो आपने कभी नहीं कहा कि हालाकि उसने चार्ज १९६३ में लिया, लेकिन उसको १९५८ से इफेक्ट देना चाहते हैं। तो जब इस प्रकार की कार्यवाहियां विभाग की ओर से की जा रही हैं तो इससे पता लगता है कि हमारी सरकार किस प्रकार जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे प्रभावित है, किस प्रकार नाजायज संरक्षण उनको देना चाहती है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, तीन पंच पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो गई हैं और चौथी योजना का फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है और अगले साल से उस पर अमल किया जायगा। सिंचाई की समस्या इस स्टेज पर पहुंच गई कि हमारी भारत सरकार को इस बारे में नैशनल पोलिसी तैयार करनी पड़ी। उसके कारण जिन राज्यों में इरीगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, जिन राज्यों में पोटेन्शलस हैं, उन राज्यों की इकोनोमी उनको इजाजत नहीं देती कि वह उनको हारनेस कर सकें। इसलिये जब ये सारी बातें प्लानिंग कमीशन के सामने आई तो प्रश्न पैदा हो गया कि योजना आयोग एक नेशनल पोलिसी आफ वाटर यूटीलाइजेशन बनाए। एक समय था जब इरीगेशन प्रोजेक्ट के बारे में सोचते थे कि कौनसा

(श्री केदारनाथ)

इकोनोमिक यूनिट है, कौनसी पेंड़िंग प्रोपोजीशन है। प्रायर्टी का आधार हम यह मानकर चलते थे कि इरीगेशन चार्जेज कितनी आई, रुपया कितना आएगा। कम से कम २ और १२ परसेंट के बीच में अगर किसी प्रोजेक्ट से रिटर्न्स आए तो ठीक है वरना उस प्रोजेक्ट को नहीं मानते। यह इम्पीरियल्सट नोशन था मगर केवल इस नोशन को लेकर राज्य सरकार सोचे और केन्द्र से पैसे मांगे तो यह नोशन निभ नहीं सकता। राजस्थान में ह्यूमन फैक्टर को देखना चाहिये। इरीगेशन क्योंकि खेती बाड़ी का बेस है और सारे एग्रीकल्चर को रिवोल्यूशनाइज करता है, यह लोगों की सभ्यता और इकोनोमी पर बड़ा असर डालते हैं। अगर हम सोचें प्रैक्टीकल टर्म्स में कि कितने इरीगेशन चार्जेज आए केवल पैसे की बात को देखें तो यह रूरल इकोनोमी के साथ जस्टिस नहीं है। इसलिए योजना आयोग का जो स्टडी ग्रुप है उसके सामने पंजाब ने जैसे मास्टर प्लान तैयार कराया, हरेक जिले में मास्टर प्लान तैयार कराया, सब-सोइल सर्वे काम्प्रेहेन्सिव हुआ और जिलावार जहां किस प्रोजेक्ट की कीमत है कहां ह्यूमन फैक्टर्स के इस्तेमाल की जरूरत है इरीगेशन परपजिज के लिए। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह स्टेज आ गया है कि हम तय करें मास्टर प्लान के बारे में जिला स्तर पर।

इतना ही नहीं सिंचाई के बारे में हम कहते हैं कि गत वर्ष जिन राज्यों का राजस्थान से झगड़ा था चाहे यू० पी० पंजाब या गुजरात या केन्द्र का, अभी तक इन बातों के बारे में इस तरह का सदन के सामने बयान नहीं आया कि कौनसा मसला तय हो गया और कौन सा अभी पेंडिंग है।

जो रिपोर्ट हमारे सामने पेश की गई है इस बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं यह कोई क्रिटीकल रिव्यू नहीं है। रिपोर्ट में होना चाहिए कि आज तक क्या टारगेट्स थे, कितने अचीव हुए, कौन सी कमियां रहीं और आने वाले समय में क्या कर रहे हैं। सिर्फ रिपोर्ट में आंकड़े दिए जायं तो उससे कोई फायदा नहीं। कम से कम बजट डिबेट में उससे कोई मदद नहीं मिलती। मैं हरेक रिपोर्ट के बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं। मैं मान कर चलता हूं कि एक दिन राजस्थान कैनाल और कालोनाइजेशन पर डिबेट करने के लिए मिलेगा, यह चेयर के आदेश हैं। क्योंकि राजस्थान कैनाल और उसके साथ कालोनाइजेशन और उनके साथ रूल्स आफ एलाटमेंट यह अपने आप में इतना बड़ा सबजेक्ट है कि एक दिन उसके लिये काफी नहीं हैं। इसलिए उन बातों को छोड़कर जो मेजर और माइनर प्रोजेक्ट्स हैं इरीगेशन की, उन पर अपने आपको कन्फाइन करता हूं।

जो रिसेंट सर्वे हुआ राजस्थान में उसके अनुसार ७:६ लाख मिलियन एकड़ पोटेन्शल्स हैं और ५ लाख मिलियन एकड़ राज्य सरकार सप्लाई कर सकती है और ४ मिलियन एकड़ को सरकार हारनेश कर सकी है। दो पंचवर्षीय योजनाओं में कितना एक्सटेन्शन हुआ, इस बारे में बहुत बड़ा डिस्पयूट है। हमने हमेशा यह प्रश्न पैदा किया कि इरीगिटेड एरिया कौन सी है तो जिसमें तीन पानी लगे जिस जमीन पर कम

(श्री केदारनाथ)

से कम एक फसल के लिए तीन पानी लगे उसको हम इरीगेटेड एरिया मानें, क्योंकि इस बारे में कई बार जब प्रश्न का उत्तर दिया तो मन्त्री महोदय की तरफ से कन्फ्यूजन क्रीएट हो गया। मैं समझता हूं कि आज जितना एरिया सिंचाई में उसमें उस बात को लेकर नापें कि असली एरिया इरीगेट कितनी हुई है।

जब पाकिस्तान बना तीन नहरें पाकिस्तान के हिस्से में आई और तीन भारत के— व्यास, सतलज और रावी। प्रोजेक्ट बना और कन्सट्रक्शन का काम शुरू हो गया, कितना पैसा खर्च होगा यह तय हो गया। हमारी तरफ से पैसा दिया जा रहा है, मगर कितना पानी राजस्थान के हिस्से में हो, पावर में हिस्सा हो, यह खोसला कमीशन की रिपोर्ट के बाद में भी पंजाब ने हमारे क्लेम को नहीं माना। आज हिमाचल प्रदेश इस बात के लिए तैयार है काश्मीर का हिस्सा डेफीनेट है और हरियाना भी तैयार है। इसका जिक्र करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि दो साल पहले इसी सदन में घोषणा की गई थी कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन काम है केन्द्र अपने हाथ में ले पंजाब पर छोड़ा जाय, लेकिन आज तक हमारी बात नहीं मानी गई, राज्य सरकार परस्यू नहीं कर सकी, हमें पूरा शेयर नहीं मिलता और कास्ट में शेयर देते जा रहे हैं अगर आप व्यास प्रोजेक्ट को देखें तो कित इन्जीनियर्स काम कर रहे हैं। राजस्थान का एक भी नहीं पैसा हम दें लेकिन हमारे शेयर के मुताबिक हमारे इन्जीनियर्स रखने का अधिकार नहीं। स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं अपनी बात को मनवा सकी। अपने परसेन्टेज के अनुसार एम्पलोइज रखवाने की बात मन्जूर नहीं करवा सकी इसलिये शक होता है कि जब कभी इस मामले में पंजाब सरकार से बातचीत होती है हमारा केस अच्छी तरह से प्लीड नहीं होता है। राजस्थान नहर का डाइलेटरी एप्रोच है इसलिये पंजाब से फलक्चुएशन शेअर की बात होती है राज्य सरकार को परस्यू करना चाहिये, इसके बारे में फाइनल तय करना चाहिये।

इसके अलावा मान्यवर मैं एक बात और कहना चाहूंगा हमारी सरकार ने यह मान लिया हमारे यहां लिफ्ट इरीगेशन का सिस्टम होगा जिसमें लूणकरनसर के कितने एरिया में डिंकिंग वाटर और कलटीवेशन के लिये वाटर मिलेगा बीकानेर तहसील को भी मिलेगा इसमें हमें एतराज नहीं है। नहर और फीडर की जो बातें है अगर सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल हो तो आने वाले पांच सालों में राजस्थान का नकशा बदल सकता है। राजस्थान नहर के जो वाटर कोर्सेज हैं, कोलोनाइजेशन है वहां पर हरेक खेत में किसान काश्त करने के लिये तैयार हैं लेकिन उनको पानी तो मिले इस्तेमाल के लिये। मंगला डेम के बनने के बाद पानी रिलीज होगा साढे पांच और सात हजार क्यूसिक पानी वर्षा के मौसम में और विन्टर सीजन में २।। हजार क्यूसिक पानी मिलेगा लेकिन उसका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाय यह आपके सामने समस्या है। जब इन्डसट्री बनी उसका असर गंग केनाल पर पड़ा। उस केपेसिटी को अब पूरा किया जा सकता है। मंगला

Page No.120

(श्री केदारनाथ)

डेम से इस वर्ष जो पानी मिलेगा उसको आप गंग केनाल में डालकर वहां की पैदावार को साठ परसेन्ट से ८०-८५ तक ले जा सकते हैं। जबकि राजस्थान केनाल से आप ११० करना चाहते हैं लेकिन जब तक कोलोनाइजेशन नहीं होगा लोग वहां पर जाकर बसेंगे नहीं तब तक आपका दिया हुआ पानी बेकार जायगा। आज भी टेल्स बनी हुई है लेकिन उसका पानी इस्तेमाल नहीं कर पाते। जमीन वहां अलॉट की हुई है लेकिन वे लोग वहां हाजिर नहीं एक्स-जागीरदारों को दी गई है, रिटायर्ड आफिशियल्स को दी गई है जो काश्त नहीं करना जानते। आप राजस्थान केनाल के साथ कोलोनाइजेशन चालू कीजिये ताकि पानी का युटिलाइजेशन हो सके। आपको उसके लिये आज तक डेढ़ करोड़ रुपया दिया है जिसमें सड़कें, स्कूल्स और रेजिडेन्शियल प्लाटस भी हैं। जो स्कीम तीस चालीस करोड़ की हो उसमें दो करोड़ रुपया कोलोनाइजेशन के लिये रखना और उस पर यह चाहना कि एक वर्ष में एक लाख पच्चीस हजार एकड़ भूमि इरीगेट हो जाय यह नामुमकिन है। हम जब उस इलाके में जाते हैं तो देखते हैं जो लोग बसे हुए हैं जो काश्त करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं। राज्यपाल महोदय ने यहां यह भी घोषणा की थी एक इवेलयूशन कमेटी का निर्माण किया गया लेकिन उसकी आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। लेकिन पंजाब में जहां पर इरीगेशन का काम जिस तेजी के साथ चल रहा है जिस प्रकार से वहां का विकास हो रहा है राजस्थान केनाल के लिये भी पंजाब की तरह एक इरीगेशन कमेटी बने जिसमें एम०एल०ए० भी हो और अधिकारी भी हो जिसकी तीसरे महीने बैठक हो उसमें इन सब बातों पर निर्णय लिया जाय जो हमारे पावर प्रोजेक्ट और इरीगेशन प्रोजेक्ट चल रहे है उस पर उनका चेक हो उसमें स्टेट मिनिस्टर भी हो मिनिस्टर भी हो उनका भी चेक रहे इस प्रकार की एक कमेटी का फारमेशन बहुत जरूरी है।

मान्यवर पिछले वर्ष इसी सदन में कहा था राजस्थान केनाल का पानी इस्तेमाल नहीं होता। भाखरा से जो पानी आता है उसको राजस्थान केनाल में डाल दिया जाय जिसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन की जरूरत नहीं पालिसी में कोई फर्क नहीं आता वह पानी भाखरा में मिल जाय तो भाखरा लाइन पर जो अमरसिंह ब्रान्च है जिसको आप पानी नहीं देते हैं उस सारे रकबे को पानी दे सकते हैं। मामूली सी बात के लिये आपकी मदद नहीं राजस्थान केनाल को जी० बी० ब्रान्च से जोड़ दी जाय तो काफी सहूलियत हो सकती है।

इसके अलावा जैसा कि मैंने पिछली बार भी अर्ज किया था पांच सात तरह के अमेन्डमेन्ट आने चाहिये। होता क्या है मंत्री महोदय है उपमंत्री है राज्यमंत्री है वे सिंचाई के बारे में वाटर कोर्सेज के बारे में पावर लें मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं चाहता हूं कि इलेक्टेड में मेम्बर को पावर मिलने चाहिये अगर वह गलत ढंग से इस्तेमाल करता है तो समय आने पर पब्लिक ओपीनियन उसको ठीक कर देगी। आप पावर स्टेट मिनिस्टर को दें डिप्टी मिनिस्टर को दें संसदीय सचिव को दें उससे एक फायदा

(श्री केदारनाथ)

हम को मिलेगा एक तरह के फैसले का प्रिसिडेन्ट कायम होगा। जैसे एस० डी० ग्रो फैसले करता है तो उसको भी स्टेन्डर्ड मेन्टेन करना पड़ेगा। मिनिस्टर को कोई दरख्वास्त देता है उस पर मंत्री महोदय कह देते हैं वाटर कोर्स को चेन्ज कर देना चाहिये। किसी में लिख देते हैं मेरी पर्सनल नोलेज में इसको मिल जाना चाहिये। तो इस तरह की बातें जो होती हैं वह यदि ग्रमेन्डमेन्ट के रूप में ग्रा जाय तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। वरना पक्षपात होता है ग्रौर गलत तरीके से दखलन्दाजी होती है।

इसके ग्रलावा इरीगेशन एक्ट में स्टेट मिनिस्टर पावर ले डिप्टी मिनिस्टर या संसदीय सचिव ले हमें एतराज नहीं। इससे क्या होगा ग्रफसरों के दिमाग में ग्रौर किसानों के दिमाग में स्पष्ट नक्शा हो जायगा कि मेरी ग्रपील का फैसला कौन करेगा, या क्या फैसला होने जा रहा है। ग्रगर सिंचाई के मामले भी तीन तीन ग्रौर चार चार साल तक पेन्डिग रहे तो खेती में वे लोग क्या इम्प्रूवमेन्ट कर पायेंगे। इसलिये इस बारे में फौरन फैसले होने चाहिये।

ग्रन्त में एक चीज का उल्लेख ग्रौर कर देना चाहता हूं जिस प्रकार से राजस्थान केनाल में रिट्रेन्चमेन्ट हुग्रा १।१०।६६ के ग्रन्दर वह गलत तरीके से हुग्रा। राजस्थान के केनाल के स्टाफ के लिये कोई सीनियोरिटी का बेसिस एडोप्ट नही किया गया सीनियोरिटी लिस्ट को डिस्टर्ब किया गया।

गंग नहर ग्रौर भाखरा के ग्रोवरसियर्स ग्रौर एस० डी० ग्रो० ग्रौर एक्स. इ. एन. की जगह पर जो तबादले होते हैं वे भी मन माने तरीके से होते हैं जो काबिल एतराज है। लोगों को शक है कि बिना पैसे तबादले नहीं होते। कई तो ऐसे पदाधिकारी ग्राते हैं जिनका ६ महीने में ही तबादला हो जाता है कई बरसों तक रह जाते हैं कोई नहीं छेड़ता। मैं नहीं चाहता ग्रसेम्बली की फ्लोर पर इस प्रकार की बातें ग्राये। ग्रापको तबादले का जो क्राइटेरिया है उसको बदलना चाहिये। एक एस. डी. ग्रो. एक साल भी नहीं टिका उसका तबादला कर दिया गया मेरा इशारा किसके लिये है राज्य मंत्री महोदय समझ गये होंगे। इस तरह की जब बातें होती हैं तो ग्रधिकारियों के दिमाग में यह बात रहती है कि हमारा तबादला होने वाला है हम क्यों इफीसयेन्टली काम करें। वे इस कारण इफीसियेन्टली काम करना चाहते हुए भी उनसे होता नहीं। मान्यवर इसके ग्रलावा मैं ग्रापकी मारफत यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई दरख्वास्त दें बाग बगीचा लगाने के लिए तो उसके लिए सेट रूल्स होने चाहिए, कितने प्लान्ट उसके पास है, कितने उसको ग्रौर लगाने की जरूरत है उसके कब फल ग्रायेंगे ग्रादि। मान्यवर हजारों एकड़ भूमि ऐसी है जो आज तक काबिले काश्त है। इन्डसट्री वाटर से हमारा पानी कम हो गया है तो पी० बी० एन० ब्रान्च का पानी लाया जाय जिससे इन्टेनसिटी डिसटर्ब नहीं हो। उसका पानी यहां ग्रायेगा ऐसा मन्त्री महोदय ने ग्राश्वासन दिया था। बंगला डेम बनने के बाद पानी ग्रायेगा, उसमें से दे देंगे, ऐसा कहा गया था। मैं ग्रापके मारफत निवेदन करूंगा कि इसके

(श्री केदारनाथ)

बारे में सोचा जाना चाहिये विचार किया जाना चाहिये ताकि वह इम्प्लीमेंट हो सके। आखिरी बात मान्यवर इस सारे सिस्टम को चाहे वे स्टेट्स का झगड़ा हो, चाहे सेन्ट्रल की बात हो, राजस्थान के अन्दर जो प्रोजेक्ट हैं चाहे वे मेजर हों, माईनर हों, मीडियम हों, उनके झगड़े समाप्त होने चाहिए। जैसा मैंने अर्ज किया स्टेट इरीगेशन के लिये मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिए जिसमें पानी का सर्वे हो, सब साईल की समस्या को देखें। इन शब्दों के साथ आपकी मारफत यह आखिरी अर्ज करता हुआ कि अगर इन सारी बातों को स्टेट मिनिस्टर और केबीनेट मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी मिलकर प्रयास करें तो हमारी इन्टेनसिटी बढ़ेगी। हम यह सोचते हैं कि पंजाब से पानी आयेगा, चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड होगा लेकिन कुछ नहीं ठीक है, आप बिजी हैं लेकिन एफर्ट्स इस बात के होने चाहिए। मान्यवर पंजाब जाने का मौका मिलता है, क्योंकि पंजाब हमारे पास पड़ता है। अगर आप वहां के पानी के सिस्टम को देखे, उनका एक सरटेन क्राईटेरिया है। बहुत अच्छी व्यवस्था वहां पर बनी हुई है। राजस्थान केनाल के बारे में आदेश दिया था कि इसके बारे में डिबेट होगी और उसमें क्राईटेरियां तय होगा लेकिन वह भी नहीं हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव सिंचाई के बारे में पेश करते हुये आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उदयपुर जिले के रहने वाले काश्तकारों की जमीनों को सिंचित करने के लिए नये तालाबों का निर्माण कराये जाने के बारे में है। तहसील गिरवा, सराड़ा और सलूम्बर खेरवाड़ा तहसीलों में कई नदी नाले हैं। वर्षा के दिनों में बहते रहते हैं। अगर उन नदी नालों के बहते हुए पानी को रोक कर सिचाई की जमीनों में उस पानी को काम में लिया जाय, तो काफी अनाज पैदा हो सकता है। गिरवा में पडोणा में नलवाला नाम का एक बड़ा नाला है, उसकी सर्वे कराई जाकर बान्ध बनाया जाय तो वहां की सारी जमीनें सिंचित हो जायगी। यह गांव आये दिन अकाल से पीड़ित रहता है। इसलिए यहां पर एक ऐसा नाला है जिसके बहुत पानी को रोका जाकर गांव की सारी जमीन सिंचित की जा सकती है। दूसरी तहसील सराड़ा है जिसमें डाया नाम की योजना है जो उदयपुर शहर को पानी देने के लिए सर्वे की गई है। इस योजना के बजाय देवास नाम की योजना जो उदयपुर शहर को पीने का पानी देने के लिए बनाई जा रही है इसलिए उदयपुर शहर का जो मसला है वह देवास योजना से पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है। डाया नाम की जो योजना है वहां से थोड़ी दूर पर चटान नाम का स्थान है वहां काफी अच्छा रोक है, मैंने सिंचाई विभाग के सर्वे इन्जीनियर को मौके पर ले जाकर बताया है, उन्होंने मौका पसन्द किया है। केवल डाया योजना के नाम सर्वे हुई है वहां से बदल कर नीचे का जो मौका है वहां पर बनाये जाने के लिए बदला जाय और इसके

(श्री देवीलाल)

अलावा इसी योजना के बांध की सव तो हो चुकी है लेकिन नहरों की सर्वे की जाकर काफी क्षेत्र में पानी दिया जा सकता है। इस योजना से १२ गांवों को पानी दिया जा सकता है। इन गांवों की सारी जमीनें अच्छी हैं और अच्छी उपज हो सकती है। काफी ऐरिया मैदानी है, पहाड़ों के आस पास नदी नाले हैं जहां काफी मैदानी ऐरिया है जो इस तालाब के बनाये जाने से सिंचित हो सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरी केवड़ा के नाम का तालाब है जो पुराने महाराणा उदयपुर के वक्त में बनाया गया था। जो सन् १९४७ में अधिक वर्षा होने के कारण यह तालाब टूट गया। इस तालाब के नीचे काफी जमीन पीवल होने जैसी है। इसको बनाये जाने से सारी समस्या हल हो सकती है जो हर वर्ष अकाल की समस्या पैदा होती है वह भी वहां समाप्त हो सकती है। यह सिंचाई की एक छोटी योजना तैयार हो जायगी। चौथी योजना में अंटी नाम का नाका है जिसकी सिंचाई विभाग का सर्वे इन्जीनियर उदयपुर द्वारा उसका निरीक्षण कराया था। उन्होंने उस नाके को अच्छा पसन्द किया है और मेरे ख्याल से उन्होंने रिपोर्ट भी दे दी होगी। यह गोखनी नाम की नदी है, जयसमुंद्र का तालाब है, हड़मन के जड़ तालाब और चावण्ड तालाब के सीपेज के पानी से यह नदी जब रबी की फसल पकती है तब तक बहती रहती है। इसमें काफी पानी बह कर चला जाता है। यहां पर उसके लिए पिकअप वियर बनाया जाय जो सराड़ा, सलूम्बर तहसीलों में काफी जमीनों में पानी मिल सकता है। इसके अलावा पहले बलुवा नाथ का तालाब सराड़ा तहसील में है। इसकी सर्वे होकर तखमीना बन गया है, ऐसा मुझे मालूम हुआ है परन्तु इस तालाब पर राज्य सरकार ने अभी तक धनराशि स्वीकार नहीं की है इसलिए इस तालाब पर धनराशि स्वीकार करके बनाया जाय। इस पर अकाल के वक्त में काफी रकम रिलीफ की लग चुकी है, इसमें काफी काम हो चुका है इसलिए जो रिलीफ की रकम लगी है वह बेकार न चली जाय इसलिये इसको बनाना आवश्यक है। इसके अलावा दूसरी एक तहसील खैरवाड़ा हैं जिसमें गोदाबरी का नाका है, दोनों की सर्वे साथ–साथ की है, दोनों का तखमीना बन चुका है। गोदावरी में रिलीफ की रकम काफी तादाद में खर्च हो चुकी है इसलिये उसके लिये राज्य सरकार धनराशि मन्जूर करके बनाने की स्वीकृति दी जाय। इसके अलावा सोम नदी जवाजा से आती है। उस पर कई दिनों पहले सर्वे कराया गया था। उसकी सर्वे हुये काफी समय हो चुका है। अब तक सांसकाबरवा तथा कानाका दोनों की सर्वे की है। बरवा की सर्वे कम्पलीट कर ली है।

लेकिन आज दिन तक वह सर्वे का क्या मालूम पता नहीं लगा कि कहां पड़ा है। इसको अभी तक बनाया नहीं गया। यह नदी वर्षा होती है तो काफी तादाद में पानी से भरी बहती रहती है। इसको बनाया जावे तो खेरवाड़ा तहसील में आये दिन जिन गांवों में सूखे की हालत रहती है वह मिट सकती है। कल्याणपुर के पास लौड़दा का नाका है जिसका ५७–५८ में सर्वे कराया था। इसका पता लगाया पर नहीं लगा। पर इस आधार पर रिलीफ के वक्त में उस तालाब का काम चालू कराया

(श्री देवीलाल)

था। उस पर काफी धनराशि नींव खोदने में लगी है। नींव खोदकर करीब-करीब कम्पलीट हो चुका है।

इसी तरह बिलक नाम की नदी में एक और तालाब बनाने के लिये वहां पर भी रिलीफ की रकम लगाकर काफी काम कराया हुआ है। इससे भी नींव खोदी गई है। यह राज सरकार के ध्यान में इसलिये लाना चाहता हूं कि जिन तालाबों पर रिलीफ के दिनों में पैसा खर्च हुआ है उन तालाबों को पूरा कराया जावे उनकी सर्वे पूरी न हुई हो तो वह सर्वे कराई जावे और उन तालाबों का निर्माण पूरा कराया जावे।

बिलक नदी के तालाब से बिलकपाल और रिखबदेव आदि कई गांव हैं जिनकी जमीनों की सिंचाई इनसे हो सकती है। कागदरपाल बासील के पास में मुखइया नाका सिंचाई के सर्वे इन्जीनियर साहब को मौका बताया। पर उसका भी सर्वे नहीं हुआ।

परसाद व खरबर की बीच देवेलदा महादेव आंसवाणियां स्थान है जहां बारह महीने पानी बहता है। वहां पिकप वेयर के निर्माण में १ लाख खर्चा करने पर वह भी अच्छा सिंचाई का साधन बन सकता है। २५ हजार पंचायत समिति खर्च कर सकती है। ऐसी स्थिति में सिंचाई विभाग एक लाख तक के तालाबों का निर्माण नहीं कर सकता है तो एक लाख की धनराशि पंचायत समिति को खर्च करने का अधिकार दिया जावे तो पंचायत समिति इसका निर्माण करा सकती है।

इसी प्रकार एक मेट सराड़ा पंचायत समिति में रिलीफ के वक्त सिंचाई विभाग का काम भी चला और पंचायत समिति का काम चला। पंचायत समिति के कामों में निम्न काम अधूरे रह गये हैं सरसिया, झालरदेवी, देलवास, ढेलाई, नांदवी, अजढरा, जांम्बूड़ा।

इन कामों को पूरा करने के लिये एक लाख की धनराशि की मांग पंचायत समिति ने की है। इसकी धनराशि अगर दे दी जावे तो ये काम पंचायत समिति पूरा करा सकती है और उनसे काफी जमीन सिंचित हो सकती है।

इसके अलावा खेरवाड़ा में भी कई योजनाएं रिलीफ के द्वारा चलाई गई हैं जो अधूरी पड़ी हैं। वहां भी धनराशि देकर पूरा कराया जावे तो काफी समस्या सिंचाई की हल हो सकती है।

गीरवा तहसील में और भी अधूरे काम पंचायत समिति द्वारा चलाये गये अधूरे पड़े हैं। सरकार का ध्यान उन योजनाओं पर ध्यान दिलाया जाकर इन पर रकम दिलाई जावे तो काफी निर्माण का कार्य हो सकता है और काश्तकारों की सिंचाई का साधन मिल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनियां!

श्रीमती गौरी पूनियां (डेगाना) : माननीय उपाध्यक्षजी, मांग संख्या ४० पर मेरे भी कटौती प्रस्ताव हैं।

यह बहुत ही गर्व की बात है कि समय के तकाजे को देखते हुये राज्य सरकार ने,

(श्रीमती गौरी पूनियां)

सिंचाई की उन्नति के लिये विशेष ध्यान दिया है। गत पंचवर्षीय योजनाकालों में अनेक वृहत्, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाएं आरम्भ हुई हैं और अनेकों लघु सिंचाई योजनाएं समाप्त भी हुई हैं।

सिंचाई के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने आशातीत उन्नति की है इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर इससे यह मानकर भी नहीं चल सकते कि इस विभाग के द्वारा खामियां नहीं हुई हैं, या गलतियां नहीं हुई हैं या कमियां नहीं रही हैं। इन गलतियों, खामियों और कमियों पर विस्तार से कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। क्योंकि मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस पर बहुत कुछ कहा है।

सिंचाई विभाग के अधिकारी गण भी अपनी गलतियों को मंजूर करना नहीं जानते। यह उनका दोष नहीं है। मनुष्य स्वभाव है कि वह अपनी गलतियों को मानने में शर्म अनुभव करता है। पर इन्सान आखिर इन्सान है। गलतियां करके ही आगे बढ़ता है और अनुभव से ही पूर्णता की ओर चलता है। इसमें अगर वे अपनी गलतियों को मन्जूर कर लेते हैं तो शर्म की बात नहीं होनी चाहिये।

इसके लिये उदाहरण देकर कहना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में दो बांध हैं। मैरूदा और हरसोर।

उनका कमाण्ड एरिया दस साल पहले मार्क कर दिया गया था। पिछले पांच सालों से जनता कह रही है, जनता के प्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि यह कमाण्ड एरिया का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। यह नहीं कि इन्जीनियरों ने उस वक्त जो घोषणा कर दी तो वह अमर पट्टा हो गया। उसमें भी तब्दीली की जा सकती है व करना चाहिये।

मैं आपके द्वारा सिंचाई मन्त्री का ध्यान हरसोर और मैरूदा के बन्ध की तरफ इनके कमाण्ड एरिया में परिवर्तन करने की तरफ दिलाना चाहती हूं। क्योंकि एक तरफ तो आप किसान को कहते हैं कि 'अधिक अन्न उपजाओ' और दूसरी तरफ उसके खेत के पास से होकर नहर निकल रही है वह उससे पानी मांगता है तो आप अपनी असमर्थता बतलाते हैं यह कह कर कि तुम्हारा खेत कमाण्ड एरिया में नहीं आता है अतः पानी नहीं मिल सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, जनता के हित के लिये कमाण्ड एरिया तो क्या, नीति-नियम भी बदले जा सकते हैं। कमाण्ड एरिया ऐसी चीज नहीं बन गई है जो सदा के लिये अपरिवर्तनीय हो गई हो। लोहे की लकीर बन गई हो। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताना चाहूंगी कि उन दोनों ही बांधों का कमाण्ड एरिया है। और इसमें खामियां रही हैं। जिन्हें दुरुस्त करना अति आवश्यक है।

पहली खामी तो यह है कि इस कमाण्ड एरिया का निर्धारण या तो पक्षपातपूर्ण दृष्टि से किया गया है या फिर अनभिज्ञता से किया गया है। पर वह खामीपूर्ण जरूर है। यह मैं उस एरिया में अपने आठ साल के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर कह रही हूं।

(श्रीमती गौरी पूनियां)

दूसरी कमी यह है कि पिछड़े वर्ग के किसानों के खेतों और गरीब किसानों के खेतों को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जान-बूझकर कमाण्ड एरिया से बाहर रखा गया है। उस कमाण्ड एरिया में या तो ऐसे खेत ही लिये गए हैं जिनमें आलरेडी कुओं से सिंचाई होती है इससे दोहरा नुकसान हुआ है। एक तो हमारी कम भूमि में सिंचाई हुई और दूसरा हमारा वहां का किसान निठल्ला बन गया क्योंकि उनको तो नहरों का पानी मिल जाता है तो कुओं से सिंचाई क्यों करें और इसका फल यह भी हुआ कि कुछ कुए सूख गये।

एक बात मैं विशेष रूप से मैरूंडा बांध के लिये कहूँगी कि इस बांध के उत्तर इलाके में एक ही नहर बनाई गई है जिससे कि दस साल से बराबर सिंचाई होती है पर आखिर जमीन की उत्पादन शक्ति सीमित होती हैं। मैंने पिछले वर्ष भी देखा है कि वहां का किसान दोनों फसल का फायदा चाहता है, पर उठा नहीं पाता क्योंकि समय पर खेत तैयार नहीं होता है तो पानी वेस्ट जाता है।

इसके बारे में मेरा सुझाव है सिंचाई मन्त्रीजी से कि दक्षिण एरिया के ग्राम भी उपजाऊ हैं जैसे इंटावडा और बड़ी बिखरणिया उनके लिये भी और एक नहर बना दी जावे और इन दोनों नहरों को आल्टरनेट ईयर पर (एक साल इस नहर को और दूसरी साल उस नहर को) पानी दिया जावे तो किसान दोनों फसल ले सकेगा और अन्न के उत्पादन में भी ज्यादा प्रगति हो सकेगी।

(४ म० प०)

और हमारी दुगुनी जमीन की सिंचाई हो सकेगी। साथ ही मैं सिंचाई मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे उधर की जमीन रेतीली है और खेतों तक पानी पहुँचने में आधे से ज्यादा पानी तो जमीन ही सोख लेती है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि छोटी नहरें नहीं तो मुख्य नहरें तो पक्की बनाने की व्यवस्था फरमायें। मैं जानती हूं कि सिंचाई मंत्री जी अभी धनाभाव का कहकर टालमटोल करने की कोशिश करेंगे लेकिन मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि अगर धनाभाव का असर राजस्थान में सभी सिंचित एरिया पर समान रूप से पड़े तो मुझे शिकायत नहीं लेकिन विशेष एरिया पर लगातार धनाभाव का असर पड़ता रहे तो उससे नाराजगी होना स्वाभाविक है।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं सिंचाई मंत्री जी को यह भी कहना चाहूंगी कि राजस्थान में जो लिफ्ट इर्रीगेशन की स्कीम विचाराधीन है उस पर मैं विस्तार से नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत ही विस्तार से प्रकाश डाला है अतः मैं यह कहना चाहूंगी कि उसको जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करने की कृपा करें ताकि बीकानेर और नागौर जैसे पिछड़े इलाके भी सिंचित एरिया में शामिल हो सकें और वहां के किसान भी देश के उत्पादन बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग दे सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल समय सीमा ७ मिनट। आपके दल का समय समाप्त हो जाता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपके भाषण के साथ ही यह विवाद समाप्त होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सिंचाई विभाग के संबंध में कटमोशन्स आये हैं उस पर मेरे भी कई कटौती के प्रस्ताव हैं । उपाध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार ने सिंचाई के आंकड़े दिये हैं अगर उनको देखा जाये तो २० वर्ष के काल में सवाई माधोपुर को दूसरे जिलों के समान आंका जाये तो इस जिले के अन्दर ना के बराबर ही कार्य हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने सवाई माधोपुर के अन्दर सिर्फ ४ ही छोटे बांधों को २० वर्ष के काल में ५५.२५ लाख रुपया खर्च किया है जब कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में इससे तुलना की जाये तो कई गुना अधिक पैसा खर्च किया हुआ मिलेगा । उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ ही साथ जहां तक इस बात को भी देखा जाये कि आगे आने वाली योजनाओं के द्वारा सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल ही अलग उठाकर रख दिया है । वहां पर आगे आने वाले समय के लिए किसी भी प्लान का सर्वे—आंकड़े जो दिये हैं उसमें सवाई माधोपुर के अन्दर कहीं भी किसी भी जगह की सर्वे नहीं कराकर आगे आने वाले भविष्य के लिए सिंचाई योजनाओं के लिए पक्षपात की नीति को लेकर सरकार चली है । उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट को राजस्थान सरकार ने नहीं बल्कि भारत सरकार ने भी बैकवर्ड एरिया घोषित किया हुआ है जब कि २० साल के दौरान प्रशासन ने वहां पर किसी प्रकार का कोई सिंचाई साधन वहां के किसानों को नहीं दिया है । उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर देखा जाये तो कई मिसालें मौजूद हैं कि वहां पर सिंचाई के साधनों का उपयोग लाना चाहते तो टूटियाने बाध की योजना बनती तो वहां के किसानों के लिए और छोटे छोटे काश्तकारों के लिए पानी की सुविधा मिलती और वह अपनी पैदावार को बढ़ा सकते थे । लेकिन उस योजना की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया । करेली घाटा का बांध है उसके ऊपर छोटे रूप में ही बांध बनाते और किसानों को सिंचाई के साधन देते तो वहां पर काफी एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सकती थी । लेकिन हमारी सरकार ने इस योजना की तरफ ध्यान नहीं दिया । इसी प्रकार से आगरी का बांध था । दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर छोटी छोटी नदियों के ऊपर हैड्स लगाकर पिलाई योजनाओं का काम किया है । अगर इसी प्रकार सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में गम्भीरी नदी को दीपारे बांध को महावीर जी के पास छोटी छोटी योजनाओं के द्वारा इस नदी के अन्दर हैड लगाकर अगर सिंचाई के साधन बढ़ाना चाहते तो आज सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के किसानों के लिए काफी सिंचाई के साधन हो सकते थे । इसी के साथ साथ हमारी सरकार जो बड़ी बड़ी योजनायें लेकर चल रही है और उनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है और उन बड़ी योजनाओं के द्वारा हमें यह महसूस करके चलना पड़ रहा है कि करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी हमारे सिंचाई साधन नहीं बढ़ पाये हैं और अगर इन्ही योजनाओं को छोटी छोटी बनाते और छोटे छोटे बांध जो कि पुरानी स्टेट के जमाने के टूटे हुए पड़े हैं अगर हम उनको ठीक कराते तो

(श्री श्रवणलाल)

आज किसान जो कि छोटे छोटे हिस्से में काश्त करते थे उनको काफी साधन सिंचाई के मिल सकते थे और पैदावार बढ़ सकती थी। लेकिन सरकार ने बड़ी योजनाओं के ऊपर ध्यान अधिक दिया और छोटी योजनाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय कुछ समय पहले छोटे छोटे बाँध जो स्टेट के समय के थे उनको पंचायत समितियों को दे दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पंचायत समितियों का सवाल है उनके पास धनाभाव होने के कारण वह उनकी मरम्मत नहीं करा सकते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण आज वह उन योजनाओं को अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं। तो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेट के पीरियड के बांध थे और छोटे छोटे बांध जो कि टूटे हुए पड़े हुए हैं उनमें ना कुछ पैसा लगाकर उनको ठीक कराया जा सकता है लेकिन हमारी सरकार उस ओर ध्यान नहीं देती है। इसी के साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, आगे आने वाली योजनाओं में सवाई माधोपुर कुछ कामों के लिए सोचा है उसमें भी हमारी सरकार १९६८–६९ के अन्दर सिर्फ ३ लाख रुपया खर्च करने जा रही है और वह भी सन् ६९ के लास्ट तक खर्च करेंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय इस पक्षपात की नीति के कारण और छोटी सिंचाई योजनाओं का साधन है चाहे स्कूल का साधन हो या सड़कों का साधन हो हमारी सरकार इस सब साधनों में इस दृष्टि से चलती हैं कि वहां से विरोधी सदस्य जीतकर आता है और अगर वहां पर कोई काम करा दिया, जनता की किसी भी तकलीफ को मिटाने के लिए काम कर दिया तो वहां से विरोधी फिर कामयाब हो जायेंगे और हमारी सीटें जो आने वाली हैं वह नहीं के बराबर आयेंगी।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस के साथ साथ वहां पर जो छोटे छोटे बान्ध हैं उनकी तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आपके द्वारा दिलाना चाहूंगा कि वे छोटे छोटे बान्ध आज न कुछ पैसों से तैयार हो सकते हैं उनकी तरफ ध्यान देकर उनको करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारे वहां पर जगरी बान्ध है वहां पर सीपेज का मामला काफी समय से चल रहा है। इसके साथ-साथ बान्ध को बन्धे हुए काफी समय हो गया है। उसमें नहरों के अन्दर जो किसानों की जमीनें आई है उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। बार बार किसान वहां के जाते हैं और अपना सा मुँह लेकर आजाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम १२वर्ष बीत गये हैं लेकिन आज तक भी नहरों के नीचे जिनकी जमीनें आई हैं उनका मुआवजा नहीं देकर उलटा उनसे उस जमीन का लगान वसूल किया जा रहा है। इस तरह से उन किसानों की जितनी भी जमीनें नहरों के नीचे आई हैं उनका मुआवजा दिया जाना चाहिए।

इसी के साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर पिलाई के साधन हैं तो पिलाई के साधनों में बड़ी गड़बड़ होती है इरीगेशन का पटवारी होता है और रेवेन्यू का अलग पटवारी होता है। रेवेन्यू का पटवारी लिखता है कि इस खेत के अन्दर चना पैदा हुआ है या ज्वार पैदा हुई है या दूसरा अनाज पैदा हुआ है, लेकिन वहाँ पर इरीगे-

(श्री श्रवणलाल)

शन का पटवारी जाता है और उस खेत के अन्दर चाहे एक-चौथाई में चाहे कोई चीज की पैदावार हुई हो वह पूरे खेत के लिए लिख देता है कि फलां चीज पैदा हुई है तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से गरीब किसान के आधे हिस्से में पैदावार हुई है और आधे ही हिस्से में पिलाई की गई हो और इस बात के लिए रेवेंन्यू का पटवारी कबूल करता है कि इतनी ही जमीन में यह पैदावार हुई है, लेकिन उसको किसी प्रकार से नहीं माना जाता है और सिचाई विभाग का जो पटवारी है वह लिख देता है, जो भी लिख देता है, चाहे कुछ भी लिख दे, कितना ही लिख दें कि गेहूं या फलां किस्म की पैदावार हुई है तो उसको मानकर उसकी पिलाई वसूल करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जलसेन रेवेन्यू विभाग के अन्दर आता है। हम कहते हैं और मैंने इस बात के लिए कई दफा कहा भी है कि जलसेन को सिचाई विभाग के तहत ले लिया जाय। वे उसको नहीं लेना चाहते हैं, और उससे, उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा दो तीन चार वर्षों में एकाध बार बर्षा नहीं हुई हो उस कारण से वर्ना हमेशा फ्लड आता है। जिसमें हर वर्ष वहां पर जनता का लाखों का नुकसान होता है। उसके अन्दर गरीबों की झोपड़ियां बह जाती हैं, और अनेक प्रकार से नुकसान हो जाता हैं। रेवेन्यू विभाग के अन्तर्गत होने के कारण किसी प्रकार का साधन नहीं किया जाता है कि इस की हालत कैसी है और कहां से फटने वाला है, इसकी मरम्मत कराई जाय तो कहां से कराई जाय, क्योंकि रेवेन्यू विभाग में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है कि इस जलसेन के लिए किसी प्रकार की मरम्मत करा सकें। उनसे कहते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास इसके लिए पैसा खर्च करने को नहीं हैं। (समय-समाप्ति सूचक घंटी) इसलिए मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से प्रार्थना करुंगा कि जलसेन को अपने विभाग के अन्दर लें, जिसके कारण से उसकी पूरी मरम्मत हो सके जिससे सिंचाई के साधन बढ़ सकें। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब आने वाले समय से इसको अपने विभाग के अन्दर ले लें। हर साल बरसात में इससे खतरा रहता है कि न जाने कब टूट जाय और जिससे हजारों लाखों का नुकसान हो जाय। इससे वह रुक जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि हमारे वहां पर सरवर का एक बांध है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसमें इस बात का संघर्ष चल रहा है, वहां के किसानों ने इस बात के लिए मांग की है कि पानी के अन्दर हमारी जितनी जमीन है उसका उनको अब तक मुआवजा नहीं मिला है वह दिलाया जाय। उन्होंने उसके लिए प्रदर्शन भी किया और मन्त्रीजी के पास डेपुटेशन लेकर भी गये, लेकिन आज तक उन किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। मैं आपकी मारफत मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि किसानों की जमीन का जितना मुआवजा बनता है, जितनी जमीन उनकी इस बांध के अन्दर आई है, उसका मुआवजा शीघ्रतिशीघ्र दिलाने की कृपा करेंगे।

(श्री श्रवणलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट वोर्ड के समय के जो बन्धे बने हुए हैं लेकिन पैसे के अभाव के कारण से उनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा टूटा पड़ा है, उनको मन्त्री महोदय अपने विभाग के तहत लेकर उनकी मरम्मत करा कर उनमें पानी रोक कर किसानों को फायदा पहुंचाएं।

इसी के साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर अगरारी है। उसके पास में इस प्रकार का बन्धा बनाया जा सकता है जिसके द्वारा वहां पर छोटे छोटे किसानों को जो हजारों की संख्या में वहां आस पास में रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा पैसा लगाने से वह अच्छी तरह से किसानों के लिए लाभदायक हो सकता है।

इसी के साथ–साथ जगरी बान्ध है उस बान्ध को किसानों के हित को देखते हुए ५ फुट ऊंची उठा दिया जाय तो हजारों एकड़ भूमि में सिंचाई के साधन और बढ़ सकते हैं, और जो आये दिन पानी के लिए झगड़ा रहता है, आये दिन किसानों को समय पर पानी नहीं मिलता है, उनकी समस्या इस बात से हल हो सकती है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उसको ऊंचा उठाया जाय पानी के लेवल को तो हजारों किसानों की समस्या हल की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लिफ्ट इरीगेशन के सम्बन्ध में...

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय हो गया है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : दो मिनट।

हमारे यहां पर छोटे इन्जनों के द्वारा लिफ्ट इरीगेशन हो सकती है। इसलिए मैं आपके द्वारा जगरी बान्ध के द्वारा सिंचाई में आनेवाला जो एरिया है उसके अन्दर जो कि अच्छे साधन हैं और उपजाऊ जमीन है वहां पर जहां पानी नहीं पहुंचता है वहां पर लिफ्ट इरीगेशन के द्वारा पानी पहुंचाया जाय। जिसके लिए वहां के किसान मांग करते हैं। आज जिन किसानों के पास में एन्जिन हैं वे यह मांग करते हैं कि इमीजिए-टली इस प्रकार के साधन हमारे यहां नहर का पानी जो नीचे के लेवाल पर हैं उसको उठाने के लिए दिया जाय, लेकिन हमारी सरकार उस मामले में मौन है। मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार की जो लिफ्ट इरीगेशन होती है उसके लिए इमीजियेटली आदेश दें कि जहां भी किसान इस प्रकार की मांग करते हैं उनको देने के लिए हम हर समय तैयार हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

श्री मूलचन्द डागा : हमको टाइम दिया जायगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : दिया जायगा। मान-नीय दिग्विजयसिंह के बाद।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : उपा-ध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आभारी हूं। मेरा कटौती-प्रस्ताव इरीगेशन के सम्बन्ध में है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा और

Page No.131

(श्री दिग्विजयसिंह)

इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा कि राजस्थान में योजनाएं हुई और तीनों योजनाओं के अन्दर जिस तरह की प्रगति सिंचाई विभाग कर चुका है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। इस प्रगति रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है और पढ़ने के अन्दर जो चीजें मैंने देखी हैं उस सम्बन्ध में आपसे अर्ज करूंगा।

आपके फर्स्ट प्लान के अन्दर, सेकण्ड प्लान के अन्दर, थर्ड प्लान के अन्दर, तीनों प्लानों के अन्दर सिंचाई का एक्सपेन्डीचर ११५, करोड़ ६५ लाख और चालीस हजार का हुआ और उसके फलस्वरूप तीनों प्लान्स के अन्दर १६,५२,३०० एकड़ जमीन सिंचित कर पाये हैं। इसका अर्थ यह हैं कि एक लाख एकड़ प्रति तीन साल में आपने सिंचित किया है। उसके अन्दर करीब-करीब ६ करोड़ का खर्च किया गया है। यदि इस सारे अनुपात को आप देखकर चलें तो, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीमहोदय स्वयं ही इस बात से सन्तुष्ट हो जायेंगे कि सिंचाई में वास्तविक रुप से कितनी प्रगति की है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूं कि आपने (मन्त्री महोदय ने) स्वयं ने इस प्रगति रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से पहले राजस्थान में सिंचाई के साधन कुल ३० लाख एकड़ भूमि में सीमित थे और इन १५ सालों के अन्दर सिर्फ १६,५२,३०० एकड़ भूमि को सिंचित कर पाये...

(४.१६ म.प.)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति, पदासीन)

मैं समझता हूं कि राज्य सरकार कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाई है। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन कर दूं कि इस सिंचाई के अन्दर वह सिंचाई भी सम्मिलित है जो कुओं के द्वारा और छोटी छोटी योजनाओं के द्वारा भी की गई है यह मानकर चले कि सारा कैनला इरीगेशन हुआ हो यह भी सत्य नहीं है। और इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस बात का अनुपात लगायें तो स्वयं को इस बात की जानकारी हो जायगी कि वास्तविक रुप में जो आपकी प्लानिंग था और जो योजनाऐं थीं वे कितनी रिम्यूनिरेटिव रहीं हैं ? तो जहां तक इरिगेशन के लिये आपने यह बात कही है कि आपने इतनी प्रगति की है वह आपके स्वयं के आकड़ों से सिद्ध हो जाता है कि आप कितनी प्रगति कर पाये हैं।

मेरे क्षेत्र में आपने गलवा प्रोजेक्ट बनाया और उसमें आपने ४० लाख रुपये खर्च किए हैं उसमे सिंचित भूमि आपके कमान्ड और एस्टिमेट के अनुसार २५ हजार एकड़ होना चाहिये था वहां ६ वर्षो में आप १३ हजार एकड़ भूमि ही सिंचित कर पाये हैं। आखिर में इतने वर्षो बाद भी आप टारगेट पूरा नहीं कर पाये हैं। यह मैं मानता हूँ कि इरिगेशन के रिटर्न स्लो होता है लेकिन साथ ही साथ जितनी प्रोग्रेस

(श्री दिग्विजयसिंह)

हो रही है उसकी ओर ध्यान देना चाहिये। लाखों रुपये सरकार खर्च करे और रिटर्न इतना स्लो हो और आप जैसी उम्मीद करते हैं कि अमुक साल में रिटर्न मिलने लगेगी वह न मिल कर उसमें बरसों लग जायं तो इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। गलवा प्रोजेक्ट में दिक्कत क्या है, पानी क्यों नहीं उपलब्ध होता है उसकी आप जांच करें। इसके वाटर के बारे में आपके विभाग के द्वारा विज्ञप्ति निकाली गई है जिसमें कहा गया है कि इस पानी में बहुत साल्ट है इसलिए काश्तकारों को सलाह दी गई है कि इस पानी से गन्ने की खेती नहीं करें। तो आधी रुकावट तो इस बंधे का पानी खराब होने के कारण ही हो गई। मैं स्वयं इसका जानकार हूं। कई जगह जहां फसल को इसका पानी दिया गया है वहां पर फसल पीली होकर नष्ट हो गई है। आखिर कौनसे कैचमेन्ट एरिया से वाटर खराब होकर आता है इसमें साल्ट है, सेलाइन है या प्राकृतिक खराबी है जिसके कारण सारा पानी बिगड़ जाता है।

दूसरी बात मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा इसकी नहरों के सम्बन्ध में। नहर इसकी काफी खराब हो रही है और उसकी मरम्मत एक तो बड़ी देर से करवाई जाती है और जो काश्तकार इससे पानी लेना चाहते हैं उनको यह कह कर रोक दिया जाता है कि नहर अभी तक दुरुस्त नहीं है इसलिए पानी नहीं छोड़ा जायगा। समय पर पानी नहीं छोड़ने का कारण यही होता है दुरुस्ती समय पर नहीं होती इसलिए जल्दी ही नहर की दुरुस्ती करवादी जाय ताकि पानी समय पर उपलब्ध हो सके।

मैं एक खास बात यह कहना चाहता हूं कि मेन कैनाल है उसमें से आम रास्ता निकल गया है कि सारे काश्तकार उधर से गुजरते हैं और पानी भरा रहने के कारण कीचड़ हो जाता है। ऐसी परिस्थिति देखने में आई है सभी लोग उधर से निकलते हैं, स्त्रियां भी निकलती हैं, खराब सी न क्रियेट हो जाता है। माननीय मंत्रीजी किसी तरह से व्यवस्था करदें तो तकलीफ दूर हो सकती है।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव बनेठा तालाब के सम्बन्ध में था। यह तालाब काफी भरा हुआ है इसका उपयोग इसलिये नहीं होता कि इसका एल्यूस इतना छोटा है कि पानी निकलने में कठिनाई होती है, जितना निकलना चाहिये उतना नहीं निकलता, और इस ी नहर भी बहुत छोटी है। दोनों को ठीक कराया जाय ताकि पानी का सही उपयोग हो।

इसी तरह से मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान सरकार ने भी घोषणा की है और केन्द्रीय सरकार की मान्यता है कि छोटी छोटी योजनाओं को प्रोत्साहन दें तो सिंचाई की वृद्धि होगी और खाद्यान्न समस्या हल हो सकेगी। लेकिन राज्य सरकार बिल्कुल इस चीज पर निगाह नहीं रख रही है। जो पुराने तालाब फूटे पड़े हुए हैं उनकी मरम्मत करवाने की तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में इतने टैंक हैं जो सिंचाई के काम आ सकते

(श्री दिग्विजयसिंह)

हैं। यूथड़ बांध टूटा हुआ है उसकी मरम्मत करदी जाय तो ५०० एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकती है। इसी तरह कई तालाब पड़े हुए हैं जिनकी मरम्मत करवाई जाय तो काफी जमीन में सिंचाई हो सकती है।

राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में सभापति महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि वहां पर कुछ जमीन का एलॉटमेन्ट भूतपूर्व जागीरदारों को खुद काश्त कमिश्नर ने कर दिया था और उस एलॉटमेंट के फलस्वरूप वे लोग अपना गांव छोड़कर घर बार सहित वहां पहुंचे और जमीन पर कब्जा कर लिया। जितनी उनको रॉयलटी देनी थी उसके बारे में राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि खुद काश्त कमिश्नर जो जमीन एलॉट करेगा उसका एक मुरदाबा तो मुफत में दिया जायगा और १ मुरदबे की कीमत ली जायगी जो ५०००) रु० होगी और १० साल में किश्तों में ली जायगी। याने ५००) रु० प्रति वर्ष की किश्त मुकर्रर की गई। लेकिन सभापति महोदय, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हाल ही में कोलोनाइजेशन अथोरिटीज ने ये नोटिसेज जारी किये कि आपको बजाय ५ हजार के २१ हजार रुपये जमा कराने पड़ेंगे। समझ में नहीं आया कि सरकार ने जब यह तय कर दिया था कि भूतपूर्व जागीरदारों को खुद काश्त के लिए जमीन लेंगे उसकी कीमत ५०००) ली जायगी तब फिर २१ हजार रुपये कैसे मांगे जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि २१ हजार रुपये जमा नहीं करायेंगे तो उनसे पजेशन ले लिया जायगा। अब सरकार उनसे २१ हजार रुपये वसूल करने के लिए कैसे तैयार हो रही है भूतपूर्व जागीरदारों को जहां तक जमीन देने का सवाल था वह उनको जागीर एक्ट के अन्तर्गत दी जानी थी तो फिर उनको कोलोनाइजेशन एक्ट से क्यों गवर्न किया जाता है। जागीर एक्ट में लिखा है कि जिनके पास काश्त की जमीन नहीं है उनको खुदकाश्त कमिश्नर एलॉट करेगा। जागीर एक्ट कोई मामूली एक्ट नहीं है। आप स्वयं जानते हैं। मैं वकील नहीं हूं। लेकिन जब स्पेशल एक्ट लागू है तो उसको प्रिफरेन्स ओर्डिनरी एक्ट के ऊपर मिलता है और वह एक्ट जब अभी तक लागू है और उसके अन्तर्गत जमीन एलॉट हुई है और भूतपूर्व जागीरदारों से जिस कीमत पर जमीन देने का वादा किया है तो अब उस वादे को वापिस लेने का क्या अभिप्राय है। जैसी आपकी आदत हो गई है क्योंकि अलाभकारी जोतों से लगान नहीं लेने के वादे को वापिस ले लिया और अब उसको भी तोड़ना चाहते हैं तो पता नहीं सरकार की क्या निति है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या की ओर ध्यान दें, उनको यहां तक नोटिस दिये गये हैं कि २५ तारीख का आखिरी नोटिस दिया गया था, इस तारीख तक जमा करादो नहीं तो पजेशन वापिस ले लिया जायगा। यह एक विषम परिस्थिति बन गई है। मैं निवेदन करूंगा कि उनसे वही रेट ली जाय जो तय की गई थी। उनको एन्हान्स करना न्याय संगत नहीं है।

सभापति महोदय, एक मेरा कटोती प्रस्ताव है…

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री दिग्विजयसिंह)

मैं एक मिनिट में बैठता हूं । मेरा एक कटौती प्रस्ताव राजकोटा में एक छोटा सा प्रोजेक्ट सिचाई योजना के सम्बन्ध में है । वह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसी प्रकार की कोई नहर किसी बांध से या किसी योजना के तहत

(४, ३० म. प.)

(श्री पूनमचंद विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

नहीं आ सकती । आस पास कोई सिंचाई का साधन नहीं है इसलिए मैं विशेष तौर से ध्यान दिलवाऊंगा कि इसका सर्वे भी हो चुका है जैसा कि मैंने निवेदन किया था आपने फरमाया था, इस बांध में आज भी सरप्लस वाटर है यदि वह बंधाया जाय तो काफी समस्या हल हो सकती है । और मैंने यहां तक निवेदन किया है कि आपने उसमें पूर्ण ध्यान नहीं रखा कि किस प्रकार से एनी कट के रूप में, किसी छोटी योजना के रूप में स्वीकार करें । कम से कम उस जगह पर जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, न हो सकी है, वह एरिया एक्स सोल्जर्स का एरिया है । मैं निवेदन करूं कि उस एरिया का एक-एक व्यक्ति आज भी फोज में मुलाजिम है, वहां कम से कम पांच हजार रुपया मनी आर्डर के जरिये पेंशन के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आता है । एक्स सोल्जर्स का एरिया होने के नाते आपने घोषणा की है कि एक्स सोल्जर्स को आप रियायत देंगे, उसको मद्दे नजर रखते हुए आपको इस एरिया की ओर ध्यान देना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द !

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आस्मान बरसात करता है और इन्जीनियर लोग उस पानी को इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन उसका वितरण जो आपको लोकतांत्रिक तरीके से करना है उसकी हत्या कौन करता है । इस लोकतंत्र, समाजवाद के अन्दर उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जा सकता है । सारा पानी आकाश बरसाता है, वह इकट्ठा हो जाता है, हम काश्तकार चाहते हैं कि हमारी जमीन पर वह पानी पहुंचे, लेकिन आप चाहते है कि वह पानी वहां पर नहीं जाय और दस मील दूर पर कच्ची जमीन पर पानी डालें ! बारह मील दूर पर जाकर कुछ आदमियों के हित के लिए आप सारे काश्तकारों को एक तरफ हटा कर पानी दे देना चाहते हैं । इस बात के लिए पन्द्रह बार मैंने इस सदन में कहा है, मीटिंग में कहा है कि हेमावास बांध का कमाण्ड एरिया कितना है, उस एरिया के अन्दर २३७५० बीघा तो नहरी जमीन है, बारानी जमीन २२९२० बीघा है, सेवल २८७७ बीघा है और चाही १४१२ बीघा है । मैं सिंचाई विभाग को चुनौती देता हूं कि आज तक जो नहरी इलाका है, जो नहरी जमीन है उसको ७५ पर्सेन्ट हिस्सा भी पानी नहीं पिला सके हैं । लेकिन नहरी जमीन को पानी न पिलाते हुए जो नहरी जमीन की सिंचाई का पानी है उस पानी को बारानी जमीन में पिलाते हैं । हमने कभी बेटरमेंट लेवी नहीं दी, नहरी जमीन को पानी आप दे नहीं सकते, आस पास जो रामू और मूला हैं उनको पानी नहीं दे सकते और प्रभुसिंह और रामसिंह, प्रहलादचन्द हैं

(श्री मूलचन्द डागा)

उनको पानी देना चाहते हैं। यह तरीका क्या है? इस तरीके में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। आप समाजवाद का नाम न लें, और सारा का सारा पानी ऐसे इकट्ठा करें, भगवान को भी ऐसा करना चाहिए कि उनके खेतों पर ही पानी बरसा दे, उनके खेत के अलावा और खेत सूखे रहें। हेमावास का पानी आने के बाद मैं आज तक देख रहा हूं। मैं आपको तारीखें बता सकता हूं कि पानी वितरण के लिए कब-कब मीटिंग हुई। यहां तक कि मैं पाली जिले के लिए बता सकता हूं कि जिन मीटिंग में पानी वितरण के लिए डिसीजन हुआ है उसमें कलेक्टर ने कहा है, मीटिंग में कहा है कि पानी-वितरण में पानी पहले नहरी जमीन को दिया जाय, उसके बाद में बारानी जमीन को दिया जाय। उस डिसीजन के हो जाने के बाद में भी क्या निर्णय दिये जाते हैं—मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं। इस साल रूपावास में दिया जायगा, यह १९६३ का निर्णय है, क्योंकि रूपावास में अकाल है, स्केअर सिटी कन्डीशन्स हैं। यह १९६३ का निर्णय है।

"I am directed to say that this year water from Hemabas tank may be distributed equally."

१९६४ में फिर दे दिया है, वहां के कलक्टर कह रहें हैं बराबर,

"Water available is only 57 percent of Nehri land".

यह डिसीजन सरकार की तरफ से लेती है कमेटी, लोकतन्त्र के तहत जो यह कमेटी बनती हैं वह यह निर्णय लेती है, वह किसी चीज पर पहुंचती हैं तो उसमें सब लोगों का हित होता है। लेकिन चार आदमियों के हित के लिए सारे आदमियों के हित को खत्म करने का कौनसा तरीका है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: यह समाजवाद की चर्चा नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा: बिल्कुल ठीक है।

पांच हजार ज्यादा जमीन को पानी जायगा, नजदीक में जो जमीन है नहरी वहां पानी दिया जायगा। लेकिन वह करते नहीं हैं और बारह मील तक कच्ची नहर में पानी दिया जायगा। आप उसके पहले हजारों बीघा जमीन को पानी दे सकते हैं, उसको न देकर कच्ची जमीन को पानी दिया जायगा, जबकि कलेक्टर ने कहा कि पचास पर्सेन्ट इर्रीगेटेड लैंड पर पानी देंगे, यानि जिस आदमी के पास में इर्रीगेटेड लैंड २० बीघा है उसकी दस बीघा पर पानी दिया जायगा, दस बीघा को पानी देंगे, और जिसके पास में एक हजार बीघा जमीन है, उसको पांच सौ बीघा का पानी दिया जायगा। यह बराबर बटवारा हो गया? यह तरीका होता है बराबर बटवारे का कि एक हजार में से पांच सौ बीघा का दिया जायगा और जो बीस बीघा वाला है उसको दस बीघा, पांच बीघा का दिया जायगा? मेरा निवेदन है कि छोटे काश्तकारों को पूरा पानी दिया जाय, नहरी जमीन को पानी दिया जाय, तब जाकर

Page No.136

(श्री मूलचन्द डागा)

उनसे आप बैटरमेंट लेवी वसूल कर लें। इसके अलावा आप यह भी बता दें कि कमाण्ड एरिया डूब गया तो क्यों डूब गया। उधर से बहुत पानी आ गया, हेमावास का पानी आ गया? यह इन्जीनियरों ने भी माना है, तो क्या यह उनका दोष नहीं है? वह रिपोर्ट भेजते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद में यह जो इन्जीनियरों की पलटन है यह झूंठी रिपोर्ट भेजते हैं कि पानी का लेवल ऊंचा बन गया है। मेरा निवेदन है कि इंजीनियर्स में सच्चाई होनी चाहिए, उनको अपने दिमाग और कलम पर विश्वास होना चाहिए। उनकी गलती के कारण हजारों किसानों की पन्द्रह साल से बरबादी हो रही है और नुकसान उठा रहे हैं। उनके ही आप से आज इन्जीनियर बेकार घूम रहे है। यह बेकारी का बढ़ने का कारण है इसलिये जो इन्जीनियर है इस डिपार्टमेंट में, उसको ईमानदारी से कहना चाहिए कि हम उनको पानी देना चाहते हैं जो पानी लेना चाहते हैं। मैंने जिस एरिया के लिए बताया, मैं उसके बारे में एक बार नहीं अनेक बार कह चुका हूं कि वहां पानी देना चाहिए। लेकिन आप पानी देना चाहते हैं उस जमीन पर जिस जमीन को पानी की जरुरत नहीं है। और फिर आप कहते हैं कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं। आप साफ कह दें कि पानी नहीं देंगे। इसके अलावा जो नहर बनाई गई है वह ऐसी बनाई गई हैं जिसमें पानी छोड़ने के बाद में सीधा वहीं जायगा, उस जमीन के ऊपर नहीं आयेगा, हमारी मोरियों में पानी नहीं आयेगा। हम कहीं से उसको तोड़ कर पानी को रोकना चाहें पानी खेत में देने के लिए तो हम पर मुकदमा चलाया जाता है...

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य उधर किसे सुना रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : पुलिस चालान करे। यह तो इनकी आदत रही है, यह कोई नई नहीं है...

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उधर देखने की।

श्री मूलचन्द डागा : मैं समझता हूं कि इस प्रकार फिर पुलिससे चालान कराते हैं। तो हमारी यह हालत होती है, हम लोगों को पानी नहीं दिया जा सकता। सैंकड़ों हजारों बीघा जिन काश्तकारों के पास छोटी छोटी जमीन के रुप में है वह पानी नहीं ले पाते हैं। हेमावास बांध के जल वितरण की समस्या के बारे में जनता कहां अपील कर सकती है, आज मुझे अवसर मिला है इसलिए मैं बार-बार कहना चाहता हूं कि आपका पूरा सिंचाई विभाग यहां पर बैठा हुआ है, इसमें हमें इफ एण्ड बट्स से संतोष नहीं देकर इस एक बात से संतोष दें कि नहरी जमीन को पानी पूरा दिया जायगा। नहरी जमीन को पहले पानी दिया जायगा और पूरा दिया जायगा।

जहां पर मीणा, हरिजन और दूसरे पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं बेडिया में वहां पर बादरबास बांध है। होता क्या है? उसका पानी कहां जायगा? वह जायगा बड़े बड़े फार्म पर। यह व्यवस्था है। यह गलत तरीका है, नाजायज तरीका है। इसको हम बर्दाश्त

(श्री मूलचन्द डागा)

नहीं करेंगे। उस जगह के किसान बादरवास बांध से इस तरह पानी देने के खिलाफ बगावत करेंगे और न जाने क्या होगा। पानी का वितरण समाजवादी समाज के नारे के खिलाफ करेंगे तो क्या हालत होगी, कि आपके इंजीनियर वहां खड़े होंगे और लोग पानी लेने जायेंगे और वह हमला करेंगे। इस बात को मैं कई बार कह चुका हूं। मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि बाली तहसील में बाढ़ आई, बाढ़ के लिए हम कह चुके हैं कि बाढ़ हिन्दुस्तान के लिए एक संकट है, बहुत बड़ा और भयंकर सकट है। इस संकट से ऐसी स्थिति आती है कि कुछ गांव बह गये। बाढ़ के कारण कैसे बह गये? हम कहते हैं, आपको बार बार कह चुके हैं सरदार समंद बांध को और लें। लेकिन आप उसको क्यों नही बांधना चाहते? क्योंकि कोई बड़ा जागीरदार, कोई बड़ा आदमी, कोई भूतपूर्व वहां बैठा हुआ है। उस कारण से पचास गांव बह गये, किसानों के कूए और खेत खत्म हो गये, जमीन बरबाद हो गई। किसानों की रक्षा के लिए यदि छोटा सा बांध बांध दिया जाता तो सारी बाढ़ रुक जाती। उस बांध से मिलने वाले बांध से लोग जमीन सिंचित करते और उनके साथ जिन लोगों का पानी देने का था उसको दे देते। मैं बार बार आलोचना इस बात की नहीं करना चाहता। मैं यह नहीं कहना चाहता कि बादरवास का बांध क्यों टूटा लेकिन पाली तहसील में जितनी भूमि पड़ी हुई है, उसके लिये कोई सिंचाई योजना बना दें। आपने पिछले दस साल से कुछ भी किया हो तो आप मुझे बता दीजिये। मैं आपको वह जमीन बता सकता हूं जहां पानी बहता है और नुकसान होता है, साथ ही साथ घर बरबाद होते हैं। बाढ़ में कई खेत बह गये, कई घर बह गये। इसलिए मैं बाढ़ के सम्बन्ध में आपसे फिर अपील करूंगा, पुरजोर अपील करूंगा कि इस पर आप कुछ कार्यवाही करें।

एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि पहले वहां एक सरदार समन्द बांध बना हुआ था, उसमें पांच साल में एक बार पानी आता था, चार साल में एक बार पानी आता था, उस समय क्या होता था जब पानी नहीं आता था तो नहरी रेट वसूल नहीं की जाती थी। इस ओर आज तक ध्यान नहीं दिया है। आप नहरी रेट तब लें जब भूमि सिंचित कर सकें,

श्री मदनसिंह : बहुत अच्छा भाषण हुआ!

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सूवालाल चौधरी!

एक माननीय सदस्य : मेरे दो तीन दिन से कट मोशन आ रहे हैं। हर रोंज मेरा नाम आता है उसके बाद भी मुझे मौका नहीं दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप ठीक नहीं कह रहे हैं।

श्री सूवालाल चौधरी (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९ और अनुदान की मांग संख्या ४१ और मुख्य शीर्षक १०० पर कटौती के प्रस्ताव हैं......

श्री उपाध्यक्ष : समय आपके दल का पांच मिनिट बचा है। उस सीमा पर बोलें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : समय तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। हम जो कट मोशन देते हैं उनके बारे में हमें बोलना पड़ेगा। इस पर आपको सहानुभूति बरतनी पड़ेगी।

श्री सूवालाल चौधरी : सिंचाई विभाग को मैं पहले सुझाव देना चाहता हूं वह यह है कि जितने पुराने बांध हैं, चाहे किसी स्टेट के समय के हों या जनता द्वारा बनाये गये हों, या सिंचाई विभाग के द्वारा बनाये गये हों— उनके बारे में सरकार की क्या नीति है— यह मेरी समझ में नहीं आता— जिन बांधों से ५० एकड़ से कम सिंचाई होती है, या जिन बांधों से सौ एकड़ से ज्यादा सिंचाई होती है उन बांधों को पंचायत समिति को सौंप दिया। इस वजह से जो बांधों की हालत हो गई है कि पहले उनसे सिंचाई होती थी, लेकिन उनकी अब देख रेख नहीं हो रही है इस वजह से वह बांध सिंचाई के नाम पर तो असफल हो रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि सिंचाई सम्बन्धी जितनी योजनायें हैं उन सबका प्रबन्ध सिंचाई विभाग के जिम्मे होना चाहिये और सिंचाई विभाग के जरिये उनकी मरम्मत हो। अफसोस की बात यह है कि पानी का सम्बन्ध सिंचाई विभाग से होता है लेकिन उसका प्रबन्ध तहसीलदार करता है, जो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है कई समय ऐसा होता है कि किसानों के सामने पानी की समस्या भारी हो जाती है, किसानों को समय पर पानी नहीं मिलता है इसलिए खास तौर से सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये और यह छोटे बांध जो पंचायत के जिम्मे किये गये हैं इनको उनसे वापिस लेना चाहिए।

इसके साथ साथ दूसरी समस्या यह भी है कि पानी को वितरण करने का, पानी के बंटवारे का सरकार ने निर्णय लिया है कि पानी के वितरण के लिए पंच सरपंच सब आपस में बैठकर फैसला करेंगे। मैं आपको खास तौर से अपने क्षेत्र मालपुरा के लिये कहता हूं जहां के पंच, सरपंच के पीछे अल्प मत होता है, उनके गांव सिंचाई से वंचित रह जाते हैं। और जिन गांवों के लोग होशियार हैं, जहां के किसान होशियार हैं वह फायदा उठाते हैं।

इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मौजमाबाद में पूरा पानी आया था। मैं ज्यादा आलोचना नहीं करना चाहता। माननीय गृह मन्त्री जी उस क्षेत्र के हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जहां तीन पानी मिलते थे उनको एक भी पानी नहीं मिला है। मालपुरा में से आगे जगह है, जो बीस मील दूर है। वहां जाकर तीन चार पानी दिलाया गया। यह होशियारी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिये। इसलिए मेरा बांध के लिए सुझाव है, कि उससे एक पानी, दो पानी, तीन पानी का क्षेत्र निर्धारित हो जाना चाहिए और पानी आप इतना दें ताकि जमीन की सिंचाई अच्छी तरह हो जाय। जब तक ऐसा नहीं होगा और क्षेत्र निर्धारित नहीं होगा उस वक्त तक झगड़े रहेंगे। आप लोगों से काश्त करवाते हैं, उसके बाद भी उनको पानी नहीं मिलता है। इसलिए सारे बांधों के क्षेत्र निर्धारित किये जाने पर आपको सोचना चाहिए।

(श्री सूवालाल चौधरी)

गत वर्ष मैंने एक सुझाव पेश किया था, कालख वांध है, वह बहुत बड़ा बांध है और बहुत खर्च से बना हुआ है। लेकिन अफ़सोस है कि कालख से लेकर आसलपुर तक ६ मील का टुकड़ा है वह मेड़ा नदी में बह कर गिरता है। हर ६ साल से पानी उस नदी में भरा रहता है। आज आप योजना पर लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन आपकी बनाई हुई जो छोटी योजना है, उसके लिए आप नहर नहीं निकाल सकते। यह अफसोस की बात है कि सरकार की इस ओर उपेक्षा की नीति है। मैं कहूंगा कि यह मेड़ा नदी है उसका पानी काफी इलाकों में घूमता हुआ, फैलता हुआ जाता है और यह बेकार जाता है। इसलिए कालख बांध की आव के लिए मेड़ा नदी का कैच-मेंट बनाया जाय। अगर यह बन सके तो उससे पांच हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती हैं। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा मेरा क्षेत्र सारथल है, वह ऐसी जगह है जहां पांच सौ एकड़ में पानी भर जाता है, उस जगह न तो काश्त हो सकती है क्योंकि वह जमीन झील के समान है। उस पानी का उपयोग करने के लिए सरकार को लिफ्ट सिंचाई के सिस्टम का उपयोग करना चाहिये। इसके साथ मौज-मावाद का झरना है, केशरीसिंह का झरना है- ऐसे तीन चार स्थान हैं जहां जमीन पर झरने के द्वारा पानी बहता है, सर्दी में पानी बहता रहता है। क्या सरकार वहां सर्वे करा नहीं सकती? सरकार कुछ स्थानों का सर्वे कराये, वहां पर काफी मात्रा में पानी मिलेगा और लिफ्ट इर्रीगेशन के द्वारा उस पानी को उपयोग में लाया जाय तो मैं मान सकता हूं कि सैकड़ों एकड़ जमीन में उससे सिंचाई हो सकती है। इसी तरह से हमारे यहां छागवाड़ा का बांध है, उसके लिए सप्लाई कट बनाई गई थी और उसमें एक लाख रुपया शुरू में खर्च हुआ, लेकिन आज तक सप्लाई कट का पानी छागवाड़ा बांध में नहीं गया है। मोजमावाद में हीरावतों का बांध है और छोटे छोटे बांध हैं, उसका पानी जाता था, लेकिन सप्लाई कट न होने के कारण पानी नहीं गया और बांध खाली रहता है उस जगह की जमीन काठी जमीन है। मेरा निवेदन है कि दूदू से फुलेरा तक का जो भाग है, उस क्षेत्र की सिंचाई विभाग की तरफ से हर नाले की, हर नदी की सिंचाई योजना के लिए सर्वे करानी चाहिए और सरकार के पास आंकड़े होने चाहिए कि वहां पर छोटा बांध बन सकता है, किसी बांध से दस बीघा जमीन की भी सिंचाई हो सकती है तो सरकार को योजना लागू करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि छोटी योजनाओं की, जो कूओं के जरिये हो सकती हैं, लिफ्ट इर्री-गेशन के जरिये हो सकती हैं- इनकी गांव गांव में सर्वे करायें। आप बड़ी योजनाओं पर करोड़ों रुपया खर्च करना चाहते हैं, जो दस वर्ष में सिंचाई योजना पूरी होंगी, उनका पूरी होने के पश्चात् ही लाभ मिलेगा और उससे उत्पादन बढ़ेगा और सिंचाई डिपार्ट-मेंट को भी लाभ होगा। लेकिन छोटे बांधों से सिंचाई करनी है तो आपको इस ओर ध्यान देना चाहिये कि कुछ क्षेत्र हैं, जहां नदियां हैं, नाले हैं- उनको रोककर बांध बनाते हैं। कोई नाला है, उससे लिफ्ट इर्रीगेशन के जरिये, एनीकट्स बना कर,

(श्री सुवालाल चौधरी)

पानी को रोककर काम में लिया जा सकता है। आप एनीकट्स की योजना को लागू करें तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है।

इसके अलावा किसान कूए बनाते हैं। जहां आर्थिक हालत कोई जगह ठीक नहीं है तो बांध बनाने के लिए सरकार खर्च करती है उसी तरह से किसानों के लिए कूए बनाने का सिस्टम लागू किया जाय, सरकार की ओर से, सिंचाई विभाग की ओर से, सरकार को कूए बनाने चाहिए और सरकार को इससे उतना ही पैसा मिल सकता है। आप किसानों से सिंचाई की रेट ले सकते हैं मेरा निवेदन है कि कूओं के जरिये सिंचाई के साधन अपनायेंगे तो काफी लाभ किसानों को और सरकार को मिल सकता है। इसलिए इन योजनाओं की ओर ध्यान देना चाहिये। जहां बड़ी बड़ी योजनायें लागू नहीं कर सकते, वहां गवर्नमेंट सर्वे कराके आंकड़े इकट्ठे करे। इधर ध्यान दिया तो मैं मान सकता हूं कि किसानों की तरक्की होगी और किसानों की तरक्की होगी, तो आपको भी लाभ मिलेगा। इतना ही मैं कहना चाहूंगा।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष: श्री मनोहर सिंह मेहता ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय,

श्री डूंगाराम राजोरिया : टाइम तो बढ़ाना ही पड़ेगा साहब, अभी हम लोगों को बोलने का समय नहीं मिला है......

श्री मनोहरसिंह मेहता : राजाओं का राज्य गया, जागीरदारों की जागीरें गईं, वे बड़े भयभीत होगये थे पर वे अपने पैरों पर खड़े हुए तो महसूस करने लगे कि यह हमारे लिये जागीर स्लो पोइज़निंग था। इस स्लो पोइजनिंग के खत्म होने के बाद वे अपने पैरों पर खड़े हुए, उन्होंने महनत के साथ खुद काश्त करना शुरू किया और आज वे किसानों से ज्यादा पैदा करने की क्षमता रखते हैं। जिस तरह जागीरदारों के लिए यह स्लो पोइजनिंग था उसी तरह से अमेरिका और दूसरे देशों से बाहर से हिन्दुस्तान के लिये मदद आ रही है वह हिन्दुस्तान के लिये स्लो पोइजनिंग है। अमेरिका वाले और बाहर वाले हमें अन्न देते हैं, दूध देते हैं, हथियार देते हैं, हम बाहर से ये सब चीजें मंगा रहे हैं, और यह हालत यहां तक बढ़ रही है कि अगर कभी हमारे यहां बारिश नहींहुई तो कहीं ऐसा न हो कि हम बारिश भी बाहर से मंगावें और अमेरिका को कहें कि हमारे यहाँ थोड़ी बारिश भेज दो।

अन दे, धन दे, दूध दे और देवे हथियार।
बरसे जल नहींतो मांगले, जल अमेरिकाजार।

तो आज हमारे यहां यह हालत हो गई है। मैं नई दिल्ली में जाता हूं तो नई दिल्ली में जाकर देखता हूं कि क्या यह उस गरीब भारत की राजधानी है, जहां बाहर से अन्न आ रहा है, बाहर से दूध आ रहा है। अमेरिका वाले हमें अन्न दे दें, दूध दे दें पर उनके दिलों में हमारे प्रति इज्जत नहीं है। इज्जत होगी भी कैसे ? यदि कोई जवान आदमी हमारे घर पर आ जाय और हमसे भीख मांगे तो हम उसकी क्या इज्जत करेंगे, हम कहेंगे कि

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

जवान होकर भीख मांगता है, कमा कर क्यों नहीं खाता ।

अब आपको सूझी है कि बांध बनवावें । इन बीस वर्षों में अगर आपने बांध बनवा लिये होते तो राजस्थान में बाहर का अन्न अमेरिका का गेहूं हर्गिज नहीं आता । अब भी बाहर से गेहूं न मंगवाने का हम संकल्प कर लें, मैंने संकल्प किया कि बाहर का गेहूं नहीं खाऊंगा, कई दिनों तक मक्का खाई पर अमेरिका का गेहूं मैंने नहीं खाया । इसी तरह से हम संकल्प करलें कि अनाज बाहर से नहीं मंगायेंगे, हमारे यहां नदियां बह रही हैं, नदियों पर बांध बंधवावें, छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाओं को हाथ में लें, एनीकट् बनवायें, तालाबों को बंधवाएं और अधिक से अधिक अन्न पैदा करें । मांडलगढ़ में १० नदियां हैं पर वहां कोई बांध नहीं बंधवाया गया । गोवटा की नदी महाराज फतेसिंहजी के टाइम में बंधाई थी, उसको कुछ ऊपर उठाया है, उसे और ऊंचा उठाने की आवश्यकता है, मेरा निवेदन है कि आप उसे और ऊंचा उठावें । जब से गोवटा तालाव बन्धा है, तालाब के पेटे में जितने गांव आये हैं उनको आज तक जमीनें नहीं दी गई हैं और वे लोग धीरे धीरे बेकार बन गये हैं । जैतपुरा के बांध को लिया है, उसके लिये धन्यवाद । पर मांडलगढ़ में १० नदियां बहती हैं फिर भी वहां पर अमेरिका का गेहूँ आया । वहां पर आप नदियों को बंधा दें तो वह राजस्थान को काफी अच्छा हिस्सा अनाज का दे सकता है, भीलवाड़ा को तो पूरा अन्न दे सके इस प्रकार की उसकी क्षमता है । वहां इतनी नदियां हैं, बेड़च हैं, कोठारी है बनास नदी बहती है । जहां वोरी माता का स्थान है वहां कोठारी को बंधाया जाय । खटवाड़ा के पास ४० हजार रुपया लगाकर कलकत्ता के एक सेठ ने एक कुआं बनवाया था, वहां आपके आदमियों को भेजिये और देखिये कि लिफ्ट इरिगेशन किया जा सकता है या नहीं । १० नदियां बहती हैं, वहां उन पर उपयुक्त स्थान देख कर बन्ध बन्धवाइये । एनीकट्स बन्धाये जा सकते हैं । एनीकट्स बनाने का सारा बोझा मैं सरकार पर डालना नहीं चाहता जहां जहां एनीकट्स बन्धवायेंगे वहां १।४ हिस्सा यहां की जनता देगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राज्य के कामों में जनता भी हाथ बंटाये ।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि कमाण्ड एरिया की जमीनें हैं उन जमीनों को आप उन भूमिहीनों को दें जो हाथ से खेती करने वाले हैं । जो पैसे अन्य लोग देते हैं उतना पैसा वे लोग भी आपको दे देंगे । कृपा करके बाला बाला यहीं से उन जमीनों को अलोट मत कीजिये । इधर कमाण्ड एरिया में खुद खेती करने वाले भूमिहीनों को भूमि अलोट की जाय और उधर बांध बन्धवाये जायें, एनीकट्स बन्धवाये जायं तो राजस्थान में इतना अन्न हो सकता है कि यहां की जरूरतों को पूरा करने के बाद काफी अनाज हमारे देश के दूसरे भागों को दिया जा सकता है ।

मेहताजी का खेड़ा में बांध बन्धाया था पंचायत समिति ने, हालां कि मैं तो इस राय का हूं कि इन पंचायत समितियों को खत्म करिये पर जहां धन का अभाव है वहां

Page No.142

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

आर्थिक सहायता देकर यह कार्य करवायें। घेनोली, मेहताली का खेड़ा है वहां बांध बन्धवाइये। तो इस तरह बांध बन्धवाइये, एनीकट्स बन्धवाइये, इस तरह से राजस्थान की चप्पा चप्पा जमीन पर अनाज की उपज होगी तो राजस्थान में एक भी दाना अनाज का बाहर से नहीं आयेगा और राजस्थान भारत के दूसरे प्रान्तों को भी अनाज दे सकेगा। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैं जानता हूं कि सिंचाई मंत्री जी की अर्थ के कारण असमर्थता तो है पर इसके लिए हमें दूसरे खर्चों में कमी करनी पड़े तो उन खर्चों में कमी करने को तैयार हो जायं। २३२ गाड़ियां पंचायत समितियों में हैं, ९७ जीपें समाज कल्याण में हैं, इस प्रकार के अनावश्यक खर्चों को बन्द करिये और पूरी शक्ति अन्न उत्पादन की दिशा में लगा दीजिये ताकि राजस्थान सारे हिन्दुस्तान में ऊंचा सर रख सके।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

माननीय सिंचाई मंत्री जी ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर जिले के बारे में कहना चाहता हूं......

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपने क्षेत्र के बारे में कहने का समय दिया जाय......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ? जितना अलग अलग दलों को समय दिया गया था, उतना सब दलों ने समय ले लिया है। समय काफी हो गया है इसलिए मैं माननीय सदस्यों से सहयोग चाहूंगा।

श्री नाथूराम : समय बढ़ाइये।

श्री उपाध्यक्ष : समय तो बढ़ाना पड़ेगा ५ बजने को हैं, मन्त्री महोदय बोलेंगे, ६ बज जायेंगे। इसलिए अब सिंचाई मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : जब हम हमारे यहां की बात ही नहीं रख पायेंगे तो सिंचाई मंत्री जी क्या जबाव देंगे।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आसन की ओर से कल भी समय बढ़ाया गया था, पहले भी बढ़ाया गया था, इसलिए आज भी समय बढ़ायें ताकि हम अपने यहां की बात रख सकें......

श्री लादूराम सुलानिया : सिंचाई विभाग के सारे उच्च अधिकारी जयपुर में बैठते हैं पर जयपुर को बिलकुल उपेक्षित रखा गया है...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बिना माननीय सदस्यों के सहयोग के सदन की कार्यवाही अच्छी तरह चल नहीं सकती। समय की सीमा में काम करना होता है। जितना समय रखा था माननीय सदस्यों ने ले लिया माननीय सदस्यों की बोलने की इच्छा रह

Page No.143

(श्री उपाध्यक्ष)

गई पर आसन मजबूर है क्योंकि समय की सीमा में कार्य करना पड़ता है। इसलिये सिंचाई मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री लादूराम सुलानिया : मेरा कटमोशन है, मुझे उस पर बोलने का समय नहीं दिया गया है, मुझे अपनी बात तो रख लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : जिस समय आपका नाम पुकारा गया, आप यहां नहीं थे।

श्री लादूराम सुलानिया : हमारे नियमों में कहीं पर ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिस समय सदस्य का नाम पुकारा जाय और वह सदन में नहीं हो तो उस पर बोलने का बान लगा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित नहीं करें। यह मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा।

(माननीय सदस्य श्री लादूराम सुलानियां और श्री डूंगाराम साथ साथ बोलने लगे)

श्री लादूराम सुलानिया : हमें बोलने का समय दिया जाय......

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमें समय नहीं मिले यह नहीं होना चाहिये। करोड़ों रुपया सिंचाई पर खर्च करने के बाद भी जयपुर जिले को एक भी पैसा नहीं मिले और हमें बोलने का आप समय नहीं दें यह नहीं होना चाहिये। कम से कम बोलने का तो समय दें।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि महज दलों का समय कह कर सदस्यों को टाल दें तो इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए बहुत नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि हमें अपनी बात रखने दें।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय सिंचाई मंत्री जी ?

(शोरगुल)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही में बाधा नहीं पैदा करें। आपको हमेशा समय दिया जाता है।

(५ म० प०)

आधे घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

श्री मदनसिंह : मेरा सजेशन है कि मंत्री महोदय के जवाब के बाद तीनों सदस्यों को सवाल करने का मौका दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो बढ़ा दिया गया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कुछ और सदस्यों को मौका दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब होगा सभी दलों में फिर समय बांटा जाय, किसी को तीन मिनट किसी को दो किसी को सात मिनट ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : दो तीन आदमी हैं ।

श्री डूंगाराम : सिंचाई मंत्री क्या बोलेंगे ? इतनी प्रगति की है, उनके पास बोलने के लिए क्या है ? हम भी तो बतायें कि हमारे इलाके में कुछ नहीं हुआ है, कितना रुपया बेकार गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : संभव नहीं होगा । स्थान ग्रहण करें ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मुझे ५ मिनट दिए जायं ।

श्री डूंगाराम : मेरी समझ में नहीं आता......

श्री नाथूराम : मैं दो तीन मिनट में बोलता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री नाथूराम : माही के बारे में मुझे बोलना है ।

श्री उपाध्यक्ष : माही के बारे में मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं । आपको अगर स्पष्टीकरण कराना हो तो बाद में और सवाल पूछ सकते हैं ।

(शोरगुल)

श्री डूंगाराम : क्या स्पष्टीकरण करायेंगे जब तक हम बोलेंगे नहीं ।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें ।

श्री लादूराम सुलानिया : जब भी सदन में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग खड़े होते हैं तो आसन की तरफ से फौरन बैन लगाई जाती है, हमारे अधिकारों की अवहेलना क्यों की जाती है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं ऐसी आशा नहीं करता कि इस प्रकार के आक्षेप आसन के प्रति लगाए जायं । शिड्यूल्ड कास्ट्स के माननीय सदस्य खड़े होते हैं तो अवश्य उनको बोलने का समय दिया जाता है लेकिन यह चीज आसन बरदाश्त नहीं कर सकता । मुझे कहना नहीं चाहिए कि कुछ माननीय सदस्यों की आदत सी हो गई है आखिर में जाते खूब दबाव डालें तो उनको समय दिया जायगा । इससे सदन की कार्यवाही चल नहीं सकती । इसलिए मेरी मजबूरी है और बोलने के लिए माननीय सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा समय मिले, इसका हमेशा ध्यान रखा जाता है, आपका कहना उचित नहीं है । इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य सहयोग दें । शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों का हमेशा ज्यादा ध्यान रखा जाता है ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु०) अगर ज्यादा ध्यान रखा जाता है तो ऐसा रवैया आसन की तरफ से नहीं होता । हमारी बार–बार प्रार्थनाओं पर भी अनु-

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

मति नहीं दें तब ही तो सुलानिया जी को मजबूर होकर ऐसा कहना पड़ा। इसलिए आसन को हम लोगों के प्रति ध्यान देना चाहिए, हमारी जो बातें हैं, उनको सुनने के लिए ज्यादा समय मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आज मजबूरी है।

श्री डूंगाराम : मजबूरी की कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम : हमें समय मिलना चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर माननीय सदस्य इतने उत्सुक हैं तो ५ मिनट नाथूराम जी को और ५ मिनट डूंगाराम जी को दे दें ताकि इनकी पूरी हो जाय।

श्री डूंगाराम : ५ मिनट तो बहुत कम दिए हैं। मैं जल्दी पूरा करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो यह सरकार वर्षा पर निर्भर रहने वाली है, जनता के धन पर कमर बांधने वाली है। उसने कभी नहीं सोचा कि ऐसे साधन भी हमारे पास हैं जिससे राज्य की आमदनी बड़ सके। बर्षा इस वर्ष हो गई तो बड़ी खुशी की बात हो गई। तीन साल बर्षा नहीं हुई तो कह दिया कि अकाल पड़ रहा है इसलिए यह निकम्मी सरकार वर्षा पर निर्भर है।

अध्यक्ष महोदय, आपने केवल ५ मिनट दिए हैं मैं केवल जयपुर जिले की सिंचाई के बारे में ही निवेदन करूंगा। सिंचाई योजनाओं को तीन भागों में प्रगति पत्र में बांटा गया है। जो आंकड़े प्रगति रिपोर्ट में दिए गए हैं उनसे ऐसा लगता है कि जो मध्यम श्रेणी की ३६ योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं उनमें से एक योजना भी जयपुर जिले के लिए नहीं थी। जयपुर जिले के साथ इस भेदभाव का क्या कारण है ?

प्रगति रिपोर्ट में बृहद् एवं मध्यम श्रेणी सिंचाई योजनाएं प्रगति के स्तर पर बताई गई। वह करीब ३८ सिंचाई की योजनायें हैं उनमें से केवल दो सिंचाई योजनायें चंदाना बांध और कानोटा बांध जयपुर जिले में हैं। चंदाना बाँध की स्कीम बने १० साल हो गए, करीब—करीब २५—५० लाख का एस्टीमेट बना हुआ है लेकिन एक पैसा भी वहां पर खर्चा नहीं किया। इतने लम्बे समय में सरकार ने एक कौड़ी भी खर्च नहीं की। इसी तरह कानोटा बांध पर भी एक कौड़ी खर्च नहीं की। इस तरह जयपुर जिले के लिए जो योजनायें बनाई हैं चालू वर्ष में उनको बना कर छोड़ दिया है, एक भी योजना चालू नहीं की है।

तीसरी योजनायें जो चालू हैं वे लघु सिंचाई योजनायें हैं। जो प्रगति पर हैं उन योजनाओं के लिए ५०४:३५ लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान था, उसमें से २३२:७२ लाख रुपया आपने खर्च कर दिया। १६६६—६७ में उसके बाद ५३:४७, १६६७—६८ में ४४ लाख अब खर्च करने जा रहे हो। इसमें इन ६४ कार्यों में से भी आपने जयपुर जिले के लिए कोई एक भी योजना नहीं रखी है, तीन प्रकार की योज-

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

नाओं में से किसी प्रकार की योजना जयपुर जिले के लिए नहीं रखी है। तो मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जयपुर जिले के साथ भेदभाव की नीति क्यों रखी है ? जहां कि कोई भी सिंचाई का साधन नहीं, न बड़े बांध सिंचाई के हैं न छोटे। उसके बावजूद भी इस जिले को सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं करना कहां तक न्यायसंगत है ?

अब मैं मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। अब तक तो सरकार ने कोई मेहरबानी नहीं की लेकिन मेरा कर्त्तव्य हो जाता है आपको बताना। प्रगति रिपोर्ट में बनाया है कि जितनी नदियों का पानी बेकार जाता है उस पानी को रोकने की स्कीम है सरकार की, इसलिए जो भी पानी फालतू जाता है नदियों से या नालों से उसको रोककर बांध बनाया जाय तो काफी सिंचाई हो सकती है। मैं मेरे क्षेत्र दौसा के बारे में कहना चाहूंगा कि ग्राम नांगल चापा के पास मूडली नदी को रोककर बांध बनाया जा सकता है। मेहसरा कलां ग्राम के पास एक बड़े नाले को रोककर बांध बनाया जा सकता है। इन दोनों बांधों से अच्छी सिंचाई हो सकती है और कुएं का पानी मिल सकता है।

रिपोर्ट में पंचायत समितियों के द्वारा जो छोटे तालाब बनाये जाते हैं उसका भी हवाला दिया गया। लेकिन जितने पंचायत समितियों के द्वारा जो तालाबों को पैसा दिया जाता है उसमें भी जयपुर जिले के साथ भेदभाव बरता गया है। जहां तक मैंने देखा है। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी जमवा रामगढ़ और दौसा इन दोनों क्षेत्रों में पंचायत समिति द्वारा कोई खास छोटे तालाबों का निर्माण नहीं हुआ है पंचायत समिति द्वारा।

अकाल राहत कार्य जो भी किये गये हैं वहां भी जयपुर जिले में किसी प्रकार का राहत कार्य नहीं किया गया। मेरी कोन्स्टीट्यूएन्सी में किसी प्रकार का कोई बांध या तालाब खास करके नहीं बनाया गया। अब मैं टूटे हुए बांधों के बारे में कहूंगा जिन पर थोड़ा पैसा ही खर्च करने से काफी पानी मिल सकता है, इस बारे में मैंने कई बार पहले भी कहा है। अब मैं उन टूटे हुए बांधों के बारे में निवेदन करूंगा।

महेसरा खुर्द बांध सन् ८१ में जब रियासतें थीं तब का बना हुआ बांध है यह बांध एक तरफ से टूट चुका है यदि इसको ठीक करा दिया जाय तो इससे काफी सिंचाई हो सकती है, इसलिए सरकार को कहना चाहता हूँ कि इस बांध को बंधवा दिया जावे तो दूसरे कई गांवों को लाभ मिलेगा यह एक बड़ी अच्छी स्कीम है। इसी तरह से भांडारेज पंचायत में कितने ही बांध ऐसे हैं जो ठिकाने के समय के बनाये हुए हैं जो टूटे पड़े हैं इन पर ध्यान दिया जाये तो काफी सिंचाई हो सकती है और उत्पादन पर काफी अच्छा असर होगा।

इसके साथ ही दूसरी बात मैं सरकार से निवेदन करूंगा जो नहरें निकाली जाती हैं उन पर कई जगह पानी का अभाव है जिसके कारण रास्ते में आने जाने वालों को तकलीफ होती है। सिन्डोली बांध से

(श्री डूगांराम राजोरिया)

जो नहर निकाली है उससे कुड़ल से दौसा जाते समम यात्रियों व बैल गाड़ियों को मुसीबत होती है अतः एक पुलिया मेडोली के पास बनायी जाय।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं वह ट्यूब वेल्स के बारे में है ट्यूब बेल जो सरकार लगा रही है वह सराहनीय बात है। मैं मेरे इलाके के लिये निवेदन करूंगा कि एक ट्यूब वेल सरकार की ओर से खुदवाया जाय जिससे वहां के किसान को पता लगे कि ट्यूब वेल खुदवाने से इतना पानी निकल सकता है तो दो-दो चार-चार किसान मिल कर ट्यूब वेल अपने आप खुदवा लेंगे। लेकिन पहले सरकार अपने पास से खर्चा करके बताये ताकि वहां के लोगों को तसल्ली हो जाय कि ट्यूब वेल से पानी निकल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जितने भी प्रस्ताव रखे हैं उनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये जयपुर जिले में गत बीस सालों में किसी भी प्रकार के भी सिंचाई के साधन नहीं दिये गए हैं, सरकार इस ओर जरूर ध्यान देगी जमवा रामगढ़ और दौसा के लिये जो मैंने कहा है उस ओर ध्यान दिया जायगा ऐसी आशा करता हूँ।

श्री नाथूराम (बागडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा में माही नदी पर बजाज सागर डेम का शिलान्यास ७ मई १९६० को माननीय मुरारजी देसाई भारत सरकार के वित्त मंत्री ने किया था। इस योजना की लागत ३० करोड़ रुपया है अभी तक इस पर डेढ़ करोड़ रुपया खर्च हुआ है और इस बजट में २५ लाख का प्रावधान है। डेढ़ करोड़ रुपये में एक इन्च भी नींव नहीं खोदी है जहां इरीगेशन विभाग द्वारा डेढ करोड़ रुपया खर्च हो जाय और नींव भी नहीं खुदे यह बड़े आश्चर्य की बात है। इस तरह से हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अगर यह परियोजना नहीं बनती तो इतना रुपया खर्च होने से तो बच सकता था।

बांसवाड़ा जिले में माही डेम बनेगा उससे राजस्थान और गुजरात दोनों को बिजली मिलेगी। आठ वर्ष हो गये केवल एक शहद का घड़ा टांग रखा है और लाखों लोगों को बताया कि मुंह में एक एक बूंद पड़े। इस योजना से राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात को बिजली मिलने की योजना थी लेकिन उसको खटाई में डालकर माही पर गुजरात के लिए कड़ाना डेम बनाया जा रहा है।

माननीय मन्त्री महोदय ने जो आंकड़े बताये हैं उसके हिसाब से तीस हजार एकड़ भूमि डूब में आने वाली है जिसमें ६,८२३ एकड़ भूमि गढ़ी की बताई गई है जिसको मैं गलत मानता हूं। इसका कारण यह है कि आस-पास के नदी-नाले ऐसे हैं जिससे पानी भरा रहेगा। यहां सोना उगलने वाली भूमि है उसको राजस्थान सरकार, डूब में ला रही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस तरह से राजस्थान सरकार इस शिड्यूल एरिया को डुबाने के लिए कोशिश न करे, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार से वह कहे कि यह शिड्यूल एरिया है जहां लाखों की संख्या में आदिवासी रहते हैं इसकी उपजाऊ जमीन को नहीं डूबोये। आज एक तरफ हमारी सरकार विदेशों से

(श्री नाथूराम)

अनाज की भीख मांग रही है और दूसरी तरफ जो भूमि सोना उगलती है उसको डूब में ला रही है। माही नदी पर गुजरात में यह जो कड़ाना बान्ध बनाया जा रहा है जिसके कारण हमारा उपजाऊ क्षेत्र डुबो रहे हैं आदिवासी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं सरकार को निवेदन करता हूं कि इस तरह से जो क्षेत्रीय भावना पैदा हो रही है। सेन्टर में बैठे हुए बड़े मन्त्री राजस्थान सरकार को डराते हैं उनको डरना नहीं चाहिएं, यहां की उपजाऊ जमीन को नहीं डूबने देना चाहिये।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करता हूं कि सागवाड़ा, गढ़ी और बागीडोरा तहसील के लोग इतने भयभीत हो गये हैं कि इसका असर उत्पादन पर भी पड़ा है। वे लोग खेती पर काम नहीं करते, वे अपने खेतों के विकास का काम नहीं करते। सिंचाई मन्त्री जी उधर दौरा करें उनको मालूम होगा। अभी गवर्नर साहब उधर पधारे थे गलियाकोट में लोगों ने उनसे निवेदन किया था कि वे सरकार पर दबाव डालें कि कडाना डेम की ऊंचाई कम करके राजस्थान एरिया को नहीं डुबो दें।

इसी प्रकार बांसवाड़ा जिले में भगोरा तालाब है छ लाख खर्च हुए हैं नहर नहीं बनी है सो उसको पूरा कराया जावे। एढाई तालाब के बारे में हम कितने ही साल से मांग कर रहे हैं वहां के मजदूरों को ठेकेदार ने पैसे नहीं दिये वहां काम ढ़िलाई से चल रहा है। मेरा यह निवेदन है कि यह काम ठेकेदार से न करवाकर विभाग की तरफ से चलाया जाय ताकि ठेकेदार लाखों रुपयों का फायदा न ले सकें और जल्दी पूरा हो सके डेढ करोड़ रुपया आपने केवल माही नदी की योजना के स्टाफ के लिए खर्च कर दिया। इतना पैसा छोटी योजना पर खर्च होता तो ज्यादा अनाज पैदा होता।

ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा हो सके इसके लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करता हूं कि जहां पर हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र में दुष्काल पड़ते हैं वहां छोटे-मोटे तालाब बनाये जायं। आज जो अपूर्ण तालाब पड़े हैं, उनको पूर्ण कराये जायं नहीं तो उनमें जो पैसा लगा है, वह सब बेकार जायगा। तालाब में पानी रोका जाता है तो ज्यादा से ज्यादा पैदावार होती है और दुष्काल भी खत्म हो सकते हैं। सरकार से निवेदन है कि जो अपूर्ण काम है, उसको पूर्ण करा दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई मंत्रीजी !

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे टाइम तो नहीं मिला। मेरे दो मित्र बोल चुके हैं लेकिन थोड़ा निवेदन करना है कि जयपुर जिले के साथ २० सालों से सौतेला व्यवहार बरता गया है। इसके बारे में हमें निश्चित रूप से बताना है कि जहां राजस्थान का मंत्री मण्डल बैठता है, उनके लिये बड़े-बड़े भवन निर्माण होते हैं। किन्तु जयपुर जिले को वंचित रखा जा रहा है। परिगणित जाति के लिये राज्य सरकार ने जमीनें सुरक्षित रखी हैं, सारी बातें सुरक्षित कर

(श्री लादूराम सुलानियां)

रखी हैं लेकिन इर्रीगेशन में पानी क्यों नहीं सुरक्षित रखा जाता है ? परिगणित जाति के लिये २५ प्रतिशत पानी सुरक्षित कर देना चाहिये । यह मेरा सुझाव है (श्री परसराम मदेरणा ने श्री रामप्रसाद लड्ढा को इस बढ़िया सुझाव को नोट करने के लिये कहा) सारी चीजों में सुरक्षितता है तो पानी में क्यों नहीं ? इसके अलावा मेरा एक सुझाव कालख और खाखरवाड़ा जयपुर जिले में बहुत पुराने काल से बना हुआ है जबकि हमारा देश आजाद नहीं था। लोगों ने इस बात के प्रयास किये हैं कि वहां बांध बनाया जाय लेकिन इस जयपुर जिले से न जाने क्या नाराजगी है और एक भी बांध नहीं बनाया है और न कोई सिंचाई के साधन ही उपलब्ध कराये हैं। ऐसी नहर जो कम से कम ८० मील लम्बी जाती है लेकिन उसमें १५-२० मील के अलावा पानी नहीं पहुंचता है, वहीं के गांवों में समावेश हो जाता है। एक योजना बनानी चाहिये। आजादी के बाद पानी नहीं पहुंचाया गया है। सिंचाई मंत्रीजी को क्या निवेदन करूं और इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। राजाओं के टाइम पर पानी पहुंचता था और आजादी के बाद पानी नहीं पहुंचता है। जो सौतेला व्यवहार किया गया है, उसको कम किया जाय। मैं कहता हूं कि इस प्रकार से जयपुर जिले से कभी कांग्रेस नहीं जीतेगी इसलिये ईर्रीगेशन विभाग को चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा पानी दिया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, सिंचाई के सम्बन्ध में मैंने सदन के समक्ष २५ करोड़ ३ लाख ७ हजार की मांग प्रस्तुत की है। माननीय सदस्यों ने १८३ कटौती के प्रस्ताव इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये हैं। इन कटौती के प्रस्तावों के जरिये सिंचाई के सम्बन्ध में काफी ज्ञान हुआ है और साथ ही साथ यह भी आभास हुआ कि आपकी काफी निष्ठा है जागरूक होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमारे देश की विशेष परिस्थितियां एक तरफ प्रति व्यक्ति अनाज की उपज जो दुनियां का एवरेज है उससे हमारे देश का आधा है बल्कि रूस और अमेरिका के एवरेज से हमारे देश की उपज चौथाई है। दूसरी तरफ जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ, उस समय जो आबादी ३३ करोड़ थी वह बढ़ते-बढ़ते आज ५१ करोड़ की हो गई और पिछले वर्षों में हमेशा…………

एक माननीय सदस्य : जरा जोर से फरमायें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पिछले वर्षों में हमेशा अनाज की कमी ही नहीं।

(५·२५ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत, सभानेत्री, पदासीन) बल्कि ५६ से ६६ के, आंकड़ों को देखें तो पता लगेगा कि हमने सत्तरह सौ करोड़ रुपयों का अमेरिका आदि देशों से अनाज मंगवाया है जबकि सिंचाई की योजना पर चौदह सौ करोड़ रुपया खर्च किया है। ६६–६७ में ५३३ करोड़ का अनाज बाहर से मंगाया जबकि २२३ करोड़ सिंचाई की योजनाओं पर खर्च किया। इस प्रकार रफ्तार यह रही है कि बाहर से अनाज मंगाते रहे हैं।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हारनेस करने के लिये जितना रुपया लगना चाहिये उतने रुपये की व्यवस्था नहीं कर सके। अनाज की समस्या बढ़ती रही है। आज जो हमारे देश का एरिया १२ लाख ६५ हजार स्क्वायर मील है, उसके मुकाबले राजस्थान का एरिया १ लाख ३१ हजार स्क्वायर मील है। इस तरह ज्योग्राफिकल एरिया में सारे मुल्क के मुकाबले १०.४ प्रतिशत है। इसी तरह जितनी हिन्दुस्तान में खेती होती है, उस हिसाब से राजस्थान में जो खेती होती है, तो देश के ९—६ प्रतिशत क्षेत्र में राजस्थान में खेती होती है। ३९०० लाख एकड़ एरिया में ३७५ लाख एकड़ राजस्थान में है। लेकिन इतनी अधिक जमीन पर सिंचाई होते हुये भी जो हमारे यहां सिंचित क्षेत्र है, अगर हम उसकी तुलना करें तो हिन्दुस्तान में जितना एरिया सिंचित है उसका ६ प्रतिशत हमारे यहां सिंचित होता है जबकि राजस्थान ने पिछले ३ वर्ष की योजनाओं में और दो सालों में पहले के मुकाबले १४—७ यानि १५ प्रतिशत सिंचाई में बढ़ोतरी की है। जबकि सारे भारत का २३—३ प्रतिशत है। इस प्रकार जमीन का एरिया ज्यादा है, पानी कम और वर्षा कम होती है। इसलिये बहुत कोशिश करने पर इतनी तरक्की कर पाये हैं। हमारे यहां वाटर पोटेंशियल जो वर्षा से पानी बरसता है वह सारे देश में जितना पानी है उसका केवल १—३५ ही है। सारे हिन्दुस्तान में १३,५६० लाख एकड़ फीट पानी की क्षमता है। तो हमारे यहां पर १८१ लाख पानी की क्षमता है इससे प्रकट होगा कि राजस्थान में सारे देश की क्षमता का १।३५ ही क्षमता है। एक तरफ पानी की अत्यन्त कमी, वर्षा का अभाव और दूसरी तरफ एरिया में भारत के मुकाबले सबसे अधिक, क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान से बड़ा जरूर है लेकिन कल्टीवेटेड एरिया राजस्थान में मध्य प्रदेश से ज्यादा है। हिन्दुस्तान के अन्दर हमारा राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जिसमें सबसे अधिक जमीन पर खेती होती है। खेती होने योग्य जमीन राजस्थान में जब दूसरी और प्रोजेक्ट बढ़ जाते हैं तो बढ़ोतरी होती है।

तो मैंने ये आंकड़े इसलिये बताये कि राजस्थान के सामने यह समस्या अत्यन्त गम्भीर है। मुल्कके दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में। फिर भी राजस्थान ने इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की है। राजस्थान जब बना था तो केवल ९ लाख एकड़ जमीन सिंचित होती थी, नहर के एरिया से और २१ लाख कुओं से सिंचित होती थी। लेकिन इन पिछले १५ वर्षों में लगभग १३४ करोड़ रुपया सिंचाई योजनाओं पर खर्चा करके इरिगेटेड एरिया का क्षेत्र ९ लाख एकड़ से २५.८६ लाख एकड़ तक पहुंच गया। और इसी तरह से सिंचित एरिया कुओं से २१ लाख एकड़ से बढ़कर ३० लाख एकड़ से अधिक हो गया और इस तरह से हमारा सिंचित एरिया आप समझें १५ परसेन्ट बढ़ गया। पर यह भी काफी नहीं है।

अगर हम जितना पानी बरसात से राजस्थान में बरसता है उस सारे पानी को रोक लें जिसके लिए हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि १८१ लाख एकड़ फीट राजस्थान में है। ७९० हजार मिलियन फीट पानी यहां

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है। और ५०० हजार मिलियन फीट पानी को हमने हारनैस कर लिया। इस तरह पहली दूसरी और तीसरी योजना में और इन पिछले दो सालों में वाटर पोटेन्शियेलिटी राजस्थान की ६३ परसेन्ट हारनैंस कर ली है। अब बाकी का जो बचा है उसमें से कहा जाता है ६० थाउजेन्ड मिलियन क्यूबिक फीट पानी ऐसा है जिसको हारनैस कर सकते हैं।

इस तरह जो पानी हारनैस करने से बच गया है उसको भी हारनैस कर लेंगे। और जो किया है उसका भी फुल यूटीलाइ-जेशन कर लें तो इस सारे पानी से ४७-४८ लाख एकड़ जमीन से ज्यादा सिंचित नहीं कर सकते। जब ४७-४८ से ज्यादा सिंचित नहीं कर सकते और कुओं से ४०—५०—६० लाख एकड़ से ज्यादा नहीं कर सकते। जब कि हमें एक करोड़ ६२ लाख एकड़ जमीन को सिंचित करना है। वह हम इस प्रकार से सिंचित नहीं कर सकते जो राजस्थान में है।

इस बात को राजस्थान ने बहुत पहले से समझा है और इसका मुख्य कारण यह भी है कि पानी किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है। पानी हवा और रोशनी यह तीन राष्ट्र की सम्पत्ति हैं और सबके लिये समान उपयोगी वस्तु हैं। इसलिये हमने कोशिश की कि यदि राजस्थान में पानी नहीं बरसता है तो हम बाहर से पानी लाकर हमारी इस खेती में काम आने लायक जमीन जो प्यासी है उसकी प्यास बुझावें। गंग कैनाल के अन्दर पानी आया बीकानेर महाराज लाये।

लेकिन उसके बाद में भाखरा कैनाल प्रोजेक्ट बना और उससे हम करीब ६ लाख एकड़ सिंचित करें जितना पानी राजस्थान में ला पाये।

चम्बल का बान्ध बना उससे हम बाहर से बरसने वाले और हमारे क्षेत्र में बरसने वाले पानी को मिलाकर ला पाये और उसके बाद में राजस्थान कैनाल की योजना बनाई गई।

बहुत से सदस्यों ने राजस्थान कैनाल की धीमी गति पर रोष प्रकट किया। बहुत सों ने यह कहा कि इसको सेन्ट्रल ऑथोरिटी बनाना चाहिये। बहुतों ने यह कहा कि इसके लिये प्लान सीलिंग से ऊपर धन लाना चाहिये ताकि इसके उपर होने वाले धन का वजन राजस्थान के जनरल इकानोमी और प्लान्स पर न पड़े। ये बातें समझ में आती हैं। राजस्थान कैनाल ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट या सीमा सुरक्षा प्रोजेक्ट कहें तो भी अति-शयोक्ति नहीं होगी क्योंकि यह दोनों दृष्टियों से डिफेन्स के पोइन्ट आफ व्यू से और राष्ट्र की अन्न की कमी को दूर करने की दृष्टि से उपयोगी है।

आप सब जानते हैं कि बार—बार आंकडों में यह कहा जाता है कि हमारा देश दस मिलियन टन से डेफीसिट है। यहां एक करोड़ टन अनाज की कमी हमारे देश में है और उस कमी को अगर हम पूरी कर लेते हैं तो सेल्फ सफिसियेन्ट हो जाते हैं। बरसात की कमी या अकाल की स्थिति न आवे तो राजस्थान कैनाल जिसके बारे में आप सब माननीय सदस्य जानते हैं कि

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

१८५ करोड़ की योजना है। जो दो चरणों में पूरी की जाने वाली है और जिस पर करीब ४।। हजार मील की नहरें और डिस्ट्रिब्यूटरीज बनेंगी और जिसका काफी हिस्सा पंजाब और हरियाणा में बना और बाकी इधर हमारी तरफ बन रहा है। तो इसके मुकम्मिल हो जाने पर २५ लाख टन खाद्यान्न का एडीशनल उत्पादन केवल इस राजस्थान कैनाल से होगा। तो इसका मतलब यह निकलता है कि हिन्दुस्तान में दस मिलियन टन खाद्यान्न की कमी का पच्चीस प्रतिशत तो हम केवल राजस्थान नहर का पूरा निर्माण होने पर इससे ही पूरा कर सकते हैं जब कि खाद्यान्नों के अलावा दूसरी उपज भी यहां से होगी कि जिसको १०० करोड़ से अधिक की पैदावार मानते हैं ऐसे प्रोजेक्टों के लिए चिन्तित होना स्वाभाविक है। राजस्थान के लोगों को ही नहीं, राजस्थान के विधायकों को ही नहीं, यह सारे देश के हित में है कि यह नहर का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो इसलिये सबको इसकी चिन्ता होनी चाहिये।

राजस्थान सरकार भी प्रयत्नशील रही लेकिन धनाभाव के कारण जो हम जिस मन्जिल पर पहुंचना चाहते थे निश्चित अवधि में उस पर नहीं पहुँच सके।

माननीय सदस्य जानते होंगे इसमें दूसरी योजना तक १३।८ करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं और उद्देश्य बनाया कि ६८–६९ में मुकम्मिल कर दें। इसलिये तीसरी योजना में स्टडी ग्रुप ने स्टडी किया प्लानिंग कमीशन ने ३८ करोड़ रुपया देने का तय किया लेकिन जब प्लान एग्जीक्यूट होने लगी तो ३८ के बजाय २८ करोड़ ही मिला। दस करोड़ कम मिले और चौथी योजना में जो बाकी का ३३ करोड़ देना था जिससे उसको समय पर पूरा कर लेते तो इसमें भी तीन करोड़ ही मिला और इस साल २१ करोड़ मिला तो इस तरह से ६८–६९ में हम इस प्रोजेक्ट को फाइनल स्टेज तक पूरा करना चाहते थे वह पूरा नहीं कर सके। माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक साल इसमें देरी होती है त्यों त्यों हर साल लाखों टन अनाज का फर्क पड़ता है। पैदावार में करोड़ों रुपयों का फर्क पड़ता है और इसके साथ ही साथ ब्याज का भार भी बढ़ रहा है। साथ ही अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले इस योजना को नान पैरीनियल के रूप से बनाया था। ६६ करोड़ की योजना पर इन्डस वाटर ट्रीटी के बाद यह तय पाया गया कि मंगला डैम बन जाने से जो पानी रावी, ब्यास और सतलज का पाकिस्तान को जाता है वह पानी पहले की तरह से वहां न जाकर वापिस हिन्दुस्तान को ही मिल जावेगा और इस वजह से उस बांध की अवधि मार्च ७० तक कम्पलीशन की थी उससे पहले हमको इस के पानी का उपयोग करना है इस दृष्टि से ही यह सोचा गया कि पोंग डैम का निर्माण किया जाय और इससे वाटर स्टोर किया जावे ६११ मिलियन एकड़ फीट का और उसको राज–स्थान कैनाल में लाया जाय। इससे तीस लाख एकड़ जमीन में पैरिनियल इरिगेशन यानि बारह मासी सिंचाई का साधन दिया जाय इसलिये ब्यास प्रोजेक्ट बना पौंग डैम की योजना बनी और उस पर हमारे हिस्से का ४० करोड़ रुपया अबतक खर्च हो गया है। इधर राजस्थान कैनाल पर अभीतक

Page No.153

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हमारा पचास करोड खर्च हो गया है । इस तरह ६० करोड़ रुपया हमारा इसमें खर्च हो गया है जिसका पांच करोड़ सालाना का व्याज होता है । इसलिये यह राजस्थान के हित में है कि यह जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय । हमने सेन्टर को ६१ में निवेदन किया कि इसको प्लान सीलिंग के बाहर रकम दी जावे जिससे इससे हमारे पर असर न पड़े । पर इस पर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट सहमत नहीं हुई । ६४ के अक्तूबर से चर्चा चली कि इसे सेन्ट्रल ले ले और इसके लिये बिल भी विधानसभा में लाया जावे यह तै हुआ । इस पर स्टडी ग्रुप बने । रिकमण्डेशन्स गई, डिसकसन्स हुए, तो एक स्टेज पर यह सोचा जाने लगा कि फर्स्ट अप्रेल ६५ से यह ओथोरिटी का निर्माण हो जावेगा और इसके बाद विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया जावेगा ।

लेकिन दुर्भाग्यबश हमको इस बात पर सहमति नहीं मिल सकी और बराबर हम केन्द्र से पत्र व्यवहार करते रहे। अन्त में ६७ में डिप्टी प्राइममिनिस्टर ने हमको एक चिट्ठी के जरिये इत्तला दी कि अब इसकी ओथोरिटी बनाने का प्रोस्पेक्ट्स नहीं है और चौथी योजना में अब इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और साथ ही साथ प्लान सीलिंग के बाहर भी रकम नहीं दी जा सकती क्योंकि प्लान सीलिंग में प्रायो-रिटी देना राज्य सरकारों के हाथ में है और राज्य सरकार जैसा चाहें वैसा दें यह नहीं कहा जा सकता ।

लेकिन प्लान सीलिंग फिक्स करते हुए राजस्थान कैनाल की जो आवश्यकतायें हैं उस पर किसी कदर ध्यान रखा जा सकता है । तो इस तरह से मैं आपको निवेदन करना चाहता था कि राज्य सरकार की ओर से बराबर प्रयत्न जारी रहे हैं और अब भी रहे हैं । आप लोगों को मालुम होगा कि थोड़े दिनों पहले. जब कि २ करोड़ २५ लाख का प्रावधान रखा तो हमने भारत के प्रधान मन्त्री, उप–प्रधान मन्त्री और इर्री-गेशन मिनिस्टर डाक्टर राव को लिखा कि मेजर इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए २५ करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई है उसमें से हमें ७.७५ करोड़ रुपये की अति-रिक्त धनराशि और दी जाये क्योंकि हम चाहते हैं कि २५ करोड़ रुपये का जो काम इसमें बाकी है और १३ करोड़ रुपऐ जो इसकी चैनल्स को और डिस्ट्रीब्यूटरीज को पक्का करना है यह ३८ करोड़ रुपये हमको अब मिल जाये ३ सालों के अन्दर तो हम इस काम को ७० या ७१ तक पूरा कर सकते हैं और इस वजह से हम बराबर इस प्रयत्न में हैं । हमको कहा भी गया कि सबुसटेन्शल धनराशि इसके लिए उपलब्ध की जायेगी और हम आशा करते हैं कि २ करोड़ २५ लाख के अलावा सबुसटेन्शल धनराशि इस काम के लिए मिलेगी और इसके बाद फोर्थ फाइव ईयर प्लान में भी आवश्यक धनराशि उपलब्ध की जाती रही तो हम जो इसका पहले टारगेट १६६८–६६ का लेकर चलते थे उसमें तो वह पूरी नहीं हो सकती लेकिन इसको १६७०–७१ तक फर्स्ट स्टेज को कर सकते हैं लेकिन यही धन-राशि जो अभी मिलती है वही रही तो १६७४–७५ तक भी यह योजना पूरी नहीं होगी और आगे ६ साल सेकिण्ड स्टेज पूरा होने में लग जायेंगे । इसलिए जो हमें पाकि-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

स्तान के साथ ट्रीटी की वजह से पानी मिलने वाला है इसका पूरी तरह से बेस्ट तरीके से उपयोग हो जाये उसके लिए आवश्यक हैं कि हम समय से पूर्व इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। पोंग डैम के प्रोजेक्ट को पूरा करें और राजस्थान कैनाल के बचे हुए काम को पूरा करें तो तभी हम उसका मेक्सीमम बेनीफिट उठा सकते हैं और इसके लिए आप और सब एक मत हैं और एक मत से हम यह भारत सरकार को भी निवेदन करते हैं कि वह इस पर मदद तत्काल देने की कृपा करे जिससे हम इस सुरक्षा के प्रोजेक्ट को, इस राष्ट्रीय प्रोजेक्ट को, इस देश में अन्न की कमी की समस्या को हल करने वाले प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करें। यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे पास धन की कमी रही जब हमारे पास इस कैनाल को पूरा करने में समय लगता दिखा तो यह सोचा गया कि हम इस प्रोजेक्ट की इन्टेन्सीटी को बढ़ा दें इसलिए हमने इसकी इन्टेन्सिटी को ७८ परसेन्ट से ११० परसेन्ट बढ़ा दिया ताकि इसका उपयोग हम अच्छी तरह से कर सकें।

यहां पर बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य और भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने और माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जब राजस्थान कैनाल इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और बीच में कुछ एरिया खराब आता है वहां पानी कब पहुंचेगा, रुपया कब मिलेगा और कब तक यह योजना पूरी होगी और जब तक पानी आता है तो क्यों नहीं लिफ्ट इर्रीगेशन योजना के जरिये बीकानेर को और लूनकरणसर को पानी दे दिया जाये। यह समस्या राज्य सरकार के पास काफी अर्से से विचाराधीन थी। नागौर की भी समस्या विचाराधीन थी। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा। लेकिन नागौर की जो स्कीम थी वह बड़ी खर्चीली और ज्यादा फायदा देने वाली नहीं थी इसलिए हमने यह फैसला किया कि नागौर की स्कीम नहीं लाई जा सकती......

श्री रामनारायण चौधरी : सीकर और झुंझुनू ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी सब बताता हूं।

लूनकरणसर और बीकानेर की योजना के बारे में हमने एक एक्सपर्ट्स कमेटी बैठाई, उसकी राय ली, डिसकिशन किया और राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम कुरदपाल के पास ५० मील से टेक-आफ करके लूनकरणसर तक हम लिफ्ट इर्रीगेशन से ५००-६०० क्यूसेक्स पानी ले जायेंगे और लूनकरणसर से बीकानेर १०० क्यूसेक्स की कैपेसिटी की नहर ले जायेंगे और इसका आकार ऐसा रखेंगे कि १०० और १५० क्यूसेक्स पानी से भी यह आगे बढ़ पाये तो हम उसको आगे बढ़ा सकेंगे। इस योजना हर करीब ६ करोड़ ६० लाख रुपया लगेगा और लूनकरणसर में करीब १ लाख ३० हजार एकड़ भूमि की सिंचाई भी इससे होगी और पीने के पानी की समस्या जो इस क्षेत्र में सदियों से चली आ रही है और जो खारा और कड़वा पानी पीने को मिलता है उसके बजाय नहर से मीठा पानी मिल सकेगा।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इसके साथ ही साथ बीकानेर के अन्दर पीने के पानी की समस्या हल करने के लिए, उद्योग, बाग बगीचों को पानी देने के लिए और साथ ही साथ १५–२० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सके इस दृष्टि से इस योजना का इसमें समाविष्ट किया गया है। मैं माननीय उन सदस्यों से कि जिन्होंने इस प्रश्न को इस सदन में उठाया है माननीय सदस्य बीकानेर से आने वाले और भादरा से आने वाले उनकी जानाकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस लिफ्ट इर्रीगेशन स्कीम को सन् १९६८–६९ की साल प्रारम्भ कर दिया जायेगा। ......

श्री रामकिशन : यह तो लूनकरणसर से आने वाले जब सदस्य थे तो यह तो आप बहुत दिनों से कह रहे हो। लूनकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य जो उपमन्त्री हैं यही सवाल उनकी तरफ से उठे और यही आपका जवाब रहा। आप ६८–६९ तक प्रारम्भ करोगे जब तक तो कांग्रेस गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं रहेगी लेकिन स्कीम तो रहेगी।

श्री श्रवणलाल : पानी तो क्या पता आयेगा या नहीं लेकिन मन्त्री महोदय के भाषण के द्वारा माननीय सदस्यों के मुंह में पानी जरूर आ गया है।

श्री राममारायण चौधरी : जब आप लिफ्ट इर्रीगेशन को......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे ख्याल से आप मुझे एक बार कह लेने दें तो मैं आपकी समस्या का निराकरण करने का प्रयत्न करूंगा बशर्ते कि हाउस उस समय तक बैठे।

तो मैंने राजस्थान कैनाल के बारे में आपको निवेदन किया और लिफ्ट इर्रीगेशन स्कीम के बारे में भी निवेदन किया। यहां पर एक माननीय सदस्य ने इसके बारे में यह भी एक कटौती का प्रस्ताव रखा था जो भाषण में नहीं बोले हैं क्योंकि उनका नम्बर ही नहीं आया हैं लेकिन मैं उसका जवाब देना मुनासिब समझता हूं। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह एक प्रस्ताव कटौती का रखा था कि यह जो राजस्थान कैनाल है इसको काण्डला से जोड़ दिया जाये और नेवीगेशन के लिए इसका उपयोग हो सके ऐसी व्यवस्था की जाये। एक वक्त था जब कि ऐसा सोचा जाता था कि टेल जो राजस्थान कैनाल की जैसलमेर जिले में होगी वहां से इसको आगे ले जाया जाये और लूनी का जो एरिया आता है उसके पास से आगे चलकर रन आफ कच्छ और काण्डला पोर्ट से इसको मिला दिया जाये लेकिन इसके बाद में सन् १९६६ के अन्दर यह फैसला किया गया कि इसको काण्डला से जोड़ना बहुत लाभदायक योजना नहीं है और उसके कारण इस प्रकार दिये थे कि नवीगेशन की योजना और फेसेलिटिज देने में करीब ७० करोड़ रुपये का खर्चा होता है और १४० करोड़ रुपया कुल कन्सट्रक्शन का खर्च होता है जो कि राजस्थान कैनाल की टेल से काडला तक उसको ले जायें। तो इस तरह से २१० करोड़ रुपये का खर्च एक तरफ होता है और दूसरी तरफ १००० क्यूसेक्स पानी जो ऐसा होता है कि जो

एवोपरेशन से और लासेस से सूखने में जाता है और जिससे २ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। तो इस तरह से हर साल २ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का नुकसान करते हुए जिससे अन्न का उत्पादन हो उसकी कमी को सहन करते हुए २१० करोड रुपया खर्च करना बहुत लाभदायक योजना नहीं समझा गया। साथ ही साथ वह काम भी काफी प्रगति पर था और इस वजह से जिस तरह से यह अभी बनी है अगर इसको नेवीगेबल बनायें तो ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है क्योंकि कई रिवीजन करने पड़ते हैं और अमेन्डमेंन्ट्स करने पड़ते हैं वह खर्चा और भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि काण्डला से राजस्थान कैनाल को लिंक करने के बारे में जो फैसला लिया है वह मैंने आप लोगों के सम्मुख रख दिया।

यहां पर राजस्थान कैनाल से ताल्लुक रखने वाली बात आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि राजस्थान सरकार राजस्थान कैनाल के काम को जल्दी सम्पादित हो, काम करने वालों को सुविधायें मिलें उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रही है। और जो वहां पर १२००० मजदूर काम करते थे अभी कमी हो गयी और रुपया आयेगा तब काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी तो उनकी सुविधाओं के लिए एक योजना को हाथ में लिया गया है। डब्ल्यू. एफ. पी. जो कि ऐसे प्राजेक्टस को हांथ में लेते हैं वहां पर फ्री राशन और फ्री फूड देती है। तो यह योजना राजस्थान कैनाल के लिए हमने हाथ में ली है और राजस्थान कैनाल डब्लू, एफ. पी. के अन्दर ६७ के सितम्बर से एक एग्रीमेंट हो गया है जिसके जरिए १२००० मजदूर और उनकी फैमिली को और लोअर स्टाफ को फ्री राशन इस डब्लू. एफ. पी की तरफ से दिया जायगा। राजस्थान गवर्नमेंट को और आधी कीमत पर इन लोगों को राजस्थान सरकार की ओर से वितरण किया जायेगा करीब दो किलोग्राम व्हीट और ४० ग्राम घी मक्खन जिनको बोलते हैं, १५ ग्राम मिल्क और ३० ग्राम बीन्स दिया जायेगा। इस तरह से २६२८० टन व्हीट, २६६८ मीट्रिक टन घी, ९८५ मीट्रिक टन मिल्क और १९७१ मीट्रिक टन बीन्स इसको सप्लाई होगा जो कि करीब ४ करोड़ रुपये का होगा। वह मई ६८ से राजस्थान कैनाल के अन्दर काम करने वाले मजदूर और छोटी श्रेणी के कर्मचारियों और लोगों को आना शुरु हो जायेगा।

जिससे राजस्थान कैनाल पर काम करने वाले लेबरर्स को सस्ता अनाज मिलेगा। अब आप सोचते होंगे कि इसमें आधी कीमत पर क्यों देंगे तो आधी कीमत से जो रुपया आयेगा तो उस रुपये को हम खर्च करेंगे पानी की व्यवस्था पर......

श्री रामचन्द्र आर्य : सभानेत्री महोदया

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह रुपया आज उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों पर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

खर्च किया जायगा । इस तरह से विकास के लिए दो करोड़ रुपया और मिल जायेंगे और इस कारण से ज्यादा सुविधाएं और मजदूरों को दे दी जायेंगी । यह मैंने राजस्थान कैनाल के बारे में निवेदन किया ।

अब मैं आपका दूसरी योजना की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बजाज सागर और कडाना डेम और इसके सम्बन्ध में सवाल रखे । मैंने सवेरे यह निवेदन किया था कि जवाब के वक्त में मैं इसके बारे में प्रकाश डालूंगा । जैसा कि आप सभी जानते हैं और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि पहले इस बजाज सागर को बनाने की योजना कुल ३ करोड़ की थी और एक छोटी योजना थी । जब यह योजना थी तो मोरारजी देशाई ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन गुजरात सरकार ने एक कडाना की योजना जो कि करीब १६ करोड़ की बताई जाती है और जिसकी ऊंचाई शुरू में ४६५ फीट की रखी थी । जब ४६५ फीट की ऊंचाई उसकी रखी तो हमारे और उनके दरम्यान में बातचीत हुई थी चूंकि ४६५ फीट ऊंचा रखने से गलियाकोट जैसा इम्पार्टेन्ट हिस्सा डूब में आता है ......

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय सभापति महोदया, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है बैठे बैठे ।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय मंत्रीजी उधर मुंह करके भाषण दे रहे हैं ...

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आप बैठिए ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब ४६५ फिटकी ऊंचाई पर वह बांध बन रहा था तो राजस्थान का एक हिस्सा डूब में आता था....

श्री विजयसिंह : आसन की तरफ देखना चाहिए ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब देखता हूं

इस वजह से यह मुनासिब समझा गया है कि कडाना की ऊंचाई ४६५ फिट के बजाए ४१९ फिट कर दें जिससे राजस्थान का गलियाकोट और इस तरह का इम्पार्टेन्ट हिस्सा डूब में न आये, और उसके बदले में हमने यह कहा कि हम बजाज सागर को और अधिक ऊंचा बनायेंगे तथा इसकी क्षमता को बढायेंगे । इस तरह बजाज सागर की शुरु में तीन करोड़ की स्कीम थी उसको ३० करोड़ की योजना बनाई । (कुछ माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान) आप मेरी बात को सुन लें और उसके बाद कोई शंका नहीं निकले तो पूछ लें ।

अब सवाल यह उठता है कि इस योजना को तीन करोड़ से तीस करोड़ की बना दी और कडाना की ऊंचाई कम कर दी तो इसका मूल उद्देश्य क्या था ? माननीय सभानेत्रीजी, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह बता देना चाहता

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हूं कि इसके साथ जुड़ी हुई नर्मदा वाटर्स भी है। नर्मदा के पानी के युटिलाइजेशन की योजना के लिए गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने खोसला कमेटी बनाई थी। खोसला कमेटी ने यह सुझाया था कि राजस्थान एक सीमा वाला प्रदेश है, जिसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है, उस सीमा वाले प्रदेश पर स्टंडी आदमियों को बसाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए और कहीं से पानी की सुविधा नहीं हो सकती है इसलिए राजस्थान का पानी मिलना चाहिए और यह देश के अन्दर प्रोडक्शन भी एड करती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ यह दृष्टिकोण रखते हुए कि पानी राष्ट्रीय सम्पत्ति है, और राष्ट्र हित में अच्छे से अच्छे तरीके से काम में जिस तरीके से लाया जा सकता है वह लाया जाय। तो नर्मदा वाटर्स में राजस्थान की एक लाख एकड़ जमीन जालौर के हिस्से को सिंचित करने के लिए हिस्सा रखा। लेकिन उसमें यह तय किया कि जो पानी बांसवाड़े के इस प्रोजेक्ट से, बजाजसागर से कडाना के जरिए होकर उनकी कदबावरी गुजरात गवर्नमेंट की है उसके जरिए ७ लाख एकड़ जमीन को सिंचित करती है, और चूंकि नर्मदा में गुजरात का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है तो नर्मदा का पानी गुजरात के उस हिस्से को मिल जाता है कि जो अभी कडाना के जरिए हमारे बजाज सागर के पानी से सिंचित हो सके। तो वह एरिया जब इससे सिंचित हो जाता है तो नर्मदा के पानी की बचत हो जाती है। तो यह फैसला किया कि ज्योंही नर्मदा फीड करने लग जाय गुजरात के उस हिस्से को जो अभी माही के पानी से सिंचित होगा इस योजना के पूरा होने पर, तो उस एरिया का पानी जो अभी गुजरात में जायगा उस एरिया का पानी ट्रांसफर हो जायगा राजस्थान को। तो इस तरह से साढ़े सात या ८ लाख एकड़ का पानी जो गुजरात को सिंचित करेगा माही का पानी वह कडाना के पाइंट पर हाईलेबल कैनाल बनाकर जालौर जिले को जायगा। तो इस तरह से इस इन्टेग्रेटेड प्लान को माही, साबरमती और नर्मदा इन तीनों को देखें तो चूंकि यह हमारे इन्टरेस्ट में था कि इस कम्पलेक्स प्लान को जिसमें से नर्मदा से एक लाख एकड़ पानी एक तरफ मिलता है और साढ़े सात लाख एकड़ का पानी एक तरफ मिलता है, और वह उस हिस्से को मिलता है जालौर और बाड़मेर को जिनके लिए और कोई साधन नहीं हो सकता है, पानी पर हमारा हक भी है। खर्चे के अरेन्जमेंट का प्रश्न दूसरा है।

इसलिए इस तरीके से इस बात की व्यवस्था की जाएगी कि कडाना का डेम ४१९ फिट की ऊंचाई का बने, और उसको लास्ट टरमीनल प्रोजेक्ट कहना चाहिए। उसके ऊपर तीन प्रोजेक्ट बनेंगे—बजाज–सागर, अनास और बनेश्वर के। इसके अन्दर बिजली पैदा होगी और १२५ मेगावाट केवल राजस्थान के लिए रहेगी और पानी ११०० क्यूसेक्स उनको देंगे। तो जो माननीय सदस्य यह पूछना चाहते थे कडाना डैम के लिए कि उसमें अपनी जमीन को क्यों डुबाते हैं, और क्यों देते हैं तो उसके लिए मैंने यह स्पष्ट करने की कोशिश कि हम बिला वजह ही नहीं दे रहे हैं।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हमको भी उसमें लाभ हैं। जैसाकि मैंने अर्ज किया कि आज मध्यप्रदेश सरकार अपनी तरफ से जब नर्मदा के पानी का प्रश्न आता है तो वह कहती है नर्मदा का पानी मध्यप्रदेश में ज्यादा बहता है इसलिए मध्यप्रदेश उसका ज्यादा हकदार है और गुजरात और राजस्थान को लेने का अधिकार नहीं है। जब एक तरफ तो इस तरह से कहती है, लेकिन हम इसको राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं, और राजस्थान ने इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय दृष्टि-कोण से देखा है चाहे कडाना के बांध के बनने से हमारा हिस्सा डूब में आता हो, चाहे चम्बल का बांध हमारे खुद के हिस्से में बंधा हो, जिसको आगे चलकर हमने मध्यप्रदेश को दिया है।

श्री रामनारायण : सभापति महोदया

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बीच में मत बोलिए।

हमने मध्य प्रदेश के हक में ट्रांसफर कर दिया तो हमने हमेशा राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया है और अब भी हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहते है। मध्य प्रदेश सरकार जो गुजरात को पानी देने से इन्कार करती है, वह राजस्थान सरकार के पानी के हक को नहीं मानती है तो हम उन्हें कहना चाहते हैं कि इस पानी का उपयोग राष्ट्र के हित में हो। मध्यप्रदेश के पास इतनी जमीन नहीं है जिसमें वह इसका उपयोग कर सके। उनके यहां काली मिट्टी है। उसके बेसिन में जितनी जमीन है उसमें से ६५ लाख एकड़ के लिए सुरक्षित कर दिया है। खोसला कोटी ने यह भी कह दिया है कि ज्यादा भी कर सकते हो तो करो। लेकिन मेरे ख्याल से १०० वर्षों तक भी नहीं कर सकते तो दूसरों को क्यों नहीं हिस्सा देना चाहते ?

श्री नाथुराम (बागीडोरा) : मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं ?

श्री मती सभानेत्री : माननीय सदस्य आप प्रश्न बाद में पूछना।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभानेत्री महोदया, हम नर्मदा के पानी को कडाना हाई लेवल बांध कर इस्तेमाल करें बाड़मेर और जांलोर के क्षेत्र में उसके लिए सरवे शुरू कर दिया है। सरवे पार्टी साल भर में अपनी रिपोर्ट देगी तब पता चलेगा कि कितनी जमीन में पानी पहुंचायेंगे। हमारा अनुमान है कि १०.१२ लाख एकड़ भूमि में पानी पहुंचा पायेंगे।

हम बाहर से पानी लाना चाहते हैं उसके लिये मैंने निवेदन किया था कि हमको पानी बाहर से लाना है उसको लाये बिना हम अपनी जमीन को सिंचित नहीं कर सकते। मैंने कई बातें कही। मैंने राजस्थान कैनाल के बारे में कहा, भाखरा के बारे में कहा, नर्मदा के बारे में कहा। सिदमुख नहर योजना हमारे सामने है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था। इसके साथ साथ नोहर फीडर की योजना है, बरसाना की योजना है, जमुना से पानी लेने की योजना है। ऐसी कई योजनाएं है जिनके जरिये हम सिंचाई कर सकते हैं हम इन्टर स्टेट एग्रीमेन्ट करके

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बांहर से पानी लाकर राजस्थान नहर के जरिये पानी लाकर हमें अपनी जमीन को सिंचित करना है । नोहर फीडर की हमारी योजना साढे चार करोड़ की योजना है और इससे डेढ़ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होगी । इसी तरह से सिधमुख की योजना २१० लाख की है जिसमें ९० लाख एकड़ फलों से और ६० हजार एकड़ में लिफ्ट इरिगेशन के जरिये सिंचाई होगी । इन दोनों योजनाओं का सर्वेक्षण हो गया है । एक भारत सरकार के विचाराधीन है और दूसरे का तखमीना पंजाब और हरियाणा सरकारें बना रही है । उनके तखमीने बनने के बाद टेक्निकल एप्रूवल के बाद इन योजनाओं को हाथ में लेना चाहते हैं । भादरा के माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था उसके एक अंश की पूर्ति होने के साथ साथ दूसरे अंश की पूर्ति बताई है वह यह है कि जिस उद्देश्य के जरिये भाखरा का कमान्ड का जो एरिया घोषित किया था वह कम हो गया । २६ हजार एकड़ ।

श्री हंसराज आर्य : ३७ हजार एकड़ ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ३७ हजार दूसरे हिस्से का है । नोहर भादरा के इस एरिया में वापिस कैसे करें माननीय सदस्य ने जो बताया उसको एप्रिशियेट करता हूं । जो १८००० एकड़ में भाखरा से अब पानी दिया जा सकता है उसको वापिस कमान्डेड घोषित करने की कोशिश करेंगे । जब यह पानी कमान्डेड घोषित किया गया था उस वक्त क्योंकि पानी की कमी थी, एरिया ज्यादा घोषित कर दिया था लेकिन अब पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है. इस एरिया को हम सिंचित कर सकते हैं यह मान्यता है, इसके लिये कार्यवाही करेंगे । इस तरह से १८ हजार एकड़ की समस्या हल होगी । कुछ नोहर से और कुछ सिदमुख से हल होगी और समय आ सकता है जब माननीय सदस्य को शिकायत नहीं रहेगी ।

गंगानगर के माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि गंग कैनाल की इन्टेन्सिटि बढ़ाई जाय । जैसा कि मैंने निवेदन किया, इन्डस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट के हिसाब से १५ मिलियन क्यूसिक फुट पानी मिल सकेगा उसमें से ८ मिलियन क्यूसिक फीट पानी राजस्थान को मिलेगा । उन ८ मिलियन फुट पानी मिलने के बाद यह हमारे हाथ की बात है कि उसका बंटबारा किस प्रकार करें । हम सोचते हैं कि उसमें से ४ मिलियन एकड़ गंग कैनाल को और ४ मिलियन एकड़ फुट भाखरा को यानि जो कुछ पानी मिलता है उसका ५ परसेन्ट गंग कैनाल को और ५ परसेन्ट भाखरा को इस सिस्टम से दे देंगे तो उनकी ३३ परसेन्ट इन्टेन्सिटि बढ़ जाती है । अभी माननीय सदस्य ने कहा कि गंग कैनाल की इन्टेन्सिटि बढ़ गई है । मैंने पता लगाया, इस एरिया को सी.सी.ए, कहते हैं ७ लाख ५० हजार एकड़ है उसमें से ६ लाख ३२ हजार एकड़ में सिंचाई की गई । इसकी इन्टेन्सिटि का हिसाब लगावें तो ८४ परसेन्ट इन्टेन्सिटि इस साल रही है, जब कि प्रोजेक्ट में इसकी इन्टेन्सिटि ६० परसेन्ट बताई है उससे प्रतीत होता है कि जो प्रोजेक्ट में इन्टेन्सिटि बताई है उसमें धीरे धीरे इजाफा होता जा रहा है, इस हद तक कि इस साल ८४ परसेन्ट होगई है इस तरह से इजाफा होता जा रहा है और वह पानी

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)

अब मिलता रहेगा तो और भी हिस्सा दे सकते हैं इससे उसकी ३३ परसेन्ट इन्टेन्सिटि और बढ़ जायगी इस सी. सी. ए. में सेन्ट परनेन्ट हो जायगी बल्कि सेन्ट परसेन्ट से भी ऊपर पहुंच जायगी और उससे यह जो समस्या पानी कम मिलने की है वह सब समस्या हल हो जायगी ।

इसी तरह से भाखरा के सिलसिले में यह निवेदन करना है कि इसकी इन्टेनन्सिटि ३३ परमेन्ट अभी बढ़ी है और भी इन्टेन्सिटि बढ़ने की सम्भावना है। जहां तक गंग कैनाल और भाखरा का प्रश्न है वहां पर पानी की तकलीफ नहीं रहने वाली है । अभी भी इतनी नहीं है जितनी पहले थी । डिस्ट्रिब्यूशन की तकलीफ हो सकती है, नहर टूट सकती है । पानी किसी को कम मिल जाय. किसी को ज्यादा मिलजाय । डिस्ट्रिब्यूशन में खराबी हो सकती है उसको यहां बैठ कर अधिकारियों के जरिये ठीक करना है, टीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं और काफी मात्रा में सुधार करने की कोशिश की है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हू कि माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से गांवों से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने आग्रह किया कि लघु सिंचाई योजनाओं पर अधिक खर्च करना चाहिये, अधिक काम हाथ में लिये जाने चाहिये जिससे अधिक लोगों को लाभ पहुंच सके । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हुँ कि ३ योजनाओं में ८ करोड़ रुपये छोटी सिंचाई के कामों में खर्च किये हैं और ४०० वर्क्स पूरे किये हैं, ८० वर्क्स अब भी चालू हैं जिसको इस साल पूरा करना चाहते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : १ अरब २६ करोड़ में से ८ करोड़ ।

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : अभी सुनते जाइये । बरसात आने वाली है उससे पहले-पहले अधिकांश काम जिनको हाथ में लिया है पूरा करेंगे । उनसे दो डाई लाख एकड़ एडीशनल सिंचाई शुरू हो गई है । यह काम पूरा होने पर और अधिक सिंचाई होगी ।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे सिंचाई के बांधों के बारे में कई...

श्री प्रेमसिंह–आसन का ध्यान नहीं है...

श्रीमती सभानेत्री आर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानिया–हममदद कर रहे हैं आपकी !

श्रीमती सभानेत्री–मदद का सवाल नहीं है, इससे व्यवधान होता है । गम्भीर बात होती है उसको आप गम्भीरता से लें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा–यहां पर कई माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखे कि अमुक तालाब लिया जाना चाहिए, अमुक तालाब या बांध का सर्वे कराया जाना चाहिए, अमुक की मरम्मत कराई जानी चाहिए, अमुक प्राजेक्ट को हाथ में लिया जाना चाहिए । ऐसी कई समस्यायें यहां पर रखी । कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जयपुर में कम काम होता है, किसी ने

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सवाई माधोपुर के लिए कहा, किसी ने बूंदी के लिए कहा, किसी ने कोटा के लिए कहा और किसी ने और जिले के लिए कहा...

श्री डूंगाराम राजोरिया–अलग अलग बता दें कि गवर्नमेंट ने क्या किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा–मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो आठ करोड़ रुपये के ४८० माइनर इरीगेशन वर्क लिये हैं, या कहिये, सतरह करोड़ रुपया खर्च करने की मीडियम इर्रीगेशन की काफी योजनायें हाथ में ली हैं, इसी प्रकार दूसरे प्रोजेक्ट्स पर रुपया खर्च किया है जिनसे काफी सिंचाई के साधनों में बढ़ोत्तरी हुई। लेकिन यह बात सही है कि हम चूंकि राजस्थान कैनाल का निर्माण कर रहे हैं, चम्बल का निर्माण कर रहे हैं, भाखरा में खर्चा हुआ है, पौंग डेम में खर्च हो रहा है–तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जितना माननीय सदस्य छोटे बांधों के लिए रुपया चाहते हैं उतना नहीं दिया गया हो। फिर भी बड़े बांधों से ज्यादा जमीन सिंचित होती है और कोस्ट आफ एकड़ आता है वह कम आता है और चूंकि वह सारा पानी हम राजस्थान के बाहर से लेना चाहते हैं इसलिए बाहर से लिये जाने वाला पानी तो रुपये का इन्तजार नहीं कर सकता–इसलिए उन कामों को हम प्राथमिकता देना चाहते हैं। यह राजस्थान और राष्ट्र दोनों के हित में है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमारी इन आवश्यकताओं को पूरा न करें...

श्री डूंगाराम राजोरिया–जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या बताया आपने ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा–आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद मैं यहां से जाऊंगा।

इसलिए हमारे सामने, धन की उपलब्धि कितनी होती है, यह प्रश्न है ही लेकिन छोटी योजनाओं के लिए चाहे वह जयपुर जिले की हों, चाहे भरतपुर की हों, चाहे अलवर की हों, चाहे टोंक की हों, चाहे बूंदी की हों– सबके लिए योजनाएं हमने बना रखी हैं। सभानेत्री जी, अभी ३३३ लाख की योजनाएं पांच हमारे पास मीडियम इर्रीगेशन प्रोजेक्ट राज्य सरकार की और भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हैं। जाखम और जैतपुरा–जाखम तो सवा दो करोड़ रुपये की योजना है और जैतपुरा की ३५ लाख रुपये की योजना है–इन दोनों योजनाओं का हम आने वाले साल १६६८–६६ के अन्दर काम प्रारम्भ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास साई डाइवर्शन स्कीम है......

श्री श्रवणलाल : सवाई माधोपुर की एक भी स्कीम बता दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपका नम्बर भी आ रहा है।

बहुत सी योजना ५६६ लाख की योजना ऐसी हैं जो भारत सरकार के पास और राज्य सरकार के पास मीडियम इरीगेशन की विचाराधीन हैं।

श्री श्रवणलाल : आपने, सभानेत्री महोदय......

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज ?

श्री श्रवणलाल : यह बता रहे हैं भारत सरकार और राज्य सरकार के विचाराधीन योजनाओं की तो उसमें सवाई माधोपुर की एक भी स्कीम बता दें ? एक भी योजना सवाई माधोपुर की है ?

श्रीमती सभानेत्री : मैं कई बार निवेदन कर चुकी हूं, मंत्री महोदय कह चुके हैं, जो भी सवाल पूछते हैं वह आप इनके खत्म करने के बाद पूछ, आपको जवाब दिया जायगा। आप जरा सोचिये......

श्री श्रवणलाल : तब पूछें जब यह यहां से चले जायं कह कर।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! मैं निवेदन करती हूं, स्ट्रांग शब्दों में कह रही हूं कि ऐसा न करें। सब प्रश्नों का बाद में जवाब दिया जायगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदय, जो बात उठाई जायं उनके बारे में न कहा जाय......

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ? एक–एक बात का उत्तर दिया जायगा। आप स्थान ग्रहण करें। बीच–बीच में न बोलें, यह कई बार आसन की ओर से अर्ज किया जा चुका है।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : एक बात क्लीअर कर दीजिये। आसन की तरफ से आर्डर–आर्डर बोलती हैं जब कि हिन्दी होगई है भाषा हमारे प्रान्त की, तो आर्डर की जगह माननीय सदस्य कह कर उच्चारण करें तो अच्छा होगा।

श्रीमती सभानेत्री : इस समय यह पाइन्ट न उठायें। आपने जो कहा उस पर विचार किया जायगा।

श्री दौलतराम सारण : आर्डर से हम भयभीत हो जाते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो माइनर इरीगेशन की योजना बजट के अन्दर स्वीकार पड़ी हुई हैं वह दस स्कीम है, वह ६३ लाख की हैं। बहुत सारे जिलों के लिए यह कहा गया कि अलग-अलग जिलों में कहां सर्वेक्षण हो रहा है, कौन-कौन सी योजनाओं का सर्वे किया जा रहा है। तो उसके बारे में निवेदन हैं कि मैंने एक स्टेटमेंट बनवाया है, जिसके जरिये मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि हमने ३६३ लाख रुपये की माईनर इरीगेशन की योजनाओं को हाथ में ले रखा है। उसके अन्दर जयपुर से बहुत बोलने वाले माननीय सदस्य को बताऊं कि शामपुर, पूंचू, फागी फ्लड कन्ट्रोल स्कीम उनके यहां पर है। इसी तरह से झालावाड़, टोंक, सीकर, बूंदी और कोटा की हो सकती हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट की जो योजनायें विचाराधीन हैं......

श्री श्रवणलाल : सवाई माधोपुर में नहीं हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उन पर विचार चल रहा है। उन योजनाओं का सर्वे कम्प्लीट होने के बाद, उनके लिए धन की उपलब्धि पर काम शुरु किया जायगा। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया, और भी कई माननीय सदस्यों ने वह प्रश्न उठाया था कि आखिर राजस्थान में कितना पानी है, कितना बन्ध चुका हैं, उनसे कितनी जमीन सिंचित होनी चाहिए, कितनी हो रही है, क्या कमी रह गई है, कितना और पानी है, किस तरह उसे बांधा जायगा तो राजस्थान का एक प्लान बनाना चाहिए मास्टर प्लान। गवर्नमेंट ने यह भी फैसला किया है कि हम राजस्थान के इरीगेशन के अन्दर मास्टर प्लान बनवायें, उस मास्टर प्लान के तहत सम्बन्धित अधिकारियों की नियुक्ति करके इस का सर्वे करायेंगे, जिससे पता लग जायगा कि राजस्थान में कितना पानी है, इस पानी को किस तरह से काम में ले सकते है, कितना काम में आया है, कितना बाकी है, और कई योजनायें बना कर डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाये जायेंगे और स्टेट प्लान भी बनाया जायगा। इस तरह से राजस्थान का सही नक्शा आपके सामने आयेगा।

यहां पर माननीय सदस्यों ने कुछ जनरल समस्यायें रखीं, अब मैं उन समस्याओं को एक एक करके लेना चाहता हूं...

श्री परसराम गंगाराम : आबू डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ नहीं कहा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी बता रहा हूं। आप बेचैन मत होइये।

यहां कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि बहुत सारे हजारों की तालाब में तालाब टूटे पड़े हैं, उन तालाबों की राजस्थान के अन्दर मरम्मत होनी चाहिए और उस पर विशेष खर्च होना चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इनके अन्दर आवे होना चाहिए फीडर चैनल्स बना कर, जिससे टूटे-फूटे तालाब ठीक हो जायं और रेस्टोर हो जायं, उनके अन्दर पानी की क्षमता बढ़ जाय, जिससे अधिक जमीन की सिंचाई हो सके। मैं माननीय सदस्यों को आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि हम यह चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर जितने टूटे हुए तालाब हैं, और जिनमें आवें कम हैं, और विदाउट इन्टरसेक्शन आफ एनी प्रोजेक्ट उन आवे को ठीक किया जा सके, उन तालाबों की मरम्मत की जा सके, उन नहरों की मरम्मत की जा सके, इस काम का फेज प्रोग्राम की तरह से बनायें। क्योंकि हम राजस्थान के हजारों तालाबों को एक साल के अन्दर पूरी तौर पर करना चाहें ठीक तो हम नहीं कर सकते इसलिए फेज प्रोग्राम इन टूटे हुए तालाबों का बना कर हम बीस टैंक्स को रेस्टोर करने का कार्यक्रम बनाकर उनको हाथ में लेंगे। इसके साथ-साथ क्षमता को बढ़ाने के लिए सप्लाई चैनल्स और फीडर चैनल्स को बनाने का काम हाथ में लेंगे। इन कामों को समय पर करने की दृष्टि से और समय पर उनकी मरम्मत हो जाय-- इस दृष्टि से हमने इस ओर अब के अधिक ध्यान दिया है। इधर इन्जीनियरों का वर्क लोड बढ़ गया, तनख्वाह, मंहगाई, बढ़ गई इसलिए जो मेन्टेनेन्स पर......

श्री विजयसिंह (मकराना) : टैक्स बढ़ गये, मन्त्री बढ़ गये!

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : खर्चा करना चाहते थे, वह ठीक तरह से हम नहीं कर पाये। रकम में कमी होने की वजह से बीस हजार मेन्टेनेन्स के चार्जेज में बढ़ोत्तरी की है और एक्सटेंशन एण्ड इम्प्रूमेंट में काफी रुपया रखा है जिससे हम फेज प्रोग्राम के तरीके से ले सकें।

एक यह समस्या रखी गई है कि यह नहरें हैं, यह डिस्ट्रीब्यूटरी हैं यह पक्की नहीं हैं, लाइन्स नहीं हैं, कहीं पर सीपेज है, कहीं पर वाटर लोगिंग की प्राबलम होती है, कहीं पानी का नुकसान होता है, जो पानी सिंचाई के काम में आ सकता है वह जमीन में जाया हो जाता है। इसके लिए चाहते हैं कि लाइनिंग के प्रोग्राम, जहां सीपेज ज्यादा होता है, जो शहर, या गांव या कस्बे के बाहर है, ऐसे हिस्से को पहले लाइनिंग के जरिये कर दें और उसके बाद में पूरा-पूरा फेज प्रोग्राम चैनल्स की लाइनिंग करने का हाथ में लें।

यह काम इतना बड़ा है कि जिससे पानी की बचत होगी पर खर्चा इस पर बहुत होगा, इसलिए सारा एक साथ नहीं किया जा सकता आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पहले और दूसरे कार्यों के बाद में फेज्ड प्रोग्राम में लें। इस तरह लाइनिंग के बारे में जो यहां कहा गया उसके उत्तर में मैंने निवेदन किया।

चम्बल एरिया में वाटर लोगिंग के सम्बन्ध में कहा गया। मैंने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था और फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने वाटर लोगिंग की समस्या को हल करने के लिये ४७ लाख रुपये के करीब कुछ योजनाओं पर खर्च कर दिया है और करीब १४,००० एकड़ भूमि में सुधार हुआ है, लेकिन यह काफी नहीं है। हम इस काम को पूरा करना चाहते हैं और इसको पूरा करने के लिए ८०४ लाख रुपयों की योजना, एक कम्प्रेहेन्सिव योजना बना कर भारत सरकार के पास भेजी है। उस योजना की स्वीकृति के बाद, हमें धनराशि के उपलब्ध होने के बाद या अपने साधनों के अनुसार इसे शुरू करेंगे। चम्बल की इस समस्या को, इस कठिनाई को हम सीरियस मानते हैं और इसी लिए इस पर एक्टिव कन्सिडरेशन राजस्थान सरकार का है, इसीलिए एक योजना बना कर भारत सरकार को भेजी है, ताकि उस योजना के स्वीकृत हो जाने पर और धन उपलब्ध हो जाने पर इसे पूरा किया जा सके।

कोटा के एक माननीय सदस्य ने कहा कि धोरों की समस्या है, किसान धोरे नहीं बनाते हैं इसलिए पानी जाया होता है, पूरी सिंचाई नहीं हो पाती है। सभानेत्री महोदया, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करूं कि एक कोटा ही राजस्थान में ऐसा जिला है जहां ९००० धोरे बनाने थे, वहां केवल २५० मील के धोरे बनाने बाकी हैं, ८७०० मील के धोरे कोटा में बन गये हैं। ९००० मील के धोरों में से सिर्फ २५० मील के धोरे बनाने बाकी हैं। फिर भी माननीय सदस्य ने इसे क्रिटिसाइज किया है। यह एक पहलू हुआ।

मैं दूसरा पहलू बताना चाहता हूं, ७० लाख रुपये जो इन पर खर्च हुए हैं, वह किसान नहीं देना चाहते, फिर माननीय सदस्य चाहते हैं कि धोरे सरकार ही बनाये। सरकार नहीं बना सकती जब तक कि इनके

(श्री रामप्रसाद लढ्ढा)

पैसे नहीं मिलें, धोरे बनाने का काम किसानों का है ।

एक माननीय सदस्य : एक बात मैं पूछना चाहता हूं ।

श्रीमती सभानेत्री : बाद में पूछ लेना ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : किसानों को धोरे बनाने चाहिये, पैसा नहीं दिया, केवल अब २५० मील धोरे ६००० मील कुल धोरों में से बनाने की समस्या है, यह कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि इसके सम्बन्ध में इस तरह की बैचेनी हो ।

सभानेत्री महोदया, यहां गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने.........

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : सभापति महोदय, मेरा यह सुझाव है कि मन्त्री महोदय जैसे ही एक डिस्ट्रिक्ट की बात समाप्त करें वैसे ही उस डिस्ट्रीक्ट के माननीय सदस्यों को क्विश्चन करने का मौका दिया जाय तो ठीक रहेगा, वरना जब मंत्री महोदय, सब डिस्ट्रिक्ट्स की बातें कह कर बैठेंगे तो सब डिस्ट्रीक्ट्स वाले एक साथ पूछेंगे और ये जवाब नहीं दे सकेंगे । इसलिए एक डिस्ट्रक्ट की बात जैसे ही समाप्त करें उसी के सम्बन्ध में उसी समय प्रश्न हो जायं ।

श्रीमति सभानेत्री : आर्डर प्लीज ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : माननीय सभानेत्री महोदया, यहा एक माननीय सदस्य ने बताया कि जो जो हमारे इन्टरस्टेट एग्रीमेंट्स हैं प्रोजेक्ट्स के चाहे, भाखरा हो चाहे ब्यास हो, चम्बल हो या दूसरे प्रोजेक्ट्स हों, उनमें हमारा कितना हिस्सा है, हिसाब से हमें कितना पानी मिलना, चाहिये, कितना मिलता है, क्यों नहीं मिला, क्यों नही मिलता है वक्त पर, यह सारी समस्या इन्टरस्टेट प्रोजेक्ट्स में होती हैं, वह हमारी यहां हो सकती हैं । इन्टरस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए जोइन्ट कन्ट्रोल जैसी व्यवस्था का माननीय सदस्य ने सुझाव दिया । सभानेत्री महोदया, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की ओर से हमेशा यह प्रयत्न रहा है कि जोइन्ट कन्ट्रोल, या सैन्ट्रल कन्ट्रोल या और कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे इस व्यवस्था से किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं आये । इसके लिए हमने निर्णय किया है कि राजस्थान में इरिगेशन विभाग में, इन्टर स्टेट प्रोजेक्ट्स के झगड़ों की, डिस्प्यूट्स की देख भाल करने के लिए एक स्पेशल आफीसर और उसके साथ स्टाफ हो, जो इन्टरस्टेट प्रोजेक्ट में हमारे राजस्थान के हितों को किसानों के हितों को देख सके ।

श्री मदनसिंह : हम इस तरह लेक्चर सुनना चाहते......

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज ।

श्री मदनसिंह : कट मोशन्श रख कर माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं, उनका जवाब दिया जाय, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक एक कट मौशन का उत्तर दिया कि फलां माननीय सदस्य ने यह कहा, उसका यह उत्तर है, उस उत्तर से कट

Page No.167

(श्री मदनसिंह)

मोशन्स का उत्तर देना चाहिये। ये तो लेक्चर दे रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि जो जो स्पेसिफिकेली चीजें रखी गई हैं, उनका उत्तर द, वरना आप कहेंगे आर्डर प्लीज, और इस तरह से हौच पोच होकर हम चलें, इससे कोई मतलब हल नहीं होगा, जो बातें रखी हैं, उनका अच्छी तरह से उत्तर नहीं आ सकेगा, इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यों के जो सुझाव हैं, उनके सम्बन्ध में बोलें और उत्तर दें, ज्योंही एक डिस्ट्रिक्ट के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय बोल चुके, उनके सम्बन्ध में प्रश्न हो जायं।

श्री लादूराम सुलानिया : मन्त्री महोदय कह रहे हैं, यह तो सारी बातें रिपोर्ट में दी हुई हैं, कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, इस तरह जैसे इन्जीनियर्स को लेक्चर देते हैं, उस तरह के लेक्चर से कोई फायदा नहीं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, जवाब दे दिया जायगा, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री परसराम मदेरणा : आपके चन्द्राई बांध की बात आ रही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चन्द्राई बांध का सर्वे कराया जा चुका है, उसकी मिट्टी को एग्जाएग्जामिन करवाया जा रहा है, मिट्टी के एग्जामिनेशन के बाद कार्यवाही की जायगी।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : जोइन्ट कन्ट्रोल सिस्टम को तो आपने मान लिया। पर एक तो आप यह बतायें कि अब तक गंग केनाल, भाखरा, राजस्थान केनाल की डिस्ट्रीब्यूटरीज किसके हाथ में हैं, राजस्थान के हाथ में हैं या पंजाब के हाथ में ?

दूसरे यह बताने की कृपा करें कि कि व्यास और पोंग डैम में जो एम्प्लाईज हैं उनमें राजस्थान के कितने हैं और उनमें एम्प्लोयर कौन है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दोनों प्रश्न बड़े हैं। जहां तक स्टाफ का सवाल है राजस्थान का स्टाफ भाखरा में है, व्यास में दो चार के अलावा कोई नहीं हैं और यह हम मानते हैं कि जिस प्रोजेक्ट में हमारा करोड़ों रुपया खर्च हो, दूसरी स्टेट का खर्चा होता है पर हमारा भी करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है इसलिए हमारा अधिकार है कि जो स्टाफ उन पर रहता है, उसमें हमारा उचित रिप्रेजेन्टेशन हो, हमारा शेअर हो, इसलिए मैंने इस मामले को व्यास कन्ट्रोल बोर्ड की मिटिंग में रखा और यह तय हुआ है कि आयन्दा कोई तकरूरी गवर्नमेंट आफ इन्डिया, चैयरमैन जो कि यूनियन इर्रीगेशन मिनिस्टर इसके चैयरमैन है, उनकी राय के बिना नहीं हो सकेगी। वह इसलिए रखा कि जनरल मैनेजर डायरेक्ट नियुक्तियां नहीं कर दें, अब नये स्थानों पर राजस्थान के व्यक्तियों की नियुक्ति होंगी। हमारी मांग थी कि राजस्थान का आयन्दा का है वह तो जरूर करें पर जो मौजूदा हैं, उसमें भी हमारा शेअर हो। आयन्दा मीटिंग में यह फ़िर रखा जायगा और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वह हमें मिले। यह

Page No.168

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

एक पहलू है। दूसरा पहलू भी है कि हमारे यहां के बहुत से इन्जीनियर साहब बाहर जाना नहीं चाहते और राजस्थान केनाल में ज्यादा रुपया मिलने वाला है, इसलिए बेरोजगारी की दृष्टि से तो नहीं पर आई एण्ड ईयर रहे, रिप्रेजेन्टेशन वहां पर हो, हमारे हितों की पूरी तरह से जांच वहां होती रहे, इसलिए प्रयत्न कर रहे हैं।

जोइन्ट कन्ट्रोल के बारे में मैंने निवेदन किया कि राजस्थान सरकार की ओर से यह मामला रखा गया है, निर्णय अभी नहीं हुआ है, यह कोई हमारा या हरियाणा का ही मामला नही है, सारे हिन्दुस्तान का मामला, सारे हिन्दुस्तान में ऐसे इन्टर स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए सारे देश के लिए तय करना है। इसलिए इसी रेफरेंस में देर हो रही है, इसके तय होने के बाद में यह मामला तय हो जायगा।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : इसे साफ करें मन्त्री महोदय, पानी के बटवारे का काम राजस्थान के हाथ में है या पंजाब के हाथ में है? कौन करता है बंटवारा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारे आफीसर भी रहते हैं, गवर्नमेंट आफ इन्डिया के भी रहते हैं, पर हाथ में उनके है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सब पंजाब के हाथ में है, चाबी भी उनके हाथ में है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बात सही है कि अभी जोइंट कन्ट्रोल नहीं है लेकिन एक्सक्लूजिव कन्ट्रोल है लेकिन भारत सरकार का उस पर सुपरवीजन है। हम उससे भी प्रसन्न नहीं। हम आगे होकर जोइंट कन्ट्रोल या केवल भारत सरकार का ही कन्ट्रोल रहे, ऐसा चाहते हैं लेकिन सारे देश का मसला है। इसलिए उस लेविल पर तय किया जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पानी खोलना किसके हाथ में है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आटोमैटिक रेग्यूलेटर्स हैं। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने हेमावास और गरोलिया के तालाबों की समस्या यहां पर रखी। मैंने माननीय सदस्य की भावना को समझा है। उनका कहना है कि नहरी क्षेत्र में पानी बहने दिया जाना चाहिए और दूसरे क्षेत्र में बाद में दिया जाना चाहिए। जिस समय बांध बना था उस समय जो सिंचित एरिया बताई थी उसमें कमी आई है कई कारणों से। पानी की वजह से, मेड़बंदी की वजह से, अधिक खेती की वजह से, कई बांधों के पानी की क्षमता कम हो गई है। इसलिए एक रास्ता तो यह है कि हम सब लोगों को साथ साथ पानी दें और दूसरा रास्ता यह है कि कमांड को रिवाइज करके कम करें। राज्य सरकार की ओर से एग्जीक्यूटिव इंजनीयर्स से लिखा गया है कि हर प्रोजेक्ट के बारे में अपने रिवाइज्ड सजेशन्स दें और जिन जिन जगहों पर प्रोजेक्ट्स रिवाइज्ड कमांडेड एरिया के लिए आ गए हैं, उन पर निर्णय भी लिया जा चुका है और बाकी पर रिपोर्ट आने पर निर्णय लिया जायगा लेकिन गरोलिया बांध में मैंने माननीय की दरख्वास्त पर पहले ही

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आदेश दिए है कि इस बांध पर सर्वे जो अधूरा है उसको कम्पलीट करके जल्दी पूरा किया जाय जिससे तखमीने की मंजूरी हो सके।

मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जैतपुरा बांध की बात की जिसके लिये पहले मैं निवेदन कर चुका हूं। वीगोद एक बड़ा कस्बा है, उसको पानी मिलना चाहिये और छोटे मौकों के नाम लिये। मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करूं कि चितौड़गढ़ जिले में बांध बन रहा है और उसकी क्षमता और ऊंचाई जितनी होनी चाहिए, पूरी नही हुई है, काम बाकी है। पानी उन गांवों में भी जाएगा, वहां काश्तकारों को काफी पानी मिल सकेगा। इसलिए इस योजना को हाथ में लेने से कोई मतलब नहीं निकलता है।

आसींद से आने वाले माननीय सदस्य ने एक कटौती प्रस्ताव के जरिए कहा था कि खारी बांध में कमांड एरिया ज्यादा है, उसको रिवाइज किया जाय। जल की क्षमता और पहुंच को देखकर सारी कमांड एरिया को रिवाइज कर देते हैं जिससे जो परेशानी अब तक उठानी पड़ती थी, वह भविष्य में नहीं उठानी पड़ेगी।

एक माननीय सदस्य की ओर से यह कहा गया कि यह ये जो बांध बनाए जा रहे हैं राजस्थान में उनके मामले में रिटर्नस का मामला रखा जाता है और यह कहा जाता है कि जो जिस बांध से सिचाई होती है और उस सिंचाई से वाटर रेट्स आए वहीं आमदनी मानी जाती है। मैं मानता हूं कि फाइनेन्शिल रिटर्न्स का तय करने का जो तरीका अंग्रेजों के समय शुरू हुआ था, जो अंग्रेजों ने अपने और ईस्ट इंडिया कम्पनी के जरिए इन्वेस्ट करते थे जिससे रुपए का पूरा ब्याज मिले। इसलिए जो इर्रिगेशन प्रोजेक्ट का जब १०-१२ या १६ प्रतिशत ब्याज मिल सके तब उन योजनाओं में इन्वेस्ट करते लेकिन जब देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद इसको कम करते-करते, ७५ और १ प्रतिशत तक आ गए लेकिन दरअसल यह एप्रोच गलत है और इसलिए भारत सरकार ने निजिलंगप्पा कमेटी एपाइंट की थी उन्होंने कहा कि वाटर रेट्स से जो आमदनी हो राज्य को वह प्रोजेक्ट रिटर्न न माना जाय इसलिए सारे समाज को कितना लाभ होता है उस दृष्टि से प्रोजेक्ट के रिटर्नस को आंकना चाहिए। पहले बिना सिंचाई के कितनी प्राडक्शन हो सकती थी और सिंचाई की सुविधा के बाद कितनी प्राडक्शन हुई तो एडीशनल प्राडक्शन एज ए मैटर आफ फैक्ट सोसाइटी एज ए होल को लाभान्वित करती है, वह कितना होता है उस हिसाब से प्रोजेक्ट की यूजफुलनेस को देखना चाहिए तो राज्य सरकार चाहती है कि फारमूला को बेनी-फिट-कास्ट-रेशियो (लाभ व्यय अनुपात) अभी भी राजस्थान में हैं अपनायें ताकि जो आदीवासी इलाका है, डेजर्ट इलाका है, जहां पर अच्छी-अच्छी योजनायें ली जा चुकी हैं लेकिन अब ऐसी योजनायें जब महंगी पड़ती है और डिफीकल्ट सिचूएशन होती है, इसलिए सोचना पड़ता है क्योंकि पानी की कमी है इस पर कितना खर्चा लगता है, इसको अगर हम देखने लग जायं तो उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बेनीफिट-कास्ट-रेश्यो का सिद्धांत राज्य सरकार

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

अपनाना चाहती है ताकि हम इन कामों को आगे ले सकें। तो मैं ने संक्षेप में माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाए हैं, उस संबंध में मेरे जो विचार थे, आपके समक्ष रखे।

श्री विजयसिंह रावत : पोइंट आफ क्लैरीफिकेशन।

श्रीमती सभानेत्री : बाद में आप पूछें।

श्री विजयसिंह रावत : जो स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या शार्ट नोटिस सवाल हमने अपने इलाके के इस बजट अधिवेशन के दौरान रखे हैं तो आसन की ओर से व्यवस्था होती है कि आपको या तो कटौती प्रस्तावों में उत्तर मिलेगा और इस आशा से माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव रखते हैं तो जैसे माननीय मदनसिंह जी ने कहा, उसी तरह हम चाहते हैं कि सदन में मनानीय सदस्य जो पोइंट स्पेसीफिक रखते हैं, तो सदस्यों को अलग-अलग उत्तर मिलना चाहिए। मन्त्री महोदय तो जरनल डिबेट कर रहे हैं। यह तो सार जो हमें किताब बांटी गई है, उसमें दिया हुआ है।

मंत्री महोदय को, हरेक सदस्य को, जो डिबेट में भाग लेता है और जो पोइंट्स रखते हैं, उनका उत्तर देना चाहिए ताकि जो उनकी समस्यायें हैं...

श्रीमती सभानेत्री : मैं समझ गई। स्थान ग्रहण करें। पहली बात यह है कि मंत्री महोदय टु दी पोइंट जवाब दे रहे हैं और यह संभव नहीं कि प्रत्येक सदस्य का उत्तर दिया ही जाय।

श्री विजयसिंह रावत : क्यों ?

श्रीमती सभानेत्री : आवश्यक नहीं।

श्री मदनसिंह : अगर ऐसी बात नहीं...

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : तो फिर कटौती प्रस्ताव रखने का महत्व ही क्या ?

श्री मदनसिंह : तो आप सदस्यों को पाबन्द भी नहीं कर सकतीं। आपने यह व्यवस्था दे दी तो सदस्यों को कटौती प्रस्तावों पर बोलने के समय उनका गला नहीं घोंट सकतीं। मर्जी आए अपना पोइंट्स पर बोलते रहेंगे। अगर सदस्यों को सीमित करते हैं तो......

श्रीमती सभानेत्री : मैं एक व्यवस्था देना चाहती हूं। स्थान ग्रहण करें। मेरे कहने का मतलब यह था कि मन्त्री महोदय जहां तक हो सकता है, सदस्यों के उत्तर देते हैं लेकिन यह कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं हो सकता कि प्रत्येक का उत्तर दिलवाया ही जाय। आपने बात कह दी उचित समझेंगे और संभव होगा तो जवाब देंगे।

श्री लाबूराम सुलानियां : आसन की ओर से यह कहा जाय कि उत्तर नहीं दिए जाय इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि मन्त्री महोदय......

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदया, एक तरफ तो आप कहते है कि हर

(श्री मदनसिंह दांता)

माननीय सदस्य सवाल पूछेगा उधर आप कहते हैं उसका उत्तर देना माननीय मंत्री के लिये जरूरी नहीं। इसलिये यह अच्छा हो कि जिस माननीय सदस्य के सवाल का वे जवाब दें उसके साथ साथ वे सवाल भी पूछते जांय।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जिस वक्त माननीय मंत्री महोदय किसी इलाके के बारे में कहते हैं उसी वक्त उस इलाके के माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने का हक होना चाहिए। आप कहते हैं आखिर में उत्तर देंगे तो उसमें क्या होता है कि कई बार उत्तर बिना दिये ही मांग पास हो जाती है।

श्रीमती सभानेत्री : मैं आपके व्यवस्था को प्रश्न को समझ गई। माननीय मदनसिंहजी से निवेदन करूंगी कि वे हाउस की परम्परा को जानते हैं बराबर ऐसा होता रहा है, यथासम्भव सभी माननीय सदस्यों को संतुष्ट किया जायगा। यह कम्पलसरी नहीं कि हरेक प्रश्न का माननीय मंत्री उत्तर दें हीं।

श्री लादूराम सुलानियां : हमें अफसोस इस बात का है कि आसन की ओर से मंत्री द्वारा सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर नहीं देने के लिये बाध्य किया जा रहा है।

श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा) : एक जानकारी मैं करना चाहूंगा आपने अभी मेरे एक प्रश्न के उत्तर में फरमाया कि चम्बल क्षेत्र में ९ हजार मील से अधिक धोरे खुदवाये और २५० मील धोरे खुदवाने में अभी देरी है। २५० मील खुदवाने में असमर्थता जाहिर की है। जब ९ हजार मील विभाग खोद देता है तो बाकी २५० मील का हिस्सा है उसको खुदवाने में क्या दिक्कत आ रही है?

दूसरा सिपेज के बारे में निवेदन करूं हमारी सरकार ने जल प्रस्फुटन के लिये सेन्टर से धन की मांग की है। यह जल स्फुटन लाखों बीघा में हो चुका है इसके बारे में जल्दी से जल्दी एक्शन लेकर इस समस्या को सुलझाना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : आप ये सब बातें अपने कटौती प्रस्तावों में कह चुके हैं अत: इसका जवाव मंत्री जी दे देंगे।

श्री विजयसिंह रावत : अभी आपने प्रश्न उठाया है उसके बारे में मैं एक ही मिनिट में निवेदन कर देना चाहता हूँ जो भी माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव रखते हैं वे अपने इलाके के बारे में रखते हैं जो बहुत ही वाजिब होती है। अत: हर माननीय सदस्य यह आशा करता है जो सुक्ष्म में उसके द्वारा रखी हुई बात है उसका उत्तर देना चाहिये। दूसरी तरफ आप यह फरमाती हैं कि प्रश्न का उत्तर देना कम्पलसरी नहीं। हम भी मानते हैं कि सरकार को कम्पेल नहीं किया जा सकता लेकिन सरकार माननीय सदस्यों को कम से कम सन्तुष्ट तो करें।

एक मा० सदस्य : हाउस आफ कामन्स में यह परम्परा होगी।

श्रीमती सभानेत्री : यही आज तक होता आया है हरेक प्रश्न का उत्तर दिया जाय यह आवश्यक नहीं है। आप बीच बीच में विवाद करने लग जाते हैं इससे

(श्रीमती सभानेत्री)

भी मंत्री महोदय को बाधा होती है। वे चाहें जिसका उत्तर दे सकते हैं। इसी तरह से गड़बड़ी होती रही तो मुझे सभा को एडजोर्न करना पड़ेगा।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर आर्डर। आप बार बार विवाद में बाधा डाल रहे हैं माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दें।

श्री लादूराम मुलानिया : एक घंटे से ऊपर होगया माननीय मंत्री जी एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : मंत्री महोदय, आप संक्षेप में संभव हो सके उनके प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : श्री डूंगाराम जी ने चन्दराई बान्ध की बात कही इस बान्ध का सर्वे करा लिया गया है। सोइल मिट्टी जांच हो रही है वहां से रिपोर्ट आ जाने के बाद तखमीना वास्ते मन्जूरी के लिये राज्य सरकार के पास प्रेषित होगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : काफी समय हो गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बान्धों का जिक्र किया सुरहा फीडर और शेरो का बाला। सूरह फीडर पर काम प्रगति पर है सुराघाटा जो योजना है इसके बारे में प्रश्नोत्तर काल में भी काफी बहस हुई थी यह किसी दूसरे बान्ध से इन्टर सेक्ट करता है। इसको हाथ में नहीं लिया जा सकता।

अधूरे कामों को पूरा करने के बारे में कई माननीय सदस्यों ने जोर दिया। मेरा उनसे निवेदन है कि इन कम्पली विजजे हैं या टैंक्स हैं जो केमीन के समय में बनाये गये हैं वे इरीगेशन में वेस्ट नहीं होते। उस पर हम काम नहीं करा सकते। फेमीन में जो काम होते हैं वे इरीगेशन विभाग द्वारा नहीं किये जाते और इस विभाग द्वारा खर्चा ही दिया जाता है क्योंकि वह पचास एकड़ से छोटे है जो पंचायतों में वेस्ट करते हैं उसके लिए मेरी मजबूरी है। नोन इण्टर सेप्टिंग और बीच टैंक्स है उनको पूरा करने में पूरा ध्यान दिया जयगा।

श्री नाथूराम बगीडोरा : तो फिर इसके लिए पैसा कौन देगा ? इसके इरीगेशन विभाग पैसा दे रहा है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिए एग्रीकलचर डिपार्टमेंट देता है। हमको भी वे ही माइनर इरीगेशन हैड से मिलता है।

श्री नाथूराम : तो आप डाईरेक्ट उनको मत दीजिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एग्रीकलचर मिनिस्ट्री देती है।

श्री रोशनलाल : इरीगेशन के जो काम है जिन पर फेमीन के समय इरीगेशन विभाग द्वारा काम करवाया गया वे तो पूरा करवा दिया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो डिपार्टमेंट में वेस्ट होने वाले हैं अपने साधनों को देखते हुए उसको पूरा करवायेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : भीम देवगढ़ तहसीलों के भी तालाब है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : मेरे भी कोटा जिले के संबंध में कट मोशन थे। छबड़ा तहसील में स्टेट के समय के करीब पचास तालाब है जिनसे स्टेट के समय में सिंचाई होती थी आज उनमें से एक भी तालाब नहीं है जिससे सिंचाई होती हो यह कांग्रेस राज के लिए शर्म की बात है......

एक मा० सदस्य : यह क्या भाषण दे रहे है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं १२ तालाबों का जिक्र कर रहा था वे सब पंचायत समिति के टैंक्स है इनसे पचास एकड़ से नीचे जमीन है......

श्री लादूराम सुलानियां : जो बात कही गई है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं ।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : माननीय मंत्री महोदय राहत कार्य जहां करायें वहां आप रेमुनरेटिव समझते है तो उनको कम्पलीट क्यों नहीं कराते ? माननीय सभानेत्रीजी मैं अपनी बात को समाप्त करते हुये यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में इन योजनाओं के जरिये काफी तरक्की की है और आज देश में जो परकेपिटा कल्टीवेटेड ऐरिया उसके अन्दर हिन्दुस्तान में राजस्थान का ऐवरेज ज्यादा है। हिन्दुस्तान के अन्दर १-८ है जबकि राजस्थान के अन्दर २४ एकड़ में है। ये सारी योजनाओं से जमीन को सिंचित करने की तरक्की की गई है। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन जिन सदस्यों के कटौती के प्रस्ताव हैं मैंने उनका सभी का जवाब दे दिया है और वे सभी माननीय सदस्य सन्तुष्ट हो गये होंगे और अगर फिर भी किसी माननीय सदस्य को सन्तोष न हुआ हो तो अलग से चर्चा कर सकते हैं और उसका मतलब यह नहीं कि जिनके कटौती के प्रस्तावों का जवाब मैंने यहां नहीं दिया है तो उस पर कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। चाहे जवाब यहां दिया हो, चाहे जवाब यहां न दिया हो सभी कटौती के प्रस्तावों को हम मेरिट्स पर एग्जामिन करेंगे। जिन कामों को हाथ में ले सकते हैं, उनको जरूर एग्जामिन करेंगे।

(माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई) ।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं केवल एक प्रश्न............

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु०) सभानेत्री महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि चाहे भारत सरकार के विचाराधीन हो और चाहे राज्य सरकार के विचाराधीन हो। उसका तखमीना बना लिया गया हो या तखमीना बनाने जा रहे हों उसमें मेरे जिले सवाई माधोपुर के अन्दर कोई भी योजना है, इस बात के लिये स्पष्टीकरण कर दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सवाई माधोपुर जिले की ५ योजनाओं के बारे में प्रश्नोत्तर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

काल में जवाब दे दिया गया था। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक तालाब का बनाना तो सम्भव नहीं है।

श्री श्रवणलाल : आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर। आर्डर।

(शोरगुल, अश्रव्य)

मांग संख्या ४१ मुख्य शीर्षक ९८, ९९-

(भयंकर शोरगुल, अश्रव्य)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

माननीय सदस्य जब मांग प्रस्तुत की जाती है तो बीच में नहीं बोल सकते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान, अश्रव्य)

(लम्बी घंटी)

आर्डर। आर्डर। आर्डर।

(पुनः लम्बी घंटी)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

मांग संख्या ४१–मुख्य शीर्षक ९८, ९९, १०० के सम्बन्ध में.........

(माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

(लम्बी घंटी)

श्री रामचन्द्र आर्य : बड़े अफसोस के साथ मांग संख्या.........

एक माननीय सदस्य : आप कौनसी मांग संख्या पढ़ रही हैं ?

श्रीमती सभानेत्री : मांग संख्या २५ मुख्य शीर्षक.........

(शोरगुल व्यवधान–अश्रव्य)

माननीय सदस्य एक एक नहीं बोलते हैं, मैं कैसे सुन सकती हूँ। आप एक एक बोलियेगा। मैंने आपसे कई दफा निवेदन किया कि आप १–१ करके बोलते नहीं हैं, हल्ला होता है और उसका अन्त नहीं आता है। आप जो कुछ कहना है.........

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आपको कुछ घमण्ड हो गया है, चेयर का।

श्री मदनसिंह दांता : आप बैठ जायं तो सबका पूछना खतम हो जाय.........

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था का प्रश्न है–आप सुनियेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : आप जितना कम बोलेंगी, उतनी ही शान्ति ज्यादा रहेगी। यह निवेदन मेरा है, सुन लें आप।

श्रीमती सभानेत्री : कृपया स्थान ग्रहण करें (बहुत जोर के शब्दों में)

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा एक प्रश्न है.........

श्रीमती सभानेत्री : देखियेगा मैं बार बार कह चुकी हूँ कि प्रश्नों की कोई सीमा नहीं हैं। प्रश्नोत्तर समाप्त हो चुके हैं। मैं मांग आपके सामने रख देती हूँ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदया, आपने पहले आश्वासन दिया है कि जवाब देने के बाद माननीय सदस्यों को समय दिया जायगा इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि २–३ आदमी हैं। आप इनको समय देकर सन्तोष करायें।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य एक-एक करके प्रश्न पूछते नहीं हैं। मैंने काफी कोशिश की है इनको सन्तोष दिया जाय लेकिन.........

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदया, मेरा एक प्रश्न है.........

श्रीमती सभानेत्री : आप माननीय सदस्य बहुत कुछ कह रहे हैं.........

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने जो माही डेम की ऊंचाई २५० फीट बनाने के लिये कहा उस योजना से बिजली बांसवाड़ा, डूंगरपुर को प्राप्त नहीं होगी। राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश में बिजली देने की योजना है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी ऊंचाई के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन यह और ऊंचा बनाया जाय तो यह गुजरात के लिये सम्भव नहीं है और न राजस्थान के जालौर, बाड़मेर आदि स्थानों पर पानी पहुँच सकता है।

श्री नाथूराम : आपने यह बताया कि गलियाकोट को बचाने के लिये कुछ ऊंचाई कम की है।

श्री नाथूराम : इससे गलियाकोट डूबेगा और अवश्य डूबेगा। एक मकान नहीं बचेगा। आपने बिलकुल झूठा जवाब दिया है।

(शोरगुल, अश्रव्य)

राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा के उपजाऊ क्षेत्र को डुबोयेंगे तो आप इस पद पर नहीं रह सकेंगे। हजारों लोग आन्दोलन करेंगे। आप विश्वास रखें राजस्थान का एरिया डूब रहा है और गुजरात को फायदा मिल रहा है।

(७ म० प०)

इसका जो जवाब दिया है बिलकुल गलत दिया है। मेरी मांग है कि इन आदिवासी लोगों के उपयोगी क्षेत्र को डुबाओ मत। भारत सरकार से बिना डर रक्खे आप कह दो कि आदिवासी लोगों के इस भाग को मत डुबाओ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं एक ही बात पूछना चाहूँगा। आप सारी बातों का सारे कट मोशनों का जवाब भी दे देंगे पर इस इर्रीगेशन विभाग और कोलोनाइजेशन विभाग के बरतन के नीचे जो छेद हो रक्खा है, नीचे से जो यह फटा हुआ है इसको

Page No.176

(श्री रामचन्द्र आर्य)

कारी कैसे लगावेंगे ? यह आश्वासन दें आप तो और यह बतावें।

श्रीमती सभानेत्री : (श्री लादूराम सुलानियां से) आपको क्या बोलना था ?

श्री लादूराम सुलानियां : मन्त्री महोदय क्या इसमें से पच्चीस प्रतिशत पिछड़ी जातियों के लिये सुरक्षित रक्खेंगे ?

श्री दिग्विजयसिंह : मैंने कोलोनाइजेशन पर प्रश्न पूछा था उसके सम्बन्ध में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सभानेत्रीजी, यह इर्रीगेशन की डिमाण्ड के साथ रिलेवेन्ट नहीं है। यह जो जागीरदारों के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित है। जिस वक्त इस विभाग की डिमान्ड आवे आप पूछें।

फिर भी कुछ आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर देना चाहता हूँ कि खुदकाश्त की लैंड में एक मुरब्बा फ्री देने का और एक रुपया की कीमत देने का था। कुछ पहले खुदकाश्त अलॉटमेन्ट के रूल्स बने हैं उसके अन्दर फिर दूसरे रूल्स बनाये हैं और इसके अन्दर उनसे हम किश्तें लेंगे जिस प्रकार दूसरे लोगों से ले रहे हैं और वह कीमत लेंगे कि जो दूसरों से ले रहे हैं। लेकिन जो एक मुरब्बा फ्री दिया है वह फ्री रहेगा पर उसकी बैटरमेन्ट लेवी लेंगे। इसलिये एक रुपया की बैटरमेन्ट लेवी है और एक की वह कीमत है जो आम लोगों से लेते हैं। इसके बाद कोई प्रश्न रहता नहीं इसलिये आपको केवल गलतफहमी ही है।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने पहले निर्धारित किया था और पचास रुपये के हिसाब से जमा करा दिया। कब्जा ले लिया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पचास रुपया तो अकेला मनी था। अब १२ परसेन्ट और देना पड़ेगा।

श्री दिग्विजयसिंह : ५००) के हिसाब से अभी भी देने को तैयार हैं। जैसा एग्रीमेन्ट है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपको समस्या का पता नहीं है।

श्री लादूराम सुलानियां : ये मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते हैं ?

श्रीमती सभानेत्री : यह उनकी मर्जी पर है दें या न दें। इसके लिये नियमों में और भी प्रावधान हैं।

श्री परसराम गंगाराम : लिफ्ट लाने के लिये आपने क्या फरमाया। पंवाल बांध के बारे में भी आपने नहीं फरमाया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी जानकारी नहीं है। आप कह रहे हैं तो इसके बारे में मालूम करूंगा।

श्री परसराम गंगाराम : नागौर में राजस्थान नहर से पानी देने के बारे में आपने कुछ नहीं फरमाया ?

श्री मदनसिंह : मैंने अभी तक नहीं पूछा। जब भी सिंचाई का सवाल आता है तो मैं समझता हूँ झुंझनू, सीकर और नागौर के सम्बन्ध में बीस सालो में आज तक आपने कोई योजना यहां के लिए नहीं बनाई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सभानेत्रीजी यह सोचने की बात है कि तालाब या बान्ध वहीं बनेंगे जहां पर पानी बरसेगा और रन अप होगा। हारनैस हो सकता हो वहीं बन्धेगा। तो इन रेगिस्तानी इलाकों में जहां बरसात ही नहीं होती ऐसी कि बान्ध हम बांध सकें दो चार करोड़ रुपया लगाकर।

श्री केदारनाथ : विश्व फूड आर्गेनाइजेशन से चार करोड़ रुपये की फूड स्टफ मिलेगी राजस्थान कैनाल एरिया में गरीबों में बांटने के लिये तो इसके पीछे क्या कोई राजनैतिक शर्त तो नहीं जुड़ी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी नहीं। कोई राजनैतिक टिंच इसके पीछे नहीं है। यह अमेरिकन एजेन्सी जरूर है और मानवता के व्यवहार की दृष्टि से है।

श्री केदारनाथ : यह आप और देख लीजिये कि इसके पीछे कोई पोलिटिकल स्टिंच तो नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नो नो नो नाट एट आल।

श्री विजयसिंह रावत : पहली दूसरी और तीसरी योजनाओं में आपने छोटे बान्धों पर कितना रुपयों का प्रावधान रक्खा और इसमें से कितना खर्च कर दिया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो बता चुका हूँ कि ८-९ करोड़ रुपया खर्च किया।

श्री विजयसिंह रावत : मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि जितना प्रावधान रखा उतना पैसा खर्च न करके कम किया है और इसी का परिणाम है कि सिंचाई के पूरे साधन किसान को उपलब्ध नहीं हो सके और आज वह मजदूर बनकर रह गया है। तो क्या सरकार भविष्य में छोटे बान्धों के लिये छोटे तालाबों की मेन्टीनेन्स के लिए कोई फेज्ड प्रोग्राम बना रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि मांग संख्या २५ मुख्य शीर्षक ४२ बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३५२०६०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सभा की कार्यवाही कल......

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या मीटिंग खतम हो गई ?

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, ऐसी बात नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : मेरा पोइन्ट आफ आर्डर है ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि...

श्री मदनसिंह दांता : व्यवस्था का प्रश्न है । हो सकता है कि हम गलत हो, पर आपने यह अनाउन्स किया कि सदन की कार्यवाही स्थगित की गई ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य । मैं कहती हूँ ।

मैंने यहां तक कहा था कि "सभा की कार्यवाही" आगे में नहीं बोली प्रश्न यह है......

श्री मदनसिंह दांता : मैं......

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रश्न के बीच में इस वक्त व्यवस्था का प्रश्न उठाया नहीं जा सकता ।

श्री मदनसिंह दांता : अभी आपने फरमाया कि मैंने इतना ही कहा तो क्या सभा की कार्यवाही कल सुबह तक "यह नहीं फरमाया । फिर भी इसका क्या अर्थ ? जितने शब्द आगे बोल गये यह लिया जावे ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ।

श्री मदनसिंह दांता : आसन की मंशा क्या थी ? स्थगित हो गया ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सदस्य मांग के बीच में बोल रहे हैं । बीच में पोइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता ।

श्रीमती सभानेत्री : अब प्रश्न यह है कि मांग संख्या २९ मुख्य शीर्षक ४३ सिंचन नौचालन तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) ४४......

श्री मदनसिंह दांता : इसके विरोध में मैं इस सदन से बहिर्गमन करता हूँ ।

(बहिर्गमन किया)

श्रीमती सभानेत्री : सिंचन नौचालन तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) ४४ सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६९ तक समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५१२३९०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

माँग स्वीकार की गई ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४१ मुख्य शीर्षक ९८, ९९ और १०० के संबंध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १५,३८,६२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(श्रीमती सभानेत्री)

(मांग संख्या ४१ स्वीकार की गई।)

सभा की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं ७ बजकर १३ मिनट पर २७-३-६८ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या ८४१ की सूची)

सूची

नाम जिला	सूचि बकाया	बकाया जो वसूल होना है	रिमार्क्स
१	२	३	४
जिला झुंझुनू			
१. श्री सबलसिंह जागीरदार झखोड़ा	११६०-०६	२२-६६	
२. श्री महावीरसिंह कोलिन्डा	११२०-३०	१८-०१	वसूली की कार्यवाही जारी है।
जिला नागौर			
१. श्री अमरसिंह जासूजा	४६७५१-५०		काश्तकार बकाया देने को तैयार नहीं है जिसकी सूचना जागीरदार को दे दी गई है। जागीरदार ने बकाया की सूची पेश नहीं की जिससे यह मालूम हो सका कि कितनी बकाया है। रकम विवाद-ग्रस्त होने से काश्तकार देने को तैयार नहीं है। इसकी सूचना जागीरदार को दे दी गई है।
जिला अजमेर			अजमेर टिनेन्सी एण्ड लैन्ड रेकार्ड एक्ट १६५० की धारा ८४-८५ के तहत कोर्ट ऑफ वार्ड्स काश्तकारों के खिलाफ दावे दायर करके ही रकम वसूल कर सकती थी।

१	२	३	४
			राजस्व बकाया की तरह नहीं। कोर्टग्र ॉफ वार्ड्स से इन ठिकानों को छोड़ने के बाद कागजात इस्तमरार-दारों को संभला दिए गए।
जिला गंगानगर			
१. ग्रापुवाला		४१३—००	ग्रासामियान पर दावा दिवानी
२. धांधसर		१०७३—००	रु० २६३१२—०० का कोर्ट द्वारा
३. बालासर		१६४१—००	चलाया गया बाद में कोर्ट ग्रॉफ
४. बिसरासर		६५५—००	वार्ड्स से मुक्त होने के जागीर-
५. कलासर		३०५—००	दार को दावा की हिदायत दी गई है।
६. चाढ़सर		६६३—००	जो रकम वसूल होने से बाकी है
७. सगासर		८५३—००	उस बाबत कार्यवाही की जा रही
८. मोजेवाला		७५१—००	है। ज्यादातर ग्रकाल पड़ने के
९. मानाई		८५—००	कारण वसूली नहीं हो सकी।
१०. ग्रजीतपुरा		२८१२—००	कुछ ऐसे भी ग्रासामी हैं जो
११. न्यौलखां		३१७१२—००	जिला चुरू के रहने वाले हैं उनका स्थाई निवास इन जागीरों में नहीं है इस कारण भी वसूली में कठि-नाई पैदा हुई है।
जिला चुरू			
१. चुरू	—	—	
२. सरदारशहर ठि० इरदेसर		२४६०—१०	ठिकाने के मुल्तयार ग्राम द्वारा प्रार्थना-पत्र देकर पुरानी ढालबाछ को गलत बताने पर जांच की जा रही है।
३. बीदासर		८१२८—३१	बकाया सूची में ग्रङ्कित काश्तकार मौके पर न मिलने के कारण वसूली नहीं हुई है।

१	२	३	४
४. लखासर		२५०३-८७	वसूली की कार्यवाही चालू है
५. रीडि		३४५२-९४	किन्तु काश्तकार साधारणतः ऐसी रकम देने में आनाकानी कर रहे हैं।
६. जैतीसर		१५११-३९	नियमानुसार वसूली की कार्यवाही
७. हरदेसर		१२८६-६९	चालू है।
जिला टौंक			
१. श्री लालसिंह ठि० रोहेडा		५४१३७-६०	सूची बकाया दिनांक ४-१२-६७ को तहसील में प्राप्त हुई बकाया वसूली की कार्यवाही जारी है।
जिला बीकानेर			
१. जा० गुमानसिंह ठि० झझू		५१८६-२८	कानूनी अड़चन की वजह से वसूली नहीं होरही है। जागीरदार अदालत दिवानी में कार्यवाही कर सकता है।
जिला सवाई माधोपुर			
१. जा० लाल जी देवीसिंह ठि० बमीरा		६१०-८९	वसूली की कार्यवाही जारी है।
जिला कोटा			
१. जा० भगवतीसिंह ठि० इन्द्रगढ़		१४७२६९-४०	जागीदार द्वारा काश्तकारान को हिसाब नहीं समझाये जाने के कारण वसूली नहीं हो सकी। उसका उत्तरदायित्व जागीरदार पर ही है।

१	२	३	४
जिला जयपुर			
१. ठि० साखून		१७८४९–००	वसूली की कार्यवाही जारी है।
२. ठि० जयसिंहपुरा		२४५०–००	,,
		१५००–००	,,
		३००–००	,,

उपरोक्त जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों में जागीरें, पुनर्ग्रहण होने के समय कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन नहीं थी।

———

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या ८४३ की सूची)

बूंदी वन मण्डल सहकारी समितियों की सूची

क्रम संख्या	समिति का नाम	रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं दिनांक		समिति के मौजूदा अध्यक्ष का नाम	तारीख जब से अध्यक्ष है ।
१.	मोजपुरा वन श्रमिक सहकारी समिति	४३५ जी	१६– ८–५८	श्री भँवरलाल	७–१०–६३
२.	पीताम्पुरा वन श्रमिक सहकारी समिति	४२६ जी	२३– ७–६०	श्री देवीलाल	२०– २–६५
३.	गुढ़ा आदिवासी वन श्रमिक सहकारी समिति	४२५ जी	२३– ७–६०	श्री हीरालाल	१०–११–६१
४.	बूंदी वन श्रमिक सहकारी समिति	४७६ जी	२– ८–६१	श्री सूरजमल	—
५.	जंगल लकड़ी मजदूर सहकारी समिति	४७७ जी	२– ८–६१	श्री किशनलाल	१६– ३–६४

६.	पीपल्या वन श्रमिक सहकारी समिति	४१७ जी	१०– ६–६०	श्री जगन्नाथ	६– ४–६१
७.	कुण्डात्या आदिवासी वन श्रमिक सहकारी समिति	४७८ जी	४– ८–६१	श्री रामा	४– ८–६१
८.	तालाब गांव आदिवासी वन श्रमिक सहकारी समिति	२८१ जी	१६– ८–५९	श्री हुसैन	८– २–६४
९.	खेड़ा वन श्रमिक सहकारी समिति	४८० जी	२६– ८–६१	श्री कालूलाल	७–१०–६२
१०.	लोईवा आदिवासी वन श्रमिक सहकारी समिति	४८१ जी	२६– ८–६१	श्री भूजा	२१– ४–६१
११.	मोली मजदूर सहकारी समिति	४८८ जी	११– १–६२	श्री नारायण	२– १–६४

Page No.186

परिशिष्ट ३ (अ)

(तारांकित प्रश्न संख्या ८४४ की सूची)

घोषित मुदा गोचर-भूमि ग्राम भोण्डर के लिए

ख० नं०	रकबा
७७	१०५।।)१
७९	३३।)२
२२२	१४)
२२४	५६।)४
२४४	४।।)
२५०	२०)
४८	१०३।)३
५०	३७६।।)२
२४८	३५।।।)
	६५५।।)२

आज दिनांक ६–१०–६६ को बमुकाम मींडर तलाब के पास मवेशीयान की गिनती रूबरू मोतबरान की गई। कुल मवेशीयान की संख्या १२६० जिसमें गायें व भैंसिया व बल्द थे व गांवाई मवेशी १६० है, कुल मवेशीयान १४२० पाई गई। मौतबरान के हस्ताक्षर कराये गये। भाट लोग उनके बलद बाहर परदेश ले गये गायें वहां पर हैं।

१—मवेशी आसामीयान नीचे मुफ़ब है।

१. राइका गिरधारी बेटा सवाई व भाटा भाबा दला, गोरा, हेमा पिसरान नाथा सा मींडर मी उसकी साथ हैं।

६०० मवेशी

२. राइका विशना बेटा हेमावास मीण्डर व इसके पास में धना, गना, पृथ्वी व मगा पिसरान पीहा साट सा मीन्डर की हैं।

४०० मवेशी

३. राइका पुनम बेटा राम नाथा भाट व नीवाला बेटा रामा भाट सा० मीन्डर की हैं।

२६० मवेशी

४. गांव के दीगर आसामियों की मवेशी — १६० मवेशी

कुल मवेशी १४२०

सही—कानसिंह राठौड़

६–१०–६६

तहसीलदार, पाली

केम्प मीन्डर

अ० नि० मेणा मोडा

बनड पंच मीन्डर

सही—अर्जुनसिंह

अ० नि० चौधरी रावत सा० मीन्डर

नि० अ० राईका पूनम

नि० अ० राईका गिरदारी मीन्डर

अ० नि० राइका मोडा मीन्डर

अ० नि० मूला टोगा वार्ड पंच मीन्डर

नि5 अ० राईका वसीया

परिशिष्ट ४

(तारांकित प्रश्न संख्या ८४९ की सूची)

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जन-जाति क्षेत्र में आर्थिक विकास, शिक्षा प्रसार एवं छात्रावासों पर गत पांच वर्षों में जो धनराशि खर्च की गई उसकी सूची 'अ'

क्रमांक	योजना का नाम	खर्चे का ब्यौरा (रुपये लाखों में)					विशेष विवरण
		१९६२–६३	१९६३–६४	१९६४–६५	१९६५–६६	१९६६–६७	
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	**शिक्षा विकास**						
	१. प्राईमरी स्कूल २. बेसिक स्कूल ३. छात्रवृत्तियां ४. समाज शिक्षण केन्द्र	३·२९	४·०२	४·५८	५·६२	४·६१	
२.	आश्रम स्कूल	०·१७	०·१३	०·१८	०·१८	०·१७	
३.	छात्रावास	१·६६	१·०१	२·४४	२·४५	२·५७	

१	२	३	४	५	६	७	८
४.	विशेष छात्रवृत्तियां	०·७०	—	—	—	—	
५.	स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान	२·२५	२·६५	२·८६	२·९४	२·२९	
६.	तालाब एवं बांध	२·७०	०·४७	०·४७	२·०२	समस्त राज. १·५३	
७.	सिंचाई कूप	०·४८	०·२५	०·८५	०·५०	०·२५	
८.	लघु उद्योग	०·३५	०·३२	०·२४	०·४४	०·०७	
९.	बैल खरीदने के लिये सहायता	०·३५	०·०१	—	—	०·०६	
१०.	भूमि पर पुनर्वास	०·५९	०·३९	—	—	—	
११.	आदिवासी विकास खण्ड	४·५०	९·००	१३·००	१८·५०	२३·००	
१२.	सहकारिता	१·५५	२·११	२·८७	१·६५	०·६२	
१३.	पानी पीने के कुओं के लिये सहायता	०·६८	०·२२	०·१८	०·२०	—	
१४.	चिकित्सा	०·३६	०·४६	०·३५	०·३१	०·३७	
१५.	सांस्कृतिक विकास	०·०६५	०·०२५	०·०३	०·०२	०·०२	

१	२	३	४	५	६	७	८
१६.	ग्रेन गोलाज	०·०४१	०·०२२	०·०२	०·०२	—	
१७.	कानूनी सहायता	—	—	०·०१	—	०·०१	
१८.	सड़क एवं यातायात	—	—	०·०६	०·०४	—	

परिशिष्ट ५

(तारांकित प्रश्न संख्या ६६० की सूची)

तालिका नम्बर १

प्रोजेक्ट का नाम	वाहन	खर्च	कुल खर्च	
राजस्थान केनाल	८ जीपें	—	२,९५७·५२	प्रत्येक जीप पर औसतन खर्च ३७० रुपये आता है।
	१२ ट्रक	—	४०,७४२·१७	प्रत्येक ट्रक पर औसतन खर्च ३४०० रुपये आता है।
राणा प्रताप सागर	१ सुक्को ट्रक	८०४		
	१ सुक्को ट्रक	६१४		
	१ सुक्को ट्रक	७६७		
	१ सुक्को ट्रक	८४८	३,०३३·००	
	४ बेड फोर्ड ट्रक	—	४,८७६·००	
	५ जीप	—	—	
	जीप नं० ३७५२	—	२,४२४·००	
	जीप नं० ४२७१	—	१,५८५·००	
	जीप नं० २५९६	—	३,९५८·००	
	जीप नं० २६१३	—	२,९७६·००	
	जीप नं० ९६७	—	३,३६१·००	
	जीप नं० ३९८०	—	५,५३६·००	
		योग	७१,४४८·६९	

राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट पर जीपों व ट्रकों का खर्चा गाड़ी वाइज नहीं रखा गया है, अतएव प्रत्येक गाड़ी का अलग-अलग खर्च देने में असमर्थता है ।

इसी प्रकार राणा प्रताप सागर पर ४ बेड फोर्ड ट्रकों का खर्च गाड़ी वाइज नहीं रखा गया है ।

तालिका नम्बर २

प्रोजेक्ट का नाम	गाड़ी का नम्बर	यात्रा की
राणा प्रताप सागर	सुक्कों ट्रक नंबर ३७५१	८१८८ मील
	सुक्को ट्रक नंबर आर. जे. आर.	
	सुक्को ट्रक नंबर आर. जे. आर. ३०४७	३०३५ मील
	सुक्को ट्रक नंबर आर. जे. आर. ३७५३	३३०७ मील
	नंबर आर. जे. आर. ४	२७४५ मील
	बेड फोर्ड ट्रक नंबर आर. जे. आर. ३९८९	१०३७१ मील
	,, नंबर २	८८७ मील
	,, नबर ३	१२९७ मील
	,, नंबर ४	४८६ मील.
	विल्ली जीप आर. जे. आर. ३७५२	२३१९८ मील
	,, जीप आर. जे. आर. ४२७१	१५१६५ मील
	,, जीप आर. जे. आर. २५९६	३७८७३ मील
	,, जीप आर. जे. आर. २६१०	२८७७८ मील
	,, जीप डी. एल. जे. ९६७	२२६०१ मील
	,, जीप आर. जे. क्यू. ५६१८	१९७३३ मील
	,, जीप आर. जे. आर. ३९८०	१७०४६ मील
	,, जीप आर. जे. बी. ३८५	४२७५४ कि० मी०
	,, जीप आर. जे. आर. ३७५६	२५००० मील लगभग
	,, जीप आर. जे. आर. ३१३०	१९००० कि० मी०
राजस्थान केनाल	जीप नं० २१७२४३	२५४०८ मील
	जीप नं० २१७४७०	१५११४ मील
	जीप नं० १७८६६३	१२५०० मील

जीप नं० २२०८२७	१३५९० मील
बेड फोर्ड ट्रक ६१—२४९६२	२४५ मील
६१—२४५६३	१४५८ मील
६१—२४८९६	१०७६ मील
५५—६६९१३	६४० मील
६१—२४६७५	१८४ मील

बाकी चार जीपों व ७ ट्रकों की सूचना एकत्रित की जा रही है।

....

परिशिष्ट ६

(अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४९ का उत्तर)

खड़ाना बांध में जलमग्न होने वाली राजस्थान से सम्बन्धित विवरणों का लेखा

क्रम सं०	तहसील	जलमग्न होने वाली भूमि की किस्म एकड़ में			कुल भूमि का योग	कुओं की सं०	प्रभावित घरों की संख्या	प्रभावित जन संख्या	विशेष विवरण
		कृषि भूमि	बंजड़ भूमि	नदी एवं नाला					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१.	सागवाड़ा	७,३२२·२१	४,३५४·२६	४,१२४·६६	१५,८०१·१६	९१	७५२	४,७२०	—
२.	बीगीदोरा	२,५१६·७४	१,०६२·९९	१,०३०·११	४,६०९·८४	३०	१६४	१,१४२	—
३.	गढ़ी	४,०५१·२९	२,१५४·१३	३,०७८·५१	९,२८३·९३	३२	१६९	१,००१	—
	कुल योग	१३,८९०·२४	७,५७१·३८	८,२३३·३१	२९,६९४·९३	१५३	१,०८५	६,८६३	—

....

परिशिष्ट ७

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

समाज कल्याण विभाग की जीपों आदि पर व्यय

८५३. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़)—क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) समाज कल्याण विभाग में कितनी जीप गाडियें हैं और जीप गाड़ियों पर वार्षिक कुल खर्च कितना होता है?

(२) समाज कल्याण विभाग का वार्षिक एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च कितना है? और क्या सरकार इस व्यय में कमी करने का विचार रखती है?

उत्तर

१—समाज कल्याण विभाग में १७ गाड़ियां है जिन पर वार्षिक व्यय कि सूची :अ: सदन की मेज पर रखदी गई है।

२—समाज कल्याण विभाग में सन् १९६६-६७ में प्रशासनिक व्यय का लगभग ६ प्रतिशत है जो अधिक नहीं है।

....

(ब)

समाज कल्याण विभाग में १७ गाड़ियों पर व्यय की सूची 'ब'

स्कीम का नाम	खर्चा			आय व्यय अनुमान	संशोधित अनुमान
	६४—६५	६५—६६	६७—६८	६७—६८	६७—६८
१	२	३	४	५	६
१. प्रशासन					
आयोजना भिन्न व्यय	४६२५	५६४३	५४४१	१५००	५०००
२. अनूसूचित-जन जाति					
आयोजना भिन्न व्यय					
चिकित्सा	११६२४	८७११	११०००	१०८००	१४०००
प्रकाशन	५५७६	४६७१	३७८५	२४००	३५००
योग २	१७२००	१३६८२	१४७८५	१३५७०	१७५००
३. अनुसूचित जाति प्रशासन	—	—	—	३०००	३०००
४. अविकसित ग्राम्य क्षेत्रों के विकास की योजना	५१०२	५१२२	४६१०	४०००	४०००
५. समाज कल्याण					
राज्य अनाथालय और पाश्चात्यवर्ती सेवाऐं	४६०	१४६०	४३१३	२५००	२५००

....

अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत तहसील डूंगरगढ़ में पीने के पानी के लिए कुओं का ठेका

८५४. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करें :—

(१) क्या यह सही है कि वर्ष ६६–६७ में अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला चुरू के गांवों में पीने के पानी के लिए तहसील द्वारा ठेके देकर ठेकेदार द्वारा कुए 'पी' पर चलवाये गये ? यदि हां, तो किस किस गांव में, कितने कितने कुए ? तथा दैनिक ठेके की किस रेट पर व किस दिनांक से किस दिनांक तक ? कुए ठेके पर कितने दिन व महीने के ठेके पर दिए व चले व प्रत्येक ठेकेदार का नाम तथा कुल रकम चुकाई गई रकम और आज तक बकाया रही रकम और बकाया रहने के कारण सहित बतलाये जावें ?

(२) क्या कुंआ चलाने की निगरानी व तस्दीक पटवारियान व गिरदावरान द्वारा रखी गई थी और फैमिन नायब तहसीलदार भी मौके पर जाकर जांच करता था ?

(३) बकाया रकम अब कब तक चुकादी जायेगी ?

उत्तर

(१) जी हां। गांववार ठेकेदार का नाम, ठेके की दर कुल रकम चुकाई गई, रकम बकाया की सूचि सदन की मेज पर जिलाधीशजी से पूरी सूचना समय पर न मिलने के कारण रकम समय पर नहीं चुकाई जा सकी।

(१) जी, हां। यथासम्भव निगरानी व तस्दीक पटवारीगण–एवं निरीक्षकों द्वारा रखी जाती थी व नायब तहसीलदार भी जांच करते थे।

(३) बकाया का यथाशीघ्र चुकारा कर दिया जायेगा।

....

पिवाई पर चलाये गये कुओं की सूची

नाम गांव	तादाद कुआ	नाम व्यक्ति जिसके नाम से कुआ चलाने की मंजूरी हुई	दैनिक रेट जिस पर कुआ चलाया गया
जोधासर	१	श्री भूरसिंह	१६–००
रिडीवासड़मेरा	१	श्री किसनाराम	१५–००
नारसीसर	१	श्री केसूराम	१५–००
मोजास	१	श्री बाघसिंह	१५–००
लिखमीसरउतरादा	१	श्री मालूराम पुत्र हीराराम	१५–००
वीरदेसरपुरोहितान (हरिजन कुआ)	१	श्री नानूराम पुत्र बीराराम	१५–००
ठिकरियासरदिखनादा	१	श्री नारायण पुत्र शोभाराम	२०–००
हेलासर	१	श्री मेघाराम	२५–००
पोलिया	१	श्री पन्नाराम	१२–५०
कोटासर	१	श्री मोहनसिंह	१५–००
बीरमसर	१	श्री बेगाराम	२०–००
सावतसर	१	श्री पतराम पुत्र सेवाराम	१५–००
हेलना	१	श्री डूगरराम	१५–००
बीजासर	१	श्री तेजाराम	१५–००
देपालसर	१	श्री प्रभुराम	१६–००

तहसील डूंगरगढ़ जिला चुरू वर्ष १९६६-६७

कब से कब तक	कुल रकम जो वाजिब हुई	रकम जो चुकाई गई	रकम जो चुकाने से बाकी रही	कारण रकम न चुकाने का	विवरण
२६-५-६६ से ३१-७-६६ तक	११५९-००	—	—		
२६-५-६६ से ३१-७-६६ तक	१००५-००	४०५-००	६००-००	कालांतर में जांच से कुआ पिवाई पर चलना नहीं पाया गया, जांच चालू है।	
१-६-६६ से ३१-७-६६ तक	९१५-००	४५०-००	४६५-००		
२०-४-६६ से ११-५-६६ तक	३३०-००	३३०-००	—		
२५-५-६६ से ९-७-६६ तक	९६०-००	५५५-००	१३५-००		
२६-५-६६ से ६-७-६६ तक	६३०-००	६३०-००	—		
२६-५-६६ से ५-७-६६ तक	८२०-००	८२०-००	—		
२६-५-६६ से ३१-७-६६ तक	१६५०-००	१०७५-००	५७५-००		
२८-४-६६ से ३१-७-६६ तक	११८७-५०	—	११८७-५०		
२०-५-६६ से २३-७-६६ तक	९६०-००	९६०-००	—		
२८-५-६६ से ३१-७-६६ तक	१३००-००	—	१३००-००		
२५-५-६६ से ९-७-६६ तक	६९०-००	—	६९०-००		
—	—	—	—	पी पर चलना पाया	
२८-४-६६ से ३१-७-६६ तक	१४४०-००	—	१४४०-००		
—	—	—	—	कुआ पी पर चलना नहीं पाया गया।	
योग :—	१२२७६-५०	६३८४-००	६३९२-५०		

रिटायर्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेन्शन के मामले

८५५. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) रिटायरमेंन्ट की उम्र ५८ साल से घटा कर ५५ कर देने के फलस्वरूप, कितने गजेटेड व कितने नान गजेटेड अफसरों को रिटायर किया गया है ? कृपया विभागानुसार तफसील देने का कष्ट करें।

(२) क्या लोकल बोडीज व अन्य अर्थ-सरकारी विभागों में भी यह आर्डर लागू किया गया है ? यदि हां तो इन संस्थाओं में कितने व्यक्तियों को रिटायर किया गया है ?

(३) रिटायर्ड अफसरों की मुस्तकिल पैन्शन हो जाने से पूर्व इन लोगों को अपना दैनिक खर्च चलाने हेतु क्या अस्थाई व्यवस्था की गई है और कितने व्यक्तियों के पेन्शन केसेज अब तक निर्णीत कर दिए गये हैं ?

(४) ग्रेच्यूटी के रूप में सरकार को कितनी धन राशि रिटायर्ड कर्मचारियों को भुगतान करनी पड़ेगी व पैन्शन के रूप में कितनी ?

(५) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी ५५ साल से अधिक उम्र होते हुए भी किन्हीं विशेष कारणों से रिटायर नहीं किया गया है सरकार द्वारा रिटायरमेन्ट की उम्र के बाद दूसरे रूप में एडवाइजर आदि बना कर ले लिया है ?

(६) पैन्शन केसेज फाइनल कब तक कर दिये जावेंगे ?

(स्थगित किये जाने हेतु सरकार द्वारा प्रार्थना की गई)

एस. डी. ओ. मेड़ता द्वारा चीनी के वितरण में अनियमितताएं

८५६ श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. मेड़ता ने मीरा कन्ज़ूमर स्टोर व रामराज अग्रवाल को चीनी व अनाज के पुराने डीलर होते हुए भी उनको माल देना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. मेड़ता ने अपने साले केसरसिंह को बिठाकर स्वयं अपनी दुकान चीनी व अनाज वितरण के लिए जून सन् ६७ से खोल ली थी ?

(३) क्या यह सही है कि इस दुकान पर चीनी बेचने के लिये नागौर सहकारी उपभोक्ता भंडार, उपभोक्ता भंडार मेड़ता, चीनी होल सेल भंडार, कन्ज़ूमर स्टोर आदि विभिन्न नामों से परमिट देकर इस चीनी को वितरण कर व ब्लेक कर स्वयं एस. डी. ओ. मेड़ता श्री सुखदेव आर्य ने इसका लाभ उठाया ?

(४) क्या यह सही है कि इस दुकान से चीनी व अनाज कम तोला गया व चीनी का व अनाज का भारी ब्लेक किया गया परन्तु राज्य सरकार ने इसकी जांच नहीं की ?

(५) क्या यह सही है कि २० बोरी चीनी नागौर से यहां मंगवा कर श्री केसर-

Page No.201

(श्री गोरधन सोनी)

सिंह को बेचने को दी गई उसका कोई हिसाब नहीं है और वह तमाम काले बाजार में बेची गई ?

उत्तर—

१—जी हां क्योंकि उन दोनों विक्रेताओं ने अपना चीनी का लाइसैंन्स नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत नहीं किया था और न फीस ही भरी थी। चीनी वितरण हेतु लाइसैंन्स लेना आवश्यक था। चीनी के विक्रेता को ही धान का कार्य जनता की सुविधा हेतु साथ रखा था।

२—यह सही है कि अस्थाई तौर पर यह कार्य श्री केसरसिंह को दिया था परन्तु यह सही नहीं है कि एस. डी. ओ. से उसका कोई संबन्ध था।

३—यह कार्य अस्थाई तौर पर माह जून ६७ से अक्टूबर ६७ तक नागौर सहकारी उपभोक्ता भंडार की मेड़ता में शाखा खुलने तक दिया गया था। यह कतई गलत है कि श्री आर्य भूतपूर्व क्षेत्रीय अधिकारी, मेड़ता ने लाभ उठाया।

४—इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर निरीक्षक बाट व माप से उसकी जांच उप-क्षेत्रीय अधिकारी ने कराई थी जो बे बुनियादी पाई गई अतः अब किसी जांच का प्रश्न नहीं उठता है।

५—यह सही है कि २० बोरी चीनी दिनांक २८—६—६७ को विशेष परमिट हेतु मेड़ता उप-क्षेत्र के लिए जिलाधीश नागौर ने दी। उप-क्षेत्रीय अधिकारी व तहसीलदार मेड़ता के परमिटों पर व्यवस्थापक केसरी-सिंह चौधरी ने वितरण की और वितरण हिसाब हर माह की भांती इनका भी प्रस्तुत किया था और तब ही अग्रिम माह के लिए चीनी दी गई थी काले बाजार में चीनी बेचने का आरोप मनगढन्त है।

जैसलमेर जिले में मिलीटरी क्षेत्र के निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

८५७ श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के पूर्वोत्तर भाग की मिलीटरी क्षेत्र बनाने के क्रम में जो कई गांव-खाली हुए हैं, वहां के लोगों को दिये जाने वाले अनाप शनाप मुआवजे को तय करने वाले अधि-कारी लाखों का गोल माल कर रहे हैं ? तथा मुसलमान मुआवजा लेकर पाकिस्तान भाग रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि रेगिस्तान मे वहां कौन जमीन जोतता था व कितनी किसकी कमाई थी, यह सब नहीं सोच कर मनमाने ढंग या मिली भगत से उपर्युक्त मुआवजे दिये गये हैं ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है।

(२) यह भी सही नहीं है।

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनी सड़कों की देखभाल

८५८. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या अकाल सहायता मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यो के अन्तर्गत बनी सड़कों की देखमाल व मरम्मत के लिए किसी विभाग की जिम्मेदारी नहीं रखी गई है ?

(२) ऐसी सड़कों की व्यवस्था के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) ऐसी सड़कों की व्यवस्था के लिये तय किया गया है कि एक ही पंचायत क्षेत्र के एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाली या मुख्य सड़क से गांव को जोड़ने वाली लिंक सड़क तथा ५ मील से कम लम्बाई की मुरड़ की सड़क जो किसी योजना में नहीं है की देखभाल एंव संधारण सम्बन्धित पंचायत समितियां करेंगी। तथा प्रति वर्ष उनके संधारण के लिए अपनी निधी में से खर्चा करती रहेगी।

५ मील से अधिक लम्बाई की सड़क तथा योजनागत सड़कों की देखभाल तथा सन्धारण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग करेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग ऐसी सब सड़कों को अपनी सम्पत्ति की सूचि में लेकर उनके संधारण के लिए अपने प्रावधान में से व्यय करता रहेगा।

जिला उदयपुर की तहसीलों में भूमि पर नाजायज कब्जों के मामले

८५९. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला उदयपुर की तहसील सराड़ा, गिरवा, खैरबाड़ा, सलूम्बर व गोगुन्दा में वर्तमान में कितने व्यक्तियों द्वारा भूमि पर नाजायज कब्जा किया हुआ है ?

(२) क्या नाजायज कब्जों को नियमित करने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो वर्ष १९६० से १९६७ तक कितने नाजायज कब्जों को नियमित किया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में नाजायज कब्जों के मामलों पर जुर्माने भी किये गये हैं ? यदि हां, तो कुल कितना जुर्माना इस अवधि में कितने व्यक्तियों से वसूल किया गया है ?

उत्तर

(१) सूची (क) संलग्न है।

(२) जी हां, सूची (ख) संलग्न है।

(३) जी हां, सूची (ग) संलग्न है।

सूची (क)

क्र०सं० तहसील	संख्या व्यक्तियों
१–सराड़ा में	३०३७ व्यक्ति
२–गिरवा में	८२३ "
३–खैरवाड़ा	११५८ "
४–सलूम्बर	१३०८ "
५–गोगुन्दा	६०६ "

....

सूची (ख)

क्र०सं० नाम तहसील	संख्या
१–सराड़ा में	२७३२ मामले
२–गिरवा	८१९९ "
३–खेवाडा	२५६ "
४–सलूम्बर	६८३ "
५–गोगुन्दा	४१९ "

....

सूची (ग)

१–तहसील सराडा में	२४३५ व्यक्तियों से		५२३५.२५ रु०
२– " गिरवा में	८१९९	"	१८७६३.८१ रु०
३– " खैखाड़ा में	२५६	"	४००) रु०
४– " सलूम्बर में	६८३	"	५०७२.२५ रु०
५– " गोगुन्दा में	६००		७७२) रु०
	कुल व्यक्ति १२१७३	कुल जुर्माना	३०२४३.३१

....

फलौदी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी का वितरण

८६०. **श्री दीपचन्द छंगाणी** (फलौदी) क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) क्या यह सही है कि फलौदी तहसील की ग्रामीण जनता के लिए दी जाने वाली दानेदार शक्कर का कम से कम ७५ प्रतिशत भाग ग्रामीण जनता को न मिलकर होलसेल व्यापारी की मारफत फलौदी नगर में ही काला बाजार में बिक जाता है ? अगर हां, तो काला बाजार करने वालों के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठानेकी सोचती है ?

(२) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायत बेगली व बावड़ी के ग्रामीण जनों को गत पंचायत चुनावों से पूर्व से लेकर आज तक दानेदार शक्कर नहीं मिली ? अगर हां, तो फिर बेगली व बावड़ी ग्राम पंचायत के ग्रामीण जनों के साथ किये गये इस अन्याय के प्रतिकार के लिये राज्य सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जा रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि वार्ड नं. ८ फलौदी के दुकानदार के यहां पर नाजायज ढंग से उसको दिये गये सस्ते गेहूं पकड़े गये थे और क्या यह सही है कि इस मामले को रफा दफा किया गया है ? यदि नहीं, तो अब दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाने की तजबीज है ?

उत्तर :

(१) जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

(२) जी नहीं, यह सत्य नहीं है। केवल बेगड़ी सहकारी समिति जो कि चीनी के अधिकृत विक्रेता नियुक्त किये गये थे, को नोटिस आदि दिये जाने पर, उन्होने यह कह कर कि, चीनी का कार्य लाभकर नहीं है। कोटा नहीं उठाया। यह स्थिति मई, ६७ तक चलती रही। इसके बाद अन्य को विक्रेता नियुक्त किया गया है, और चीनी वितरण करायी जा रही है, बावड़ी में केवल रिटेलर्स द्वारा चीनी नहीं उठाने के परिणाम स्वरूप दिसम्बर, ६५, जनवरी,६६, जुलाई. अगस्त, सितम्बर, अक्टुम्बर, नवम्बर, ६६, अप्रेल, ६७ में ही चीनी नहीं मिली थी, क्योंकि बावड़ी के शक्कर विक्रेता ने भी इस कार्य को लाभप्रद नहीं होना बताया है।

(३) जी नही, यह सत्य नहीं है। बल्कि वार्ड नं० ३ के रिटेल डीलर द्वारा वितरित २ क्विन्टल के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच नायब तहसीलदार, फलौदी द्वारा कराये जाने पर शिकायत निराधार पाई गई।

भूमि का सीमांकन

८६१. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज-मंडी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि मंडाना, बन्याणी व सेवचूरी दरा में वन विभाग द्वारा सीमांकन नही किये जाने के कारण कई स्थानों पर जमीन फाड़ ली गई है व फलस्वरूप महकमा जंगलात व काश्तकारों में झगड़े चल रहे हैं ? यदि हां, तो वनविभाग की जानकारी में ऐसे कितने मामले हैं ?

(श्री जुझार सिंह)

(२) क्या यह सही है कि डिमार्केशन नहीं होने के कारण बीड़ मानपुरिया की ढाणी नन्डाना रेन्ज को लोगों ने फाड़ लिया है व लोगों पर मुकद्दमे चल रहे हैं ? यदि हां, तो किन किन पर ?

(३) क्या यह सही है कि आलन्या बांध के नीचे आई जमीन व लकड़ी बन विभाग से राजस्व विभाग में स्थानान्तरित कर दी गई है व राजस्व विभाग द्वारा डूब में आई लकड़ी का ठेका किन्ही व्यक्ति को दे दिया गया है ? यदि हां, तो किन को और कितने रुपयों में ? सीमांकन नहीं होने से क्या डूब की लकड़ी के अतिरिक्त जंगलात की लकड़ी भी उक्त ठेकेदार द्वारा बेची जा रही है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा इस चोरी को रोकने के लिए क्या प्रबन्ध किया है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी नहीं। राजस्व विभाग ने डूब में आई राजस्व भूमि के वृक्षों का ठेका दिया है। जिसकी जानकारी राजस्व विभाग ही दे सकता है। यह सही नहीं है कि सीमांकन नहीं होने से डूब की लकड़ी के अतिरिक्त वन विभाग की लकड़ी भी ठेकेदार द्वारा बेची जा रही है। अतः विभाग द्वारा चोरी रोकने का प्रश्न नहीं उठता।

दालों के निर्यात पर रोक

८६२. **श्रीरामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सभी तरह की दालों के निर्यात पर रोक लगा दी है ? यदि हां, तो कब से ? कृपया आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) इस निर्यात पर रोक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

(३) क्या यह सही है कि राज्य-सरकार ने समस्त जिलाधीशों को हिदायत दी है कि ५ रु. प्रति क्विन्टल लेकर किसी भी स्टाकिस्ट को दालें निर्यात करने का परमिट दिया जा सकता है ? कृपया इस सम्बन्ध में जो आदेश जिलाधीशों को जारी किये गये हैं उनकी प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) यह रुपया राज्य कोष में किस हैड में जमा किया जा रहा है, इस वसूली के पीछे कानूनी सैंक्शन क्या है ?

उत्तर

१—जी हां, यह रोक दिसम्बर, ६७ के तृतीय सप्ताह से तारीख २८-२-६८ तक लगादी गई थी। सम्बन्धित आदेशों की प्रतिलिपियां सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

२—राज्य में दालों की उपलब्धि आसानी से तथा ठीक कीमत पर हो इस उद्देश्य से रोक लगाई थी।

(श्री खाद्य मंत्री)

३—जी हां, दालों की जिले की आवश्यकता को मद्देनजर रखने के बाद राजस्थान के बाहर निर्यात हेतु जो दालें व्यापारी वर्ग या अन्य व्यक्ति ले जाने की अनुमति चाहते थे, उनसे ५) -रुपये प्रति क्वीन्टल स्वेच्छानुदान देने को अनुरोध करने हेतु जिलाधीशों को कहा गया था।

४—यह रुपया राज्य कोष के किसी भी हैड में जमा नहीं किया जा रहा है। इस तरह इकट्ठी की गई राशी में से कृषकों को कृषि विस्तार हेतु अनुदान या ऋण देने की योजना है। इस हेतु कृषि विकास कोष सयम नियम वित्त विभाग में परीक्षण तथा सम्मति हेतु भेजे गये हैं। फिलहाल यह रुपया जिलों में स्थापित लाइसैन्स कमोडिटिज चैरेटी फन्ड के पी० डी० एकाउन्ट में जमा हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नायब तहसीलदार के पद पर प्रमोशन

८६३ श्री दौलतराम आगरी-(देसूरी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भू. अ. निरीक्षक व सदर कानूनगो से जिनका नायब तहसीलदार की जगह पर सन् १६५६ में प्रमोशन हुआ वे सन् १६६२ में मुस्तकिल हो चुके हैं ?

(२) सन् १६५६ में कितने भू. अ. निरीक्षक व सदर कानूनगो का नायब तहसीलदार के पद पर प्रमोशन हुआ ? कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही हैं कि जो नायबतहसीलदार सन् १६५८-५६ में नये सिरे से लिये गये उनका तहसीलदार के पद पर प्रमोशन हो चुका है ? यदि हां, तो किस कारण ?

(४) सन् १६५६ में नायब तहसीलदार के पद पर जिन व्यक्तियों का प्रमोशन हो गया था उनका तहसीलदार के पद पर प्रमोशन क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

१—ऐसे भू-अभिलेख निरीक्षक व सदर कानूनगो जिनका चयन कमेटी द्वारा तय हुआ है उन्हीं को १६६२ में मुस्तकिल किया गया है।

२—सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

३—जी हां। क्योंकि इनका नम्बर नायब तहसीलदार की वरिष्ठता के आधार पर आता है।

४—सन् १६५६ में जिन नायब तहसीलदारों का प्रमोशन हुआ उनका चयन कमेटी द्वारा न होने के कारण वे स्थायी नहीं हो सके और अस्थायी नायब तहसीलदारों को प्रमोशन दिया जाना सम्भव नहीं है। जिन नायब तहसीलदारों का स्थायीकरण १६६२ में हुआ वे जूनियर होने के कारण तहसीलदार के पद पर पदोन्नत नहीं हो सके।

नायब तहसीलदार जिसकी नियुक्ति सन् १९५६ में की गई है:—

१–गिरदावरसिंह	२–जयनारायण शर्मा
३–बद्री प्रसाद	४–भौंरीलाल
५–श्री मुरलीधर	६–जसवंतमल
७–देवकिशन	८–प्यारेलाल
९–घीसासिंह	१०–खैरातीराम
११–रामनारायण	१२–करणसिंह
१३–मदनमोहनलाल माथुर	१४–मन्नुलाल
१५–नरेन्द्रसिंह	१६–फूलचन्द
१७–मोहनलाल	१८–कंवरकृष्ण
१९–कन्नालाल पारीक	२०–नवलकिशोर गुप्ता
२१–नंदकिशोर माथुर	२२–सूरजमल
२३–देवी सिंह	२४–सूरजनारायण
२५–प्रकाशचन्द्र	२६–सोभागमल जैन
२७–विजयसिंह	२८–गनपतलाल
२९–लालसिंह	३०–सूरजमल
३१–हमीद खां	३२–नाजीर मोहम्मद
३३–बालूराम	३४–इब्राहीम खां
३५–हरीशचन्द्र	३६–भगवानसहाय
३७–अजयनारायमोदी	३८–मोहनलाल
३९–मनपतराज	४०–गोपाललाल
४१–रामजीलाल	४२–रामेश्वर दयाल
४३–बद्री प्रसाद शर्मा	४४–हरलाल
४५–रामस्वरूप	४६–शम्भूनाथ

४७–सूरजभानसिंह

४८–अमरसिंह

४९–सत्येन्द्रनाथ

५०–श्री चन्द

५१–रणजीत प्रसाद

५२–दाउदयाल

५३–बाबूलाल

५४–लक्ष्मणसिंह

५५–कल्याणसिंह

५६–उदयसिंह

५७–प्रणवीर प्रसाद

....

ग्राम पंचायत अकलेरा द्वारा भूमि का बेचान

८६४ श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) —क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या अकलेरा ग्राम पंचायत ने श्रीमती सुशीलादेवी गर्ग नामक किसी महिला को एक प्लाट १६०० रु.में बेचा है ?

(२) क्या उक्त प्लाट नीलामी द्वारा बेचा गया है ? यदि नहीं, तो किस प्रकार ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त महिला ने इसी भूमि के लिए पंचायत में एक दरख्वास्त पेश की हुई है कि मैं उक्त जमीन ३००० रु. में लेना चाहती हूं फिर उसी महिला को १६०० में यह भूमि कैसे दी गई ?

(४) क्या उक्त जमीन सम्बन्धी अनियमितता बाबत ग्रामवासियों ने पंचायत के खिलाफ राज्य सरकार को शिकायत की हुई है ?

(५) क्या उक्त भूमि पर भवन निर्माण कार्य शुरु हुआ था जिसे कलेक्टर झालावाड़ ने रोक दिया था ? यदि हां, तो पुनः स्टे-वेकेट किया जाकर भवन निर्माण का कार्य शुरु क्यों करवाया गया ?

(६) जिन पंचों ने उक्त अनियमितता की है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(७) क्या पंचायत को २०० से अधिक राशि की प्लाट बिक्री के लिए पंचायत समिति या कलेक्टर एवं राज्य सरकार से स्वीकृति आवश्यक है ? यदि हां, तो उक्त पंचायत ने बिना मंजूरी ही उक्त प्लाट किन नियमों के आधार पर बेच कर पट्टा दे दिया ?

(८) क्या उक्त भूमि के पट्टे पर सरपंच के दस्तखत न होकर किसी पंच के ही दस्तखतों से पट्टा जारी कर दिया था ?

(९) क्या राज्य सरकार पंचायत के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

१—जी हां, एकप्लोट १९४४) रु० में बेचा है।

२—प्लोट नीलामी द्वारा नहीं बेचा गया बल्कि आवेदन पत्र पर विक्रय का आदेश दिया है।

३—जी हां ऐसा आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था परन्तु पंचायत ने १९४४) रु० में विक्रय करने का निर्णय लिया।

४—जनता की ओर से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ केवल श्री सगीरबेग ने प्रार्थना पत्र दिया था।

५—जी हां–निर्माण कार्य रोक दिया गया था परन्तु पार्टी ने राजस्व अपीलेट अधिकारी से स्थगन आदेश प्राप्त किया –निर्माण कार्य जारी रख पूर्ण करवा लिया उसकी जांच करवाई जा रही है।

६—संबन्धित पंचों द्वारा की गई अनियमित कार्यवाही के आरोप में उन्हें

(पंचायत मंत्री)

राजस्थान पंचायत अधिनियम १६५३ की धारा १७ (४) के अन्तर्गत पद से हटा दिया गया है।

७—जी हां। पंचायत को जिलाधीश की स्वीकृति प्राप्त करना चाहिये था परन्तु प्राप्त नहीं की अनियमितताओं के कारण ही पंचों को पद से पृथक किया गया है ।

८—जी नहीं–श्री भंवर खाँ पंच ने कार्य वाहक सरपंच का कार्य करते हुए हस्ताक्षर किये हैं।

६—भूमि विक्रय में जिन सदस्यों द्वारा अनियमितताएं की गई उनको हटाया जा चुका है।

भीम तहसील के तालाबों व नहरों की मरम्मत

८६५. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भीम तहसील के तालाब अजीतगढ़, देवीसागर और बरजाल की ओर इनसे सम्बन्धित नहरों की मरम्मत करने की पूरी आवश्यकता है ?

(२)क्या इनकी मरम्मत फण्ड की कमी के कारण नहीं हो रही है ?

(३)सरकार तालाब बनवाने के बाद उनकी मरम्मत के लिये राशि का प्रावधान करती है या नहीं ?

(४)यदि करती है तो भीम तहसील के तालाबों की मरम्मत में दिक्कत क्यों आ रही है ?

(५)क्या सरकार अविलम्ब इनकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

१– जी नहीं, मामूली मरम्मत की आवश्यकता है।

२– जी नहीं, मरम्मत तालाबों के भरे रहने के कारण न हो सकी।

३– तालाब बनवाने के बाद मरम्मत के लिए राशि का प्रावधान किया जाता है।

४– चूंकि बहुत से तालाब में खारी सिंचाई परियोजना के कैचमेन्ट में आते हैं।

५– प्रश्न के भाग १ में वर्णित तालाबों की मरम्मत वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होने के पूर्व करवादी जायेगी।

मेला मांडलकला, पंचायत नगर में गबन का मामला

८६६. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१)क्या यह सत्य है कि नवम्बर १६६६ में मेला मांडलकला पंचायत नगर तहसील देवली, जिला टोंक के एक सदस्य को मेले में गबन करते हुए स्थानीय पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था ? यदि हां, तो उसका चालान अभी तक क्यों नहीं किया गया ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(२) क्या यह सत्य है कि स्थानीय पुलिस ने अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और मुकद्दमें को जिलाधीश टोंक के पास वास्ते स्वीकृति भेज रखा है ?

(३) क्या यह सही है कि जिलाधीश टोंक के यहां से उक्त मुकद्दमें में कोई कार्यवाही नहीं करने के आदेश दिए गये हैं ?

(४) यदि नहीं तो क्या जिलाधीश के यहां से इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग को यह सूचना दी गई है कि इस मामले में चालान किया जावे ? यदि हां, तो कब दी गई और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

१. जी नहीं ।

२. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता

३. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

४. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

तहसील सांचोर में भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित भूमि

८६७ **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(१) तहसील सांचोर में पिछले ६ सालों में कितने भूमिहीन काश्तकारों को भूमि आवंटित की गई ?

(२) उक्त आवंटित भूमि में अनु-सूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के लोगों को कितने प्रतिशत भूमि दी गई ?

(३) क्या यह सत्य है कि भूमि आवं-टित किए गए काश्तकारों को अभी तक सनद एवं वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया है ? अगर हां, तो ऐसे कितने काश्तकार हैं ? तथा इसके क्या कारण हैं कि अभी तक सनद एवं वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया है ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि उक्त आवंटित भूमि में अधिकांश हिस्से का अभी तक तरमीम भी नहीं किया गया है ? अगर हाँ, तो क्यों इसकी जिम्मेदारी किसकी थी ?

(५) अब ऐसे काश्तकारों को सनद एवं वास्तविक कब्जा कब तक दिला दिया जावेगा ?

उत्तर

१—तहसील सांचोर में पिछले ६ सालों में ४२५७ भूमिहीन काश्तकारों को २५११६ एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

२— उक्त आवंटित भूमि में अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के लोगों को १८ प्रतिशत भूमि दी गई ।

३—भूमि आवंटित किये गये काश्तकारों में से ११२० काश्तकारों को सनदें एवं वास्तविक कब्जा अभी नहीं दिया गया है क्यों कि गत साल इस तहसील में अकाल होने के कारण सबंधित काश्तकार कब्जा लेने नहीं आये क्योंकि बहुत से काश्तकार दूसरी जगह के रहने वाले है तथा ६० काश्तकार कब्जा लेने के लिये इसलिए तैयार नहीं हुये कि मौके पर जमीन दूसरों

(श्री राजस्व मन्त्री)

के कब्जे में है जिसके बारे में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

४– आवंटित भूमि जिसका कब्जा दिया गया है उसकी तरमीम की जा चुकी है जो काश्तकार कब्जा लेने नहीं आये उस भूमि की तरमीम नहीं की गई है।

५–अब ऐसे काश्तकारों को नोटिस जारी किये जा रहे है उनके आने पर कब्जा देने की कार्यवाही की जावेगी ।

अरनेस्ट मनी की रकम

८६८ श्रीप्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा)-क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि ठेकेदारों को उनके ठेके समाप्त होने पर दो दो, तीन तीन वर्ष तक अरनेस्ट मनी व १० प्रतिशत की अमानत रकम नही लौटाई जाती है? देरी के सामान्यत: क्या क्या कारण हैं ?

(२) क्या सरकार इस अव्यवस्था को दूर करने के बारे में कोई ठोस निर्णय लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

१–जी नहीं। अर्नेस्ट मनी व डिपाजिट की रकम ठेकेदारों को लौटाने में कुछ देरी केवल उन मुआमलों में होती है जिनमें ठेकेदारों द्वारा अनियमितताएं की गई होती है जिनके निर्णय में विलम्ब होना स्वाभाविक है । सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने में भी कुछ विलम्ब हो जाता है।

२– इस सम्बन्ध में विलम्ब कम करने के लिये मुख्य वन संरक्षक ने परिपत्र भेजकर डिपोजिट वापसी के लिये अवधि निश्चित की है।

बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों में कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी

८६९. श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सच है कि बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों में काम करने वाले हजारों मजदूरों की मजदूरी पिछले साल सरकार में बिना चुकाये जमा पड़ी है ? यदि हां, तो सरकार मजदूरी चुकाने के लिए क्या प्रबन्ध कर रही है ?

उत्तर

(१) जी हां, राज्य सरकार द्वारा ओवरसीयरों के पदों में दि० १०–१–६८ तक वृद्धि करने और उसके बाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा तथा तहसीलदारों के मार्फत बकाया मजदूरी के भुगतान के आदेश दिये जा चुके हैं।

तहसील टोडारायसिंह व देवली के तालाबी पेटे की भूमि

८७०. श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील टोडारायसिंह और देवली में तालाबी पेटे

(श्री जगन्नाथ)

काश्त की जो जमीन थी वे कदीम से काश्तकारों के खाते में थी और सम्वत् २०१२ से ही इस जमीन को एलाट किया जाने लगा है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर जिन काश्तकारों का कदीम से कब्जा था उनमें से कुछ काश्तकारों द्वारा इस जमीन पर काश्त करने के कारण धारा ६१ के तहत उन्हें बेदखल कर दिया गया था ?

(३) क्या यह सही है कि बेदखल करने के साथ ही साथ उन काश्तकारों पर पेनल्टी भी लगा दी गई है ?

(४) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के दिनांक २०-१२-६७ के निर्णयानुसार यह निश्चित् किया गया है कि यदि तालाबी पेटाकाश्त की जमीन पर काश्तकार का कदीमी कब्जा पाया जाये और कब्जा साबित हो जाये तो उस काश्तकार के नाम जमीन का नामान्तरकरण कर दिया जाय ?

(५) इस समय उक्त तहसीलों में कितनी मिसलें धारा ६१ के तहत चल रही हैं ?

(६) इन मिसलों का फैसला कब तक हो जाने की आशा है ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है कि पेटे तालाबी की भूमि जो काश्तकारों के खाते में थी सम्वत् २०१२ से तहसील देवली व टोडारायसिंह में अलोट की गई है।

(२) यह सही नहीं है कि जिन काश्तकारों का कदीमी कब्जा पेटा तालाब की भूमि पर था, ऐसे काश्तकारों को बेदखल किया गया है।

(३) यह सही है कि जिन काश्तकारों ने अतिक्रमण कर काश्त किया है उन्हें बेदखल किया गया है और लगान के मुताबिक ही पेनल्टी वसूल की गई है।

(४) यह सही है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक २०-१२-६७ के तहत जिन काश्तकारों का पेटा तालाब की भूमि पर ता० १३-१-५८ से पूर्व का कब्जा पाया जाता है गैर खातेदारी अधिकार दिये जा रहे हैं।

(५) इस समय तहसील देवली में तालाबी भूमि की धारा ६१ (३) के अन्तर्गत कोई मुकदमा पेण्डिगं नहीं है और तहसील टोडारायसिंह में धारा ६१ के कुल ८५७१ मुकदमें पेण्डिग है।

(६) इन मुकदमों को शीघ्र निपटाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में ठेकेदारों को अधिक भुगतान

८७१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में अधिक भुगतान को रोकने के तथा समय पर काम पूरा करवाने तथा अदालती मुकदमें समाप्त करवाने के लिए क्या कार्यवाही राज्य सरकार ने की है ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(२) क्या यह सही है कि ठेकेदारों को अधिक भुगतान करने के सिलसिले में २०० से ऊपर मुकदमें अदालतों में दायर किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कितनी धनराशि के बाबत ?

(३) ठेकेदारों को अधिक भुगतान करने में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या यह सही है कि इस प्रकार की घटनाओं की रोक थाम के लिए सरकार ने एक न्याय अधिकरण बनानेका निर्णय लिया था जिसकी घोषणा जून, ६६ में तत्कालीन सिंचाई मन्त्री ने की है ?

(५) क्या सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण का इतिहास लिखने का 'निर्णय भी राज्य सरकार ने लिया था और यदि हां, तो कब और अब तक किन किन सिंचाई परियोजनाओं का इतिहास लिखा जा चुका है ?

उत्तर

(१) अधिक भुगतान को रोकने के लिए कार्यों के नाप को चैक करने की प्रणाली में सुधार किया गया है तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये कार्य की नाप को चैक करने की दर निर्धारित कर दी है। उच्च अधिकारी भी समय समय पर कार्य को निरीक्षण करते हैं। संविद के Revised नियमों में आर्बीट्रेसन की Clause रक्खी गई।

(२) जी नहीं। केवल एक मामला जिसमें ठेकेदारों को करीब ३३,००० रु० का अधिक भुगतान हुआ अदालत में पेश किया गया।

(३) अदालत से दोषी अधिकारियों को सजा हो चुकी है।

(४) सिविल लिटीगेशन के मामलों के परीक्षण हेतु एक समिति अवश्य गठित की गई थी।

(५) चम्बल का इतिहास लिखने का निर्णय लिया गया है अन्य महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं का इतिहास लिखने के मामले पर विचार किया जा रहा है।

परिशिष्ट ८

(तारांकित प्रश्न संख्या ८४६ की सूची)

List of the Released Emergency Commissioned
Officer of Rajasthan.

S. No.	No. & Rank.	Name.
1.	50510 Capt.	Sharma Salit Kumar.
2.	50534 Major.	Rathore Tej Singh.
3.	50566 Capt.	Mohd. Shamsher.
4.	50586 Capt.	Bhatti Mohan Singh.
5.	50602 Capt.	Vikram Singh.
6.	50605 Maj.	Tholia Ram Singh.
7.	50670 Capt.	Mehta Krishan Kant.
8.	50699 Capt.	Jaimus S. K.
9.	50706 Capt.	Sharma Prem Chandra.
10.	50751 Major.	Jat Roop Ram.
11.	50773 Capt.	Sandhya J. C.
12.	50845 Capt.	Bhatti Naval Singh.
13.	50848 Capt.	Verma Narendra Singh.
14.	50862 Capt.	Kesar Singh.
15.	50894 Capt.	Gurdayal Singh.
16.	51088 Capt.	Jolly Man Mohan Singh.
17.	51174 Major.	Malhotra Bal Krishana.

Page No.218

18.	51214 Capt.	Duggal Ved Prakash.
19.	51226 Capt.	Choudhury M. S.
20.	51280 Capt.	Tyagi V. N. S.
21.	51374 Capt.	Tiwari Girdhari Lal.
22.	51411 Capt.	Poonia M. S.
23.	51418 Capt.	Kushwahar K. C. S.
24.	51421 Capt.	Kalia Gunendra Nath.
25.	51437 Capt.	Qureshi Shamsuddin.
26.	51503 Capt.	Chauhan Raj Narain.
27.	51539 Capt.	Handa Prem Kumar.
28.	51567 Capt.	Dhir Narendra Singh.
29.	51916 Joseph	Joseph Petar Falcao.
30.	52008 Capt.	Rang Rao Singh.
31.	52138 Capt.	Roliarts R. S.
32.	52161 2/Lt.	Chauhan Y. S.
33.	52213 Capt.	Yadava M. P.
34.	52296 Capt.	Sharma C. N. G.
35.	50654 Lt.	Vijay Beri.
36.	50769 Capt.	Gupta Satya Dev.
37.	50915 Capt.	Patni Narendra Kumar.
38.	52627 Capt.	Rathore Narpat Singh.
39.	53973 Capt.	Sri Chand.
40.	54940 2/Lt.	Kripal Singh.
41.	55606 Lt.	Sidhu Lath Singh.
42.	58751 2/Lt.	M. S. Fauzdar.

43.	59618 2/Lt.	Misra Narayan Pd.
44.	52465 Capt.	Vasu Dev.
45.	52482 Capt.	Chaturvedi Vinod Kumar.
46.	52572 Capt.	Johri S. P.
47.	52665 Capt.	Shyam Singh.
48.	52700 Capt.	Villiam Palm.
49.	52814 Capt.	Rathore T. Singh.
50.	52848 Capt.	Mathur B. P.

परिशिष्ट ९

(तारांकित प्रश्न संख्या ८४७ की सूची)

प्रश्न संख्या १०८—मु० मं०

३०) रु० से कम पेनशन पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों की सूची :

१. जिला कोटा

तहसील कोटा	३३
तहसील बारां	१
तहसील मांगरोल	१
तहसील शाहबाद	१
तहसील सामोद	१
तहसील रामगंज मंडी	४
तहसील पीपलदा	२
तहसील छीपा बड़ोद	२
योग :—	४५

२. जिला झालावाड़

तहसील झालावाड़	१३
तहसील खानपुर	७
तहसील झालरापाटन	३
तहसील गंगधार	२
तहसील पच पहाड़	२
तहसील पिड़ावा	१
तहसील अकलेरा	१
योग :—	२९

परिशिष्ट १०

(तारांकित प्रश्न संख्या २९४ की सूची)

सूची

नाम तहसील	सन् १९६४ से सन् १९६६ तक भूमिहीन काश्तकारों के भूमि प्राप्त हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों की संख्या	कितने को भूमि दी गई	कितने प्रार्थना पत्र भूमि न देकर खारिज किये	कितने प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं।
१. खेरवाड़ा	२२४०	१३३८	७६७	१३५
२. गोगुन्दा	१८१७	१८१७	—	—
३. *कोटड़ा	९३८	७६५	१७३	—
४. गिरवा	७३१	५३८	१९३	—
५. सलूम्बर	२२९३	१३४२	९५१	—
योग	८०१९	५८००	२०८४	१३५

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक २६ मार्च, १९६८)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
३	१६	चुके हैं	निकल चुके हैं
१३	३	छोढा	छोड़ी
१४	६	मैं	हैं
१७	अन्तिम से ४	है	हूं
१८	अन्तिम से १	जाच	जांच
१९	१४	डस	उस
,,	अन्तिम से ३	का	को
२१	१६	किवा	किया
२२	३	लिवा	लिया
,,	१०	महोनय	महोदय
,,	२०	गवा	गया
२३	१३	प्रञ्न	प्रश्न
२४	अन्तिम से ६	सर-	---
३५	२	बोलने रहते पर	बोलते रहने पर
३९	अन्तिम से २	सहयोग तो	सहयोग
४९	१९	इससे	इसके
६१	५	को	का
६५	१०	परमीशन पर	परमीशन

१	२	३	४
६५	१२	ईबो	बार्ड
६७	अन्तिम से ६	बाई रौड लाये गये	द्वारा मरम्मत कराके बाई रोड लाये गये
६८	अन्तिम से १२	और	और जो
,,	अन्तिम से ११	थे वहां	थे वे वहां
७२	८	लड्ा	लड्ढा
७३	८,१७	श्री महारावल	महारावल श्री
७४	१०	,,	,,
,,	१२	महही	माही
७६	अन्तिम से १३	कदाना	कड़ाना
,,	,, १	डूब आने	डूब में आने
७८	४	राजऽथान	राजस्थान
७८	११	पुर्नस्थापित	पुनर्स्थापित
७६	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अल्पकाल सूचना प्रश्न
८३	६	कितमी	कितनी
८५	१४	पद	पर
८७	अन्तिम से ३	मस्ट्रोल	मस्टर रोल
६०	,, ६	६८ ३ २१	२१–३–६८
,,	,, ८,५	सत्र	सत्त्र
६३	,, ३	३५५	४५५
६७	११	पर	पर रखी

१	२	३	४
६६	११	सम्बन्ध	सम्बन्धित
१०५	अन्तिम से ४	सुखाड़या	सुखाड़िया
१०८	,, ४	पर्टी	पार्टी
१०६	१६	कहीं	नहीं
११२	अन्तिम से ७	ने	में
११५	शीर्षक	स्थगन प्रस्तावों	स्थगन प्रस्तावो पर
११६	अन्तिम से ४	अधिकारण	अधिकरण
१२१	१५	मांगों	मार्गों
१२२	२१	छोढ	छोड़
१२६	अन्तिम से १५	रकबा काश्त कर शालिया	काश्त करवा लिया
१२७	,, ८	मानने लिये	मानने के लिये
१२८	,, ५	नो	६
१२६-३०	शीर्षक	स्थगन प्रस्तावों–२६ मार्च १६६८–पर व्यवस्था	ध्यान आकर्षण प्रस्ताव–२६ मार्च १६६८–ध्या० प्रस्ताव
१३२	अन्तिम से ४	निमाण	निर्माण
१३१से १६०	शीर्षक	अनुपूरक अनुदानों	अनुदानों
१४६	अन्तिम से ३	आा ।	आदि
१४७	१५	के	—
१४६	१५	अवणिज्यिक	अवाणिज्यिक
१६१	८	मुरुव	मुख्य

१	२	३	४
१६२	अन्तिम से ६	सणकर	सरकार
१६४	१२	पउयोग	उपयोग
१६६	शीर्ज	(श्री परसराम गंगाराम)	(श्री रामनारायण)
१७०	अन्तिम से ५	अदि	आदि
१७८	१६	भूसि	भूमि
१८०	१३	परिपद्	परिषद्
१८१से २२४	शीर्षक	स्थगन प्रस्तावों पर	अनुदानों की मांगों
		अध्यक्षीय व्यवस्था	पर विचार
१८४	अन्तिम से ४	बहत	बहुत
१६१	शीर्ष	श्री फतेहसिंह	(श्री फतेहसिंह)
१६५	१४	Speakiug	Speaking
१६७	१७	मगरे	मगरा
१६६	शीर्ष	बोहारा	बोहरा
२०७	३	जनती	जनता
२०६	२	कम	काम
२११	८	उसकी	उसको
,,	६	ज्यिादा	ज्यादा
२१३	१६	बार	बारे
२२४	१	करवयेंगे	करवायेंगे
२२६	१७	लगन	लगान
२३३	५	नुकसाा	नुकसान

१	२	३	४
२३७	अन्तिम से ५	कित	कितने
२४३	१	यिचार	विचार
२४५	१	सव	सर्व
२५६	७	चहूंगा	चाहूंगा
२५६	अन्तिम से १३	ऊंची	ऊंचा
२६१	१	इन	इस
२६२	१०	कैनला	कैनाल
२६४	६	सी न	सीन
,,	१६	इस ी	इसकी
२६६	अन्तिम से १३	निति	नीति
२७१	६	झुंठी	झूंठी
२७८	६	मोजमाबाद	मौजमाबाद
२७६	अन्तिम से ७	खड़	खड़े
२८३	,, ११	हिन्दुस्तास	हिन्दुस्तान
२८६	१५	हमैशा	हमेशा
२८६	अन्तिम से ७	बड़ सके	बढ़ सके
,,	,, २	अब्यक्ष	अध्यक्ष
२६३	,, ६	(बागडोरा)	(बागीडोरा)
२६५	१२	दूबने	डूबने
३०२	१५	उपर	ऊपर
३०३	अन्तिम से १५	राजस्यान	राजस्थान

१	२	३	४
३०४	अन्तिम से १४	ओर	और
३०५	१४	डिसकसन्स	डिस्कशन्स
३०६	५	मालुम	मालूम
३०७	अन्तिम से ३	ओर	और
३०८	१६	डिसीकशन	डिस्कशन
,,	अन्तिम से ८	योजना हर	योजना पर
३१०	,, ६	नवीगेशन	नेवीगेशन
३११	शीर्ष	—	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
३१६	अन्तिम से २	कोशिश	कोशिश की
३१७	,, १३	मैं	में
३१८	१	कोटी	कमेटी
,,	६	श्री नाथुराम	श्री नाथूराम
,,	अन्तिम से ७	सिदसुख	सिदमुख
३१९	,, २	धक्त	वक्त
३२१	४	परनेन्ट	परसेन्ट
,,	५	ओर	और
,,	अन्तिम से १३	टीक	ठीक
३२२	८	डाई	ढाई
३२५	११	पूछ	पूछें
३३१	८	धोरों मैं	धोरों में
,,	१३	याननीय	माननीय

१	२	३	४
३३१	१५	महोदय	महोदया
,,	अन्तिम से ३	श्री रासप्रसाद	श्री रामप्रसाद
३३३	४	द	दें
,,	अन्तिम से ५	सर्व	सर्वे
,,	,, ४	एग्जाएग्जामिन	एग्जामिन
३३४	२०	मिटिंग	मीटिंग
३३६	३	खागे	आगे
३३७	अन्तिम से ६	यह ये	ये
३३८	,, १३	देखता	देखना
३३६	१७	मनानीय	माननीय
३४१	१५	आपके	आपकी
३४२	अन्तिमसे१३	सुक्ष्म	सूक्ष्म
३४४	५	इन कम्पली बिजजे	इनकम्पलीट ब्रीचेज
,,	६	टैक्स	टैक्स
,,	६	केमीन	फेमीन
,,	१४	बीच टैक्स	ब्रीच टैक्स
,,	१५	जयगा	जायेगा
,,	१७	इसके	इसके लिये
३५०	अन्तिम से २	रक्खा	रहा
३५४	,, १३	बह	बहु
३५५	११	में	मैं

१	२	३	४
३५८	१	तदनन्तर	(तदनन्तर
,,	३	हुई।	हुई)
३६०	अन्तिम से ५	कि	की
३६४	६	मेज पर	मेज पर प्रस्तुत है।
,,	१३	(१)	(२)
४१८	१	नियक्ति	नियुक्ति
४२३	६	सरषंच	सरपंच
४४१	२	तारांकित	अतारांकित